राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 3] चौदहवीं विधान सभा के तीसरे सत्र का तीसरा दिवस [संख्या : 2

बुधवार,

17 सितम्बर, 2014

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

शपथ एवं प्रतिज्ञान

नव-निर्वाचित सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण/प्रतिज्ञान

श्री अध्यक्ष: नमस्कार, नमस्कार। पहले इधर आज नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, राठौड़ साहब को कोटा दक्षिण सीट की बधाई देते हैं हम सब।

श्री अध्यक्ष: बहुत अच्छे। वे आपकी बधाई का स्वागत कर रहे हैं।

नव निर्वाचित सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण एवं प्रतिज्ञान।

विशिष्ट सचिव, विधान सभा: श्री भजन लाल जाटव। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आइये, इधर आइये, भजन लालजी, स्वागत है आपका। बधाई देता हूं मैं आपको। लोकतंत्र के महान संघर्ष में विजयी होकर आप पधारे हैं, इसके लिए आपको बधाई। पहले मैं ''मैं'' बोलूंगा, उसके बाद आप पूरा पढ़ लेना।

(माननीय सदस्यों ने उनके नाम के सम्मुख अंकित भाषा में शपथ ग्रहण की/प्रतिज्ञान किया)

क्र.सं.	सदस्य का नाम	शपथ/प्रतिज्ञान	भाषा
1	2	3	4
(1)	श्री भजन लाल जाटव (वैर)	शपथ	हिन्दी

श्री अध्यक्ष: बहुत अच्छा। पहले दस्तखत कीजिये, फिर इधर आकर हमसे हाथ मिलाइये, फिर स्थान ग्रहण कीजिये। मैंने निवेदन कर दिया।

विशिष्ट सचिव, विधान सभा: श्री संदीप शर्मा।

(2) श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण)　　　(अनुपस्थित)

(3) श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़)　　　(अनुपस्थित)

(4) श्री रामनारायण (नसीराबाद)　　　(अनुपस्थित)

श्री अध्यक्ष: बधाई हो, बधाई, बधाई, बधाई। (व्यवधान) अंकित होगा। यह निश्चित अंकित होगा। यह 'अंकित नहीं होगा' में नहीं आ सकती। (व्यवधान) आए तब बता देना। नव निर्वाचित विधायक कोई पधारे तो मुझे बता देना, हम उसी समय शपथ दिला देंगे। शोकाभिव्यक्ति।

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं हाल ही में दिवंगत हुए इस विधान सभा के पूर्व सदस्य एवं पूर्व मंत्री श्री हरिकुमार औदिच्य तथा पूर्व राज्य मंत्री श्री पूंजालाल गरासिया के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

हरिकुमार औदिच्य श्री, पूर्व सदस्य

पूर्व सदस्य श्री हरिकुमार औदिच्य का जन्म 14 अगस्त, 1931 को कोटा में हुआ। आपने बी.ए. तथा एलएल.बी. की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री हरिकुमार औदिच्य आठवीं तथा नवीं राजस्थान विधान सभा में रामगंजमण्डी निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे। श्री औदिच्य 30 मई, 1990 से 14 दिसम्बर, 1992 तक प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, भाषा तथा संस्कृत शिक्षा विभाग के मंत्री रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप प्राक्कलन समिति 'क' तथा प्राक्कलन समिति 'ख' के सदस्य रहे। आप प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, भाषा तथा चुनाव विभागों की संसदीय परामर्शदात्री समिति के सभापति भी रहे।

श्री औदिच्य अपने सार्वजनिक जीवन में वर्ष 1959 से 1972 तक कोटा नगर परिषद के सदस्य तथा वर्ष 1978 से 1980 तक नगर विकास न्यास, कोटा के चेयरमैन रहे। भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के सचिव एवं मंत्री रहे श्री औदिच्य ने पार्टी के विभिन्न पदों के दायित्वों का निर्वहन

(श्री अध्यक्ष)

किया। राजकीय महाविद्यालय, कोटा के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे श्री औदिच्य ने विभिन्न आन्दोलनों में सक्रिय रूप से भाग लेकर जेल यात्राएं भी कीं।

आप कोटा जिला फुटबाल संघ के अध्यक्ष तथा भारतीय रेडक्रास, कोटा के उपाध्यक्ष रहे। आप जवाहर लाल नेहरू प्रशिक्षण संस्थान के कोषाध्यक्ष भी रहे। अध्ययन एवं पत्रकारिता में रूचि रखने वाले श्री औदिच्य ने साप्ताहिक पत्र 'राष्ट्रशक्ति' का सम्पादन भी किया।

श्री हरिकुमार औदिच्य का दिनांक 16 सितम्बर, 2014 को निधन हो गया।

पूंजालाल गरासिया, श्री, पूर्व सदस्य

पूर्व सदस्य श्री पूंजालाल गरासिया का जन्म 1 जुलाई, 1953 को बांसवाड़ा जिले के लंकाई ग्राम में हुआ। आपने बी.एड. तथा एलएल.बी. की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री पूंजालाल गरासिया दसवीं राजस्थान विधान सभा के लिए हुए आम चुनावों में बागीदौरा निर्वाचन क्षेत्र से जनता दल के विधायक निर्वाचित हुए। श्री गरासिया भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होने के बाद अक्टूबर, 1994 से जनवरी, 1997 तक सिंचाई विभाग के राज्य मंत्री रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति तथा पेयजल समस्या समाधान समिति के सदस्य भी रहे।

श्री गरासिया अपने सार्वजनिक जीवन में वर्ष 1988 से 1991 तक पंचायत समिति, बागीदौरा के प्रधान रहे। सहायक अध्यापक रहे श्री गरासिया ने अनेक सामाजिक सम्मेलनों का आयोजन किया।

श्री पूंजालाल गरासिया का दिनांक 15 सितम्बर, 2014 को निधन हो गया।

मैं अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से दिवंगतों के प्रति शोक प्रकट करते हुए उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं तथा दिवंगत महानुभावों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्माओं को शान्ति प्रदान करे तथा उनके शोक-संतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दे।

माननीय सदस्यगण, कृपया दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिए प्रार्थना करें।

(श्री अध्यक्ष)

(तदनन्तर सदन ने दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की)

ओम् शान्ति, शान्ति, शान्ति। स्थान ग्रहण कीजिये।

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई हैः-

(1) श्री घनश्याम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम की पेयजल समस्या का समाधान करने के सम्बन्ध में।

(2) डा. किरोड़ी लाल, सदस्य की ओर से राज्य में सांप काटने की दवा के अभाव में लोगों की हो रही मौतों के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। आज सांपों के बारे में माननीय चिकित्सा मंत्रीजी का स्टेटमेंट भी होने वाला है, उस समय माननीय सदस्य डा. किरोडी लाल मीणा एक-दो सवाल पूछने के अधिकारी होंगे।

(3) श्री सुखराम विश्नोई, सदस्य की ओर से जिला जालौर सहित बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों के वर्षाविहीन ग्रामों में अकाल राहत कार्य खोलने एवं पशुओं के लिए चारे एवं पानी की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में।

(4) श्री गोविन्द सिंह डोटासरा, सदस्य की ओर से राज्य में स्कूलों का एकीकरण/समानीकरण करने की कार्यवाही से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्रीमती शकुन्तला रावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बानसूर में खोले गये माडल विद्यालयों में मात्र एक अध्यापक प्रतिनियुक्ति पर लगा देने एवं अध्यापकों के अन्य पदों पर पदस्थापन नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(6) श्री भंवर सिंह, सदस्य की ओर से जिला बीकानेर की पंचायत समिति कोलायत क्षेत्र की पंचायतों के पुनर्गठन के प्रस्ताव से जनता में व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(7) श्री अशोक, सदस्य की ओर से जयपुर नगर निगम के सफाई कर्मचारियों की पी.एफ./ई.एस.आई. की अंशदान राशि अनुबंधित फर्म द्वारा सम्बन्धित विभाग में जमा नहीं करवाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(8) श्री रमेश, सदस्य की ओर से राज्य की खानों में काम करने वाले हज़ारों मज़दूरों के सिलिकोसिस नाम की गम्भीर बीमारी का शिकार होकर मौत होने के सम्बन्ध में।

(9) श्री हनुमान बेनीवाल, सदस्य की ओर से जयनारायण विश्वविद्यालय, जोधपुर के छात्र संघ चुनावों में हुई भारी धांधली तथा एक समाज विशेष के लोगों पर पुलिस द्वारा की गई बर्बरतापूर्ण कार्यवाही के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री सुखराम बिश्नोई, श्री गोविन्द सिंह डोटासरा, श्रीमती शकुन्तला रावत, श्री भंवर सिंह, श्री अशोक, श्री रमेश एवं श्री हनुमान बेनीवाल को अपने-अपने प्रस्ताव की विषय वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

श्री रमेशजी, आपके द्वारा पहले जो स्थगन प्रस्ताव दिया गया था आज उसका जवाब नहीं आया। मैंने सरकार से कह दिया, अगर आज जवाब नहीं आया तो कल उस पर आपको बोलने का अधिकार दूंगा।

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

1. श्री सुरेश सिंह रावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पुष्कर की सड़कों की मरम्मत एवं नवीनीकरण करवाने के सम्बन्ध में।
2. श्री संजीव कुमार, सदस्य की ओर से उपखण्ड भादरा में राजकीय महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में।
3. श्री भागीरथ चौधरी, सदस्य की ओर से शहर जल योजना किशनगढ़ की पुनर्गठित परियोजना यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. के तहत 185 करोड़ 20 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी करवाने के सम्बन्ध में।
4. श्री फूलसिंह मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में भारी वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त हुई सड़कों एवं पुलियाओं से जनता को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

5. श्री दलीचन्द डांगी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मावली में भारी वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त हुई सड़कों एवं पुलियाओं से जनता को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

6. श्रीमती सूर्यकांता व्यास, सदस्य की ओर से जोधपुर विकास प्राधिकरण को स्वयं के वित्तीय संसाधन जुटाने हेतु महत्वपूर्ण कदम उठाने के सम्बन्ध में।

7. श्री राजेन्द्र सिंह यादव, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली की सड़कों की दयनीय स्थिति के सम्बन्ध में।

8. श्री हरिसिंह रावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र भीम की पेयजल समस्या का समाधान करने हेतु इसे चम्बल/बीसलपुर योजना से जोड़ने के सम्बन्ध में।

9. श्री हनुमान बेनीवाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र खींवसर के बंद पड़े सड़क निर्माण कार्यों को अविलम्ब चालू करवाने एवं निरस्त किए गए निर्माण कार्यों को पुन: स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।

10. श्रीमती शकुन्तला रावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बानसूर के वन क्षेत्र के ग्रामीण किसानों की फसल जंगली सुअर एवं नील गायों से बचाने के सम्बन्ध में।

11. श्री हीरालाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र निवाई की पंचायत समिति पीपलू के कतिपय ग्रामों की पेयजल समस्या का समाधान करने के सम्बन्ध में।

12. श्री ललित कुमार, सदस्य की ओर से जिला बारां में जननी सुरक्षा वाहन 104 में लगाए गए वाहन चालकों को लगाने वाले अधिकारी एवं प्लेसमेंट फर्मों द्वारा राजकोष को 16,86,400/- का नुकसान पहुंचाने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

पर्ची

1. श्री कैलाश भंसाली, सदस्य की ओर से जोधपुर शहर में सफाइकर्मियों के रिक्त पदों से चरमराई सफाई व्यवस्था के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

2. श्री शंकरसिंह, सदस्य की ओर से भामाशाह योजना के कैम्पों में आ रही बाधाओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

3. श्री घनश्याम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम की पेयजल समस्या के सम्बन्ध में। आप इसमें पर्ची पर बोल लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपका उसमें भी आया है, दोनों में ही है।

4. श्री अमराराम, विधान सभा क्षेत्र बालोतरा की औद्योगिक इकाइयों से रीको द्वारा मनमाने तरीके से नियमन राशि वसूल करने के सम्बन्ध में।

श्री सुखराम बिश्नोई।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

पश्चिमी राजस्थान के अकालग्रस्त गांवों को अनुदान

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत हमारे जो माननीय सदस्य नए आये हैं, उनको बधाई देता हूं। मेरा, माननीय अध्यक्षजी, निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के पड़ोस में बाड़मेर में चौहटन, शिव, जैसलमेर का कुछ भाग आता है और इनमें एक बूंद बरसात की आज दिन तक नहीं हुई है। मेरे विधान सभा क्षेत्र के कम से कम तीस गांव हैं, इन तीस गांवों में बरसात नहीं होने से, और यहां पिछली साल भी बरसात नहीं थी, बरसात नहीं होने से जो अकाल की स्थिति बनी हुई थी, गिरदावरी रिपोर्ट अकाल की आई थी, उसको कम किया गया। मैं धरने पर बैठा था, माननीय चिकित्सा मंत्रीजी ने धरना उठाया था और यह जबान दी थी कि हम गो-शालाओं को अनुदान देंगे। आज सुबह मैंने राठौड़ साहब से कहा कि आपने हमारी मांग नहीं मानी। तो इन्होंने कबूल किया कि हमने गायों की नहीं सुनी तो हम चार की जगह एक ही जीत पाये। जिस गाय माता को लेकर आप 68 साल से आवाज उठा रहे थे, पिछले आठ महीनों में जिस तरह से उसका मुंह बंद कर दिया था, लोगों का जो जनादेश आया है, आप उसको तवज्जोह देंगे। मेरे सत्तापक्ष के जो साथी विधायक बैठे हैं, उनके भी मन में, अध्यक्षजी, एक बात बैठी हुई थी कि हमारी भी कोई सुनता नहीं है और अब कल के बाद इनके भी पंख आ गये हैं और इनकी भी बात सुनी जाएगी। ये जो उप चुनाव हुए हैं, ये बहुत सारे फ़ैसले साथ में लेकर आये हैं। सत्तापक्ष के

(श्री सुखराम विश्नोई)

माननीय मंत्री कटारियाजी कल बोल रहे थे कि मैं इस बात को मानता नहीं, आप कैसे नहीं मानते हो? कल लोगों ने मनवा दिया। मैं मेरे विषय पर आना चाहूंगा...

श्री अध्यक्ष: आपने विषय पर तो बोल लिया है।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): यह तो बधाई दे रहा था। अब मैं मेरे विषय पर बोलना चाहूंगा।

मेरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि जो अकाल की स्थिति बनी हुई है, अकाल की स्थिति में पहले कांग्रेस सरकार के समय, माननीय अशोकजी विराजमान हैं, 15 अगस्त को गिरदावरी हो जाती थी। लेकिन अब यह सितम्बर चल रहा है, अभी तक कोई गिरदावरी नहीं हुई है। गिरदावरी अगर नहीं हुई है तो किस तरह से अकाल राहत कार्य खोले जाएंगे? कलक्टर से आज ही इसकी रिपोर्ट मंगाई जाए और जिन गांवों में अकाल है- चाहे बाड़मेर जिला हो, चाहे जैसलमेर जिला हो, चाहे कहीं भी जहां बरसात नहीं हुई हो, उन किसानों को, पशुओं को रिलीफ दी जाए और तत्काल उनके पानी की व्यवस्था की जाए, चारे की व्यवस्था की जाए। जिस तरह के हालात बने हुए हैं उन हालात से निपटने के लिए तुरन्त कार्यवाही की जाए। बरसात जितनी होनी चाहिए थी, पिछले तीस दिन में बरसात नहीं हुई है। तीस दिन बरसात नहीं होने से जो बाजरे की फसल है, बाजरे की फसल की एक सीमा होती है, बरसात नहीं होने से बाजरे की फसल जो पक गयी, अब भले ही बरसात हो वह बाजरे की फसल सही नहीं पक पाएगी। इसलिए उन गांवों में अकाल है। इसलिए मेरा, माननीय अध्यक्षजी, आपके माध्यम से निवेदन है कि इन गांवों की गिरदावरी आज ही मंगवाई जाए और वहां तुरन्त कार्यवाही की जाए।

श्री अध्यक्ष: श्री गोविन्द सिंह डोटासरा। आप रेस्पोण्ड कर रहे हैं क्या?

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को शायद विषय की जानकारी बराबर नहीं है। मैंने वर्षा की कमी को देखते हुए अपनी फाइल में 1 सितम्बर से ही गिरदावरी करने के लिए दिया। फिर उस समय बारिश आ गई तो फिर मैंने 7 तारीख की और 7 तारीख के बाद भी जब बारिश का दौर राजस्थान के अधिकांश भागों में हो गया तो जैसा हर साल 15 सितम्बर से लेकर 15 अक्टूबर के बीच में ही गिरदावरी होती है, मैंने आदेश उनके दे दिये हैं। मैं

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि मैं स्वयं भी आपकी भावना से हमेशा चिंतित रहता हूं। जिन गौशालाओं का पिछली बार रिकार्ड आने में कहीं देरी हुई और उसके कारण से उनको कुछ दिनों का ही पैसा मिला, मैंने कल ही आदेश किया कि तहसीलदार की रिपोर्ट जिस दिन प्राप्त होगी उस दिन से अगर वे अकाल राहत क्षेत्र में है, तो उनको गौशाला का अनुदान दे दिया जाए। उसके कारण से मैं सोचता हूं कि करोड़ों रुपया जिन गौशालाओं को पहले नहीं मिला था और जो अकालग्रस्त क्षेत्र थे, उनका कल ही मैंने आदेश किया है। मैं मानवीय दृष्टि से हमेशा आपकी बात से सहमत हूं। लेकिन जो सरकारी प्रक्रिया है, मैंने अपनी प्रक्रिया 1 सितम्बर से पहले ही प्रारम्भ कर दी राजस्थान की स्थिति को देखते हुए। लेकिन यह सप्ताह ऐसा निकला जिसमें वर्षा का दौर लब्ध हुआ। केवल दो जिले ऐसे बचे हैं, दो या तीन जिले जिनमें एवरेज से कम वर्षा है। उनका भी मैंने गिरदावरी का आदेश दे दिया है।

श्री अध्यक्ष: श्री गोविन्द सिंह डोटासरा। माननीय सदस्य, अब नहीं।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): मेरा निवेदन यह था कि पिछली सरकार ने अप्रैल, मई, जून का अकाल न होते हुए भी अनुदान दिया था, वह अनुदान नहीं दिया जा रहा है। उस अनुदान की बात कर रहा हूं मैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कह दिया है उन्होंने अनुदान देने के लिए। श्री गोविन्द सिंह डोटासरा।

विद्यालयों के समानीकरण से उत्पन्न स्थिति

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर एक बहुत बड़ी, मैं तो यह कहूंगा ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: शांत रहिये। बाधा मत डालिये कृपया। आप बोलिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्राथमिक शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण होती है और उसी से बच्चे की नींव मजबूत होती है और वह सर्वोच्च पद राष्ट्रपति तक पहुंच पाता है। इस सरकार ने 14.8.14 को आनन-फानन में एक बहुत बड़ा निर्णय दिया है और इस निर्णय

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

से 17 हजार से भी अधिक विद्यालयों को बंद करने का काम किया है। मैं समझता हूं कि ये कल वाले परिणाम उन शिक्षकों की, अभिभावकों की और बच्चों की हाय का ही परिणाम है कि आप 75 प्रतिशत लूज कर गये। मैं निवेदन करना चाहता हूं, ये आर.टी.ई. एक्ट का कहते हैं, आर.टी.ई. एक्ट के जो प्रोविजन हैं, उनमें स्पष्ट लिखा हुआ है, अनुच्छेद-7 में है कि अगर एक से लेकर प्राइमरी तक होगी तो, 1 क्लाज में है, एक किलोमीटर की डिस्टेंस होनी चाहिए और दो में लिखा है कि अगर 6 से 8 होगी तो दो किलोमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए उसमें प्राथमिक विद्यालय होना अनिवार्य है। इन्होंने जो एकीकरण किया है, मैं विशेष रूप से मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करूं, बीईओ ने जो इनको रिपोर्ट भेजी है उसमें दो किलोमीटर डेढ़ किलोमीटर विद्यालयों की दूरी बताई जबकि वह तीन और चार किलोमीटर है। उन्होंने तो अपनी मर्जी से कम बताई है। सरकार ने आनन-फानन में बंद कर दिये, ताले लग गये बच्चे बाहर आ गये। गांव वाले कोई सामान नहीं ले जाने दे रहे हैं, कोई बच्चों को नहीं ले जाने दे रहा है। दूसरे स्कूल में जा नहीं रहा है। गांव की व्यवस्था करके अपना चंदा इकट्ठा करके पेड़ों के नीचे पढ़ा रहे हैं। इससे बड़ी शर्म की बात इस सरकार के लिए कुछ हो नहीं सकती। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चार-पांच उदाहरण आपको बताना चाहूंगा, मेरे यहां ...

श्री अध्यक्ष: देखिये, तीन मिनट से ज्यादा ले लिये आपने।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): दो मिनट तो बोलने दो, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप उदारमना हैं बड़े। अब तो आपको हमें प्रोटेक्शन देना चाहिए, इनकी अक्ल ठिकाने रहे, इससे सरकार की अक्ल ठिकाने रहे।

श्री अध्यक्ष: बहुत अच्छे, मेरी तारीफ कर दी। कोई बात नहीं, आप दो मिनट और बोल लीजिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मीलों की ढाणी डूढवा, मीलों की ढाणी सेवदड़ा, जिलोई जोड़ी, कलावा का वास, कलावा का उत्तरी बास, गढ़वालों की ढाणी, हरिरामजी का मंदिर, ज्ञाढाणी जोड़ी, ढालाणा जोड़ा, फुलाणा जोड़ा, गोपलाणा जोड़ा, खाताणा जोड़ा, जिनाणा जोड़ा, जाताणा जोड़ा, नागवा जोड़ा, ढाका की ढाणी, जोहड़ की जोहड़ी, गोमती तलाई मतलब नौ सौ से ऊपर

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

विद्यालय सीकर जिले में और एक सौ पैंसठ लक्ष्मणगढ़ विधान सभा क्षेत्र में बंद कर दिये। सरकार एकीकरण करके बंद तो कर ही रही है, ऊपर से शिक्षकों के लिए मंत्री और इनके अधिकारी भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं। मैं चाहूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कि अब इनकी अक्ल ठिकाने आए, सरकार ढंग से काम करे। यह एकीकरण समानीकरण का लफड़ा बंद करे और उन विद्यार्थियों को पढ़ने का मौका दे जो आज पेड़ की छांव में पढ़ रहे हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय। इस सरकार के इस गलत निर्णय और हमारे विरोध को पूरी जनता ने एक मुहर लगा कर साबित कर दिया है कि यह सरकार गलत कार्य कर रही है, इनको नहीं करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिये। निवेदन कर दिया आपने। जोरदार तरीके से कर दिया।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सैकिंड। एक दिन की तो विधान सभा है, बोलने तो दो। मैं निवेदन करना चाहता हूं, इनको कितना ही बचा लो, ये तो डूबेंगे। आपको पता है, चार में से तीन डूब गये तो अब इससे ज्यादा और क्या होना है यही हश्र होना है। थर्ड ग्रेड के टीचर्स का परिणाम घोषित करो, विद्यार्थी मित्रों को वापस नौकरी में लो और इन एकीकरण किये गये विद्यालयों को वापस खोलो। और 120 के ऊपर व्याख्याता नहीं लगाएंगे, यह जो आपका निर्णय है, यह तानाशाहीपूर्ण निर्णय है। मंत्रिमण्डल का गठन नहीं कर रहे हो जबरदस्ती राठौड़ साहब जाकर वहां दिगम्बर सिंहजी को मंत्री बना रहे हैं। इसी का परिणाम है कि आपकी जो तानाशाही थी वह बंद हो गई है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप विषय से हट रहे हो। अपने विषय पर बोल चुके हैं। आप स्थान ग्रहण कीजिये। श्रीमती शकुन्तला रावत।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): एकीकरण समानीकरण के नाम पर दुकान चला रखी है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार सावचेत रहे, विद्यार्थियों का अपमान नहीं करे। अभिभावकों को वापस प्राइवेट स्कूल में डालना पड़ रहा है। मेहरबानी करके मंत्रीजी जवाब दें कि इन विद्यालयों के साथ में इस तरह का बर्ताव नहीं करें। आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, पांच-पांच किलोमीटर दूरी पर स्कूल कर दिये इन्होंने। पांच-पांच किलोमीटर दूरी पर स्कूल कर दिये, दो-दो, तीन-तीन साल के बच्चे कैसे स्कूलों में जाएंगे?

श्री अध्यक्ष: नहीं-नहीं, आपको परमिशन नहीं है। आपने प्रक्रिया में कुछ दिया नहीं है। बीच में नहीं, आप विराजिये। आप विराजिये।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप बोलने का मौका नहीं देते। मोशन लगाते, आपने मोशन नहीं लगने दिये। घंटी बजा कर आप बैठा देते हैं, आप बोलने ही नहीं देते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपने कोई मोशन दिया ही नहीं, जबरदस्ती बोलना चाहते हैं आप। प्रक्रिया में देते आप। प्रक्रिया के अनुसार आते आप। श्रीमती शकुन्तला रावत।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, ... (व्यवधान) ये विषय पर बोलें न। ये विषय पर बोल रहे हैं या किस पर बोल रहे हैं?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप किस विषय पर बोल रहे हो?

श्री अध्यक्ष: आप बाधा मत डालिये कृपया। कृपया आप स्थान ग्रहण कीजिये। नहीं, आप स्थान ग्रहण कीजिये, निम्बाहेड़ा से आने वाले विधायक। किसी प्रक्रिया के अन्तर्गत आप बोलने की अनुमति लीजिये। श्रीमती शकुन्तला रावत।

बानसूर के माडल विद्यालय में अव्यवस्था

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से मंत्री महोदय को अवगत कराना चाहती हूं कि बानसूर में माडल विद्यालय खुला, उसे खुले हुए 6-7 महीने हो गये। लेकिन उसमें क्या हुआ कि एक टीचर लगा दिया प्रतिनियुक्ति पर और एक टीचर के लगाने से एडमिशन शुरू हो गये। एडमिशन शुरू होने के बाद में वहां दो सौ-ढाई सौ बच्चों ने एडमिशन ले लिया। वो इंग्लिश मीडियम स्कूल से निकल कर आये हैं और सारे ही बच्चे परेशान हैं। वहां सिर्फ एक टीचर है वे भी एडमिशन की प्रक्रिया में लगे रहते हैं और उनको भी अभी 6-7 दिन पहले हटा दिया गया है। तो सारे ही अभिभावक वे सारे बच्चे इतने परेशान हैं कि वे कहां

(श्रीमती शन्कुतला रावत)

जाएं और कहां नहीं जाएं, क्योंकि दूसरे स्कूलों से उनकी टी.सी. भी निकल चुकी है। इस तरह से बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए क्योंकि उनका तो एक वर्ष यह बरबाद हो जाएगा या तो उनके लिए आपको आदेश ही नहीं निकालना चाहिए था कि उसमें एडमिशन लें। एडमिशन के लिए उनको इन्वाइट नहीं करना चाहिए था। एडमिशन की प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं करनी थी, पहले व्यवस्था करनी चाहिए थी। वहां फर्नीचर भी सारा अवेलेवल है लेकिन वह सैट नहीं हुआ। ये सारी अव्यवस्थाएं क्यों हैं? डीईओ साहब से मेरी बात हुई, कलक्टर साहब से भी मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि हमने सरकार को भेज दिया है। इस बात के बाद में 15-20 दिन हो गये और एक टीचर थे वे भी हटा दिये गये। क्यों ऐसी अव्यवस्थाएं हो रही हैं? ये नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है। बच्चों के भविष्य से ऐसा खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति हो तो मैं दो स्कूलों के नाम गिनाना चाहूंगी।

श्री अध्यक्ष: अब विषय आ गया आपका सारा।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): एकीकरण के लिए, एक बास बेरीसाल 187 बच्चे हैं जिनमें से 150 लड़कियां हैं। एक में पौने तीन सौ हैं उनमें से 248 लड़कियां हैं। वह पूरा कस्बा नारायणपुर पार करके बड़ विद्यालय में उसको मर्ज किया जा रहा है। वे नहीं जाएंगे। सारे छोटे-छोटे, तीन-तीन, चार-चार साल की बच्चियां हैं, वे घर रह जाएंगी तो कृपा करके उस विद्यालय को वहीं रखा जाए प्रावधान था कि पचास बच्चों तक लेकिन सौ और डेढ़ सौ और पौने तीन सौ बच्चों तक का मर्ज नहीं किया जाएगा। आपसे मैं चाहूंगी कि इसकी जल्दी व्यवस्था करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री भंवर सिंह। अच्छा, रेस्पोंड कर रहे हैं।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जवाब दे दूं। बानसूर से आने वाली माननीय सदस्या ने जो माडल स्कूल के बारे में कहा है ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे वाले का भी दिलवा दें। दिलवा दो, ठीक रहेगा आपके लिए।

श्री अध्यक्ष: नहीं, ये नहीं, वे जिसका चाहें उसका देंगे। माननीय विधायक, आप बैठिये। वे जिसका चाहेंगे उसका देंगे, मैं कम्पैल नहीं कर सकता।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): बिलकुल ठीक रहेगा, आप बैठिये। आपके माडल स्कूल बानसूर, चार अध्यापक, अभी आपने ध्यान दिलाया, कार्य व्यवस्थार्थ आज ही लगा दिये जाएंगे। माडल स्कूल हेतु टीचर्स का चयन करने के लिए इंटरव्यू चल रहे हैं, दस दिन के अन्दर-अन्दर आपके पर्याप्त अध्यापक लगा दिये जाएंगे।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): एक मिनट माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले बालिका विद्यालय के लिए साहब ने आठ दिन के लिए कहा था लेकिन अभी दो महीने हो गये। मंत्री माहोदय ने यहीं कहा था सदन में। बालिका विद्यालय में एक टीचर है तो उसमें कब तक लगाएंगे?

श्री अध्यक्ष: आप स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): आज लग जाएंगे, आज लग जाएंगे। और लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय विधायक ने जो एकीकरण के बारे में बात कही है, मैं इनको बताना चाहूंगा, आज स्थिति यह है कि 142 स्कूल ऐसे हैं जिनमें जीरो एनरोलमेंट है और 251 टीचर लगे हुए हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह हमने बहुत सुन लिया।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): आप सुनिये बात। अब या तो सुनिये, नहीं मत सुनिये। यदि सुनना चाहते हैं तो सुनिये। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप इन स्कूलों को वापस चालू करोगे कि नहीं?

श्री अध्यक्ष: माननीय विधायक डोटासरा जी, आप डिस्टर्ब मत कीजिये बार-बार, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): आप जवाब सुनना चाहें तो मैं जवाब दे दूंगा और नहीं सुनना चाहें तो मैं बैठ जाता हूं। (व्यवधान) बैठिये, श्रीमान्, बैठिये। ये नहीं सुनना चाहते।

श्री अध्यक्ष: यह तरीका नहीं है। नहीं, यह तरीका नहीं है। हां, माननीय मंत्री महोदय।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): मैं यह बता रहा था कि 142

(श्री कालीचरण सराफ)

स्कूल इस प्रकार के हैं जहां 251 टीचर लगे हुए हैं पर एक भी बच्चा नहीं पढ़ता। इसी प्रकार से 9100 स्कूल इस प्रकार के हैं जिनमें पन्द्रह से कम बच्चे हैं और वहां 16117 टीचर लगे हुए हैं। इसलिए सरकार ने यह विचार किया कि जो इस प्रकार के स्कूल हैं उनको बंद नहीं किया जाएगा, उनको जो उनके पास वाली स्कूल है उसमें मर्ज कर दिया जाएगा। (व्यवधान) फिर आप बीच में बोल रहे हो, या तो सुन लो। (व्यवधान) यह नहीं सुनना चाहते।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये, अब जवाब नहीं आएगा। अब जवाब नहीं आएगा अगर इस तरह आप डिस्टर्ब करते हो तो। यह तरीका नहीं है, मैंने आपसे कहा, बार-बार उठकर। माननीय मंत्री महोदय।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): इस विचार के तहत हमने 17129 स्कूल मर्ज किये। उसके बाद हमने यह ध्यान रखा कि आर.टी.ई. एक्ट के जो नियम हैं, नार्म्स हैं, उनकी पूरी पालना की जाए। जैसा माननीय सदस्य ने बताया, प्राइमरी स्कुल एक किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए और अपर प्राइमरी स्कूल दो किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए। हमने उसमें यह भी कहा है कि यदि बीच में कोई नदी, नाला, पहाड़ या कोई हाइवे रोड या रेलवे लाइन आती है तो उस स्कूल को भी मर्ज नहीं किया जाए। हमने यह भी गाइडलाइन में कहा है ...(व्यवधान) सुनते क्यों नहीं हो, क्या प्राब्लम है आपके? यह सुनना नहीं चाहते इसलिए मैं बैठता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी, आप स्थान ग्रहण कीजिए। श्री भंवर सिंह। (व्यवधान) नहीं, आप बैठिये, बैठिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इन्होंने बंद किए हैं डेढ-डेढ, दो-दो किलोमीटर ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बैठिये आप । (व्यवधान) इनका एक शब्द नहीं आना चाहिए।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): मेरा पूरा जवाब सुन लीजिए। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): ×××

श्री अध्यक्ष: केवल भंवर सिंह। (व्यवधान)

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): ×××

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। (व्यवधान) आप बैठिये। स्थान ग्रहण कीजिए। भंवर सिंह

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): जवाब ही नहीं सुनना चाहते तो मैं क्या करूं? (व्यवधान) मैं जवाब दे रहा हूं।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): माननीय अध्यक्ष महोदय ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: भंवर सिंहजी, आप बोलिए। मंत्रीजी, आप नहीं। (व्यवधान) नहीं, आप बैठिये।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): राजस्थान सरकार के द्वारा....

श्री अध्यक्ष: नहीं, आप बैठिये । आप सुनना नहीं चाहते। पांच-पांच, छह-छह खड़े हो जाते हैं, यह तरीका है क्या? मैं आपसे बार-बार विनम्र निवेदन कर रहा हूं। हां, रखिये यह अपने पास। आप तो सचेतक हैं, आपको पूरा अनुशासन पालन करना चाहिए। हां, भंवर सिंहजी।

कोलायत में पंचायतों के पुनर्गठन में निर्धारित मापदण्डों का पालन नहीं

श्री भंवरसिंह (कोलायत): अध्यक्ष महोदय, मैं ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री कटारिया साहब से निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार के द्वारा पंचायतों के पुनर्गठन के बारे में जो मापदण्ड तैयार किए गए हैं उन मापदण्डों के अनुसार राजस्थान के सभी जिलों में और ब्लाक स्तर पर प्रस्ताव तैयार करके जिला कलक्टर को भिजवाने थे। अध्यक्ष महोदय, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र कोलायत के सम्बन्ध में कटारिया साहब से निवेदन करना चाहूंगा कि आपके द्वारा जो निर्धारित मापदण्ड थे, जिनमें ग्राम पंचायत का दूरी का मापदण्ड आठ किलोमीटर मरुस्थलीय क्षेत्र में तय किया गया है, कोलायत के विकास अधिकारी, तहसीलदार और एसडीएम ने मिलकर, एक पूर्व राजनेता ने जो प्रस्ताव बनाकर दिये उस पर उन्होंने आंख बंद करके साइन जिला कलक्टर को भेज दिये। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत मुख्यालय से जुड़ने वाले गांव की दूरी आठ किलोमीटर होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने तीस से भी ज्यादा ग्राम पंचायतों में आठ से पैंतीस किलोमीटर दूरी तक के गांवों को जोड़ा है। जिला कलक्टर के द्वारा प्रस्ताव

(श्री भंवरसिंह)

प्रकाशित किए गए उससे पहले हमने जिला कलक्टर महोदय को अवगत करवाया, लेकिन सभी प्रस्ताव जिन्हें उपखण्ड अधिकारी कोलायत ने भिजवाया था, उनको यथावत जिला कलक्टर के द्वारा प्रकाशित कर दिया गया।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में यदि सबसे ज्यादा आपत्तियां आई हैं तो कोलायत पंचायत समिति में आई हैं। कोलायत पंचायत समिति में ढाई लाख से भी ज्यादा आबादी है, राजस्थान के कई जिलों में, एक ही जिले में एक ही विधान सभा क्षेत्र में तीन-तीन नई पंचायत समितियां बनाई गई हैं वहीं कोलायत सीमावर्ती क्षेत्र होने के बावजूद, वहां कोलायत पंचायत समिति में 55 से ज्यादा ग्राम पंचायतों तक बनाई जा सकती हैं, लेकिन जानबूझकर राजनैतिक द्वेषता से 49 पंयायतें रखा गया। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कोलायत के बीकानेर से 150 किलोमीटर दूर और कोलायत से 150 किलोमीटर आगे अन्तरराष्ट्रीय सीमा तक लगने वाले बज्जू क्षेत्र को पंचायत समिति घोषित किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मेरा पंचायती राज मंत्रीजी से निवेदन रहेगा कि दुनिया भर की घोर अनियमितताएं इन पंचायतों के पुनर्सीमांकन में, कोलायत पंचायत समिति में हुई हैं। जिला कलक्टर महोदय के द्वारा...

श्री अध्यक्ष: आप स्थान ग्रहण कीजिए। आप बार-बार वही रिपीट कर रहे हैं।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): उन आपत्तियों में जो रिपोर्ट ली जा रही है, जांच करवाई जा रही है, वह उन्हीं एसडीएम, उन्हीं तहसीलदार के द्वारा करवाई जा रही है। उनकी दूरी की, उनके जुडाव की या सीधे सड़क मार्ग से जुडाव की तमाम बातों को वे प्रमाणित कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन रहेगा कि कोलायत पंचायत समिति के तमाम प्रस्तावों की जांच करवाई जाए।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): उसमें जो भी दोषी अधिकारी हैं उन दोषी अधिकारियों के खिलाफ, यदि उन्होंने नियम विरुद्ध प्रस्ताव तैयार किए हैं तो, कार्यवाही की जाए । कोलायत की जनता को असुविधा नहीं हो, क्योंकि 25 सालों में एक बार परिसीमन होता है...

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए, आपने अपनी बात कह दी है पूरी। श्री अशोक।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): यदि परिसीमन गलत हो गया तो ...

श्री अध्यक्ष: श्री अशोक।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): कोलायत की जनता को आने वाले 25 साल तक बहुत ही ज्यादा असुविधा का सामना करना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष: विराजिए, अब विराजिए। आप बैठिये, मैं अशोकजी का नाम पुकार चुका हूं।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): मैं पुन: मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इसको सर्वोच्च प्राथमिकता देकर गलत परिसीमन को सुधारा जाए।

श्री अध्यक्ष: कृपया स्थान ग्रहण कीजिए। श्री अशोक।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: आप रेसपोंड करेंगे क्या ?

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): धारा 101 के तहत एक जगह नहीं आपको तीन जगह इन बातों को कहने और इनको सुधारने के लिए अधिकृत कर रखा है। जो नोटिफिकेशन उन्होंने निकाल दिया उसके बाद 11 सितम्बर तक कलक्टर के पास, जो भी इसमें गलत हुआ, कुछ हुआ, उसकी आपत्ति दर्ज कराने का अधिकार है। आपने दर्ज कराया और मुझे भी दर्ज कराया। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि रह गया है, तो संभागीय आयुक्त को फिर सुनने का समय है। उसके बाद भी अगर कोई अनियमितता रह जाती है तो मेरे स्तर पर कमेटी बनी हुई है, उसको भी सुनने का अधिकार है। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूं कि नियमों की पालना करते हुए जो गठन हो सकता है, वही होगा, उसमें कोई रद्दोबदल नहीं हो सकता। जो समय सीमा आपको दी है, उसमें अगर आपकी आपत्ति दर्ज हो गई है तो उन आपत्तियों पर एक, दो, तीन जगह सुनवाई होगी । अगर उसके बाहर वाली स्थिति में है तो वह सुनवाई के एरिया से बाहर होगा, उसमें मैं मदद करनी की स्थिति में नहीं होऊंगा। जिस दिन आप आये थे, मैंने आपकी बात को सुना है और सम्बन्धित जहां मुझे भेजनी थी, वहां मैंने भेजी है। मैं सदन को भी आश्वस्त करता हूं कि राजनैतिक आधार पर न कोई पंचायत बनेगी न कोई पंचायत समिति बनेगी। नियमों के तहत रहते हुए जो कुछ किया जा सकता है, वह करने का प्रयास करेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री अशोक।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): नियमों के विरुद्ध जिन्होंने कार्यवाही, जो प्रस्ताव बनाया है...

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये, सवाल नहीं। प्रतिपक्ष के नेता। आप बैठिये। प्रतिपक्ष के नेता।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने एकदम सही बात कही। हमारे माननीय विधायक ने कोलायत विधान सभा का निवेदन किया, आपने सही बात कही कि पहले कलक्टर के यहां होगा, फिर कमिश्नर के यहां जाएगा, फिर आपके पास आएगा। मैं यह कह रहा हूं, पंचायत समिति स्तर पर एसडीएम, तहसीलदार, बीडीओ, तीनों ने काउंटर साइन करके बिलकुल गलत डिलिमिटेशन किया। हमारा निवेदन यह है कि कलक्टर ने, आपत्तियां हमने कलक्टर को दीं, वे आपत्तियां वापस वहां भेजीं। उन आपत्तियों का कहीं कोई निस्तारण नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि नीचे वाले अधिकारियों ने बिलकुल अनदेखा करके, नियम-कानून को ताक पर रखकर प्रस्ताव बनाकर दे दिये, क्या उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं हो सकती? कलक्टर के बाद में कमिश्नर के यहां आएगा, सेम का सेम कमिश्नर के यहां चलेगा। पता नहीं, तीसरी बार आपके पास आने के बाद कहीं आप कोई न्याय दे दें । मैं निवेदन यह कर रहा हूं कि नीचे जिस तरीके से प्रस्ताव तैयार किये गये हैं, कलक्टर के द्वारा उनको स्वीकृत किया गया है, वही प्रकाशित किया गया है। उनके बाद में यदि गलत है तो उसकी जांच करवाई जाए। यदि वह गलत है तो सम्बन्धित अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): कलक्टर को सुनने का अधिकार समाप्त हुआ, 11 सितम्बर को समाप्त हुआ। आपको जो भी आब्जेक्शन देना है, अब वह प्रक्रिया में है उनके यहां, निस्तारण में है, अभी उनको समय लगेगा। अभी तो केवल आपको कलक्टर को जो आपत्तियां देनी थीं, उसकी तारीख ही 11 सितम्बर थी। अब उसके बाद कलक्टर उसको क्या देखता है, क्या करता है, उसके बाद जब रिपोर्ट देगा, तब आगे बढ़ेगा। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, जहां तक मेरी समझ है, जहां तक मैं कुछ कर सकता हूं, मैं नियमों की पालना कराऊंगा, इसके लिए मैं वचनबद्ध हूं। लेकिन एकदम ऐसा जो सीमा से बाहर ही निकल गया, वह उस परव्यू में नहीं

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

आ रहा है तो मेरे बस का रोग भी नहीं होगा। कानून मुझे भी बाध्य करता है और आपको भी बाध्य करता है।

श्री अध्यक्ष: श्री अशोक।

श्री अशोक (हिण्डौली): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से विधान सभा संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत...

श्री अध्यक्ष: स्थगन प्रस्ताव पर रिजैक्ट करने के बाद आपको बोलने की इजाजत दी जा रही है।

जयपुर नगर निगम द्वारा वसूली गयी सेवा कर राशि को जमा कराने में कोताही

श्री अशोक (हिण्डौली): जी सर। मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जयपुर नगर निगम में भ्रष्टाचार हो रहा है। पांच हजार से अधिक ऐसे कार्मिक हैं जो अस्थाई हैं और उनको जो पी.एफ. और ई.एस.आई. की सुविधा मिलनी चाहिए, वह सुविधा उन लोगों को नहीं मिल रही है। ई.एस.आई. विभाग ने नगर-निगम जयपुर को 2 करोड़ 47 लाख रुपये की ई.एस.आई. अंशदान राशि जमा करवाने का नोटिस भी दिया है। निगम द्वारा अस्थाई श्रमिक आपूर्ति संवेदक से सेवा कर अंशदान राशि का भुगतान प्राप्त कर सेवा कर की राशि का भुगतान सेवा कर विभाग में भी जमा नहीं करवाया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, निगम ठेकेदार को सर्विस टैक्स के रूप में 12.36 प्रतिशत, पी.एफ. के रूप में 12 प्रतिशत, ई.एस.आई. के रूप में 4.75 प्रतिशत का भुगतान किया जा रहा है। यह भुगतान करीब डेढ़ करोड़ रुपये प्रति माह का हो जाता है जो अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत के कारण सम्बन्धित विभाग में जमा नहीं करवाया जा रहा है। राजस्व की चोरी की जा रही है और जो अस्थाई श्रमिक हैं, सफाई कर्मचारी हैं, उन लोगों का शोषण हो रहा है। पी.एफ. और ई.एस.आई. का पैसा नहीं मिलने के कारण जब किसी श्रमिक को चोट लग जाती है, कोई बीमार पड़ जाता है, उसके साथ कोई हादसा हो जाता है, उसके बाद भी उसको कोई सुविधा नहीं मिल रही है, इन फण्डों का उसको कोई फायदा नहीं मिल पा रहा है। माननीय अध्यक्षजी, इस तरह की जितनी भी अनियमितताएं हैं, चाहे टैक्स की चोरी हो रही है, चाहे श्रमिकों के अधिकारों का हनन हो रहा है, इसकी जांच

(श्री अशोक)

करवाई जानी चाहिए। लेकिन बड़े दु:ख के साथ मुझे आपके सामने यह बात भी रखनी पड़ रही है कि यह जो खुला भ्रष्टाचार जयपुर नगर-निगम में हो रहा है, इसके प्रति सरकार बिलकुल आंखें बंद करके बैठी हुई है। आज से कुछ महीने पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के घर के बाहर एक अधिशासी अभियंता को 15 लाख रुपये और 46 फाइलें लेकर एंटी-करप्शन ब्यूरो ने गिरफ्तार किया था, उसने स्टेटमेंट दिया। उसने यह स्टेटमेंट दिया कि यह पैसा मैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी को देने जा रहा हूं। ये 46 फाइलें वे क्लीयर करेंगे। पैसे और उसके साथ में उसको गिरफ्तार किया एंटी करप्शन ने। इसके बावजूद आज तक मुख्य कार्यकारी अधिकारी से एक बार भी पूछताछ नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष: आप विषय से परे जा रहे हैं, कृपया। आपका विषय देख लीजिये, उसके बाद बोलिये।

श्री अशोक (हिण्डौली): सर, यह विषय, दोनों, वे बढ़ावा दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं, इस पर नहीं है। (व्यवधान)

श्री अशोक (हिण्डौली): वे बढ़ावा दे रहे हैं भ्रष्टाचार को।

श्री अध्यक्ष: इसमें कहीं नहीं है।

श्री अशोक (हिण्डौली): श्रमिकों के अधिकार के साथ हनन हो रहा है। इसको बढ़ावा कौन दे रहा है? मुख्य कार्यकारी अधिकारी दे रहा है।

श्री अध्यक्ष: आप स्थान ग्रहण कीजिये। आप विषय से परे नहीं जा सकते।

श्री अशोक (हिण्डौली): सर, भ्रष्टाचार के ऊपर खुली बात है। एंटी करप्शन पकड़ रही है। उसके स्टेटमेंट नहीं हो रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: नहीं, आप कृपया क्षमा करें। विषय से परे नहीं। आप और बोल लें एक मिनट। फिर मैं आपको स्थान ग्रहण करने के लिये निवेदन करुंगा।

श्री अशोक (हिण्डौली): यह विषय की बात है, साहब। यह विषय की बात है कि इस तरह के भ्रष्टाचार को बढ़ावा कौन दे रहा है। श्रमिकों के अधिकारों को कौन मान रहा है।

श्री अध्यक्ष: यह नहीं है। अंकित नहीं हो।

श्री अशोक (हिण्डौली): ×××

श्री अध्यक्ष: यह आप विषय से परे बोल रहे हैं, बैठिये। (व्यवधान) विराजिये। आप बैठिये। श्री रमेश। (व्यवधान) मैंने रमेशजी को पुकार लिया है। श्री रमेश।

श्री अशोक (हिण्डौली): ×××

खानों में काम करने वाले मजदूरों में सिलिकोसिस नामक गम्भीर बीमारी का प्रकोप

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक भयंकर बीमारी के बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, राजस्थान में जहां पर खनन का कार्य होता है या सीमेण्ट उद्योग चलते हैं या सिरेमिक इण्डस्ट्रीज चलती हैं या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम होता है, वहां पर सिलिकोसिस नाम की एक बीमारी फैल रही है जिसका आज तक इलाज सम्भव नहीं हो पाया है। यह बीमारी एड्स और कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक बीमारी है। मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित कर आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान में लगभग तीस लाख से अधिक मजदूर पत्थर का काम करते हैं या सीमेण्ट उद्योगों में काम करते हैं या मोल्डिंग का काम करते हैं। राजस्थान में लगभग 17-18 जिले हैं जिनमें सिलिकोसिस बीमारी से ग्रस्त लोग पाये गये। इनकी संख्या जोधपुर में 1099 करौली में 1550, धौलपुर में 53, दौसा में 62, भरतपुर में 33, उदयपुर में 57, बूंदी में 40, भीलवाड़ा में 30, नागौर में 18 और कोटा में 22 चिह्नित की गई। लेकिन यह छोटी चिह्नित की गई संख्या है, यदि सरकार इसका सर्वे करवाएं, ढंग से एक्सरे जांच करवाए तो इनकी संख्या लाखों में पहुंच सकती है। राजस्थान में यह बीमारी भंयकर रूप ले चुकी है। इसमें ज्यादातर वे लोग हैं जो गरीब हैं, जो खनन का कार्य करते हैं। इसमें सबसे ज्यादा एस.सी. के लोगों की संख्या है, दूसरे पर एस.टी. के लोग आते हैं। ओ.बी.सी. के लोग भी आते हैं। जो गरीब लोग हैं, ज्यादातर गांवों में रहते हैं, वे लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि इनकी व्यवस्था करे सरकार, इनको मास्क लगाना अनिवार्य किया जाए। सिलिकोसिस के बारे में थोड़ा-सा बताना चाहूंगा कि क्या बीमारी है।

श्री अध्यक्ष: आप जल्दी खतम कीजिये।

श्री रमेश (सपोटरा): यह पत्थर की डस्ट होती है, उसके माध्यम से छोटे-छोटे पार्टिकल्स, 5-टू-3 माइक्रोन के पार्टिकल सांस के द्वारा, नाक के द्वारा अन्दर शरीर में चले जाते हैं और फेफड़े को शिथिल कर देते हैं, उसकी इलास्टिसिटी को कम कर देते हैं। जितने भी लोगों की अभी तक जांच हुई है, लगभग हजारों लोगों की मृत्यु हो चुकी है। घर का मुखिया था, महिलाएं विधवा हो चुकी हैं उनके पालन-पोषण की एक गम्भीर समस्या है। 2013 में पूर्व सरकार ने कुछ थोड़ा-सा ही इंतजाम किया था, दो करोड़ रुपये मानवाधिकार आयोग के सहयोग से मिले थे। 190 लोगों को ही...

श्री अध्यक्ष: चिकित्सा मंत्रीजी अब आपको जवाब देंगे, विराजिये आप।

श्री रमेश (सपोटरा): बहुत गम्भीर विषय है, साहब। इसमें सबसे ज्यादा मैं आपको कहना चाहूंगा कि अनुसूचित जाति के ही लोग प्रभावित हैं और एक गम्भीर बीमारी है।

श्री अध्यक्ष: आपने ध्यान आकर्षित कर लिया। माननीय चिकित्सा मंत्रीजी। (व्यवधान) नहीं, बस गम्भीर बीमारी आपने ध्यान आकर्षित कर दी। अब आप विराजिये।

श्री रमेश (सपोटरा): इसमें आप सर्वे करवाएं। माइनिंग एक्ट की धारा 16 के तहत जो माइनिंग ओनर है उसको आप कहें कि जब आप ओपनिंग करते हैं, जो सूची श्रमिकों की देते हैं, आप उनको बाउण्ड करें कि हर तीन महीने में श्रमिकों की जांच हो। उनको मास्क उपलब्ध करवाएं। अदरवाइज उनका नवीनीकरण रोका जाए, सरकार ऐसे प्रावधान करे। मेरे जिले में, करौली जिले में सबसे ज्यादा संख्या है।

श्री अध्यक्ष: सरकार बोल रही है, आप विराजिये। आप विराजिये, सरकार बोल रही है।

श्री रमेश (सपोटरा): सरकार मदद करती है तो मैं भी मेरे निजी 10 से 20 लाख रुपये खर्च करने के लिये तैयार हूं। यह एक ऐसी बीमारी है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं इस बीमारी को। 2011 से पहले, माननीय अध्यक्षजी, मैं बताना चाह रहा हूं आपको क्योंकि इसके लक्षण टी.बी. जैसे हैं, दमा जैसे...

श्री अध्यक्ष: अब आप विराजिये, पर्याप्त ध्यान आप आकर्षित कर चुके। 5-7 मिनट बोल लिये, दो मिनट के अलावा। कृपया विराजिये।

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय अध्यक्षजी, आप दो मिनट की बात कर रहे हैं तो स्थगन प्रस्ताव में कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि दो मिनट ही बोलेंगे। यह तो आपकी मेहरबानी है, आप हमारे हितों की रक्षा कीजिये।

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं, कोई मेहरबानी नहीं है, आपका अधिकार है। यह आपका अधिकार है।

श्री रमेश (सपोटरा): एक गम्भीर विषय है, राजस्थान के गरीब लोगों की बात है, वह मैं कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: बहुत समय है। आप विषय पर बहुत बोल चुके। अब सरकार बोल रही है, आप विराजो।

श्री रमेश (सपोटरा): सरकार जवाब दे रही है तो ठीक है।

श्री अध्यक्ष: हां, सरकार बोल रही है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक गम्भीर बीमारी की ओर ध्यान आकर्षित किया है। राजस्थान में जहां भी खनन व्यवसाय है या खनन से जुड़ी गतिविधियां हैं, वहां निश्चित तौर पर सिलिकोसिस बीमारी के पाये जाने के लक्षण पाये जाते हैं। मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम एक कैम्पेन लांच करेंगे, जहां-जहां भी खनन क्षेत्र है वहां अभियान चलाकर आई.ई.सी. भी करेंगे कि किस प्रकार इस बीमारी से बचा जा सके, किस प्रकार मास्क लगाये जाएं और आवश्यकता पड़ने पर मोबाइल टीम से उनके इलाज का प्रबन्धन भी करेंगे। आपने जो सुझाव दिया कि माननीय विधायक कोष से पैसा दें, उसके लिये आपको बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री हनुमान बेनीवाल।

श्री रमेश (सपोटरा): एक मिनट।

श्री अध्यक्ष: नहीं, अब नहीं। अब विराजिये आप। बिलकुल नहीं। अब आप विराजिये।

श्री रमेश (सपोटरा): एक मिनट, विशेष अनुरोध है।

श्री अध्यक्ष: आप स्थान ग्रहण कीजिये। श्री हनुमान बेनीवाल।

श्री रमेश (सपोटरा): मैं जो कहना चाह रहा हूं। गरीबों के लिये बात नहीं करूंगा, मंत्रीजी के ध्यान में लाने की बात है।

श्री अध्यक्ष: यह क्वेश्चन-आंसर नहीं हो सकता।

श्री रमेश (सपोटरा): आप सरकारी हास्पिटल्स में एक स्पेशल एक्स-रे होता है, उसकी व्यवस्था करवा दें, मास्क की व्यवस्था करवा दें।

श्री अध्यक्ष: माननीय रमेशजी, विराजिये। श्री हनुमान बेनीवाल।

जोधपुर के जयनारायण विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनावों में पक्षपातपूर्ण कार्यवाही

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 50 के अन्तर्गत स्थगन के माध्यम से राजस्थान में 23 अगस्त को जो छात्र संघ के चुनाव हुए, उसकी एक घटना की ओर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में, चुनाव हमने भी लड़ा, अध्यक्ष महोदय, विश्वविद्यालय का, अध्यक्ष रहे और विश्वविद्यालय के माध्यम से ही विधान सभा के अन्दर आये, हमारे टाइम भी काउंटिंग होती थी, लेकिन चुनाव के अन्दर एस.एफ.आई. के प्रत्याशी महेन्द्र सारण को 30 मीटर दूर बैठाया गया। 62 वोटों से उसको हरा दिया और 357 वोट जोधपुर विश्वविद्यालय में रिजैक्ट किये गये। भारतीय जनता पार्टी के दो नेता काउंटिंग स्थल के अन्दर आये और पुलिस से जबरन ...(व्यवधान) रुको एक बार। (व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह गलत कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माताजी, बैठो नीचे। मेरे को बोल लेने दो, बाद में आप बोल लेना। (व्यवधान) क्या है यह?

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): बैठो कैसे? हम खुद भी वहां पर गये थे, क्या बात कर रहे हो? हम खुद वहां पर थे। बिलकुल सरासर आपने बी.जे.पी. का नाम गलत लिया है। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आप भी +++ ही बोलते हो पूरा जीवन +++ बोला है आपने तो। (व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): रहने दो आप, रहने दो। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): +++ बोल बोल कर यहां तक पहुंच गये।

श्री अध्यक्ष: +++ शब्द निकाला जाए। +++ शब्द निकाला जाए।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): मैंने यह नहीं कहा, मैंने कहा कि

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

आप गलत रिपोर्ट दे रहे हैं। मैंने +++ बोलने का नहीं कहा, मैंने कहा कि गलत रिपोर्ट दे रहे हो।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आप ओवर एज हो, मत बोलो अब इतना।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या को माताजी कहा है। माताजी कहा है माननीय सदस्या को इन्होंने। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी बात तो सुनिए।

श्री अध्यक्ष: विराजिए, आप वरिष्ठ सदस्य हैं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आप किसी को आपत्ति है तो बाद में देना। मेरे को बात तो रखने दो।

श्री अध्यक्ष: नहीं, बाद में बोलने का अवसर नहीं है, आप तो दो मिनट की बजाय तीन मिनट बोल लीजिए, इससे ज्यादा नहीं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, 357 वोट खारिज कर दिए। उसको जबरन पुलिस ने गाड़ी में बैठा कर, हाउसिंग बोर्ड एस.एच.ओ. उसको पाल गांव के अन्दर जो उनका घर था, वहां पर ले गये। उसके बाद कोई आपस में कहासुनी हो गयी तो उसको लेकर पुलिस वैस्ट के डी.सी.पी. हिंग्लाजदान, एडिशनल डी.सी.पी. रामेश्वरलाल और हाउसिंग बोर्ड थानाधिकारी अमित सिहाग के नेतृत्व में 200 पुलिसकर्मियों ने जाट समाज के इज्जतदार लोगों के घरों में घुसकर महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ मारपीट की। 50-60 लोग इस घटना में घायल हो गये। 12 लोगों को थाने में रात-भर बंद रखा। बोरानाड़ा थाने का दूसरे दिन, 24 तारीख को वहां समाज के लोगों ने, दो-तीन हजार की संख्या में थे, घेराव किया और 25 तारीख को जोधपुर कलक्टर को ज्ञापन भी दिया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, छात्र-संघ चुनाव में अगर इस तरह से धांधली होने लग जाएगी, पूरे राजस्थान के अन्दर सारे लोग जानते हैं कि आज की वर्तमान सरकार ने किस तरह से छात्र-संघ चुनाव बंद करवाये थे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पूर्ववर्ती सरकार का कि हम लोग यहां पर धरने पर बैठे थे, उसमें मेरे कई साथी अभी बी.जे.पी. के अन्दर हैं, मैं भी उस टाइम

(श्री हनुमान बेनीवाल)

बी.जे.पी. में था, वे भी मेरे साथ धरने पर बैठे थे। छात्र संघ चुनाव राजस्थान के अन्दर शुरू हुए। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर छात्र-संघ चुनावों में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस इस तरह से एक हो जाएंगी तो पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था की खिल्ली ही उड़ जाएगी। लिंगदोह कमेटी की वजह से वैसे ही छात्र-संघ चुनाव सही तरीके से नहीं हो रहे हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय का रिजल्ट खाली इसलिए रोक दिया गया कि कमिश्नर से झूठा एफिडेविट दिलवाया गया कि चुनावों के अन्दर आचार-संहिता की धज्जियां उड़ी हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पता है कि राजस्थान विश्वविद्यालय की सीट भी उनके हाथ से जा रही है और जोधपुर विश्वविद्यालय ...(व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, तीन दफा जब कांग्रेस के टाइम जीती थी तब क्या यह बात हुई थी? तब पुलिस ने जिताया था क्या?

श्री अध्यक्ष: विराजिए, विराजिए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माताजी, बैठ जाओ।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): यह सारी गलत रिपोर्ट दे रहे हैं। सारी गलत है।

श्री अध्यक्ष: माननीय विधायक, आप विराजिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विधान सभा के अन्दर गलत रिपोर्ट दे देते हैं।

श्री अध्यक्ष: आप विराजिये। आप स्थान ग्रहण कीजिए।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): तीनों में आप जीते थे तब यही हुआ था क्या?

श्री अध्यक्ष: आप स्थान ग्रहण कीजिए। अब आप भी समाप्त कीजिए। चार मिनट हो गये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): दो मिनट, माननीय अध्यक्ष महोदय। जोधपुर विश्वविद्यालय के चुनाव के अन्दर जो धांधली हुई थी, उन कर्मचारी और उन शिक्षकों की ड्यूटी लगायी थी, पूर्ववर्ती सरकार के टाइम में जो फर्जी भर्ती जोधपुर विश्वविद्यालय में हुई थी। उन सब लोगों की मतगणना के अन्दर ड्यूटी लगा दी कि आपको ए.सी.बी. के अन्दर जब ही बचाएगी सरकार आप

(श्री हनुमान बेनीवाल)

ए.बी.वी.पी. के प्रत्याशी को जिताओगे। दबाव के अन्दर, मेरी एक प्रोफेसर से बात हुई थी, वे बोले कि सरकार का आदेश था कि जोधपुर विश्वविद्यालय में एस.एफ.आई. का जाट प्रत्याशी नहीं जीतना चाहिए। यहां पर ए.बी.वी.पी. को जिताना है। गलत तरीके से उन्होंने मतगणना स्थल से हमारे कैंडिडेट को बाहर निकाला, रीकाउंटिग की उनकी अर्जी खारिज की। राजस्थान के अन्दर, माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस समाज की बदौलत आज आप 163 की संख्या में बैठे हो, आप उनके खिलाफ अगर इस तरह की कार्यवाही करोगे, पूरा राजस्थान जानता है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब आप स्थान ग्रहण कीजिए। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): तीन सीटें, कल चार में से तीन सीटें आप हार कर आये हो। पंचायत चुनाव को देख लेना। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्रतिपक्ष के नेता की बात को नहीं मान रहे हैं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): और आने वाला समय बता देगा कि आपकी स्थिति राजस्थान के अन्दर क्या होने वाली है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप स्थान ग्रहण कीजिए। माननीय सदस्य, यह हो गया।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, हम न्याय के लिए किसके पास जाएं? हम किसके पास अपनी अरदास लेकर जाएं कि कोई तो न्याय करेगा?

श्री अध्यक्ष: पर्याप्त हो गया। आपका न्याय कर दिया। न्याय के लिए आपने ध्यान आकर्षित कर दिया। अब आप विराजिए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस राजस्थान में विधायक सुरक्षित नहीं है। कोई भी आंदोलन करने से पहले सोचना पड़ता है कि कब सरकार झूठा मुकदमा दर्ज कर ले। आप रास्ता रोको ...(व्यवधान) तो 307 की धारा में मुकदमा दर्ज ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विषय से परे नहीं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): इन मुकदमों के बल पर आप सच्चाई की आवाज को नहीं दबा सकते।

श्री अध्यक्ष: खींवसर से आने वाले माननीय विधायक, विषय से परे नहीं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आपके 9 महीने के अन्दर जो हुआ है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब इनका एक शब्द भी अंकित नहीं होगा। एक शब्द भी अंकित नहीं करें। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: अब आप स्थान ग्रहण कीजिए। रिकार्ड नहीं किया जा रहा है। आप स्थान ग्रहण कीजिए। नहीं, इस तरह से नहीं। माननीय विधायक, आप स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: नहीं-नहीं, बिलकुल नहीं। आप का वैसे भी रिकार्ड नहीं हो रहा है, विराजिए आप। विराजिए, स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: आप स्थान ग्रहण कीजिए। आप स्थान ग्रहण कीजिए। आप स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में विधायकों को स्पेशल कुछ अधिकार हैं लेकिन इस अधिकार का मतलब यह नहीं है कि इसको एक जातीय विद्वेष में बदलने का प्रयत्न करें, मेरी आपसे प्रार्थना है। जहां पर चुनाव हुआ, जहां पर काउंटिंग हुई, वहां किसी भी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। यह पुलिस की भलमनसाहत थी कि दोनों ही कैंडिडेट को पुलिस के साथ भेज कर, महेन्द्र को भी इसके गांव चौहटाना में, ठेठ गांव तक, घर तक पहुंचाया। घर जाने के बाद वहां पर जो शरारती लोगों ने पुलिस पर हमला किया तो पुलिस क्या करेगी? तमाशबीन बनकर देखेगी? क्या करेगी? फिर डंडे नहीं मारेगी तो और क्या करेगी?

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): पुलिस ने वही किया जो पुलिस का हक था। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। आप बैठिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): यह कोई तरीका नहीं होता है। आप इस तरह से समझते हो, पुलिस का मारल डाउन करते हो। एक तो पुलिस आपको सुरक्षित घर छोड़कर ठेठ आयी और वहां तक आपका महेन्द्र गया...(व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उसके बाद उन पर हमला किया और हमला करने के बाद गाड़ी बदली। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उसके बाद भी अगर पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेगी क्या? पुलिस ने जो कार्यवाही की वह उचित की थी और यह करना चाहिए। इस प्रकार से गुंडागर्दी से राज नहीं चलेगा। हद कर दी। (व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): मुंह पर ही मारी है उनको। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: 295 के अन्तर्गत श्री सुरेश सिंह रावत। आप बैठ जाइए। श्री सुरेश सिंह रावत। 295.

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

पुष्कर में घूघरा से श्रीनगर सड़क का नवीनीकरण

श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर): माननीय अध्यक्ष महोदय, पुष्कर विधान सभा क्षेत्र में सड़कों की मरम्मत एवं नवीनीकरण के सम्बन्ध में प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव।

महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि पुष्कर विधान सभा क्षेत्र की श्रीनगर पंचायत समिति की विभिन्न सड़कें जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं जिनके कारण आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उक्त सड़कों में घूघरा से श्रीनगर तक की सड़क काफी समय से क्षतिग्रस्त है। उक्त घूघरा से श्रीनगर सड़क नेशनल हाइवे नम्बर 8 को नेशनल हाइवे नम्बर 79

(श्री सुरेश सिंह रावत)

से जोड़ती है। समय-समय पर नेशनल हाइवे पर जाम लगता रहता है इसलिए ऐसी स्थिति में यदि इस सड़क का डामरीकरण होता है तो इस जाम से भी मुक्ति मिलेगी और लोगों को आवागमन में सुविधा भी होगी।

अजमेर के सम्भाग स्तरीय महिलाओं के सबसे बड़े हास्पिटल, जनाना हास्पिटल पहुंचने का सबसे छोटा मार्ग है जिससे जनता को काफी सुविधा मिलेगी।

तीर्थराज पुष्कर और प्रसिद्व धाम बाबा रामदेव, हुण्ड्यास में लाखों की संख्या में श्रद्वालु प्रति वर्ष आते हैं जिनमें अधिकतर श्रद्वालुओं का इसी मार्ग से आवागमन होता है।

अजमेर जिले का जिला कलक्टर परिसर और अजमेर बस स्टैण्ड, ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह तक श्रीनगर क्षेत्र के लोगों हेतु उक्त एकमात्र रास्ता है।

अत: मेरा माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी से इस प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि उपरोक्त स्थितियों के मद्देनजर भारी वाहनों के आवागमन को देखते हुए उक्त सड़क का तुरन्त नवीनीकरण किया जाए एवं सड़क की चौड़ाई वर्तमान 3 मीटर से 7 मीटर तक करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश देने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री संजीव कुमार।

भादरा उपखण्ड में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना

श्री संजीव कुमार (भादरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि भादरा विधान सभा क्षेत्र का अधिकांश एरिया हरियाणा सीमा से लगता है। उपखण्ड भादरा में लगभग 125 ग्राम व ढाणियां हैं। कस्बा भादरा समेत कुल आबादी 6-7 लाख के करीब है। यहां पर उच्च शिक्षा के लिए या तो 50-60 किलोमीटर दूर नोहर जाना पड़ता है या हरियाणा के सिरसा व हिसार जाना पड़ता है। भादरा में कहने को तो सरकार ने कई निजी राजकीय महाविद्यालय खोल रखे हैं लेकिन उनके पास न तो भवन है और न क्वालीफाइड स्टाफ है, न ही खेल मैदान ही है। दो-दो कमरों में महाविद्यालय चला रहे हैं। छात्र-छात्राओं से मनमानी फीस वसूलते हैं। इससे उच्च शिक्षा का स्तर क्षेत्र गिर रहा है। महोदय, भादरा में राजकीय महाविद्यालय बाबत् लम्बे

(श्री संजीव कुमार)

समय से हर वर्ष उपखण्ड कार्यालय पर धरने-प्रदर्शन होते हैं और दो-तीन दिन तक भादरा शहर का बाजार भी बंद रखा जाता है। अत: भादरा क्षेत्र के युवाओं, छात्र-छात्राओं एवं नागरिकों की मांग को देखते हुए सस्ती व सुलभ उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उपखंड भादरा में राजकीय महाविद्यालय खोला जाए जिससे उपखण्ड भादरा क्षेत्र में ही उच्च शिक्षा मिल सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री भागीरथ चौधरी।

(12.00 बजे)

किशनगढ़ की पुनर्गठित शहरी जल योजना के तहत वितीय स्वीकृति

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 256 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि गत 10-15 वर्षो में किशनगढ़ के तीव्र औद्योगिक विकास के कारण यहां पर जनसंख्या का विस्तार होने से नयी आवासीय कालोनियों के साथ-साथ शहरी क्षेत्र का फैलाव चारों तरफ हुआ है। जनसंख्या की दृष्टि से किशनगढ़ उपखण्ड का सम्पूर्ण राज्य में 14वां स्थान है। राज्य के 20 जिला मुख्यालयों की आबादी किशनगढ़ की जनसंख्या से कम है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, शहरी क्षेत्र में सुलभ एवं सुचारु पेयजल आपूर्ति हेतु किशनगढ़ शहरी जल योजना की पुनर्गठित परियोजना यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. के तहत लागत राशि 185 करोड़ 20 लाख रुपये के प्रस्ताव तैयार किये गये हैं। इस परियोजना को वर्ष 2045 की आबादी को आधार मानकर तैयार करवाया गया है। इस परियोजना के अन्तर्गत मसाणियां बालाजी से नसीराबाद तक 34.5 किलोमीटर की राइजिंग मेन लाइन को बदलना, शहरी क्षेत्र में 14 नये उच्च जलाशय, 02 नये भूतल जलाशय, 03 नये पम्प हाउस का निर्माण एवं शहर में 22.75 किलोमीटर राइजिंग मेन लाइन डालना तथा लगभग 262 किलोमीटर की पेयजल वितरण की पाइप लाइन डालने का प्रस्ताव सम्मिलित किया गया है। इस परियोजना से शहरी क्षेत्र में 24 घंटे के अन्तराल में पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ज्ञात रहे कि वर्तमान में शहरी क्षेत्र में 72 से 96 घंटे एवं इससे भी अधिक अन्तराल में जल वितरण किया जा रहा है जिससे आमजन में आक्रोश व्याप्त

(श्री भागीरथ चौधरी)

है। जनता चाहती है कि अब अच्छे दिन आने चाहिये, लेकिन विभागीय शिथिलताओं के चलते पेयजल आपूर्ति का कार्य लम्बे समय से अटका हुआ है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में यह भी ज्ञात रहे कि विधान सभा के बजट सत्र 2007-08 में भी आपके माध्यम से मैंने विभागीय उच्चाधिकारियों से इस पुनर्गठित परियोजना के मूल प्रस्ताव तैयार कर राशि 150 करोड़ रुपये की स्वीकृति करानी चाही थी, लेकिन वित्तीय संसाधनों के अभाव के चलते उक्त योजना ड्राप कर दी गयी थी।

अत:, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे करबद्ध निवेदन है कि शहरी जल योजना किशनगढ़ की पुनर्गठित परियोजना यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. के तहत 185 करोड़ 20 लाख की सक्षम वित्तीय स्वीकृति राज्य सरकार एवं मुख्य अभियन्ता कार्यालय जल संसाधन विभाग जयपुर से सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर अविलम्ब जारी कराकर अब 6 वर्ष पश्चात् किशनगढ़ के आमजन को राहत प्रदान करावें, आपकी महती कृपा होगी। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री फूलसिंह मीणा।

उदयपुर ग्रामीण में क्षतिग्रस्त सड़कों एवं पुलियाओं से हो रही परेशानी

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिये मेरा निवेदन है कि मेरा विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से ऊबड़-खाबड़ है। इस वर्ष भारी वर्षा के कारण अधिकतर सड़कें एवं उन पर बनी पुलियाएं पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, जिससे आवागमन में जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मेरे क्षेत्र में फसलें नष्ट हो चुकी हैं। इसके लिये पटवारी से सर्वे करवाकर किसानों को विशेष बजट आबंटन कर समय पर उचित मुआवजा दिलाने का आदेश फर्माएं व क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़कों पर पुलियाओं के लिये अलग से पैकेज बनाकर तुरन्त प्रभाव से जनता को राहत प्रदान कराने का श्रम करें। इस क्षेत्र में बरसाती फसल पर ही पूरी जनता निर्भर रहती है, क्योंकि इसमें समतल जमीन नहीं होने से न सिंचाई व्यवस्था है और न ही कोई अन्य व्यवस्था है जिससे सर्दी की फसल हो सके।

अत:, माननीय अध्यक्ष महोदय, उक्त गम्भीर स्थिति को मद्देनजर

(श्री फूलसिंह मीणा)

रखते हुए इस सम्बन्ध में उचित व्यवस्था करवाये जाने के आदेश फर्माएं जिससे आम जनता को राहत मिल सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री दलीचन्द डांगी।

मावली में क्षतिग्रस्त सड़कों एवं पुलियाओं से हो रही परेशानी

श्री दलीचन्द डांगी (मावली): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिये मेरा निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र मावली में इस वर्ष भारी वर्षा के कारण अधिकतर सड़कें एवं उन पर बनी पुलियाएं पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, जिससे आवागमन में जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मेरे क्षेत्र में फसलें नष्ट हो चुकी हैं। इसके लिये पटवारी से सर्वे करवाकर किसानों को विशेष बजट आबंटन कर समय पर उचित मुआवजा दिलाने का आदेश फरमाएं व क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़कों पर पुलियाओं के लिये अलग से पैकेज बनाकर तुरन्त प्रभाव से जनता को राहत प्रदान कराने का श्रम करें। इस क्षेत्र में बरसाती फसल पर ही पूरी जनता निर्भर रहती है, क्योंकि इसमें समतल जमीन नहीं होने से न सिंचाई व्यवस्था है और न ही कोई अन्य व्यवस्था है जिससे सर्दी की फसल हो सके।

अतः उक्त गम्भीर स्थिति को मद्देनजर रखते हुए इस सम्बन्ध में उचित व्यवस्था करवाये जाने के आदेश फरमाएं जिससे आम जनता को राहत मिल सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा स्वयं के वित्तीय संसाधन जुटाने की आवश्यकता

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा कार्य संचालन एवं प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिये जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की आर्थिक स्थिति सुधारने की अविलम्बनीय आवश्यकता के क्रम में मेरा निवेदन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान जोधपुर विकास प्राधिकरण की आर्थिक कंगाली से अटके विकास कार्यों की ओर आकृष्ट करना चाहती हूं कि गत कांग्रेस सरकार के समय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर अनियमितताओं और भ्रष्टाचार

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

का अड्डा बन चुका था। दोहरे भुगतान, बिना काम भुगतान, मूल स्वीकृति से कई गुना तक संशोधित एवं अधिक स्वीकृतियां, बिना आवश्यकता के काम, व्यक्तिगत और राजनैतिक हितबद्धता के चलते गैर-योजना क्षेत्र में अंधाधुंध कार्य आदि अनेक कारणों से जोधपुर विकास प्राधिकरण आर्थिक कंगाली की हालत में पहुंच गया है जिस कारण आज जोधपुर में समस्त विकास कार्य अटक गये हैं। परन्तु ऐसी परिस्थितियों से निकलने के लिये जोधपुर विकास प्राधिकरण को स्वयं के वित्तीय संसाधन जुटाने हेतु महत्वपूर्ण अविलम्ब उठाये जाने वाले कदमों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं:-

1. राजस्थान आवासन मण्डल के लिये केरू गांव में भूमि आबंटन का प्रस्ताव व्यावहारिक समाधान नहीं करने से अटका है। राजस्थान आवासन मण्डल ने जोधपुर रिंग रोड के दोनों तरफ स्थित केरू गांव के खसरा नम्बर 812 में 4000 बीघा भूमि जोधपुर विकास प्राधिकरण से चाही है। उक्त प्रस्ताव दर निर्धारण के स्तर पर लम्बित है। ऐसी अड़चन पूर्व में विवेक विहार योजना के समय भी आई थी। उसी तर्ज पर व्यावहारिक समाधान यह हो कि कुल भूमि में से आवासीय और मूलभूत सुविधा विकास के 60:40 के अनुपात के अनुसार कीमत केवल 60 प्रतिशत भूमि की ही वसूल की जाए और निर्धारित आरक्षित दर में से विकास शुल्क की दर को कम करके शेष राशि की ही दर निर्धारित की जाए। इससे जोधपुर विकास प्राधिकरण विकास दायित्वों से मुक्त होगा और सीधे ही लगभग 450 से 500 करोड़ रुपये की आय हो सकती है।

2. राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि उपज मण्डी अनाज, मण्डोर जोधपुर का जोधपुर विकास प्राधिकरण के साथ 300 बीघा भूमि ग्राम आंगणवा और बासनी मालियान में आबंटन की प्रक्रिया भूमि चिह्नित होने के बाद उच्च स्तर पर अनुमोदन के लिये लम्बित है। उक्त प्रस्ताव को उच्च स्तर पर विशेष प्राथमिकता से निष्पादित किया जाए। इससे जोधपुर विकास प्राधिकरण को लगभग 200 से 250 करोड़ रुपये तक की आय हो सकती है।

3. जोधपुर में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के निर्देश पर गठित मानिटरिंग कमेटी के निर्देशों के अन्तर्गत सुलभ यातायात हेतु अनेक विकास कार्यों की राशि लगभग 100 करोड़ रुपये के कार्यादेश गत दो वर्षों में जारी किये गये हैं। उनमें से लगभग 45 करोड़ रुपये के कार्य पूर्ण हो चुके हैं जिस कारण जोधपुर की मुख्य सड़कें यथा नेहरू पार्क से रोटरी क्लब,

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

सरदारपुरा सी रोड, गोल बिल्डिंग से मेहता भवन, सरदारपुरा 9वीं ए एवं बी रोड, नैनी बाई के मंदिर से पब्लिक पार्क, दर्पण सिनेमा से गिरिधर मंदिर नई सड़क तक, सोजती गेट से जालौरी गेट वाया चांदशाह तकिया, आखलिया चौराहा से चौपासनी बाई पास, चौपासनी फिल्टर हाउस से अणदाराम स्कूल, अणदाराम स्कूल से डालीबाई चौराहा, अणदाराम स्कूल से पाल रोड और पाल रोड से एम्स रोड, पांचवीं रोड से शनिश्चरजी का थान वाया उम्मेद अस्पताल आदि सड़कों का कार्य अधूरा पड़ा है। इस कारण आधी बनी आधी खुदी सड़कें आमजन के जी का जंजाल बन गई हैं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशों की अनुपालना में जोधपुर में यातायात सुगम करने के लिये किये जा रहे कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण करने हेतु विशेष पैकेज जोधपुर विकास प्राधिकरण को जारी किया जाए।

4. इसी प्रकार उद्योग विभाग एवं अन्य विभागों के भी भूमि आबंटन के प्रस्तावों को प्राथमिकता से निस्तारित किया जाए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र सिंह यादव।

कोटपूतली में सड़कों की दयनीय स्थिति

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (कोटपूतली): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 295 के अन्तर्गत मैं राज्य सरकार का ध्यान जयपुर जिले के कोटपूतली विधान सभा क्षेत्र में ग्रामीण सड़कों की दयनीय स्थिति की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि ग्राम पावटा से नारेड़ा से चोटिया से बनेठी होकर हरियाणा बार्डर तक की जो सड़क है, उसकी स्थिति इस प्रकार की है कि आम आदमी का चलना दूभर हो गया है, जगह-जगह रास्ते में भारी गड्ढे होने से पैदल के साथ-साथ वाहनों को भी दुश्वारियां झेलनी पड़ रही हैं।

इसी प्रकार नेशनल हाई-वे नम्बर 8 से भैंसलाना होते हुए मीरापुर फार्म तक की सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है जिसके चलते हालात ये हो गये हैं कि गर्भवती महिलाओं को प्रसव के लिए ले जाना जीवन के साथ खतरा मोल लेने जैसा हो गया है। इस सम्बन्ध में मेरे द्वारा पूर्व में भी सरकार से मांग की गई थी परन्तु यहां यह उल्लेखनीय है कि सरकार की ओर से जवाब में कहा गया कि उक्त मार्गों पर भारी वाहनों एवं बजरी तथा पत्थरों के ट्रकों के ओवरलोड चलने से सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं। मेरा इस विशेष उल्लेख प्रस्ताव

(श्री राजेन्द्र सिंह यादव)

के माध्यम से राज्य सरकार से अनुरोध है कि ओवरलोड वाहनों को चलने से रोकने का दायित्व सम्बन्धित विभाग एवं राज्य सरकार का है तथा खनन सामग्री से रायल्टी जब राज्य सरकार को प्राप्त होती है तो सड़क को बनाने एवं नवीनीकरण करने का दायित्व भी सरकार का ही है, उसका खामियाजा आम ग्रामीणजन क्यों भुगते?

इसी सम्बन्ध में मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि नारेड़ा से चिमनपुरा होते हुए, भकराना होते हुए हरियाणा बार्डर तक का रास्ता बिलकुल भी चलने के लायक नहीं रह गया है। इसी के साथ रायकरणपुरा से ग्राम रामगढ़ पंचायत बनेठी से हरियाणा बार्डर तक की सड़क एवं नेशनल हाई-वे चौकी गोवर्धनपुरा से पवाना अहीर तक की सड़क पर आमजन का चलना एकदम चुनौती भरा कृत्य साबित हो रहा है।

ऐसी स्थिति में मैं पुन: इस विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के माध्यम से राज्य सरकार से मांग कर रहा हूं कि उपरोक्त वर्णित सड़कों को तुरन्त नवीनीकृत कराये जाने के आदेश प्रदान कर आम ग्रामीण जन एवं राजगीरों को राहत प्रदान करें। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह आमजन को आवागमन के सुलभ एवं सस्ते साधन तथा सुविधाएं उपलब्ध कराए। सरकार यह कहकर अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती कि सड़क पर ओवरलोड वाहन चलने के कारण सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही हैं। ओवरलोड के चालानों से ही कोटपूतली सर्किल में 14 फरवरी से 03 मार्च, 2014 तक 13 करोड़ 68 लाख रुपये के राजस्व की प्राप्ति हुई है, यह मेरा नहीं, राज्य सरकार के विभाग का आंकड़ा है।

अतएव आपसे पुरजोर शब्दों में मांग है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र की उपरोक्त जर्जर सड़कों की स्थिति सुधारने हेतु पूर्णत: नये सिरे से सड़कों को बनाये जाने के आदेश प्रदान कर जनहितकारी कदम उठाएं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री हरिसिंह रावत।

भीम की पेयजल समस्या का स्थाई समाधान

श्री हरिसिंह रावत (भीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा प्रक्रिया के नियम 295 के माध्यम से मेरे विधान सभा क्षेत्र भीम में पेयजल के स्थाई समाधान हेतु चम्बल/बीसलपुर से जोड़ने के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं।

(श्री हरिसिंह रावत)

अध्यक्ष महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरा विधान सभा क्षेत्र भीम एक पहाड़ी क्षेत्र है एवं वर्षा का स्तर भी सामान्य ही रहता है जिसकी वजह से हमेशा अकाल की स्थिति बनी रहती है और साथ ही बीसलपुर कैचमेंट प्रभावित न हो, जिसके लिए तीन मीटर से अधिक ऊंचा एनीकट बनाने पर भी पाबंदी लगी हुई है जिसकी वजह से मेरे क्षेत्र में पेयजल की समस्या हमेशा बनी रहती है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के पास में माण्डल (भीलवाड़ा जिला) विधान सभा क्षेत्र में चम्बल पेयजल योजना का भी कार्य प्रगति पर है जो कि मेरे विधान सभा क्षेत्र भीम के थाना ग्राम से मात्र एक किलोमीटर दूरी पर स्थित है। दूसरा, मेरे पड़ौस की विधान सभा ब्यावर की तहसील टाडगढ़ में बीसलपुर पेयजल योजना का कार्य विस्तार भी प्रगति पर है, जो योजना भी मेरे विधान सभा क्षेत्र भीम से ही गुजर रही है।

अत: मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इन दोनों योजनाओं में से सरकार को सर्वे द्वारा जो उपयुक्त लगे या दोनों ही विस्तारित होने वाली योजनाओं द्वारा देवगढ़ एवं भीम को पेयजल का स्थाई समाधान किया जाए। इन दोनों लाइनों का सरकार पर अतिरिक्त भार भी नहीं पड़ेगा और मेरे विधान सभा क्षेत्र का विस्तार भी हो जाएगा जिसके लिए मैं व मेरे क्षेत्र की जनता आपकी आभारी रहेगी। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री हनुमान बेनीवाल।

खींवसर में सड़क निर्माण कार्य

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिये निवेदन करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि पूर्ववर्ती सरकार ने वर्ष 2013-14 में खींवसर विधान सभा क्षेत्र में लगभग 12.50 किलोमीटर नई सड़कों- 1. पराशरा, खरनाल बरणगांव लम्बाई 9 किलोमीटर, स्वीकृत राशि दो करोड़ एक लाख व 2. हिलोड़ी से भटनोका लम्बाई 3.50 किलोमीटर, स्वीकृत राशि 78 लाख की वित्तीय स्वीकृतियां जारी की थीं जिसके टेण्डर भी मुख्य

(श्री हनुमान बेनीवाल)

कार्यालय मुख्य अभियंता, जयपुर से किये गये थे जिसके आदेश क्रमांक No. F.7(1968) Sec.II/2013/D.453 दिनांक 04/10/2013 एवं No. F.7(1968) Sec.II/2013/D.451 दिनांक 04/10/20013 थे। इसके साथ-साथ लगभग 11 किलोमीटर सड़कों के सुदृढ़ीकरण व नवीनीकरण-(1) सम्पर्क सड़क जनाना तीन किलोमीटर राशि 66 लाख, (2) बिरलोका से खटोड़ा 6 किलोमीटर राशि 133 लाख, (3) खींवसर गांव की सीसी रोड 1.30 किलोमीटर राशि 21 लाख सहित कुचेरा कस्बे की सड़क तीन किलोमीटर, राशि 75 लाख, कुचेरा से कचनाऊ रोड 12 किलोमीटर राशि 4 करोड़ 33 लाख की निविदाएं आमंत्रित की गई थीं। तत्पश्चात् निविदाओं को खोल कर सम्बन्धित फर्मों से राशि भी जमा करवा ली गयी थी लेकिन बाद में चुनाव आचार संहिता का बहाना कर उक्त कार्यों के कार्यादेश जारी नहीं किये गये थे।

इसमें भैंरूजी चौराहा से लेकर पुलिस थाना कुचेरा तक 12 किलोमीटर सीसी रोड की 6 करोड़ की स्वीकृति भी जारी हो गयी थी। नई सरकार बनने के बाद उपरोक्त सारी सड़कों को बिना किसी कारण निरस्त कर दिया गया जिससे जनता में भारी आक्रोश है। कुचेरा कस्बे में बरसात में चार-चार फीट तक पानी भर जाता है जिसके कारण कुचेरा की जनता ने पिछले दिनों शीघ्र निर्माण कार्य शुरू कराने के लिए हाई-वे जाम किया था और उस समय समझाइश के लिए स्थानीय विधायक सहित 150 लोगों पर नामजद मुकदमा रंजिशवश दर्ज किया गया था जिसका मुकदमा संख्या 108/14 है। अगर समय रहते सड़क निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होते हैं तो कोई बड़ी घटना भी घटित हो सकती है। मैंने सड़कों के मामले को बार-बार विधान सभा में उठाया तो सरकार ने सिर्फ राष्ट्रीय राजमार्ग 89 कुचेरा पर फरवरी 27/02/2014 को 689.45 लाख की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृतियां जारी की थीं जिसकी तकनीकी स्वीकृति 20/03/2014 को जारी की गई थी। 01/05/2014 को निविदा खोली गई व सम्बन्धित फर्मों द्वारा 30/04/2014 को धरोहर राशि जमा करवा दी गई थी। तकनीकी बिड खोलने के लिए समीक्षा करने पर मूल चार संवेदकों के आवेदन उपयुक्त पाये गये जिनकी तकनीकी बिड खोलकर तुलनात्मक विवरण तैयार कर तकनीकी इवैल्युएशन के लिए सक्षम कार्यालय मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर को अतिरिक्त मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग सम्भाग, अजमेर के पत्र संख्या 166/12.05.2014 द्वारा भिजवाया गया। इस कार्यालय द्वारा दिनांक

(श्री हनुमान बेनीवाल)

31/07/2014 को पत्र संख्या 967 द्वारा मैसर्स एच.एस. मेहता को लैटर आफ एक्सेप्टेंस भेजा गया जिसके द्वारा परफारमेंस गारंटी प्रस्तुत करने बाबत निर्देश दिये गये। दिनांक 20/08/2014 को परफारमेंस गारंटी जमा होने पर इस कार्यालय द्वारा कार्यादेश संख्या 1167 दिनांक 21/08/2014 मैसर्स एच.एस. मेहता संवेदक को कार्य प्रारम्भ करने हेतु भेजा गया। कार्यादेश के अनुसार दिनांक 31/08/2014 कार्य प्रारम्भ तिथि निर्धारित की गई। छह माह में कार्य दिनांक 27/02/2015 तक पूर्ण किया जाना निर्धारित किया गया जिसे संशोधन किया जाना आवश्यक है एवं कार्य दो महीने के भीतर किया जाना अपेक्षित है।

अत:, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि उक्त बंद पड़े सड़क निर्माण कार्यों को अविलम्ब पुन: चालू करवाकर व निरस्त किये गये कार्यों को पुन: स्वीकृत कर जनता को राहत प्रदान करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती शकुन्तला रावत।

बानसूर के वन क्षेत्र से जुड़े गांवों में फसलों की सुरक्षा

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन करना चाहती हूं कि मेरा विधान सभा क्षेत्र बानसूर सरिस्का अभयारण्य से जुड़ा हुआ है। वहां जंगली सूअर एवं नील गाय किसानों की सारी फसल को बरबाद कर देते हैं। लेकिन वन विभाग के सारे कानून सिर्फ गांव वालों पर ही लागू होते हैं। इससे किसान बहुत दु:खी हैं। इसके लिए सरकार की तरफ से वन विभाग की दीवारें ऊंची हों या कोई अन्य व्यवस्था होनी चाहिए। सरकार उसको पीपीपी माडल पर या अन्य किसी माडल पर बनाए। वहां किसान फसलों की रखवाली के लिए कोई व्यक्ति भी नहीं रख सकते हैं। सरकार कानून गरीब किसानों के हितों को ध्यान में रखकर बनाए। किसानों को फसली ऋण भी दिया जाना चाहिए।

बानसूर विधान सभा क्षेत्र की लेकडी, हाजीपुर, रामपुर, हमीरपुर, जयसिंहपुरा, बामनवास, कांकड, मुण्डावरा, अजबपुरा, गढ़ी, खरकड़ी, नारायणपुर, कोल्याड़ा, रतनपुरा, वालावास, बासना, होलावास, खोहरी, गिरूडी, ज्ञानपुरा आदि ग्राम पंचायतों के किसानों की फसलों को सैकड़ों पशु बरबाद कर

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

देते हैं। कई गांवों से ग्रामीण पलायन कर रहे हैं। कई परिवार अपने घरों को छोड़कर मजबूरन बाहर जा रहे हैं।

अत: वन क्षेत्र के ग्रामीण किसानों की फसलों की सुरक्षा से जुड़े इस अति लोक महत्व के विषय पर मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकर्षित कर निवेदन करना चाहूंगी कि माननीय वन मंत्रीजी किसानों के हितों की रक्षा के लिए कोई विशेष कदम उठाने का श्रम करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री हीरालाल।

पीपलू पंचायत समिति (निवाई) के ग्रामों की पेयजल समस्या का समाधान

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र निवाई की पीपलू पंचायत समिति की ग्राम पंचायत सोहेला में गत 15 दिन से पेयजल की गम्भीर समस्या व्याप्त है। बरसात के कारण बनास क्षेत्र की मोटर पानी में डूब गई है जिससे पानी सप्लाई नहीं हो रहा है। सोहेला पंचायत मुख्यालय पर पानी की तीन टंकियां बनी हुई हैं जिनमें पेयजल पहुंचाने में आ रही दिक्क्त के कारण वे खाली पड़ी हुई हैं। परम्परागत जल स्रोतों में कुओं आदि का पानी भी गंदा हो गया है और पानी में कीटाणु होने के कारण वह पीने योग्य नहीं रह गया है। ऐसी स्थिति में हैंड पंपों का पानी पीने को मजबूर होना पड़ रहा है जो फ्लोराइडयुक्त है।

इसके अतिरिक्त मेरे विधान सभा क्षेत्र की पीपलू पंचायत समिति के गांव नवरंगपुरा, गुढा रामदास, कठमाना, राणोली एवं पीपलू में बीसलपुर का पानी नियमित रुप से व पर्याप्त मात्रा में सप्लाई नहीं किया जा रहा है जिसकी वजह से पेयजल की गम्भीर समस्या व्याप्त है। जयपुर, अजमेर में बीसलपुर से पानी सप्लाई किया जा रहा है और बीसलपुर के आसपास के क्षेत्र को इससे वंचित रखा जा रहा है, इससे स्थानीय जनता में असंतोष व्याप्त है।

अत: मेरा आपके माध्यम से माननीय जल संसाधन मंत्रीजी से निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के उक्त गांवों में पेयजल की समुचित व्यवस्था कराने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष: श्री ललित कुमार।

बारां में जननी सुरक्षा वाहन 104 में कार्मिकों के पदस्थापन से राजकोष को हानि

श्री ललित कुमार (किशनगंज): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि जिला बारां में जननी सुरक्षा वाहन 104 के चालक योजना का दिनांक 2 अक्टूबर, 2012 को शुभारम्भ किया गया था। इस बाबत श्रीमान मिशन निदेशक महोदय द्वारा दिनांक 20.09.2012 को जयपुर में ली गई बैठक में मात्र उक्त योजनान्तर्गत चालकों की भर्ती, सेवा प्रदाता के माध्यम से अल्प निविदा के द्वारा किए जाने के निर्देश फरमाये गये थे तथा दिनांक 24.09.2012 की बैठक में उक्त योजनान्तर्गत भूतपूर्व सैनिक चालक लगाए जाने एवं उनके उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में श्रम विभाग में पंजीकृत प्लेसमेंट एजेंसी से निविदा प्राप्त कर उक्त वाहन चालक श्रम विभाग की प्रचलित निर्धारित दर पर लगाए जाने के निर्देश दिए गये थे।

इसी क्रम में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारां द्वारा सैनिक कल्याण बोर्ड कोटा को दिनांक 20.09.2012 को पत्र क्रमांक 1136 जारी किया गया था जिसके जवाब में उक्त संस्था द्वारा चालक उपलब्ध नहीं होना बताया था। इसके बाद मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां द्वारा योजनाबद्ध तरीके से श्रीमान जिला कलक्टर, बारां के बिना निविदा प्रक्रिया अपनाते हुए उच्च राजनैतिक पहुंच के लोगों के प्रभाव में आकर एक प्लेसमेंट एजेंसी को आनन-फानन में भूतपूर्व सैनिक वाहन चालकों की अधिकतम दर 8558 रुपये प्रति माह पर लगाने के आदेश जारी कर दिये गये। जबकि यह कार्य श्रम विभाग की प्रचलित निर्धारित दर 4332 रुपये प्रति माह पर किया जाना चाहिए था। इस प्रकार 10 वाहनों हेतु 20 चालकों की नियुक्ति कर 8558 रुपये प्रति माह भुगतान किया जाना था। जिसके बाद दिनांक 01.10.2012 को अपने स्तर पर पूर्व की एजेंसी से 10 चालक कम कर एक अन्य प्लेसमेंट एजेंसी को भी 10 चालक लगाने के आदेश जारी किए गए थे। उक्त लगाए गए कोई भी वाहन चालक निर्धारित अर्हताएं पूर्ण नहीं रखते थे। इसी तरह दिनांक 01.10.2012 से 24.05.2014 तक राज्य सरकार के राजकोष को 16,86,400 रुपये का सीधा नुकसान पहुंचाया है।

अत: उक्त कार्य को देने वाले अधिकारी एवं प्लेसमेंट फर्मो के विरुद्ध जांच के आदेश फर्माते हुए राजकोष को हुए घाटे की भरपाई करने हेतु ध्यानाकर्षित कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि नसीराबाद से नव निर्वाचित विधायक माननीय श्री रामनारायण जी पधार चुके हैं, उनका स्वागत भी और उनको बधाई भी और मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वह आकर शपथ ग्रहण करें। मैं पहले मैं बोलूंगा और आप 'मैं' के बाद अपना नाम जोड़ते हुए पूरी इस शपथ को पढ़ लीजिए।

शपथ एवं प्रतिज्ञान

नव-निर्वाचित सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण/प्रतिज्ञान

(माननीय सदस्य ने उनके नाम के सम्मुख अंकित भाषा में शपथ ग्रहण की/प्रतिज्ञान किया।)

क्र.सं.	सदस्य का नाम	शपथ/प्रतिज्ञान	भाषा
1	2	3	4
(1)	श्री रामनारायण (नसीराबाद)	शपथ	हिन्दी

श्री अध्यक्ष: इधर पधारिये आप। हाथ मिलाइए, बधाई दें आपको।

पर्ची के माध्यम से।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हाथ मिलाओ, साहब।

श्री अध्यक्ष: प्रक्रिया पूरी होने के बाद। ठीक है, आपने मुझे सुधारा। बधाई आपको।

श्री कैलाश भंसाली।

(अनुपस्थित)

यह तो पर्ची के माध्यम से है न। वह आ जाएंगे। श्री शंकर सिंह।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

ब्यावर की ग्राम पंचायत बामनहेड़ा में चल रहे भामाशाह शिविर के दौरान पुलिस द्वारा लाठीचार्ज

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि भामाशाह योजना का शिविर दिनांक 19.08.2014, 20.08.2014 को ग्राम पंचायत बामनहेड़ा में चल रहा था। बहुत ही सुचारु रूप से अच्छा शिविर चल रहा था और सारे लोग उस शिविर का लाभ उठा रहे थे। तभी सुचारु रूप से चलते हुए शिविर के अन्दर पुलिस थाना टाटगढ़ के एसएचओ ने आकर आम जनता पर लाठी चार्ज कर दिया। लाठी चार्ज से इस

(श्री शंकर सिंह)

प्रकार की अफरा-तफरी मची जिसमें नारायण सिंह पुत्र भैरुसिंह, पन्ना सिंह मोती सिंह लहूरी, पन्ना सिंह लाल सिंह गापा, योगेन्द्र सिंह बाबू सिंह खोड़माल, धापू देवी w/o गिरधारी सिंह देवल फतेहपुर, सुमित्रा देवी w/o नारायण सिंह चोटिल हो गए। 11 कुर्सियां टूट गईं, 2 टेबल टूट गईं। वहां पर स्टाफ टाटगढ़ थाने से भी लेकर गए और जवाजा थाने से भी स्टाफ को बुलाकर लाठी चार्ज करवाया। उस थानेदार के खिलाफ वहां के लोगों ने मुकदमा दर्ज कराया।

अभी तक उसमें किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हुई। पुलिस की मिलीभगत से और एस.पी. की शह से उसको अभी तक निलम्बित भी नहीं किया गया है। मैंने अधिकारियों को भी बोला तो उनमें से किसी ने भी उसको लाठी चार्ज का आदेश नहीं दिया। उसके बावजूद उसने लाठी चार्ज किया। अजमेर एस.पी. ने जांच करवाई तो उस जांच में भी उसको दोषी पाया गया। उसके बावजूद उसको सस्पैंड नहीं किया गया है। सरकार क्या उसको सज़ा देने का विचार रखती है? माननीय मंत्री महोदय विराजमान हैं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो भावना सदन में रखी, उसकी पूरी रिपोर्ट मंगवाकर अतिशीघ्र, इसकी जो भी जानकारी होगी, जो भी दोषी होगा, उसके विरुद्ध जरूर कार्यवाही होगी।

श्री अध्यक्ष: श्री घनश्याम। पर्ची के माध्यम से।

टोडाभीम की पेयजल समस्या का समाधान

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको तहेदिल से धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे पर्ची के माध्यम से बोलने का मौका दिया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आपने जो 90 दिन की कार्य योजना बनाई, उसका क्या हुआ? आपने जो असत्य आश्वासन देकर ग्रामीण जनता को गुमराह किया उसका नतीजा आपने देखा, आपके सामने है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सरकार को बने हुए दस माह का समय व्यतीत हो चुका है परन्तु आज मेरे विधान सभा क्षेत्र में किसी भी उच्च स्तरीय कमेटी के माध्यम से निरीक्षण करवाएं तो आपको पता चलेगा कि दस महीने में सरकार द्वारा क्या-क्या कार्य करवाये गये हैं।

(श्री घनश्याम)

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने जो कहा वह प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से कर दिखाया। आज प्रदेश की ग्रामीण जनता पानी के लिए तरस रही है। इस सरकार से, माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्द्र भगवान भी नाराज है। इस प्रदेश के किसानों को बरसात के अभाव में खेती के लिए पानी भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। मेरे क्षेत्र में ग्रामीण इलाके में आप जांच करवाएंगे तो पता चलेगा कि आम जनता के लिए पीने के पानी की क्या हालत है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में ग्राम कैमरी, पदमपुरा, बेरोज, कमावा, तिमावा, मूंगिया, लपावली, चंदौली, नांगल सिरपुर, सीरड़ी, करीरी, शहर, गढ़खेड़ा, गढ़मोरा, रायखना, बागोर, बाड़ा, सांवटा, महसव, कैमला, सरसेना, टडावली, भैरसा, टोडाभीम, कसवा, नादौती, गुढा चन्द्रजी, धोलेटा, मोहनपुर, धमान और कमालपुरा, इन गांवों में पीने के पानी की कोई सुविधा नहीं है। वहां जितने भी हैण्डपम्प और ट्यूबवैल लगे हुए हैं वे भी खराब पड़े हुए हैं। मैंने कई बार सरकार को इस मामले में कहा है। प्रथम तो यहां इस सरकार में वाटर वर्क्स का कोई मंत्री ही नहीं है। डिपार्टमेंट को पूरा अधिकारियों के भरोसे छोड़ रखा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि नादौती में ग्रामीण जनता को पीने के पानी की व्यवस्था हेतु विशेष पेयजल योजना, चम्बल सिंचाई परियोजना के नाम से स्वीकृत की गई थी, पिछले कई महीने से उस मामले में कोई कार्यवाही नहीं हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में हैण्ड पम्पों का बहुत अभाव है। जो हैण्ड पम्प वर्तमान में लगे हुए हैं, वे ज्यादातर खराब पड़े हुए हैं। विभाग के अधिकारियों को उसके बारे में निवेदन करने के उपरान्त भी आज तक एक भी हैण्ड पम्प को ठीक नहीं किया गया है। हैण्ड पम्प लगाने की कोई कार्य योजना भी नहीं बनाई गई है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में गांवों में अविलम्ब हैण्ड पम्प स्वीकृत करवाने की कृपा करें तथा आम जनता को पीने के पानी की व्यवस्था करवाई जाए। मेरा आपसे अनुरोध है कि आपने पिछले 9 महीनों में टीएफसी और एसएफपी का पैसा भी ग्राम पंचायतों को ट्रांसफर करने की बात कही थी, वह पैसा भी न तो पंचायतों को अभी तक मिला है और न पानी की कोई सुविधा हुई है। न सरकार के आंखों में पानी है जो हमको पिला सके।

(श्री घनश्याम)

टोडाभीम में कीचड़युक्त, गंदा और खारा पानी पीने को मजबूर हो रहे हैं। कई बार इस मामले में निवेदन कर चुके हैं, आज तक एक रुपये का काम पीने के पानी की व्यवस्था के लिए नहीं किया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि सरकार को इस मामले में आगाह किया जाए। जनता ने आपको उप चुनाव के रिजल्ट में बता दिया है, जनता का विश्वास आप पर से उठ चुका है। (व्यवधान) बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिये। (व्यवधान)...

श्री घनश्याम (टोडाभीम): मैंने तो रिजल्ट आने से पहले ही बता दिया था। रिजल्ट के बाद पता चलेगा। ...(व्यवधान)... आप गुस्सा मत करो।

श्री अध्यक्ष: आप स्थान ग्रहण कीजिये। श्री अमराराम।

बालोतरा के कपड़ा उद्योग को भू-आबंटन

श्री अमराराम (पचपदरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पर्ची पर बोलने के लिए जो अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र बालोतरा शहर के पास औद्योगिक क्षेत्र में भूखण्ड आबंटित करने थे। रेट हाई कोर्ट ने जो तय की थी, उसी के अनुसार छोटे-छोटे उद्योगपतियों को ये भूखण्ड आबंटित करने थे। पर्यावरण की दृष्टि से पहले छोटे-छोटे उद्योग करने वालों का धंधा बालोतरा शहर में आबादी एरिया में चल रहा था। सरकार की मंशा हुई कि इन छोटे-छोटे उद्योगों में काम करने वालों को, जो रंगाई-छपाई का काम वे अपने घरों में कर रहे हैं इसलिए इनको इण्डस्ट्रियल एरिया में प्लाट देकर उनको सिस्टमेटिक ढंग से काम करने का अवसर दिया जाये। इसके लिए 2004 में रंगाई छपाई औद्योगिक इकाइयों को स्थानांतरित करने के लिए रीको के औद्योगिक क्षेत्र-चतुर्थ की स्थापना की गई। वहां पर इनको भूखण्ड अलाट करने थे। 2004 के अन्दर जो रेट थी वह 180 रुपये प्रति वर्ग मीटर था। 60-65 जो छोटे-छोटे उद्योग करने वाले थे, उनको 800 रुपये रेट तय हुई। तय होने के बाद में उन्होंने पैसे जमा करा दिये, जिस हिसाब से उनको कराना था। उसके बावजूद भी उन्होंने लाटरी निकाल कर भूखण्ड आबंटन नहीं किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, 23.10.2008 को रीको सलाहकार मण्डल के साथ में स्थानीय उद्यमियों की एक बैठक रखी गई जिसमें क्षेत्रीय प्रबन्धक, बालोतरा औद्योगिक क्षेत्र द्वारा औद्योगिक क्षेत्र के चतुर्थ चरण

(श्री अमराराम)

में लागत 800 रुपये प्रति वर्ग मीटर रीको द्वारा निर्धारित थी, उसको जमा कराने के बावजूद भी बाद में 2500 रेट कर दी कि आपको 2500 रुपया देना पड़ेगा। 800 रुपये देने के लिए हम तैयार, हमने जमा भी करवा दिये उसके बावजूद आज इतने सालों के बाद में वह भूखण्ड की लाटरी निकाल कर आबंटन नहीं कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उच्च न्यायालय ने रिट पिटीशन नम्बर 7319/2008 में चतुर्थ चरण बालोतरा के स्पष्ट निर्णय दिये, ''RIICO shall set up an industrial area at a suitable place exclusively for textile processing units. The industrial area must be located at an appropriate distance from a residential area. RIICO shall set up an industrial area within a period of six months….'' 6 महीने का जो टाइम दिया था ''...and the industries shall be shifted to the industrial area from residential area immediately thereafter.'' इसके बावजूद भी आज दिन तक रीको लाटरी निकाल कर ऐसे छोटे उद्योग करने वाले थे उनको भूखण्ड नहीं दिये हैं। उन्होंने पैसे जमा करवा दिये हैं। 5 ऐसे थे जिनके फार्म कम्प्लीट थे लेकिन उनको इनकम्प्लीट मान कर रीको की मनमानी के कारण उनको भी नहीं किये। 60 ऐसे थे उनको भी आज तक लॉटरी निकाल कर भूखण्ड आबंटन नहीं किये गये हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि रीको को सरकार यह निर्देश दे और वन मंथ के अन्दर टाइम बाउण्ड करे। पहले भी 2008 के अन्दर इस प्रकार का निर्णय हुआ था, उसमें सिक्स मंथ का टाइम दिया था। लेकिन अभी तक यह काम हुआ नहीं है इसलिए शीघ्र ही निर्देश फरमाएं। धन्यवाद। जय हिन्द ।

श्री अध्यक्ष: श्री कैलाश भंसाली। आपका नाम पुकारा था तब आप नहीं थे, मैं फिर से आपको अवसर देता हूं।

जोधपुर शहर में चरमराई सफाई व्यवस्था

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): धन्यवाद। बहुत-बहुत मेहरबानी आपकी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जोधपुर शहर राजस्थान का सबसे बड़ा शहर है, वहां 15 लाख लोग रहते हैं। सारा शहर सड़ रहा है। जहां से जाओ वहां गंदगी के सिवा और कुछ दिखता ही नहीं है, कचरे के जगह-जगह ढेर लगे हैं। पहले कहा था कि रामदेवरा में 200 कर्मचारी गये हुए हैं इसलिए समस्या है।

(श्री कैलाश भंसाली)

उस मेले को समाप्त हुए भी 15 दिन हो गये हैं परन्तु अभी तक सफाई व्यवस्था में कुछ नहीं हुआ है। मैं निवेदन करूंगा कि वहां पर एक सीईओ के अलावा कोई स्टाफ भी नहीं है। वो बार-बार लिख रहे हैं। आज उन्होंने छुट्टी ले ली है कि स्टाफ नहीं है। लोगों की रोज अर्जी आती है कि कचरा हटाया जाए। वे कहते हैं, सारी व्यवस्था फेल हो रही है। मेरा निवेदन है, 5 आरएएस की पोस्ट वहां खाली हैं उसमें से तीन तुरन्त भरी जाएं ताकि कमिश्नर साहब लगें और कार्य सुचारु रूप से चले।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि कचरा संग्रह के लिए आमिर खान का रोज स्टार टीवी पर आ रहा है कि जोधपुर को भारत का सबसे साफ-सुथरा शहर, कचरामुक्त शहर बनाना है और इसके लिए कलक्टर साहब तथा सीईओ साहब दोनों लगे हुए हैं। मैंने भी मेरे विधायक कोटे से 21 आटोरिक्शा उनको दिये हैं ताकि एक-एक वार्ड में कचरा संग्रह हो सके। कचरा संग्रह के इस कार्य को ठीक करने के लिए यह आवश्यक है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, हाई कोर्ट की निगरानी लगातार हो रही है, अवमानना का हमेशा नोटिस आता है। कलक्टर साहब, सीईओ साहब और अभी मुख्य सचिवजी को थोड़े समय पहले बुलाया था और यह बात कही गयी थी कि अगर सफाई नहीं कर सकते तो ये एक्जीक्यूटिव क्या कर रहे हैं। इनको बहुत प्रताड़ना दी गयी, फिर भी अभी तक सफाई में कोई सुधार नहीं हुआ है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से विनम्र निवेदन है कि ऐसी समस्या को गम्भीरता से लेते हुए जोधपुर नगर निगम को कम से कम 200 करोड़ रुपया दिया जाए क्योंकि उसकी खस्ता हालत है, पैसे नहीं हैं। सारी सड़कें खुदी पड़ी हैं, गटर लाइनें खुली पड़ी हैं। इस निवेदन के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: अब बड़ा खतरनाक विषय है। सांपों के बारे में आपका स्टेटमेंट होना है, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपना स्टेटमेंट दें।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): अध्यक्ष महोदय, इन सांपों को हाउस के अन्दर बुलाएं, उससे पहले मेरा एक छोटा-सा निवेदन है। प्रधानमंत्रीजी ने...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): मैं आपका आशय नहीं समझा। मुझे एतराज है, अध्यक्ष महोदय। मैं सांप नहीं, इंसान हूं, अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य, सांप बोलता नहीं, सांप तो मौके पर डसता है।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): वह डसने का ही डर है।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): +++

सूचना

जम्मू-कश्मीर में बाढ़ पीडितों के लिए भारतीय जनता पार्टी के विधायकों द्वारा एक माह के वेतन की मदद

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): अध्यक्ष महोदय, सांप को कोई डसना सिखाता नहीं है, उसे स्वभाव से ही डंक मारने की आदत है। सिर्फ सर्पदंश से बचने के लिए और विष से बचने के लिए जो भी यहां पर आए उससे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। प्रधानमंत्रीजी ने पूरे देश में एक आह्वान किया कि इस वर्ष वे जन्म दिन मनाएंगे। जो त्रासदी हुई है, इसमें काफी जान-माल की हानि हुई है वहां पर सहयोग करें। विधायक के नाते मैं मेरा एक महीने का वेतन उसमें देने की घोषणा करता हूं और दोनों तरफ से प्रस्ताव लाएं तो ज्यादा बैटर होगा।

श्री अध्यक्ष: अच्छा, आप घोषणा कर रहे हैं।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मुझे सदन को जानकारी देते हुए अत्यन्त प्रसन्नता है कि भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदीजी का आज जन्मदिन है, हम सबको उनको हार्दिक बधाई देते हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मुझे सदन को एक सूचना देनी है। भारतीय जनता पार्टी के समस्त विधायकों ने जम्मू-कश्मीर राज्य में हुई आपदा से प्रभावित लोगों की मदद करने हेतु एक माह का वेतन मय भत्तों के देने का निर्णय किया है। मैं सदन के अन्य माननीय सदस्यों से भी प्रार्थना करता हूं कि इस आपदा प्रबंधन के राहत कोष में आप भी अपना सहयोग दें और एक माह का वेतन और भत्ता देने की कृपा करें।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): हम दोनों का भी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। उत्तरांचल में हमने जो पैकेज जो लोग खतम हो

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

गये थे उनके आश्रितों को दिया था, अगर उसको आप वापस चालू रखते हैं तो हम सारे के सारे कांग्रेस दल के सदस्य भी एक महीने का दे देंगे।

श्री अध्यक्ष: विराजिए, विराजिए। डोटासराजी, स्थान ग्रहण कीजिए। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप संवेदनहीन हैं इस मुद्दे पर। आप उस पैकेज को अगर चालू रखेंगे तो हम सब देंगे। आज एक तरफ तो नियुक्तियां खतम कर रहे हैं, जो पैकेज हमने दिया था, उनकी अनुकम्पा नियुक्ति की थी, उसको समाप्त कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: डोटासराजी, स्थान ग्रहण कीजिए। स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): दूसरी तरफ, जन्मदिन सबका आता है...(व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, यह तो मानवता का प्रश्न है। जो इतनी बड़ी बाढ़ आयी है, आप देना चाहें तो दीजिए। इसमें कोई शर्त और कंडीशन नहीं होती। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): उत्तरांचल में जो हमने अनुकम्पा नियुक्ति का किया था, अगर उसको आप इस प्रकार चालू रखते हैं तो हम लोगों की सैलेरी भी...(व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): आप अगर नहीं दें तो आपके ऊपर कोई जुर्माना नहीं है। यह आपकी स्वेच्छा की बात है। अगर आप में मानवता है तो आप जरूर दीजिए। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): उत्तरांचल में जो राजस्थान सरकार ने पैकेज दिया था, हमारी सरकार ने, अगर उसको आप चालू रखते हो तो आपकी मानवता सामने आएगी और हम भी दे देंगे।

श्री अध्यक्ष: अगर-मगर मत कीजिए, अब आप विराजिए। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): बात ही नहीं रखने देंगे। जब इन्होंने कोई बात रखी है तो हम अपनी बात रखेंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अध्यक्ष महोदय, जो यहां पर कहा है, कल हम लोग बैठेंगे, पार्टी के अन्दर तय करेंगे, लेकिन इस अवसर पर एक बात मैं कहना चाहता हूं। आज मोदीजी का दिन है, खुशी का दिन है, देश के प्रधानमंत्री

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

हैं, सबके प्रधानमंत्री हैं। (व्यवधान) प्लीज। मैं कोई बुराई कर रहा हूं क्या? बिना सुने बीच-बीच में बोलने की आपको आदत क्या पड़ गयी है?

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): मैं यह कह रहा हूं...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: निम्बाहेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मैंने यही कहा है, खुशी का दिन है, हमारे सबके प्रधानमंत्री हैं, बधाई में कहां दिक्कत आ रही है?

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): मैं आपको यह निवेदन कर रहा था, कालूलालजी गुर्जर ने अभी कहा मोदीजी का जन्मदिन है, सबने ताली बजायी है, विपक्ष ने ताली नहीं बजायी। इसलिए मैं कह रहा हूं यह बात।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): चलिए, मैं ताली बजा रहा हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: शांत रहिए, शांत रहिए। माननीय प्रद्युम्न सिंहजी।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि कश्मीर की त्रासदी पर आप कोई प्रस्ताव लाएं, इसके ऊपर कोई दो राय नहीं हो सकती हैं, यह बहुत बड़ी राष्ट्रीय त्रासदी है। गुजरात में जब हुआ था, भूकम्प आया था वह भी राष्ट्रीय त्रासदी थी। जम्मू-कश्मीर का हुआ। मैं एक सवाल आपसे करना चाहूंगा, उत्तराखण्ड का जो पैकेज था, पैसा दे दिया, सरकार ने यह घोषणा की थी, काफी बड़ी संख्या में राजस्थान के लोगों की मृत्यु हुई थी उसमें एक चीज की घोषणा हुई थी कि इनके आश्रित परिवारों को नौकरी दी जाएगी। (व्यवधान) पैसे भी दिये गये। तीन-चार की नियुक्ति हो गई, बाकी लोगों को समय के अभाव में या प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, नियुक्ति नहीं दे पाये। आपने उन तीन-चार लोगों को निकालने के आदेश दे दिये। अब यह तो उचित नहीं है। सरकारें तो जाएंगी। सरकार परपीच्युटी में रहती है हमेशा। आपने कोई निर्णय लिया, यह अच्छी परम्परा नहीं है कि जिनको अनुकम्पा नियुक्ति दी, जिनका नुकसान हुआ था उन तीन-चार लोगों को निकाल दिया। आप हर चीज का राजनीतिकरण करते हैं तो उस वक्त इस प्रकार की समस्या पैदा होती है कि आप श्रेय लेना चाहते हैं। हम अपना फैसला करेंगे कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन आपने राजनीतिकरण करके लगे-लगाये लोगों को निकाल दिया तो आप इसके बारे में जवाब दें।

श्री अध्यक्ष: आप फैसला जल्दी कीजिए।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने फ्रीडम फाइटर्स की पेंशन शुरू की थी, आपने बंद क्यों की?

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं, आज का जो विषय है वह कश्मीर के बारे में है। अगर आप उत्तराखण्ड के बारे में चर्चा करना चाहें तो हाउस में आ जाएं, हम अपनी बात रखेंगे, आप अपनी बात रखें। लेकिन यह बहाना लेना कि उत्तराखण्ड में यह हुआ इसलिए कश्मीर में मदद नहीं करेंगे, यह अच्छा सोच नहीं है। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): यह हमने नहीं कहा है। इसका आप राजनीतिकरण मत कीजिए कि हम कश्मीर में मदद नहीं करेंगे। हमने कभी नहीं कहा है। हम करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे, लेकिन हम अपने तरीके से करेंगे।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। कतई राजनीतिकरण नहीं होगा इस विषय का। आप बैठिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हमने कब कहा, हम नहीं करेंगे?

श्री अध्यक्ष: चिकित्सा मंत्रीजी। चिकित्सा मंत्रीजी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हम कह रहे हैं आप बंद कर रहे हो, सरकारी नौकरी खतम कर रहे हो। दी हुई नौकरी खतम कर रहे हो, वह तो चालू करो।

श्री अध्यक्ष: चिकित्सा मंत्रीजी। (व्यवधान) बैठिए आप। स्टेटमेंट सांपों के बारे में। (व्यवधान) आपने उठाया था, जवाब आ रहा है, बैठिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के सचेतक महोदय बड़े जोश में हैं। किसी ने कहा है, ''गिरते हैं शहसवार ही मैदान-ए-जंग में, वो तिफ्ल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले।'' अभी कांग्रेस घुटनों के बल चल रही है। 21 से 24 हो गये, मैं समझ नहीं रहा, कौनसा पहाड़ टूट गया। देश के अन्दर प्रतिपक्ष का नेता नहीं बना पाये, अपने गिरहबान में झांको। स्थानीय समीकरणों से आज जीत गये इसलिए इस घमण्ड में मत रहो आप। (व्यवधान)

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): चुनाव कराओ दुबारा तब आपको मालूम होगा, आप 11 भी नहीं रहेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): यह खिसियानी बिल्ली खंभा नोच रही है, कुछ होने वाला नहीं है।

श्री अध्यक्ष: माननीय चिकित्सा मंत्रीजी, स्टेटमेंट दीजिए। (व्यवधान) कृपया शांत रहिए।

शासकीय वक्तव्य

सर्प दंश के उपचार हेतु इंजेक्शन की उपलब्धता

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, एंटी स्नैक विनम सिरम इंजेक्शन जहरीले सांप के काटने से लगाया जाता है। इसका एक बेस तैयार हो उसमें सात-आठ महीने लगते हैं। इसी कारण से पूरे हिन्दुस्तान में सिर्फ चार कम्पनियां हैं जो इस इंजेक्शन को बनाती हैं। अध्यक्ष महोदय, इस इंजेक्शन को बनाने के लिए पहले चार सर्प जो अलग-अलग प्रजाति के हैं, उनका जहर एकत्रित किया जाता है, फिर उस जहर को घोड़े के ब्लड में मिलाया जाता है, फिर उससे निकाल कर एक जो सैम्पल लिया जाता है उसको प्लाज्मा कहते हैं उससे यह एएसवी इंजेक्शन बनता है। अध्यक्ष महोदय, यह आज की बात नहीं है, पूरे देश में, आपने केरल में देखा होगा, जिस प्रकार का क्राइसिस राजस्थान में है उससे ज्यादा केरल में है। पूरे राजस्थान में इस इंजेक्शन की मांग और आपूर्ति में अन्तर आया है। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में सैकड़ों सांप हैं, सांप नाना प्रकार के हैं। उनमें से तीन सांप... (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैंने किसी को सांप नहीं कहा है। अध्यक्ष महोदय, उनमें से तीन सांप कोबरा, केट और रसेल, ये जहरीले सांप हैं। अध्यक्ष महोदय, इन सांपों के काटने पर एंटी स्नेक विनम सिरम इंजेक्शन की आवश्यकता पड़ती है। अध्यक्ष महोदय, बरसात ऋतु आने के बाद में सांप बाहर निकलता है और, अध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है कि पश्चिमी राजस्थान में स्नेक बाइट्स कोई आज की बात नहीं है, होते रहते हैं। 20 जून, 2014 को मेडिकल सर्विस कार्पोरेशन आफ राजस्थान ने 25 हजार बायल्स इंजेक्शन का आर्डर किया और पूरी सप्लाई हमें जुलाई के प्रथम सप्लाई में मिल गई। जब मेडिकल कार्पोरेशन आफ राजस्थान ने 25 हजार बायल्स का आर्डर दिया और उसकी जुलाई में जो सप्लाई मिली उस समय, अध्यक्ष महोदय, 14408 बायल्स राजस्थान मेडिकल सर्विस कार्पोरेशन के जयपुर भण्डार में थे और 30495 विभिन्न जिलों के सरकारी चिकित्सालयों में थे। यानि जुलाई के प्रथम सप्ताह में 79900 इंजेक्शन राज्य के विभिन्न चिकित्सा संस्थानों में उपलब्ध थे।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अध्यक्ष महोदय, इसके बाद दूसरा क्रयादेश इन्हीं इंजेक्शनों का 28 अगस्त, 2014 को दिया गया, यह 55320 एएसवी इंजेक्शन का दिया। जब यह आर्डर दिया उस समय भी राजस्थान मेडिकल कार्पोरेशन के औषधि भण्डार में 13095 इंजेक्शन थे और 20600 इंजेक्शन राजस्थान के विभिन्न चिकित्सा संस्थानों में थे। कुल मिलाकर 33695 एएसवी इंजेक्शन उपलब्ध थे। अध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर इस समय मैं जो बात कर रहा हूं, मैंने 16 सितम्बर को सारा स्टाक लिया तो राजस्थान में इस समय 10785 एएसवी इंजेक्शन हैं और 4 हजार इंजेक्शन इसी शनिवार को आ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इन इंजेक्शनों के नहीं होने के कारण जो समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ कि 91 डैथ हो गई। जिन जिलों में डैथ बताई गई वो जिले हैं जयपुर, जयपुर में इस समय 148 एएसवी इंजेक्शन उपलब्ध हैं, भीलवाड़ा में इंजेक्शन 229 उपलब्ध हैं, दौसा में 38 इंजेक्शन उपलब्ध हैं, उदयपुर में भी उपलब्ध हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं कहूं तो सारी जगह पर, 13 जिलों में इस समय लगभग 6063 इंजेक्शन उपलब्ध हैं। अध्यक्ष महोदय, पूरे राजस्थान में 1 जनवरी, 2014 से 15 सितम्बर, 2014 तक का देखें तो कुल 3741 लोगों को सर्पदंश हुआ, उनमें से 106 लोगों की डैथ हुई। 86406 इंजेक्शन इनमें लगाये गये और 15191 इंजेक्शन आज भी उपलब्ध हैं।

अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना यह है कि राजस्थान में इस इंजेक्शन की कमी के कारण डैथ नहीं हुई है। यह एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें सर्पदंश भी होता है, कुछ लोगों की डैथ भी होती है। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इंजेक्शनों की कमी नहीं आने दी जाएगी। यह सही है कि दवा निर्माता कम्पनियों को जो हमने दूसरा आर्डर दिया, जिस आर्डर की सप्लाई हमें जल्दी होनी चाहिए थी, उसमें कुछ विलम्ब हुआ। उसका कारण भी एक ही है कि इसके बैच का जब निर्माण होता है तो 7 से 8 महीने निर्माण होने में लगते हैं। चाहे किसी भी कीमत पर हमें इंजेक्शन खरीदने पड़ें, अब तक इंजेक्शन की कमी के कारण एक भी मृत्यु नहीं हुई और भविष्य में भी नहीं होने देंगे, यह मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय किरोड़ी लालजी। आप एक सवाल, फिर आप।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने सर्वप्रथम

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

यह मुद्दा उठाया था और मेरे इश्यू उठाने के बाद ही आपने सरकार को निर्देश दिया था कि इस पर सरकार का वक्तव्य आएगा। अगर आप मुझे अवसर देते हैं तो मैं अपनी बात कह लूं या बाद में कह लूं, आप जैसा चाहें।

श्री अध्यक्ष: आप कह लीजिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): जैसी आपकी आज्ञा।

अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय मंत्री महोदय ने इंजेक्शन में समय लगने का कहा है, तो यह तो हमेशा से ही प्रक्रिया रही है बनाने की, मैन्यूफैक्चरिंग करने की, इसमें कहीं दो राय नहीं है। मेरा तो आपसे मतलब है कि 91 आदमियों की डैथ होना अपने आप में बहुत बड़ा सीरियस इश्यू है। आन एन एवरेज एक आदमी को 30 से 40 इंजेक्शन लगते हैं। आपने सबसे बड़ी गलती की कि आपने इंजेक्शन की कीमत कम की, क्योंकि आपका इस पर भरोसा ही नहीं है। जो फ्री दवा योजना थी, फ्री दवा योजना पर पलीता लग रहा है। जो दवाई ईजीली अवेलेबल थी, पिछले 3-5 महीने से, मैं राजनीति कर रहा हूं तो आप पता लगा लीजिये, कई जिलों के अन्दर सीएचसी, पीएचसी के ऊपर दवाओं की सप्लाई प्रापर नहीं है। जयपुर जैसी जगह के अन्दर, आपको मालूम है, आप खुद कहते हैं कि वैस्टर्न राजस्थान के अन्दर स्नेक बाइट्स के केसेज बहुत होते हैं, कभी इस प्रकार की समस्या पैदा नहीं हुई। आपकी यह प्लानिंग क्या थी? जो स्टाक हमेशा भरपूर रहता था, एसएमएस से लोग डिस्चार्ज करा-करा कर ले गये। 4 इंजेक्शन लगा दिये, 5 इंजेक्शन लगा दिये और उसके बाद कह दिया कि नहीं हैं। मैंने जब यह मामला यहां सदन में उठाया, मेरे पास एक टेलीफोन आया, दूसरे दिन अख़बार में निकला, तो कहा, एक प्राइवेट हास्पिटल का नाम लिया, टेलीफोन पर डिस्टर्बेंस था, उन्होंने कहा कि मेरे 70 हजार रुपये खर्च हो गये। असली झगड़े की जड़ यह है कि इन्होंने इंजेक्शन की कीमत, जो पर्चेज प्राइस थी वो कम की। वो अखबारों में भी आया और उसकी वजह से कम्पनियों ने इनको सप्लाई देना बन्द कर दिया। जब आपने कीमत कम की थी तो आपको अल्टरनेटिव इंतजाम तो करना चाहिए था। आपका जो कार्पोरेशन है, जिसकी यह जिम्मेदारी है, उसको अल्टरनेटिव इंतजाम तो करना चाहिए था। बाकी जिलों की खबर तो जयपुर में आती ही नहीं है कि कहां-कहां कमी हुई है। अध्यक्ष महोदय, यह अखबारों की हालत क्या है, मैं हमेशा कहता हूं, कई दफा मुझे अखबारों के मालिकों से बात करने

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

का अवसर मिला है, कि जिलों के अन्दर तो अखबारों के सैकिण्ड क्लास रीडर्स हैं। जो जयपुर में हमको मैटीरियल पढ़ने को मिलता है, इतने ज्यादा पेजेज आते हैं, वो जिलों में नहीं मिलते। जिलों में एक जिले का सप्लीमेंट निकाल दिया, बाकी तो 5-5, 6-6 पेज की न्यूज आती है। तो जो जयपुर में खबरें आती हैं, अगर वो खबर उस दिन अख़बार में नहीं आती तो शायद हमें मालूम ही नहीं पड़ता कि किन जिलों में क्या स्थिति रही है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन यह है कि सप्लाई की आपने प्रापर व्यवस्था नहीं की। आपको मालूम था कि सीजन है। अब तक कमी क्यों नहीं आई? आज से 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने पहले तक इस इंजेक्शन की कमी क्यों नहीं आई? यकायक कमी क्यों आ गई? क्योंकि आपने दवाओं की कीमत कम की और आपने अल्टरनेटिव सप्लाई का इंतजाम नहीं दिया। आपके कार्पोरेशन की लापरवाही की वजह से, माननीय मंत्री महोदय, आपका सुपरवाइजरी नेग्लिजेंस है इसलिए इन 91 आदमियों की मौत की जिम्मेदार एक तरह से सरकार है और यह कार्पोरेशन है, यही मैं आपसे कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: विराजिये, स्थान ग्रहण कीजिये। माननीय किरोड़ी लालजी। किरोड़ी लालजी ने स्थगन प्रस्ताव दिया और आपने रखवाया है। आपको भी मैं समय दे दूंगा।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने अपना वक्तव्य दिया उसमें यह स्पष्ट नहीं किया कि कितनी डैथ हुई हैं, कितने लोग इस सर्पदंश के शिकार हुए। अभी राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि जो समस्या खड़ी हुई है वो यहां पर हुई है कि इन्होंने इंजेक्शन की कीमत 950 रुपये से 450 रुपये कर दी। एक चीज नोटिस में आई है जिसकी एफआईआर जोधपुर में दर्ज हुई है, कि सरकारी अस्पताल की दवा मेडिकल स्टोर पर मिली है। क्या, मंत्रीजी, आपकी यह जानकारी में है कि सरकारी अस्पताल की दवा मार्केट में चली गई? सांप की। मंत्रीजी, क्या यह सही है कि आपने पहला आर्डर 20 जून को दिया और दूसरा आर्डर 28 अगस्त को दिया? कम्पनी सप्लाई में 75 दिन का समय लेती है, अब आप एंटी स्नेक वेनम मंगवा रहे हैं वो तो नवम्बर के महीने में आएंगे। तो जो अब आवश्यकता पड़ेगी इस बरसात में क्योंकि बरसात में मैग्जिमम स्नेक बाइट होता है, उससे आप कैसे निपटोगे, यह मैं मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं?

(डा. किरोड़ी लाल)

(13.00 बजे)

एक बात यह और है, मंत्रीजी ने एक दिन अपने बयान में कहा था और वह अखबारों में छपा था कि अफसरों ने मामला छिपाये रखा। आपकी जानकारी में नहीं दिया कि कब-कब आदेश देने हैं, कहां-कहां कमी है और किस-किस अस्पताल में मौत हो रही है। पैरीफेरी के अस्पतालों में, माननीय अध्यक्ष महोदय, 33 में से 25 जिलों में एंटी-स्नेक वेनम उपलब्ध नहीं है। मैं मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं, मामला किस अधिकारी ने और क्यों छिपाये रखा? आपकी जानकारी में नहीं था तो क्या आपने उनके खिलाफ कार्यवाही की? नहीं की तो क्या आगे कार्यवाही करोगे? 91 लोगों के मर जाने के लिए सीधे तौर पर मंत्रीजी, सरकार जिम्मेदार है। 91 लोग मर जाएं और एंटी-स्नेक वेनम अस्पतालों में नहीं मिले। हालात यहां तक है, अध्यक्ष महोदय, अभी राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, यह बात सही है कि एसएमएस अस्पताल में एक मरीज आया, पांच इंजेक्शन लगा दिये और बाद में डाक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिये। बाड़मेर के अख़बार में अभी एक समाचार छपा है कि एक को सांप ने काटा और वह सीएचसी गडरा रोड पर गया, वहां नहीं मिला तो वहां से दूसरी पीएचसी पर भेजा। वहां भी यह इंजेक्शन नहीं मिला तो बाड़मेर पीएमओ के वहां गये, वहां पर भी इंजेक्शन नहीं मिले तो फिर उसको मार्केट से खरीदकर इंजेक्शन लगाने पड़े। यह वीभत्सकारी स्थिति पैदा हुई है। इसलिए मैं दो-तीन सवालों के जवाब जरूर चाहूंगा। आपने आर्डर 28 अगस्त को दिया है तो एंटी-स्नेक वेनम कब तक आ जाएंगे?

श्री अध्यक्ष: माननीय नरपत सिंहजी, एक मिनट। माननीय नरपत सिंहजी एक सवाल और करेंगे, फिर आप जवाब देंगे।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): अध्यक्ष महोदय, अभी राजाखेड़ा से आने वाले हमारे वरिष्ठ सदस्य ने कहा, इस कारपोरेशन के पास 30,000 या 35,000 वायल से ज्यादा, सर्टेन टैम्प्रेचर पर उसको रखना पड़ता है, उतनी कैपेसिटी है क्या? उतनी कैपेसिटी आपने डवलप करके छोड़ी है क्या? क्षमा करें।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आप बोल लिये तो मैं बोलूं? आप यह मत कहिये कि आपने कैपेसिटी करके छोड़ी है क्या। आप सरकार से कहो जो कुछ कहना है।

श्री अध्यक्ष: राजाखेड़ा से आने वाले माननीय विधायक, आप शांत रहिये। आप सीधा सवाल इधर कीजिये। आसन को एड्रेस कीजिये। हां, आसन को कीजिये।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): अध्यक्ष महोदय, यह भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। मैं तो आपको कर रहा हूं आसन को एड्रेस कर रहा हूं। आसन को एड्रेस करने के साथ यह भी कहना चाह रहा हूं कि एंटी-स्नेक वेनम, ये जितने भी हैं, ये इम्पोर्टेड कम्पनीज के आ रहा हैं। इस एंटी-स्नेक वेनम के ट्रायल के लिए एक बार यहां पर कमेटी अलग से रिसर्च कर रही थी, उस रिसर्च को बंद करने की अगर कोई दोषी है तो पिछली कांग्रेस सरकार दोषी है। वहां पर ऊंटों पर ट्राई किया गया था जहां पर कूलिंग टैम्प्रेचर में रखने की आवश्यकता नहीं है। वह लगभग फाइनल स्टेजेज पर थी, उस फाइनल स्टेज पर होने पर इस पूरे डैजर्ट बैल्ट में जहां पर टैम्प्रेचर ज्यादा रहता है, आज पीएचसी की बात तो कह दी लेकिन पीएचसी में अगर आप उस टैम्प्रेचर पर नहीं रख पाएंगे तो क्या वह एंटी-स्नेक वेनम काम आएगा? वह काम नहीं आने वाला है। उसको कम से कम कूलिंग, कूल टैम्प्रेचर पर रखना पड़ेगा। 45-40 डिग्री जहां पर नार्मल टैम्प्रेचर रहता है, वहां पर यह नहीं रह पाता है। सप्लाई ली है, लेकिन पैसे कम करने के कारण घटा है, यह मुझे नहीं लगता है। वह उस समय भी, आज से 20 वर्ष पहले से भी यह फ्री सप्लाई थी गवर्नमेंट की तरफ से। एंटी-स्नेक वेनम, एंटी-रैबीज ये दोनों ट्रीटमेंट पहले फ्री होते थे। तो यह कोई राशि का अंतर नहीं है। लेकिन अब आंख मींचकर ऊंची रेट पर लें और मंत्री अपनी जान बचाना चाहे कि यह गलत इन्होंने किया है तो निश्चित तौर पर मंत्रीजी ने ठीक किया है, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, एएसवी इंजेक्शन जिसकी चर्चा माननीय सदस्यों ने की, यह दो प्रकार से उपलब्ध है- एक लिक्विड फार्म में है, एक पाउडर फार्म में है। विद्याधर नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने सही कहा है, लिक्विड फार्म के इंजेक्शन को दो डिग्री से लेकर आठ डिग्री तक तापमान में रखना पड़ता है और उसकी लाइफ भी दो वर्ष की है। और जो लाइफुलाइज्ड, पाउडर फार्म में है, उसको टैम्प्रेचर की आवश्यकता नहीं है। अध्यक्ष महोदय, राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि आपने इसकी कीमत कम कर दी। कीमत

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

निर्धारित करने का कार्य करते हैं एनपीपीए यानी नेशनल फार्मास्युटिकल्स प्राइसिंग अथोरिटी। इस आथोरिटी ने इस इंजेक्शन की कीमत 436 रुपये तय कर रखी है। आपको याद होगा, अध्यक्ष महोदय, इसी सदन में यह मामला उठा था और इन्होंने कहा कि 13 करोड़ रुपये का घपला राजस्थान मेडिकल कारपोरेशन में हो गया। इन्होंने कहा कि एनपीपीए ने जो तय किया है, उससे ज्यादा पर हमने क्रय कर ली। अध्यक्ष महोदय, अभी जो खरीदी है, वह 662 रुपये में खरीदी गई है। यह सही है। अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय डाक्टर किरोड़ी लालजी ने कहा, दो बार आर्डर किया- एक बार आर्डर हमने 20 जून को किया, दूसरा आर्डर 28 अगस्त को किया और दोनों आर्डर के बीच में समय रहा। निश्चित तौर पर यह समय और कम होना चाहिए था, इसको मुझे स्वीकार करने में कोई एतराज नहीं। इसके लिए अगर कोई दोषी होगा तो मैं उसके खिलाफ कार्यवाही भी करुंगा। पर मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि एएसवी इंजेक्शन नहीं होने के कारण से, उसके अभाव में राजस्थान में एक भी मौत नहीं हुई। मैं उन सारे जिलों में, जिन जिलों के आंकड़े समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए हैं और राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य जिस 91 की संख्या पर पहुंचे हैं, अध्यक्ष महोदय, आप कहो तो मैं 13 जिलों को पढ़कर सुना सकता हूं।

दूसरा, अभी आपने पूछा कि कुल कितनी डैथ हुई? मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 1.1.2014 से लेकर 15.9.2014 तक स्नेक बाइट के कुल केस हुए हैं राजस्थान के 33 जिलों में 3,741 और कुल 106 डैथ हुई हैं। अध्यक्ष महोदय, 6 दशमलव कुछ प्रतिशत है स्नेक बाइट्स में डैथ होने का।

आपने यह पूछा कि जोधपुर के अन्दर स्नेक बाइट्स के इंजेक्शन जो सरकारी चिकित्सालय में थे, वे निकलकर वहां प्राइवेट किसी मेडिकल स्टोर में बेचे गये। इसको मैं स्वीकार करता हूं। अध्यक्ष महोदय, 13 सितम्बर को पेमाराम नाम का एक पेशेंट मथुरादास माथुर अस्पताल में भर्ती हुआ और उसके फ्री एएसवी इंजेक्शन लगाने के लिए डाक्टर नवीन वहां पर थे, उन्होंने लिखा। जब वह डीडीसी सेंटर पर गया तो उस समय डीडीसी सेंटर पर उसको यह कहा गया, फार्मासिस्ट थे वहां पर संजय सिंह और राजेश राव, उन्होंने यह कहा कि इंजेक्शन अवेलेबल नहीं है। एक प्रेम मेडिकल स्टोर है, आप वहां पर चले जाओ। जब प्रेम मेडिकल स्टोर से वह इंजेक्शन लेकर वापस आया और जब डाक्टर्स ने उससे पूछा तो उसने कहा कि मैं 1,000 रुपये के पांच वायल्स

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

लाया हूं। जब उन्होंने देखा कि उस पर तो मेडिकल कारपोरेशन का नाम लिख रखा है, उसी समय उन दोनों फार्मासिस्ट को, राजेश राव और संजय सिंह को जो संविदा पर थे, इनकी सेवाएं समाप्त कर दीं और एक एफआईआर दर्ज करा दी। उसमें जो इन्वाल्व थे, उन लोगों को गिरफ्तार करा दिया। अध्यक्ष महोदय, जहां मालूम पड़ता है, वहां कार्यवाही करने की कोशिश करते हैं। मैं आश्वस्त करता हूं, चाहे किसी भी कीमत पर सरकार को इंजेक्शन खरीदने पड़ें, जहां भी, देश के किसी भी कोने में इंजेक्शन होंगे, हम इंजेक्शन मंगवाएंगे और भविष्य में कोई कमी नहीं रहे, इसको सुनिश्चित करेंगे।

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त हुई। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। अधिसूचना। श्री गुलाब चन्द कटारिया।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से अधिसूचना संख्या : एफ.15(1) पुनर्गठन/विधि/पराविं/2014/819 दिनांक 23.7.2014, जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.15(2)पराविं/विधि/पुनर्गठन/98/3837 दिनांक 22.8.2000 में संशोधन किया गया है, सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र राठौड़, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री। वार्षिक प्रतिवेदन एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे।

प्रतिवेदन

राजस्थान वित्त निगम के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पृथक अंकेक्षण प्रतिवेदन

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान वित्त निगम अधिनियम, 1951 की धारा 37(6) के अन्तर्गत 31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए राजस्थान वित्त निगम के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पृथक अंकेक्षण प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री युनुस खान।

राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2013-2014 एवं आयोग के सुझाव तथा सिफारिशों के सम्बन्ध में स्पष्टीकारक ज्ञापन

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 2001 की धारा 14(2) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2013-14 एवं आयोग के सुझाव तथा सिफारिशों के सम्बन्ध में स्पष्टीकारक ज्ञापन सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: विधायी कार्य, पुर:स्थापित किये जाने वाले विधेयक। राजस्थान भूमि विधियां (संशोधन) विधेयक, 2014, श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान भूमि अर्जन विधेयक, 2014 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

व्यवस्था का प्रश्न

राजस्थान भूमि अर्जन विधेयक व भूमि विधियां (संशोधन) विधेयक की अवस्थिति का स्पष्टीकरण आवश्यक

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं आपने कौनसा रखा है? पहले तो यह है, राजस्थान भूमि विधियां (संशोधन)।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): नहीं अध्यक्ष महोदय ने भूमि अर्जन विधेयक, 2014...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अर्जन वाला बोला है क्या आपने? नहीं, अर्जन वाले विधेयक पर मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं पहले मंत्रीजी से।

श्री अध्यक्ष: राजस्थान भूमि विधियां (संशोधन) विधेयक को पुर:स्थापित करने का प्रस्ताव किया है...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं अध्यक्ष महोदय, दो विधेयक हैं। एक मिनट, आप विराजें। एक है राजस्थान भूमि अर्जन विधेयक, 2014...

श्री अध्यक्ष: नहीं, वह भी है। नहीं, नहीं, यह भी है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं, एक मिनट सुनिये। हां, यह भी है, तो भूमि अर्जन वाला विधेयक रखा है, तो मैं उसके बारे में मंत्री महोदय से स्पष्टीकरण चाहता हूं। दो एक्ट हमारे पास हैं, एक है कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर राजस्थान अमैंडमेंट बिल, 2014 और दूसरा है राजस्थान भूमि अर्जन

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

विधेयक, 2014 । अध्यक्ष महोदय, दोनों केन्द्रीय कानून हैं। राजस्थान भूमि अर्जन का भी केन्द्रीय कानून है और क्रिमिनल कोड आफ प्रोसीजर में संशोधन का भी केन्द्रीय कानून है। आप यह राजस्थान भूमि अर्जन विधेयक, 2014 जो पेश कर रहे हैं, वह स्वतंत्र विधेयक है या भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी, 2014 को पारित केन्द्रीय विधेयक में संशोधन है, यह आपकी इस बात से स्पष्ट नहीं है। अगर यह केन्द्रीय कानून में संशोधन है तो आपको इसमें लिखना पड़ेगा, राजस्थान भूमि अर्जन विधेयक, 2014 (राजस्थान संशोधन)। अगर यह उसमें संशोधन नहीं है, आपका यह विधेयक है तो उसमें व्यवस्था का प्रश्न यह उठता है कि केन्द्रीय कानून में आप नया कानून खुद का लाकर नया संशोधन लाएं, उसके खिलाफ कानून नहीं बना सकते। इसलिए आप कृपया यह बताएं कि अगर उसमें संशोधन है, अब उसमें संशोधन अगर है तो आपको इस एक्ट में वो सैक्शंस देने थे जिनमें आप संशोधन कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि राजस्थान भूमि अर्जन कानून जो आपका है, अध्यक्ष महोदय, यह स्पष्टीकरण बहुत आवश्यक है। अगर यह केन्द्रीय कानून में संशोधन है तो यह केन्द्रीय कानून में संशोधन है, यह आना चाहिए था और इसके साथ-साथ संशोधन जिन-जिन धाराओं में अपन कर रहे हैं, वो इसके अन्तर्गत आने चाहिए थे। अगर यह उनमें संशोधन नहीं है, स्वतंत्र बिल है तो फिर व्यवस्था का प्रश्न यह बनता है कि क्या राजस्थान सरकार भारत सरकार ने जो दस साल की मेहनत के बाद में एक बिल सम्पूर्ण देश के किसानों के लिए लागू किया, उसको सुपरसीड करने का बिल हम राजस्थान की विधान सभा में ला सकते हैं क्या? यह महत्वपूर्ण बिन्दु है, अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं चाहूंगा कि कार्य सलाहकार समिति में इस पर विचार-विमर्श के बाद में या मंत्रीजी स्पष्ट कर दें तो उसके हिसाब से हम मान लेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान भूमि अर्जन विधेयक, 2014, यह पूरा काम्प्रीहेंसिव एक ला है। यह राजस्थान के अन्दर जो केन्द्रीय कानून बना, जिसको 1 जनवरी, 2014 से लागू किया, उससे बेहतर हम किसानों से भूमि लेने के बदले उनको उचित मुआवजा दें और अधिक उसमें प्रावधान करें, इस मंशा के साथ यह विधेयक लाया गया है। इसको मंत्रिमण्डल ने पारित किया है। अध्यक्ष महोदय, हम इसको पारण करने के पश्चात् महामहिम राष्ट्रपति महोदय के पास असेन्ट के लिए भेजेंगे।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

संविधान में इस प्रकार का प्रावधान भी है। इसलिए राजस्थान भूमि अर्जन विधेयक अपने आप में काम्प्रीहैंसिव अलग से ला है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: नहीं-नहीं, आप विराजिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नो-नो, आई एम टू से। एक मिनट सुन लीजिए। प्लीज-प्लीज, अध्यक्ष महोदय, आपके निर्णय के बाद में....

श्री अध्यक्ष: मैं इसमें स्पष्ट कर देता हूं कि "This is conventional for the House that when a Bill is introduced for the first Stage it is ordinarily allowed and when the stage of discussion on the principles comes, the Hon'ble Members of the House have full liberty to discuss them to raise any objection." कोई आब्जेक्शन नहीं किया जा सकता, यह एक रूलिंग है

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैं इसका आब्जेक्शन नहीं कर रहा हूं। मैं इसका विरोध कर ही नहीं रहा हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अध्यक्ष महोदय, कान्स्टीट्यूशन का वायलेशन है यह तो। अध्यक्ष महोदय, प्रिंसिपल्स के ऊपर चर्चा हो सकती है लेकिन जो माननीय सांगानेर से आने वाले सदस्य कह रहे हैं, यह कानून का एक बड़ा संवैधानिक प्रश्न इन्होंने यहां खड़ा किया है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): एक मिनट, विराजें, साहब। मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं। मैं मानता हूं कि इस समय पर कोई विरोध नहीं किया जा सकता। यह जो उद्देश्य और कारण लिखे हैं और जो मंत्रीजी बता रहे हैं, दोनों में डिफरेंस है। मंत्रीजी ने उद्देश्यों और कारणों का वर्णन करते समय भारत सरकार के कानून का वर्णन किया है कि भारत सरकार ने जो कानून रखा है उस कानून में हम संशोधन कर रहे हैं। इसलिए भारत सरकार के कानून में अगर आप संशोधन करते हो तब तो आपको इसमें संशोधन करना पड़ेगा और वो सैक्शंस लिखने पड़ेंगे जिनमें आप संशोधन कर रहे हो और उसके अलावा लिखने पड़ेंगे। और अगर आप कानून इंडिपेंडेंट ला रहे हो तो, माननीय मंत्री महोदय, उस कानून को आप ला सकते हो या नहीं ला सकते हो, यह कान्स्टीट्यूशनल मैटर है। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रथम स्टेज पर विरोध नहीं कर रहा हूं। मैं पुरःस्थापित करने का विरोध नहीं कर रहा हूं। मैं कान्स्टीट्यूशनल स्थिति क्लियर करना चाहता हूं सरकार से ताकि हम उस पर विचार कर सकें।

श्री अध्यक्ष: अपन जिस समय विचार करेंगे, इस पर विचार कर लेंगे। यह अभी इण्ट्रोड्यूसिंग स्टेज है। राजस्थान भूमि अर्जन विधेयक, 2014 को भी इण्ट्रोड्यूस कीजिए।

विधायी कार्य : विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान भूमि अर्जन विधेयक, 2014

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान भूमि अर्जन विधेयक, 2014 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान भूमि अर्जन विधेयक, 2014 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री, विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान भूमि अर्जन विधेयक, 2014 को पुर:स्थापित करता हूं।

राजस्थान भूमि विधियां (संशोधन) विधेयक, 2014

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान भूमि विधियां (संशोधन) विधेयक, 2014 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान भूमि विधियां (संशोधन) विधेयक, 2014 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री, विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान भूमि विधियां (संशोधन) विधेयक, 2014 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014, श्री गुलाब चन्द कटारिया।

दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: संविधान संशोधन के अनुसमर्थन हेतु संकल्प। मैं माननीय सभी सदस्यगण से एक निवेदन करना चाहता हूं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन है जो कि देश के संविधान में हो रहा है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): एक मिनट, अध्यक्ष महोदय, मैं पुर:स्थापित करता हूं, इसका रह गया था।

श्री अध्यक्ष: रह गया तो भूल-चूक लेनी देनी। आप कर दीजिए।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): दिनांक 17 सितम्बर, 2014 को विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई एवं विधेयक सदन में पुनर्स्थापित किया गया।

श्री अध्यक्ष: भूल-चूक लेनी देनी, सब जगह लिखा रहता है। माननीय राजाखेड़ा के विधायक, आप गाइड कीजिए इस मामले में।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अध्यक्ष जो करता है वही सही रहता है इस सदन के अन्दर।

श्री अध्यक्ष: मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह जो संविधान संशोधन हुआ है, यह हमारे संविधान के 62 साल के बाद हुआ है। 62 साल तक इस

(श्री अध्यक्ष)

देश में न्यायाधिपतियों की प्रक्रिया जो चली नियुक्तियों की, उसमें संशोधन है, यह बहुत महत्वपूर्ण संशोधन है। इस महत्वपूर्ण संशोधन पर हम सबको विचार करना है। लोक सभा की डिबेट्स भी आपके पास पहुंची, विधान सभा की डिबेट्स भी आपके पास पहुंची और इसलिए मैं आपको निवेदन कर रहा हूं कि यह तो केवल रेटिफाई, नोट रेटिफाई, उद्देश्य यही है। इसमें न तो आपका कोई संशोधन हो सकता है, न आपका किसी तरह का कोई वो हो सकता है। सिवाय इसके कि आप बहस करें और इस संविधान संशोधन विधेयक के बारे में आप सबको भी जानकारी हो जाए और आपके द्वारा सारे देश को, सारे राजस्थान को भी जानकारी हो जाए, यह एक उद्देश्य है। इसलिए मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि इस संशोधन विधेयक के बारे में बोलते समय आप इसी संशोधन की परिधि में अपने विचार रखें, उसके बाहर नहीं जाएं। मंत्रीजी, आप संकल्प प्रस्तुत कीजिए।

शासकीय संकल्प

संविधान (121वां संशोधन) विधेयक, 2014 का अनुसमर्थन

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित संकल्प प्रस्तुत करता हूं:-

‘‘यह सदन भारत के संविधान के अनुच्छेद-368 के खण्ड (2) के परन्तुक के खण्ड (ख) की परिधि के अन्तर्गत आने वाले संशोधन का, जो संसद के दोनों सदनों द्वारा यथा पारित संविधान (एक सौ इक्कीसवां संशोधन) विधेयक, 2014 द्वारा पारित किया जाना प्रस्तावित है, का अनुसमर्थन करता है।’’

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अध्यक्ष महोदय, मेरा एक छोटा-सा अनुरोध है। रेटिफाई करना या नहीं रेटिफाई करना, आपने जैसा कहा, इसका दायरा सीमित है। लेकिन जो पाइन्ट्स लोक सभा और राज्य सभा की डिबेट्स में उठाये गए हैं, वहां पर, तो क्या उनको भी हम यूज कर सकते हैं?

श्री अध्यक्ष: आप कर सकते हैं, उसी में से कोट करना पड़ेगा आपको।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): हां, वो तो एक ही है nothing unparliamentarily or nothing like that. मैं तो आपसे निवेदन कर रहा हूं। दूसरी बात, क्या यह परम्परा है इस सदन की, जो माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

करेंगे, या तो यहां रिकार्ड में रहेंगे, उनके जो भी महत्वपूर्ण अंश आएं, बहुत विद्वान सदस्य हैं यहां पर, कोई अच्छे सुझाव दे सकते हैं, तो क्या आप उनको भारत सरकार के ला मंत्रालय को भिजवाने की व्यवस्था करेंगे, माननीय अध्यक्ष महोदय?

श्री अध्यक्ष: ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): ऐसी कोई परम्परा नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): जाएगी। सारी जाएगी। सारी जाती है।

श्री अध्यक्ष: ऐसी कोई परम्परा नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): नहीं, माननीय सदस्य, आप पता लगा लें। अगर आप इसको भिजवा सकें...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपने जो आब्जेक्ट किया है ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि यहां पर कोई सेलिएंट फीचर्स अगर आएं किसी भी माननीय सदस्य के वक्तव्य में, तो उनको दिल्ली भेजा जाए, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है यह आपसे निवेदन है। माननीय घनश्याम तिवाड़ी, अब आप बहस चालू कीजिये।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): हमको भी समय देंगे, साहब?

श्री अध्यक्ष: आपको समय देंगे। घनश्यामजी के बाद माननीय प्रद्युम्न सिंहजी बोलेंगे, उसके बाद किरोड़ी लालजी बोलेंगे और उसके बाद जो सूची है उसमें से समय लेते जाएंगे, लेकिन मर्यादा में और निश्चित समय में अपना वक्तव्य पूरा करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा का यह सौभाग्य है कि आज हम संविधान के 121वें संशोधन पर विचार कर रहे हैं। मैं सरकार को इस बात का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने राजस्थान की विधान सभा को पहली विधान सभा बनाया है, हिन्दुस्तान की लोक सभा और राज्य सभा दोनों में इस संविधान संशोधन के पारित होने के बाद में पहली कोई विधान सभा होगी तो राजस्थान की विधान सभा है, वो इसको पारित कर रही है। इसके लिए सरकार धन्यवाद की पात्र है। माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल सरकार ही नहीं, इस राजस्थान विधान सभा का एक गौरवमयी इतिहास रहा है। ऐसे बहुत से कानून हैं जो हमने हिन्दुस्तान में

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

सबसे पहले पारित किये इस विधान सभा में। अगर आपको स्मरण हो, माननीय अध्यक्ष महोदय, तो मैं बताना चाहूंगा कि 1952 में जब जागीरदारी उन्मूलन का बिल आया था तो जागीरदारी उन्मूलन का पहला बिल इस राजस्थान की विधान सभा में पारित हुआ। जागीरदारी उन्मूलन का प्रगतिशील कानून पारित करने का पहला श्रेय राजस्थान की विधान सभा को है। और, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी स्मरण कराना चाहूंगा कि उस समय की सिद्धांतबद्ध पार्टी भारतीय जनसंघ, जागीदारी उन्मूलन का समर्थन किया भारतीय जनसंघ ने, प्रस्ताव प्रस्तुत किया था कांग्रेस पार्टी ने। सरकार कांग्रेस की थी और हमारे 11 के 11 मैम्बर जो जीत कर आये थे...

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): आठ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आठ, अधिकांश मैम्बर जागीरदारों से थे। उन्होंने कहा कि हम जागीरदारी का समर्थन करने के लिए आये हैं। स्व. डा. श्यामाप्रसादा मुखर्जी ने कहा कि नहीं, हम जागीरदारी उन्मूलन के पक्ष में हैं। और हिन्दुस्तान के इतिहास में पहली घटना थी कि जागीरदारी का समर्थन करने के कारण से श्रीमान् स्व. भैरोंसिंहजी शेखावत और झाला साहब को छोड़कर बाकी सभी सदस्यों को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। उसी पार्टी के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदीजी ने भारत की लोक सभा में और राज्य सभा में न्याय मंत्री रवि शंकरजी ने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लोक सभा में जब यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, उसके पहले जो डिस्कशंस इस बिल पर हुए, वह हमारी लोकतांत्रिक समझ को और लोकतांत्रिक परिपक्तवता को दर्शाता है।

मैं आपको यहां पर आगे चलकर दो भाषणों का उल्लेख करूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने संविधान सभा की डिबेट्स को पूरा पढ़ा है और मैं माननीय सदस्यों को आग्रह करना चाहूंगा कि संविधान सभा की डिबेट्स को अगर आप पढ़ेंगे तो हमारे संविधान का प्रारूप आपको समझ में आ जाएगा। अगर संविधान सभा की पूरी डिबेट्स पढ़ने का समय माननीय सदस्यों के पास नहीं हो तो राज्य सभा टी.वी. ने दस एपीसोड बनाये हैं हमारी संविधान सभा की बहस पर। उसमें डा. राजेन्द्र प्रसाद, पण्डित जवाहर लाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गोविन्द वल्लभ पन्त, के. एम. मुंशी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जितने हमारे 75 मैम्बर थे, उन सारे मैम्बर्स के

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

पात्र बने हैं और एक-एक घंटे का एपीसोड दिया है। अगर हम उसको देख पाएंगे तो हमारे लिए बहुत बड़ा काम होगा।

लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, उसी डिबेट के अंश के रूप में इस बार जो काम हुआ, 26 राजनीतिक दलों के अध्यक्षों को माननीय श्री रविशंकरजी ने पत्र लिखा, उनको जवाब आया। सभी माननीय दल जो लोक सभा/ राज्य सभा में थे सारे के सारे दलों ने इसका समर्थन किया।

एक भी दल ऐसा नहीं था जिसने इस बिल का विरोध किया। और मैं कहना चाहूंगा कि पहली बार हिन्दुस्तान के संविधान संशोधनों में पहला संशोधन यह है कि जिस संशोधन को भारत के सभी राजनीतिक दलों का, केवल राजनीतिक दल ही नहीं जितने एमीनेंट लायर्स हैं उनका, जो कानून के जानकार हैं उनका और भारत के भूतपूर्व न्यायाधीशों का समर्थन प्राप्त है।

(13.26 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

यह राष्ट्रीय सहमति का विधेयक हमारी लोक सभा और उसमें पारित हुआ जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। यही नहीं, माननीय सभापति महोदय, हमने फिस्कल रेस्पोंसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, 2003 यहां पारित किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहला राज्य था राजस्थान। गोहत्या पर सम्पूर्ण प्रतिबंध लगाने का बिल भी हिन्दुस्तान में सबसे पहले पारित करने का श्रेय अगर प्राप्त हुआ तो राजस्थान की विधान सभा को प्राप्त हुआ। और सूचना का अधिकार 2005 का जो बिल आया वो भी राजस्थान की विधान सभा ने सर्वसम्मति से पारित किया है। ये दो बिल एक साथ आज हमारे सामने विचाराधीन हैं। एक केवल संविधान संशोधन है और दूसरा उससे जुड़ा हुआ न्यायिक नियुक्तियों का बिल है। उस बिल पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो बिल तो इसके साथ लगा हुआ है, लेकिन हम संविधान संशोधन का अनुसमर्थन करने पर यहां बहस कर रहे हैं। इस पवित्र सदन में हमें उन लोगों को नमन करना चाहिए, लोक सभा और विधान सभा ने नमन किया, कि जिन्होंने हमारे संविधान का निर्माण किया। हमारे संविधान का निर्माण करने वालों ने शक्तियों का विकेन्द्रीकरण किया। एक उदाहरण मैं आपको दूंगा, श्रीमान् भीमरावजी अम्बेडकर एक बार नाराज हो गये। नाराज होकर वो संविधान सभा के बाहर चले गये, दो दिन नहीं आये। सरदार वल्लभ भाई

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

पटेल उनको मनाने के लिए गये। उन्होंने कहा कि मैं नहीं आता, मेरा इस्तीफा ले जाओ। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनका इस्तीफा वहीं फाड़ कर कहा कि अम्बेडकर साहब कांग्रेस पार्टी भी नहीं इस हिन्दुस्तान में कोई दूसरा आदमी नहीं है जो इस संविधान की प्रक्रिया को लिख सके और कर सके, इसलिए मैं आपका इस्तीफा कभी स्वीकार कर ही नहीं सकता। वो उनको वहां पर लाये बुलाकर। बुलाकर लाने के बाद में बाबा साहेब अम्बेडकर ने बात कही थी वो बहुत महत्वपूर्ण बात थी, उन्होंने कहा कि हम सारे अधिकार राष्ट्रपति को नहीं दे सकते। हम सारे अधिकार प्रधान मंत्री को नहीं दे सकते। हम सारे अधिकार भारत के मुख्य न्यायाधीश को नहीं दे सकते। क्योंकि सब में मानवीय दुर्गुण हैं और मानवीय कमजोरियां हो सकती हैं। इसलिए संविधान में बैलेंस बनाने के लिए उन्होंने जो काम किया, वो ये किया, एक्जीक्यूटिव, जुडीशियरी और राष्ट्रपति के द्वारा उनकी नियुक्ति। बहुत सोच समझ कर हमारी संविधान सभा ने इस काम को कायम किया था। लेकिन, माननीय सभापति महोदय, कुछ बातों में परिवर्तन आया। आज ये बिल बीस साल बाद आ रहा है, बीस साल बाद। बीस साल बाद आ रहा है, यह हमारा दुर्भाग्य है। लेकिन बीस साल बाद आना हमारा सौभाग्य भी है। आज इस बिल की सबसे बड़ी आवश्यकता थी। यह बिल हमारे पास है, संविधान संशोधन का जो है, और हम इसको कर रहे हैं।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा संविधान की मूल भावना को हम समझें तो हमको यह समझना पड़ेगा कि यह बिल यहां पर क्यों आया। यह पार्लियामेंट में पास हो गया, 367 से पास हो गया। लेकिन, माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए मैं कुछ कहना चाहूंगा कि कुछ, और संविधान में इसकी व्याख्या की गई है कि कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जिन अनुच्छेदों में संशोधन होने पर राज्य की आधी से अधिक विधान सभाओं में उसको पारित कराना पड़ता है। इसलिए आज हमारे सामने है। आर्टिकल 368 के अन्तर्गत यह संविधान संशोधन होता है और आर्टिकल 368 में मैं पढ़ दूं आपकी आज्ञा हो तो, माननीय सभापति महोदय, उसमें बहुत साफ लिखा हुआ है, ''Notwithstanding anything in this Constitution, Parliament may in exercise of its constituent power amend by way of addition, variation or repeal any provision of this Constitution in accordance with the procedure laid down in this Article. ''

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

और उसके नीचे फिर लिखा है प्रोविजो में आर्टिकल 54, आर्टिकल 55, आर्टिकल 73, आर्टिकल 162 और आर्टिकल 241 और चैप्टर 4 और चैप्टर 5 और उनका अंग, इसमें समवर्ती सूची, राज्य सूची, केन्द्र सूची, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, इनमें से अगर कोई संशोधन होता है तो उस संशोधन को लोक सभा और राज्य सभा के अलावा हिन्दुस्तान की आधी विधान सभाओं में पारित करना पड़ता है। इसलिए यह संशोधन हमारे सामने आया है, क्योंकि यह अनुच्छेद 102, और सर्वोच्च, उच्च न्यायालय हैं 241 के अन्तर्गत, उसमें संशोधन है। सभापति महोदय, यह जो संशोधन है इस संशोधन के कारण से हमको इस पर विचार करना पड़ता है।

हम विचार करते हैं, इसमें चार बार प्रयत्न किये गये। लोक सभा में न्यायाधीशों के सम्बन्ध में संविधान संशोधन लाने के लिए चार बार प्रयास किये गये हैं और 6 रिपोर्टस आई हैं, उसके बावजूद भी संशोधन नहीं हो सका। 67वां बिल के नाम से 1990 में लोक सभा में पेश हुआ लेकिन वह पारित नहीं हुआ। 42वें बिल के नाम से 1997 में पेश हुआ लेकिन फिर भी पारित नहीं हुआ। 98 में हुआ, बिल के नाम से 2003 में पेश हुआ, फिर भी पारित नहीं हुआ। 120वें बिल के नाम से 2013 में पेश हुआ, फिर भी पारित नहीं हुआ। 6 प्रमुख रिपोर्टस आईं। संविधान में संशोधन लाने के लिए 6 रिपोर्टस आईं। पहली रिपोर्ट वेंकट चेलैया कमीशन की 2003 में आयी। माननीय सभापति महोदय, प्रशासनिक सुधार आयोग की आपको जानकारी है कि पहला प्रशासनिक सुधार आयोग स्वर्गीय श्री मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में बना था। दूसरा प्रशासनिक संविधान में संशोधन करने का आयोग श्री वेंकट चेलैया की अध्यक्षता में अटल बिहारीजी वाजपेयी के टाइम बनाया गया। मंत्रिमण्डल की संख्या पहले बहुत ज्यादा होती थी। मुख्यमंत्री की इच्छा पर था, 40 बना लें, 45 बना लें, 50 बना लें। एक राज्य में तो यह स्थिति आ गई थी कि एक मुख्यमंत्री और 15 उप मुख्यमंत्री। जैसे आजकल हमारी ब्यूरोक्रेसी में हो गया है, एक चीफ सैक्रेटरी और 33 अतिरिक्त मुख्य सचिव। कलक्टर तो 30 और अतिरिक्त मुख्य सचिव 32 । एसपी तो 12, जितने जिले उतने एसपी और एडीजी और डीजी मिलाकर संख्या उनसे ज्यादा। क्योंकि इन्होंने अपने नियम में एक प्रावधान ही कर लिया कि एक जनवरी जिस दिन आएगी, दो साल पूरे होंगे और हमारा प्रमोशन हो जाएगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): यह राजस्थान में ही है टाइम बाउण्ड प्रमोशन। बंगाल में नहीं है। बंगाल में तो हालत यह है कि दस वर्ष से पहले किसी आईपीएस से कोई जिला नहीं लिया जाता, सभापति महोदय।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैं इसका रेफरेंस इसलिए ला रहा हूं, यह बिल इसलिए आया कि जजेज ने फैसला करके खुद ही जज बनाने का फैसला तय कर लिया था। उसी प्रकार आई.ए.एस. ने भी अपना खुद का फैसला खुद ही तय कर लिया। 120 कानून बना दिये और सर्विसेज के लिए, लेकिन खुद के प्रमोशन की न तो कोई डीपीसी है, न कोई और है। 01 जनवरी जैसे ही हुई, दो वर्ष हुए और उनका प्रमोशन हो जाएगा। अब हमारे तो अतिरिक्त मुख्य सचिव ही ज्यादा है। आप थोड़े दिनों में देखेंगे कि राजस्थान में कोई सैक्रेटरी नहीं होगा, सबके सब अतिरिक्त मुख्य सचिव ही होंगे। अधिकांश डी.जी. होंगे। सभापति महोदय, अतिरिक्त मुख्य सचिव और मुख्य सचिव की हालत क्या है, एक मेरे पास बड़ा रोचक प्रश्न है। मैं प्रसंगवश बता रहा हूं, मैं उसका उल्लेख नहीं करना चाहता था लेकिन बताऊं कि स्थिति क्या हो गई है। कि न्यायपालिका में जो संशोधन हुआ है, वैसा संशोधन कार्यपालिका में भी करने की आवश्यकता है। एक हमारे बहुत बड़े सचिव हैं, सबसे बड़े सचिव हैं। वह दिल्ली से जयपुर आये, उनका हवाई जहाज का बिल था, हवाई जहाज के बिल सरकार को देने ही हैं। उन्होंने जब टिकट बनाई तो हवाई जहाज का बिल खरीदने के बजाए, टिकट को, सर्विस चार्ज जो होते है, ट्रेवलिंग एजेंसी, उससे उन्होंने वह बिल बना लिया, टिकट आ गई। वह बिल पास होने के लिए गया तो अकाउण्ट्स वालों ने बिल के 13 हजार रुपये तो पास कर दिये, लेकिन 112 रुपये जो सर्विस चार्ज के थे वे पास नहीं किये। वे पास नहीं किये तो चीफ सैक्रेटरी ने पत्र लिख दिया कि सर्विस चार्ज के 112 रुपये मुझे दिये जाएं। उस 112 के रिलैक्सेशन के लिए फाइल चली और उसकी 20 मीटिंग हुई। मीटिंग होने के बाद 112 रुपये के बिल के रिलैक्सेशन की फाइल फाइनेंस सैक्रेटरी से पास होकर चीफ मिनिस्टर के पास गई और चीफ मिनिस्टर ने उसको रिलैक्स किया, उसके बाद 112 रुपये का भुगतान हमारे चीफ सैक्रेटरी साहब को हुआ। तो यह जो प्रक्रिया है, मैं नहीं कहता कि उन्होंने 112 रुपये क्यों ले लिये। ले लिये, उनका अधिकार बनता होगा, पैसे लिए होंगे। लेकिन कानून की प्रक्रिया को जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी ने उलझाया है, उसी प्रकार से जुडीशियरी भी उलझा रही है। जुडीशियरी को यह अधिकार किसी ने नहीं दिया था कि अपने जज वे स्वयं नियुक्त करें। लेकिन फर्स्ट जज केस,

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

सैकण्ड जजेज केस और थर्ड जजेज केस, तीनों का निर्णय करके उन्होंने स्वयं अपना अपाइंटमेंट करना शुरू कर दिया। भारत दुनिया का पहला राष्ट्र बन गया जिसमें जज स्वयं ही अपने आपको नियुक्त करते थे। दुनिया का कोई कन्ट्री ऐसा नहीं है। डैमोक्रेटिक कंट्री में कोई कंट्री नहीं है जिसमें जज खुद ही अपनी नियुक्ति करें। हमारे यहां यह तय कर लिया कि जज ही अपनी नियुक्ति करेंगे। अपना सारा काम वे ही तय करेंगे। इसलिए संशोधन का यह बिल लाना पड़ा।

मैं यह कहना चाहूंगा, मैंने जो चर्चा की वह इसलिए की कि हमारे जो तीन अंग हैं- विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, जिस प्रकार से न्यायालय का ढांचा आज हमारे सामने खड़ा है, न्यूयार्क टाइम्स ने लिखा है कि हिन्दुस्तान का न्यायिक ढांचा आज स्टैण्डस्टिल हो गया, चल नहीं रहा है। क्यों नहीं चल रहा है? 55 हजार केस सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन हैं। 60 लाख केस अधीनस्थ न्यायालयों में विचाराधीन हैं। 300 जजों की वेकेंसी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में है। 4000 जजों की वेकेंसी अधीनस्थ न्यायालयों में है। आज जो मुकदमे चल रहे हैं, वे इसी रफ्तार से चलते गए तो 323 वर्ष में इनका फैसला होगा। बाप मुकदमा दायर करेगा, बेटा मुकदमा लड़ेगा और पोता उसका जजमेंट सुनेगा, पड़पोता। सूर्यकान्ताजी व्यास को यह सौभाग्य मिल रहा है, उनके पड़पोता हो गया है, तो उनका पड़पोता शायद उनके केस को सुन ले। तो यह जो हमारी न्यायिक प्रक्रिया हो गई है…

श्री सभापति: इसमें तो जस्टिस अय्यर की एक बहुत अच्छी टिप्पणी भी है कि "In case you decide to go to the court of law, also set a will that who is going to succeed."

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): इसलिए कि अब जस्टिस अय्यर जैसे जज अब नहीं हो रहे हैं, साहब।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): 323 साल में तो 10 वीं, 15वीं पीढ़ी आ जाएगी, साहब।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आएगी, इसीलिए बिल आया है कि इसको ठीक किया जाए। सभापति महोदय, उसी प्रकार के तीन बिल और पैंडिंग हैं। वे भी दस साल से पैंडिंग है। एक पैंडिंग जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं,

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

विधायिका का है। विधायिका के बारे में दस साल से संसदीय मंत्रालय, भारत सरकार के पास एक बिल पैंडिंग है कि हम जिस विधान सभा में बैठते हैं उसकी कितनी सिटिंग होनी चाहिए, उसमें कितनी बहस होनी चाहिए, उसके चेयरपर्सन की किस प्रकार से सुरक्षा होनी चाहिए। यह भारतवर्ष के सभी स्पीकर्स की, कान्फ्रेंस में पास हुआ और सभी पार्टियों के सहमत होने के बाद में भी वह बिल पड़ा हुआ है। पार्लियामेंट में दस साल से पड़ा है। आप देखिये कि जो विधान सभाएं आज न्यायपालिका, जजों को ठीक करने के लिए बिल ला रही हैं, उनकी खुद की सेहत ही खराब हो रही है। आज सबसे बड़ा संसदीय कार्य मंत्री उसको माना जाता है जो जाकर मुख्य मंत्री को यह सूचना दे दें कि मैंने आठ दिन में काम सलटा दिया है, मुख्य मंत्रीजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): वह मैं नहीं हूं। यह मेरी तरफ देखकर बड़े कटाक्ष से मुस्कुराए और फिर जाकर यह बात कही।

श्री सभापति: आप इसकी पुष्टि कर दें, यह है या नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): बात यह है, मैं क्यों बताऊं, किसकी दाढ़ी में तिनका है। माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस पार्टी का पिछला शासन काल था, हमारा था, या उसके पहले था, किसी एक का दोष नहीं है। धीरे-धीरे हम जिस पेड़ पर बैठे हैं उस पेड़ के सान्य को काट रहे हैं। हमारा अस्तित्व जब है कि हम सारे नियम, कानून, कायदों का पालन करें। हमारा अगर अस्तित्व नहीं है तो यह काम नहीं होगा। मैं खेतसिंहजी राठौड़ से देख रहा हूं, जब वह संसदीय कार्य मंत्री हुआ करते थे। तब से लगातार एक-एक करके धीरे -धीरे विधान सभाओं की संख्या सीमित करके अब तो हमने कर दिया कि आठ दिन डिमाण्ड्स के, एक दिन एप्रोप्रिएशन का, एक दिन फाइनेंस बिल का, चार दिन बजट पर जनरल डिबेट का, चार दिन राज्यपाल के अभिभाषण के बहस का। यह हो गयी है। विधान सभा बजट सभा हो गयी। विधान सभा में हम उन नियमों को, कानून-कायदों को किसी प्रकार से लागू नहीं कर पाये। इसलिये जो विधान सभा में संशोधन का बिल है, उस बिल की भी आवश्यकता है। इसलिये जो ब्यूरोक्रेसी के सैट-अप में चेंज करने का बिल है। उस बिल की भी आवश्यकता है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हिन्दुस्तान के सभी राजनीतिक दलों और उनके नेताओं को कि उन्होंने एक बहुत बड़ा काम करके, सर्वसम्मति से 367 मत लेकर लोक सभा और राज्य सभा में इसको पारित

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

किया। जितने माननीय सदस्य बोले, उनमें दो के भाषण की बहुत प्रशंसा की। एक भाषण था रविशंकरजी का और एक भाषण था वीरप्पा मोइलीजी का। हमारी जो पुस्तक है, जिसने लोक सभा की डिबेट पढ़ी होगी, इन दोनों, महापुरुष बोलूंगा मैं आज, इनका भाषण अगर पढ़ा होगा तो मैं उनके प्रति बहुत ही श्रद्धा व्यक्त करता हूं, नमन करता हूं उन दोनों को, जिस प्रकार का भाषण वीरप्पा मोइलीजी का है और जिस प्रकार का भाषण रवि शंकरजी का है, वह हमारे विधायकों के लिये एक मार्गदर्शक जैसा है। कई बार जब हम चर्चा करते हैं तो अपने आपको सीमित कर लेते हैं। हम सीमित नहीं करते। अब कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के नेताओं के बारे में तो जानते ही होंगे। रविशंकरजी के बारे में तो हम जानते हैं, 15 बरस से वे मैम्बर हैं और उन्होंने बहुत करके 26 पार्टियों के अध्यक्षों को पत्र लिखा, उनसे बात की। सब नेताओं ने सहमति दी। सब नेताओं ने उनको धन्यवाद दिया। वीरप्पा मोइली भी हिन्दुस्तान के पार्लियामैंट्री इतिहास में एक ऐसा नाम है जो याद रखा जाएगा। वैसे कांग्रेस वाले कांग्रेस पार्टी की बड़ी वो करते हैं, लेकिन इनको जानकारी नहीं है। अगर आप जानकारी रखते हो तो बता दो कि वीरप्पा मोइलीजी की सबसे बड़ी बात क्या है।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप ही बताओ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैं तो बताऊंगा ही।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आप ही बताएं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): देखिये, वीरप्पा मोइलीजी ऐसे आदमी हैं जो भारत के ला मंत्री भी रहे, चीफ मिनिस्टर भी रहे, मंत्री भी रहे। उन्होंने सबसे पहले...

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मैं बोला था।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, बोला था। उन्होंने ला में अपनी प्रैक्टिस कर्नाटक में चालू की। उन्होंने लिखा है कि जब मैं प्रैक्टिस करने गया तो एक आदमी सबसे पहले कोर्ट में कुर्सी पर आकर बैठता था और सबके बाद उठकर जाता था। तो मैंने एक दिन पूछा, महाराज, आप आकर बैठ जाते हो, चले जाते हो, करते क्या हो। उसने कहा, साहब, मैं गोल्ड मैडलिस्ट हूं, लेकिन मेरे पास कोई केस नहीं आता है, ब्रीफलैस लायर हूं। तो उन्होंने कहा कि जैसे ब्रीफलैस लायर थे, ऐसे ब्रीफलैस लायर हिन्दुस्तान की न्यायपालिका में जज

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

बन गये। यह वीरप्पा मोइलीजी ने इसमें कहा है। साथ-साथ मैं वीरप्पा मोइली की एक और बात बताता हूं। जैसे हिन्दी में रामचरितमानस लिखी हुई है, वैसे कन्नड़ में वीरप्पा मोइली ने एक रामायण लिखी है जिसके सात खण्ड हैं और उस रामायण का विमोचन तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्य मंत्री करुणानिधि ने किया। उन्होंने लिखा कि मैंने राम के किसी भी साहित्य का कभी विमोचन नहीं किया। लेकिन आज मैं पहली बार, क्योंकि वीरप्पा मोइली ने लिखा है, इसलिये मैं उनके राम के साहित्य का विमोचन कर रहा हूं। वह रामायण ऐसी पढ़ी जाती है कर्नाटक में, जैसे हमारे यहां रामचरितमानस पढ़ी जाती है। तो इस स्टेचर के लोग कांग्रेस में भी हैं, प्रद्युम्न सिंहजी। राम के भक्त केवल हम ही नहीं हैं, थोड़ा बहुत राम आप में भी है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): हम में तो राम है, आप में तो राम निकल रहा है।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): मंदिर में ताले ही इन्होंने खुलवाये थे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): तो उनका भाषण पढ़ने लायक है इसमें।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मैंने पढ़ा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): लेकिन आपको यह भी पता होगा कि नहीं होगा, आप श्रीमती इंदिरा गांधी की बहुत प्रशंसा करते हैं, मैं भी करता हूं, उनकी एक पुस्तक है, उन्होंने जीवन में एक बहुत बढ़िया पुस्तक लिखी। आप में से किसी को नाम ध्यान है। अगर मैं कांग्रेस की टिकट देने आऊं तो आप सबकी टिकट काट दूं। श्रीमती इन्दिरा गांधीजी ने एक पुस्तक लिखी है, 'Eternal India', बहुत बड़ी पुस्तक है, बहुत अच्छी पुस्तक है और सारे धार्मिक और आध्यात्मिक भारत का उसमें वर्णन है। वह आथेंटिक इसलिये है कि उसकी छपाई इटली में हुई है, भारत में नहीं हुई। वह पुस्तक है मेरे पास। तो कांग्रेस में भी कुछ धार्मिक प्रवृत्ति के, कुछ राम को मानने वाले लोग अभी बचे हुए हैं। पर मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी उनके रास्ते पर चलेगी, जैसे इस बिल में चली है।

सभापति महोदय, 20 वर्षों के बाद यह बिल हुआ है। जजों की नियुक्ति के समय डाक्टर अम्बेडकरजी ने एक बहुत बढ़िया बात कही थी। 16 मई, 1951

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

को संविधान अंगीकार करने के बाद पहले ही संविधान संशोधन पर बोलते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरूजी ने बात कही थी, वह मैं यहां कोट करना चाहता हूं 'हमने भव्य संविधान बनाया, लेकिन कुछ लोगों ने उसको अगवा कर लिया और हम सर्वोच्च न्यायालय को संसद का तीसरा सदन नहीं बनने देंगे'। कम से कम उस समय तो जजों पर कदाचार के आरोप नहीं लगे थे। वे सारे के सारे जज उस समय नियुक्त होते थे कंसल्टेशन के आधार पर। कभी चार्ज नहीं लगे। बहुत बड़े-बड़े जज उस समय पैदा हुए। साठ से सत्तर के दशक में अधिकांश मामलों में, 3272 फैसले देश की बड़ी अदालत में हुए हैं, उसमें 487 में किसी न किसी कारण से चुनौती दी गई और 128 फैसलों में सर्वोच्च न्यायालय ने कानून को असंवैधानिक डिक्लेयर किया। वही जजेज थे जो एक्जीक्यूटिव के द्वारा चुनकर आते थे, जो राष्ट्रपति के द्वारा चुनकर आते थे। बाद में जब जजों के द्वारा जज बने जाने लगे तो जितनी ज्यादा आलोचना जजों ने की, हमने नहीं की। कौन नहीं जानता मोहम्मद भाई करीम छागला को। आप लोग जानते हैं, मोहम्मद भाई करीम छागला?

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): एम.सी. छागला।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): एम.सी. छागला क्या थे? भारत के विदेश मंत्री भी थे, भारत के शिक्षा मंत्री भी थे और सुप्रीम कोर्ट में नहीं आने दिया उनको। 11 साल तक बम्बई के हाई-कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे। लेकिन ईमानदार आदमी थे और इतने बढ़िया जज थे। लेकिन उनको सुप्रीम कोर्ट में नहीं आने दिया। जी.पी. सिंहजी को सुप्रीम कोर्ट में नहीं आने दिया। एच.आर. खन्ना जैसे जज हुए हैं जो, जबलपुर के एस.डी.एम. के फैसले के बारे में जब सर्वोच्च न्यायालय में फैसला लिखा तो न्यूयार्क टाइम्स में लिखा गया कि भारत की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर यदि किताब लिखी जाएगी तो एच.आर. खन्ना का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। यह उस समय जज पैदा हुए थे, यह मैं कहना चाहता हूं।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): आपातकाल में किया था।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, किया था। आपातकाल में लड़ने वाले जानते हैं, भाई। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो हमारा मामला है, इसका, जब संविधान सभा बनी तो यह चर्चा हुई। क्या राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करें? क्या राष्ट्रपतिजी को कार्यपालिका की सलाह पर जजों की

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

नियुक्ति करनी चाहिए? क्या राष्ट्रपतिजी को मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर नियुक्ति करनी चाहिए। अम्बेडकरजी ने जो शब्द कहे, मैं उनको कोट कर रहा हूं, संविधान सभा में, ''न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए तथा मुख्य न्यायाधीश को महत्व दिया जाना चाहिए, साथ ही कार्यपालिका की भी कुछ कहने की स्थिति होनी चाहिए''। इस प्रकार धारा 124 सर्वोच्च न्यायालय के लिये और आर्टिकल 217 उच्च न्यायालय के लिये, न्यायपालिका और कार्यपालिका का बैलेंस उन्होंने बनाकर चलाया। उन्होंने इस बात को, सारी उस समय की बात में उन्होंने कही, डाक्टर अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और डाक्टर राजेन्द्र प्रसादजी को भी नमन करना चाहिये। ये हमारे देश के महापुरुष हैं। डाक्टर अम्बेडकरजी और पटेलजी का मैंने उदाहरण आपको सुनाया। पंडित जवाहरलालजी नेहरू के बारे में आप जानते ही हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी एक ऐसे आदमी हुए हैं, जिन्होंने, जो इसके बीच में कड़ी का काम करते थे, संविधान सभा में।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): डा. राजेन्द्र प्रसादजी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, साहब। डा. राजेन्द्र प्रसादजी का मैंने बोला, साहब। वे तो अध्यक्ष ही थे उसके। आप सुनिये थोड़ा, आज ऊंचा सुनने लग गये हैं। डाक्टर राजेन्द्र प्रसादजी के बारे में तो उनके एक्जामिनर ने यह लिखा था कि यह लड़का मेरे से ज्यादा जानता है इसलिये मैं इसकी कापी की क्या जांच करूं। ये वे लोग थे। यह व्यवस्था हमारी जो उन्होंने बनायी थी, 1950 से 1993 तक चलती रही। सन् 1993 में सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय के बाद में कोलेजियम सिस्टम की शुरूआत की और इसका जजमेंट किया स्वर्गीय जे.एस. वर्माजी ने। खुद ने ही निर्णय कर लिया कि आज के बाद जजों को हम ही नियुक्त करेंगे, कोई दूसरा आदमी जज नियुक्त नहीं करेगा। सरकार के समक्ष चिन्ता की स्थिति सर्वोच्च न्यायालय के धारा 143 के अन्तर्गत एक रेफरेंस के सन्दर्भ में बनी, जिसे सैकण्ड जज जजमेंट के नाम से जाना जाता है। इसमें मुख्य न्यायाधीश के साथ दो जज के बजाय मुख्य न्यायाधीश के साथ चार जज जोड़ दिये। कोलेजियम व्यवस्था ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता के नाम पर ये नियम स्थापित कर दिये कि अब हम हमारा निर्णय खुद करेंगे, खुद ही बनाएंगे, खुद ही सारा काम करेंगे और किसी का लेन -देन नहीं होगा। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, संविधान सभा की उस प्रोसीडिंग, वह

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

मैं आपको बता देता हूं, कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता होनी चाहिए परन्तु संसद की पवित्रता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। सभी सांसद भारत की जनता के प्रतिनिधि हैं जो कि देश की भिन्नता को प्रतिनिधित्व करते हैं। सभी सांसद कार्यपालिका के उत्तरदायित्वों के लिए कहते हैं, वही जनता की चिंताओं को भी प्रतिबिंबित करते हैं अत: संसद की सर्वोच्चता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। यह हमारी संविधान सभा में पारित हुआ था। पांच साल बाद में फिर, माननीय सभापति महोदय, संविधान पीठ का निर्माण हुआ और संविधान पीठ ने जजों की नियुक्ति की सिफारिश की जिसमें भी मुख्य न्यायाधीश की सलाह को ही निर्णायक मान लिया गया। उन्होंने अपना फिर फैसला कर दिया। अब यह कोलेजियम जो व्यवस्था है, माननीय सभापति महोदय, केवल भारत में ही है। भारत पहला एक मात्र ऐसा देश बन गया जिसके जज स्वयं इसका निर्णय करते हैं। 85 ला कमीशन रिपोर्ट में यह कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद न्यायिक नियुक्ति की पहल कार्यपालिका की जिम्मेदारी नहीं रही तथा न्यायिक नियुक्तियां न्यायपालिका के डोमेन में आ गयीं, जबकि कानून मंत्री नियुक्ति में विलम्ब के लिए संसद में उत्तरदायी होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अपना अधिकार लिख लिया कि न्यायिक नियुक्तियों का उनका अधिकार है, केवल न्यायिक महत्ता के जरिए।

माननीय सभापति महोदय, संसद में प्रश्न पूछा जाता है कानून मंत्री से कि इतनी वेकेंसीज क्यों हैं, इतनी वेकेंसीज क्यों भरी गईं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया। कोई फर्स्ट जज के, सैकण्ड जज के, थर्ड जज के, हम नियुक्ति करेंगे। नियुक्ति में कार्यपालिका का कोई महत्व नहीं होता इसलिए कंट्रोवर्सीज पैदा हुईं। जजों की गुणवत्ता में कमी आ गयी। वी.आर. कृष्णा अय्यर जैसे जज पैदा हुए। एक उदाहरण देना चाहता हूं, आपको ध्यान होगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): कृष्णा अय्यर।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): कृष्णा अय्यर ही बोल रहा हूं। वी.आर. कृष्णा अय्यर बहुत बड़े जज थे। एच.आर. खन्ना थे। जस्टिस बी.आर. कृष्णा अय्यर का, गोखले साहब विधि मंत्री थे कांग्रेस में। श्रीमती इंदिरा गांधीजी का चुनाव इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया था, अपील उनके पास गयी थी। उन्होंने उनको लोक सभा में मतदान के अधिकार से वंचित कर दिया और गोखले साहब ने उनसे मिलने का समय मांगा। उन्होंने

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

कहा कि मैं फैसले से पहले आपको मिलने का समय नहीं दूंगा। और वे उन्हीं विधि मंत्री के द्वारा नियुक्त किए हुए थे। इसलिए कार्यपालिका द्वारा नियुक्त किए हुए आदमी कोई खराब ही होंगे, यह नहीं कहा जा सकता। जिन्होंने नियुक्त किया उनके ही खिलाफ फैसला किया। तो इस प्रकार के जज देने का हमको हक प्राप्त है।

देश के हमारे हिस्से में न्यायालयों की संख्या है, माननीय सभापति महोदय, पहला कांस्टीट्यूशन अमैंडमेंट का जो फैसला हुआ था उसमें विजया मुखर्जी, वी.एन. बोस, पातंजलि शास्त्री, एच.आर. दास ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज हुए हैं जो ऐतिहासिक जज रहे हैं। जिनके फैसलों को आज सारी दुनियाभर में जाना जाता है। लेकिन ज्यों ही कोलेजियम व्यवस्था आयी तो उसका पतन शुरू हो गया। जी.पी. सिंह, जबलपुर हाई कोर्ट में पांच साल तक उच्च न्यायालय के मुख्य जज रहे। उनको न्याय के इतिहास में ऋषि माना जाता था, ऋषि। इतने बढ़िया उनके जजमेंट हुए हैं। लेकिन वे सुप्रीम कोर्ट में नहीं आ सके क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश के कहने पर किसी को हाई कोर्ट का जज बनाने की रिकमंडेशन नहीं की।

कार्यपालिका का है तो सारा दोष है, मंत्रियों का सारा दोष है। एम.एल.एज. का सारा दोष है, सिफारिश करते हैं, सिफारिश करते हैं। हम भी सिफारिश करते हैं तो क्या काम करें? हम तो रोज पब्लिक से मिलते रहते हैं। लेकिन सिफारिश करने में हद तो आप करते हो, जितने बड़े-बड़े लोगों को उससे रोक दिया जाता है। तो रोके गये वे लोग। मैंने मोहम्मद अली करीम छागला का नाम लिया था, गोपनीयता के नाम पर, पारदर्शिता की उपेक्षा हो गयी। नियुक्तियों में पक्षपात और भाई-भतीजावाद आ गया। ऐतिहासिक निर्णय हुए है माननीय सभापति महोदय। भारतीय न्यायपालिका पर हम गर्व कर सकते हैं, केशवानन्द भारती का केस हुआ, हम सब जानते हैं कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में और बेसिक फीचर्स आफ द कांस्टीट्यूशन के बारे में जो केशवानन्द भारती का केस हुआ, आज दुनिया के इतिहास में अमर हो गया। आज हम चाह कर भी पार्लियामेंट को नहीं तोड़ सकते। सारी की सारी लोक सभा, राज्य सभा, विधान सभा पारित हो जाएं तो भी चुनाव को वे समाप्त नहीं कर सकतीं, बेसिक है। उन्होंने कहा कि एडल्ट फ्रैंचाइज हमारा, बेस मताधिकार, उनको आप खतम नहीं कर सकते। उन्होंने एक उदाहरण दिया, चर्चा हुई, कि साहब, लोक सभा और राज्य सभा सर्व-सम्मति से यह प्रस्ताव पास कर लें तो

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

फिर आप, सुप्रीम कोर्ट कौन होता है, उसको रोकने वाला? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोक सभा, राज्य सभा सारे एम.पीज. मिलकर यह प्रस्ताव पास कर लें कि हम जीएंगे तब तक तो हम रहेंगे और हम मर जाएंगे तो हमारा बेटा आ जाएगा, तो इस प्रकार का सर्वसम्मति से पास किया हुआ प्रस्ताव हम नहीं मानेंगे क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर आफ कांस्टीट्यूशन के खिलाफ है। यह जजमेंट भारत की न्यायपालिका में हुआ।

जगमोहन लाल सिंहजी का 1975 का जजमेंट जिसमें श्रीमती इंदिरा गांधीजी का चुनाव अवैध किया गया था, दुनिया जानती है। कृष्णा अय्यर का, गुजरात के मुख्य न्यायाधीश भट्टाचार्य की एक बहुत जबरदस्त बात थी, सारी दुनिया मानती है कि ये बहुत अच्छे जज थे लेकिन सुप्रीम कोर्ट में नहीं आ सके। क्यों नहीं आ सके? अल्तुमिश कबीर वहां एक फंक्शन में गये गुजरात में। उनको कहा कि उस फंक्शन में आना है। चीफ जस्टिस, गुजरात हाई कोर्ट उस फंक्शन में नहीं गये। इसलिए नहीं गये कि उसी, जिस संस्था में गये थे उस संस्था का केस उनके पास पैंडिंग था और उनको उसका निर्णय करना था। इसलिए वे नहीं गये और इसलिए उनको सुप्रीम कोर्ट का जज ही नहीं बनने दिया। यह कार्यपालिका ने तो नहीं किया, यह न्यायपालिका का ही काम था। जस्टिस काटजू रोज एक ब्लाग लिख रहे हैं, मार्कण्डेय काटजू न्यायपालिका पर। हम न्यायपालिका पर भ्रष्टाचार की बात देखें। हमने यहां राजस्थान के वकीलों की आंदोलन की बात नहीं कही, लेकिन जज लिख रहे हैं।

सर्वोच्च न्यायालय के तीन जजों पर शांतिभूषणजी ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। आरोप लगाया तो उनको कहा कि हमारे सामने पेश करो। उन्होंने आरोप लगाकर पेश कर दिया सुप्रीम कोर्ट में कि इन-इन लोगों ने बेइमानी करके फैसला दिया है और मेरे पर कंटेम्प्ट आफ कोर्ट किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे ड्यू प्रोसेस आफ ला में डाल दिया। 20 साल बाद में वह सुनने में आएगा तब तक शांतिभूषणजी रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो इस प्रकार का यह जो सारा काम है उन सब कामों को यह किया गया।

अब इसके बाद में संविधान का 124वां अनुच्छेद आया। इसके बारे में स्वर्गीय डा. भीम रावजी अम्बेडकर ने जो बात कही थी, वह जज बोल रहे हैं। उन्होंने संविधान सभा में कहा था कि जजों के अन्दर भी मानवोचित दुर्गुण हो

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

सकते हैं, लिहाजा नियुक्ति की पूरी जिम्मेदारी इन पर नहीं छोड़ी जा सकती। यह उन्होंने कहा था, इसमें आया हुआ है।

न्यायाधीशों के आचरण पर भी सवाल उठ रहे हैं। न्यायाधीशों पर कार्यवाही करने का कोई तंत्र नहीं है। कार्यवाही की बात छोड़ो, उनको छुट्टी पर भेजने का तंत्र भी नहीं है। कर्नाटक हाई कोर्ट के जज और फिर सिक्किम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हुए दिनकरनजी, उनका किस्सा तो आप जनते हैं कि उनको छुट्टी पर भी, उन जजों को हटाना तो दूर, उनको अवकाश पर भेजना भी सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए सम्भव नहीं है, इस प्रकार की व्यवस्था कर ली। उन्होंने जिस प्रकार का काम किया था, इन सब कारणों के कारण से यह संविधान संशोधन का बिल लाया गया है और इस संविधान संशोधन बिल को हमारे यहां सामने रखा गया। उस संविधान संशोधन बिल को पार्लियामेंट ने पारित किया। यह संविधान संशोधन बिल न्यायपालिका की निष्पक्षता को और अधिक बढ़ाने के लिए, न्यायपालिका को और अधिक स्वतंत्रता देने के लिए, जजों को और अधिक सम्मान मिले इसके लिए किया गया है। इसकी भी नियुक्ति कौन करेगा, उसके साथ जुडीशियल रेस्पांसिबिलिटी का बिल आया है। उसमें साफ लिखा है कि नियुक्ति कौन करेगा। कोलेजियम को हटाकर एक आयोग बनेगा। आयोग, कमीशन, उसके चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ही होंगे। उसमें सुप्रीम कोर्ट के दो वरिष्ठ जज भी शामिल हैं। उसमें भारत के ला मिनिस्टर होंगे। उसमें दो एमिनेंट व्यक्तियों की नियुक्ति होगी जिसकी अध्यक्षता भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ही करेंगे। भारत सरकार का प्रतिनिधि होगा और तीन लोग मिलकर उसकी नियुक्ति करेंगे।

(14.00 बजे)

उसमें एक एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी और महिलाओं में से होगा। ये सात लोग मिलकर एक निर्णय करेंगे कि ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज बनेंगे। यह जो निर्णय है, हां, छह लोग यह निर्णय करेंगे और इसमें दो लोग भी अगर विरोध कर देंगे तो वह नियुक्ति नहीं होगी। सर्वसम्मत सिफारिश, वह राष्ट्रपति के पास जाएगी और राष्ट्रपति महोदय उसको वापस भेज देंगे तो वह दुबारा उसको रिकंसीडरेशन करेगी। दुबारा अगर उसने भेज दिया तो फिर राष्ट्रपति को उनका वारंट जारी करना पड़ेगा। यह इतना बड़ा तंत्र विकसित किया है, इस तंत्र में न्यायपालिका को और अधिक अधिकार दे दिया गया। केवल इसमें

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

पारदर्शिता आ गयी है, इसमें एक्जीक्यूटिव की जिम्मेदारी आ गयी है कि वह किसी प्रकार से इसका हनन नहीं करे।

तो, सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यह जो मामला है, यह जो बिल है वह हिन्दुस्तान के इतिहास में एक ऐतिहासिक बिल है। राजस्थान की विधान सभा में सबसे पहले आया है, इसलिये हम इसका अनुसमर्थन करते हैं। यह हमारे लिये बड़े सौभाग्य की बात है। लेकिन, सभापति महोदय, इसके साथ-साथ अगर और नहीं आएंगे, जैसे मैंने कहा, विधायिका में संशोधन का बिल अगर पारित नहीं होगा, जैसे ब्यूरोक्रेसी के बारे में पारित नहीं होगा, तो हम हमारे कर्तव्यों और अधिकारों को पूरा नहीं कर पाएंगे। आज हमारे पास यह अवसर आया है, क्या भारत के किसी आदमी को न्याय प्राप्त करने का अधिकार नहीं है? केवल एक परसेंट आदमी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से जाकर अपना न्याय प्राप्त कर सकते हैं, एक प्रतिशत। 50 प्रतिशत तो सरकार के हैं और वे सर्विसेज के हैं। मेरे एक बात समझ में नहीं आई है कि 120 सर्विस के लिये राजस्थान में 120 प्रकार के सर्विस रूल्स हैं। बहुत सारी रिटें हाई कोर्ट में पड़ी रहती हैं। इसका प्रमोशन, उसका प्रमोशन। क्या जैसे आई.ए.एस. का होता है, क्या जैसे आई.पी.एस. का होता है, वैसे क्या आर.ए.एस. का, आर.पी.एस. का, और सरकारी कर्मचारी हैं, उनका नहीं हो सकता? हम इस ढांचे को बढ़ाकर कितना बड़ा करना चाहते हैं? यहां सोचने की बात है। इस बिल के माध्यम से हमें कहना चाहिये। राजस्थान में दो महीने तक स्ट्राइक चली। उन लोगों का क्या हुआ जो जेलों में पड़े रहे बिना कारण से, जिनकी सुनवाई नहीं हो पाई? इतनी बड़ी हड़ताल चल रही है, संवेदनशीलता के रूप में हम सब उसको देखते। हमारी न्यायपालिका पर जो एक प्रश्न चल रहा है, उसको सुधारने का राष्ट्रीय उपक्रम न केवल भारतीय जनता पार्टी ने, जैसा कि लोक सभा में कहा गया, स्वयं गुलामनबी आजादजी ने कहा कि हमारे पास स्ट्रेंथ उस समय नहीं थी, आपके पास आज इतनी बड़ी ताकत है, आप इसको पारित करा सकते हो, हम आपके साथ खड़े हैं। यह जो स्ट्रेंथ हमको लोक सभा में मिली है और जो ताकत हमको प्राप्त हुई है और जिसे सब दलों का समर्थन प्राप्त है, यह कदम अगर न्यायपालिकाओं के संरक्षण में होता तो, सभापति महोदय, यह एक ऐसा अवसर है जिसको हमको संविधान निर्माण करते समय दिया गया था। अगर संविधान निर्माण की बहस को देख लें और उस समय की परिस्थितियों को देखें, कैसी परिस्थितियों में वे काम कर

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

रहे थे। देश का विभाजन हो रहा था, खून की नदियां बह रही थीं, दंगे हो रहे थे, उस समय बैठकर हमारा संविधान बनाया जा रहा था। 395 आर्टिकल बनाये गये, 12 अनुसूचियां तैयार की गयीं, 22 उसके खण्ड बनाये गये और 121वां यह संविधान संशोधन है। वैसे तो यह 99वां होगा, क्योंकि 121 तो पेश हुए हैं, पारित 99 हुए हैं। इसलिये पारित होने में इसका 99वां नम्बर है, लेकिन पेश होने में यह 121वां है, इसलिये इसको 121वां संविधान संशोधन कहा जाएगा। यह संविधान संशोधन ज्यों ही हमारी इस विधान सभा से पारित होगा, मैं समझता हूं, हमारी न्यायपालिका की दिशा और न्यायपालिका की दशा, दोनों सुधरेंगी और लोगों को न्याय मिलेगा।

इसलिये आज हम सब मिलकर न्यायपालिका के लिये जो बिल आया है, इस बिल का अनुसमर्थन करें। इस प्रस्ताव का अनुसमर्थन करने के लिये है, इसका अनुसमर्थन करें। रेटीफिकेशन होने के बाद जब जाएगा और ऐसी अन्य विधान सभाओं में जाएगा तब यह संविधान संशोधन का रूप लेगा और तब जो वेकेंसीज हैं, उनके भरने का काम शुरू होगा। लेकिन मैं समझता हूं कि माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदीजी के नेतृत्व में इतनी जल्दी राष्ट्रीय कौंसिल और राष्ट्रीय सहमति बनाकर जो बिल पारित किया गया है, अपने आप में एक ऐतिहासिक काम है। मैं समझता हूं कि सभी राजनीतिक दलों के लोगों ने अपनी दलों की सीमाओं से ऊपर उठकर इसका जो समर्थन किया है, वह भी स्वागत योग्य है और एक ऐसी पहल है कि भारतीय राजनीति में प्रजातंत्र की सही समझ आएगी। प्रजातंत्र की सही समझ केवल वोट में और वोट की ताकत में, कम संख्या होना या अधिक संख्या होना संसदीय लोकतंत्र में कोई बड़ी बात नहीं। संख्याएं कम और अधिक होती रहती हैं, लेकिन सबकी सहमति होना बहुत बड़ी बात है। मायावतीजी की सहमति, मुलायम सिंहजी की सहमति, डी.एम.के. की सहमति, एडीएमके की सहमति, पासवानजी की सहमति, जितने जितने दल, यहां तक कि लालू यादवजी की और नितीश कुमारजी की, जो आपस में सब जगह लड़ते हैं, लेकिन इस बिल पर सब एक हैं, यह दर्शाता है कि राष्ट्रीय सहमति हम बहुत-से मुद्दों पर पैदा कर सकते हैं। राष्ट्रीय सहमति पैदा करने का एक बिल यहां प्रारम्भ हुआ है, मैं समझता हूं, इसमें एक वाक्य में साथ में समाप्त करता हूं–'न्यायार्थ पथ प्रविचलन्ति पदम न धीरा।' न्याय के पथ से जो धीर आदमी हों, इनको विचलित नहीं होना चाहिये। मृत्यु आज आए, या युगान्तर येवा, एक युग के बाद आए, लक्ष्मी आए या चली जाए,

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

लेकिन न्याय के पथ पर आदमी को कायम रहना चाहिये और संसदीय प्रजातंत्र जब ही कायम रहता है कि हम न्याय के पथ पर चलें। हम न्याय का पथ छोड़कर अन्याय के पथ पर चलेंगे तो कायम नहीं रहेगा। और मैं समझता हूं कि श्री रविशंकरजी और इसमें वीरप्पा मोइलीजी का बहुत योगदान है। पहले उन्होंने इसका सारा ढांचा बनाया था। एक तो इसमें उन्होंने कहा कि हमने उनको अडाप्ट कर लिया, कोई बात नहीं है। हम तो अडाप्ट कर लेते हैं। कांग्रेस पार्टी भी अडाप्ट करना सीख जाए तो बहुत बढ़िया बात होगी। मैं समझता हूं कि इस बिल को आज पास करने के बाद में राजस्थान के इस अनुसमर्थन करने के बाद में राजस्थान की विधान सभा का नाम उसी प्रकार स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा, जब से लिखा गया कि प्रगतिशील कानून बनाने में, जागीरदारी समाप्त करने में राजस्थान एक नम्बर पर रहा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बिल पर राजस्थान एक नम्बर पर रहा, आर.टी.आई. में राजस्थान एक नम्बर पर रहा। अब न्यायिक शुचिता के लिये जो कानून बना है, उसमें भी राजस्थान विधान सभा एक नम्बर रही है, यह आज प्रमाणित होगा। सभापति महोदय, आपने समय दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमान् प्रद्युम्न सिंहजी।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय सभापति महोदय, तिवाड़ीजी के विद्वतापूर्ण भाषण के बाद, मैं कोई आपकी मजाक के लिहाज से नहीं कह रहा हूं, आप यह सोचकर अन्यथा न लें, नहीं, बहुत अच्छा भाषण दिया और पार्टी लाइन से ऊपर उठकर यहां पर दिया। मुझे भी लोक सभा की प्रोसिडिंग्स पढ़ने का अवसर मिला और मैं स्वयं भारत के कानून मंत्री श्री रविशंकरजी की निश्चित रूप से सराहना करूंगा। अगर ले मैन भी उनके भाषण को पढ़े तो सारी चीज बिल्कुल क्लीयर उसके सामने आ जाएगी। सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत-से उद्धरण दिये, उनमें से वीरप्पा मोइलीजी का, मुझे वीरप्पा मोइली का भाषण पढ़ने को मिला, रविशंकरजी का मैंने उद्बोधन पढ़ा, कल्याण बनर्जी साहब जो वैस्ट बंगाल से आते हैं, उनका मैंने इसके अन्दर पढ़ा और एक थम्बी दुरई साहब का पढ़ा जो ए.डी.एम.के. के हैं। डा. थम्बी दुरई, उनका पढ़ा, श्रीमान् और एक बीजू जनता दल के एक माननीय सदस्य हैं भर्तृहरि मेहताब, उड़ीसा के हैं, उनके पिताजी मुख्य मंत्री थे, केन्द्र में मंत्री भी रहे हरिकिशन मेहताब साहब, उनका मुझे पढ़ने का अवसर मिला। एक-दो भाषण मैंने, राज्य सभा की प्रोसिडिंग्स में भी काफी एमिनेंट लोग बोले। वहां पर

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

जेटली साहब बोले, अभिषेक मनु सिंघवीजी बोले वहां पर, अन्य काफी लोग बोले, एडवोकेट तुलसी साहब भी बोले। और सबसे अच्छी बात जो हुई संविधान संशोधन बिल को पारित करते वक्त, सारी पार्टियां, बारिंग वन पार्टी जोकि एब्सटेन किया है अन्ना डी.एम.के. ने, बल्कि सारे राष्ट्रीय दल, क्षेत्रीय दल, सबने इसका समर्थन किया, क्योंकि इसकी प्रक्रिया बहुत लम्बे समय से चल रही थी, इस प्रकार का संशोधन लाने की। क्योंकि पार्लियामेंट और लैजिस्लेचर दोनों समझ रही थीं,

धीरे-धीरे जजेज फर्स्ट केस, जजेज सैकिण्ड केस, जजेज थर्ड केस, जजों ने अपनी नियुक्ति का अधिकार स्वयं ले लिया। मूल में जड़ यह थी। सभापतिजी, संविधान में इसका जिक्र कहीं नहीं है। संविधान के अन्दर जुडीशियरी और एग्जीक्यूटिव मिलकर जजेज का अपाइंटमेंट होगा। आप 124 देख लीजिये, 217 देख लीजिए। धीरे-धीरे उन्होंने क्यों? मुझे कहते हुए कोई शर्म नहीं आ रही है, क्योंकि जब पार्लियामेंट्री सिस्टम के अन्दर फ्रैक्चर्ड मैंडेट आया 1989 के बाद, 1989 तक तो मैजोरिटी रही, एक दल की मैजोरिटी रही, जुडीशियरी ने हिम्मत नहीं की लेकिन धीरे-धीरे, 1993 आते-आते जब फ्रैक्चर्ड मैंडेट आया, देश के अन्दर पोलिटिकल मैंडेट फ्रैक्चर्ड आया उसके बाद धीरे-धीरे सारे अधिकार उन्होंने स्वयं ले लिये 1993 के बाद कि हम ही नियुक्त करेंगे, आपका कोई लेना-देना नहीं है। हम ही अपने ब्रदर जजेज को नियुक्त करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में करेंगे, हाई कोर्ट में करेंगे।

यहां पर बहुत सारे कोटेशंस दिये गये हैं। और ऐसी बात भी नहीं है, जब एग्जीक्यूटिव ने जजेज के अपाइंटमेंट किये थे, थर्ड जजेज केस के पहले जब शुरू के अन्दर पतंजलि शास्त्री थे, वी.बी.एन. बोस थे, कृष्णा अय्यर साहब थे, सब कोट किये हैं लोगों ने। प्रक्रिया जुडीशियल रिफार्म्स की, जजेज के खास तौर से कई कमीशन बने, अल्टीमेटली वीरप्पा मोइली साहब जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमीशन के चेयरमैन थे उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में कहा। डाक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लोक सभा के अन्दर यह कहा था, मैंने नोट किया है जो रवि शंकर प्रसादजी ने कोट किया था, उसको मैं यहां थोड़ा सा कोट करना चाहूंगा, "With regard to the question of concurrence of the Chief Justice, it seems to me that who advocate the proposition seem to rely implicitly both in impartiality of Chief Justice and soundness of his judgment. I personally feel, no doubt, the Chief Justice is a very eminent person but after all, the Chief Justice is a man with all the failings, all the sentiments and all the prejudices."

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

मैंने आधा ही पढ़ा है पूरा नहीं पढ़ा है इसके अन्दर। तो वो भी खिलाफ थे कि इसको वीटो पावर दे दिया जाए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): एक मिनट। आपने इसमें यह पढ़ा कि नहीं, 18वें ला कमीशन की एक रिपोर्ट है जिसमें 133 अंकल जजों का वर्णन है?

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): वो मैं नहीं पढ़ पाया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, इसमें आगे है वर्णन।

सभापति महोदय, एक इसमें यह भी आया है कि 18वां जो भारत सरकार का ला कमीशन है, उसने रिपोर्ट दी, उसमें 133 अंकल जजेज का नाम है।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): अंकल सिंड्रोम।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): वो मैं नहीं पढ़ पाया, मेरी आंख ने तकलीफ देना शुरू कर दिया। मेरी आंख में तकलीफ हो गयी इसलिए मैं बाकी नहीं पढ़ पाया। थोड़े छोटे हर्फ थे. Any way, I will not go in details.

मैं आपसे यह कह रहा था, सभापति महोदय, कुछ मुद्दे यहां पर जिनका कि तिवाड़ीजी ने जिक्र नहीं किया है, वो चीजें भी वहां कही गयी थीं। आल इंडिया जुडिशियल सर्विस के बारे में बात कही गयी थी कि आल इंडिया जुडीशियल सर्विस बनायी जाए, डिस्ट्रिक्ट जजेज के अपाइंटमेंट हों। They are elevated from High Courts. From there, on account of their seniority or on account of their competence, they can go to the Supreme Court. यह बात भी आयी थी, लेकिन अनफार्चुनेटली कुछ स्टेट्स ने इसको अपोज किया और वो चीज वहीं रह गयी।

मेरा आपसे निवेदन है कि हम लोगों को भी दलीय हितों से ऊपर उठ कर, जो दुर्दशा हुई है, कोई अच्छे लोग भी आये और उसके बाद अंकल सिंड्रोम की बात की, अंकल जजेज की यहां पर बात कही गयी, मार्कण्डेय काटजू साहब क्या कहते हैं, और सबसे बड़ी इन्ट्रेस्टिंग बात जो पढ़ने को मिली, माननीय सभापति महोदय, जस्टिस जे.एस. वर्मा जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे जिन्होंने 1993 का थर्ड जजेज का जजमेंट लिखा जिसमें कि सारे पावर्स हड़प लिये गये और उन्होंने ही बाद में इसको रिग्रैट किया at so many places कि मेरा जो डिसीजन था उसका मुझे पछतावा है उसके लिखने के ऊपर, लेकिन nothing could be done.

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

तो मैं आपसे कह रहा हूं यह बड़ा, मैं इसे कहूंगा बड़ा सुधारवादी संशोधन आ रहा है इस देश के अन्दर। इस देश के हित के अन्दर है। खाली एग्जीक्यूटिव की मंशा के ऊपर, और इसके अन्दर तीन मैम्बर तो सुप्रीम कोर्ट के ही हैं, चीफ जस्टिस plus the two senior most judges, the Law Minister of India, the Leader of the Opposition of the largest party in the Parliament, in the Lok Sabha plus two eminent persons selected by the Prime Minister on the advice of these persons. यह है इसका कम्पोजिशन। कलैक्टिव विज्डम के ऊपर कुछ लोग एतराज उठा रहे हैं तो उस कलैक्टिव विजडम को आखिर आप एक ट्राई तो दीजिए। भविष्य के अन्दर, जिस प्रकार आप यह संशोधन विधेयक लाये हैं, अगर कोई आवश्यकता पड़ी तो उस कंटिंजेंसी में, तब देखा जाएगा। आखिर आप कलैक्टिव विज्डम आफ पार्लियामेंट को, लोक सभा, राज्य सभा की कलैक्टिव विज्डम को चैलेंज नहीं कर सकते। वहां भी एमीनेंट आदमी हैं, वहां पर बहुत एमीनेंट लोग हैं और जब पार्टी लाइन से ऊपर उठ कर के बात होती है तो वहां एक चीज आती है। तिवाड़ीजी ने कहा, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहूंगा, छागला साहब के बारे में कहा, जस्टिस जी.पी. सिंहजी के बारे में कहा कि मोरल जूरिस्प्रूडेंस के स्टेट्यूट्स के इंटरप्रिटेशन के ऊपर उनकी किताब कोट की जाती है। Any way, I will not go in details.

माननीय सभापति महोदय, कुछ इश्यूज ऐसे थे जो भी यहां डिबेट के अन्दर आये regarding the pendency of the cases. आज हजारों की संख्या के अन्दर, लाखों की संख्या में देश के अन्दर सुप्रीम कोर्ट के केस पड़े हुए हैं।

एक बहुत शानदार सुझाव यहां पर आया कि इसको भी तो एड्रेस करो, वकीलों की फीस के बारे में। वकीलों की फीस के बारे में भी तो सुप्रीम कोर्ट में एड्रेस करो जहां पांच लाख रुपये से लेकर 15 लाख रुपये रोज तक की फीस अपीयरेंस की. Only for appearance, not for the case. (व्यवधान) हां, वही कह रहा हूं, एक अपीयरेंस के लिए पांच लाख रुपये से 15 लाख रुपये रोज की। तो गरीब आदमी को तो जस्टिस, कभी सुप्रीम कोर्ट तक जाने की कोई सोच ही नहीं सकता है अपीयरेंस के लिए। और उस दिन केस की हियरिंग पोस्टपोन हो गयी, then next day, you have to again pay.

तो वहां पैंडेंसी के ऊपर बात आयी, फीस के बारे में बात आयी, आल इंडिया जुडीशियल कमीशन के बारे में बात आयी। मेरा आपसे निवेदन है कि

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

यहां पर पार्लियामेंट के अन्दर, और सही बात है, तिवाड़ीजी ने सही कहा कि राजस्थान में जागीरदारी उन्मूलन के लिए, जमींदारी अबोल्यूशन के लिए राजस्थान ने लीड ली। अच्छा कानून अगर बनता है, राजस्थान लीड लेता है उसमें कोई आवश्यकता नहीं है, हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वहां हमारी पार्टी ने ही पार्लियामेंट में इसको सपोर्ट किया। हमारी पार्टी पूर्व में इस बिल को लायी थी। ठीक है, यह आज की वर्तमान सरकार लायी है, हमारी पार्टी भी इस बिल को लायी थी पार्लियामेंट के अन्दर। वो सलैक्ट कमेटी के अन्दर चला गया और सलैक्ट कमेटी से वापस लौट कर आया तब तक आते-आते लोक सभा का डिजोल्यूशन हो गया इसलिए यह क्लीयर नहीं हो पाया।

तो यहां पर इसके बारे में ला कमीशन बने, वैंकट चलैया कमीशन की रिपोर्ट आयी, मोइली साहब ने कहा है, इसलिए जो संकल्प इस सदन के अन्दर आया है, हमारी पार्टी इसका समर्थन करती है और हम इसका तहे दिल से स्वागत करते हैं। माननीय सभापति महोदय, यही मैं आपसे बात कहना चाहूंगा।

श्री सभापति: श्री किरोड़ी लालजी।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): माननीय सभापति महोदय, मेरे से पूर्व दो वक्ता, सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य और राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने इस महत्वपूर्ण अमैंडमेंट बिल पर प्रकाश डाला। और यह बात सही है कि इस बिल का आना इस मौके पर बहुत आवश्यक था, बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि कई वर्षों से यह बात सुनने को मिली, जानकारी में आती रही अंकल जजेज की प्राब्लम, अंकल सिंड्रोम की प्राब्लम, कोर्टों में चेहरा देख कर फैसला करने की प्रवृत्ति बढ़ गयी। पैंडेंसी आफ दी केसेज, यह भी बड़ी मात्रा में। जैसे सुप्रीम कोर्ट में 60 हजार मुकदमे पैंडिंग हैं और अधीनस्थ अदालतों में लाखों की तादाद में मुकदमे पैंडिंग हैं। कैपेबल लोग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच नहीं पाते हैं जिस ढंग से सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जिक्र किया। जजों की गुणवत्ता में भी कमी आई। उसका कारण यह है कि जब से कोलेजियम आया तब से पक्षपात भी बढ़ा और एक परिवारवाद की दृष्टि से वहां पर जजों की नियुक्ति होने लगी। इसलिए राज्य सभा और लोक सभा में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जो बहस हुई और यह जो बिल पारित हुआ,

(डा. किरोड़ी लाल)

उस बिल का मैं और मेरी पार्टी नेशनल जुडीशियल अपाइंटमेंट बिल, 2014 का जो 121वां संशोधन है, उसका समर्थन करते हैं।

सभापति महोदय, इसमें 3 आर्टिकल हैं, 124 (2), 127 (ए) और 128 जिसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। एडहाक जजों की नियुक्ति का प्रावधान है। रिटायर्ड जजों की नियुक्ति का प्रावधान इसमें रखा गया है। धारा 270 में हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति का प्रावधान है और आर्टिकल 222 में हाई कोर्ट के जजों के ट्रांसफर का प्रावधान इस बिल में लाया गया है। धारा 224 में जजों की एडहाक नियुक्ति का प्रावधान भी इस बिल में डाला गया है। धारा 224 (ए) में रिटायर्ड जजों की नियुक्ति और आर्टिकल 231 में 2 या 2 से ज्यादा जजेज के लिए कामन हाई कोर्ट की स्थापना का प्रावधान है।

(14.21 बजे)

(श्रीमती किरण माहेश्वरी, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों का अपना-अपना महत्व है। लेकिन संसद सर्वोपरि है। संविधान की धारा 72 के अनुसार यदि सुप्रीम कोर्ट किसी को फांसी की सज़ा दे देता है तो देश के राष्ट्रपति को उसे क्षमा दान करने का अधिकार है। इस प्रकार संसद अपने आप में संविधान में सर्वोपरि संस्था है। यह जो जजेज की नियुक्ति का मामला था, 1993 से पहले काफी हद तक कार्यपालिका और विधायिका का थोड़ा-सा हिस्सा इनके अपाइंटमेंट में होता था। As per Article 124 (2) of the Constitution, every Judge of the Supreme Court shall be appointed by the President by a warrant under his hand and seal after consultation with such of the Judges of Supreme Court and High Courts in the States. मतलब स्पष्ट है कि संविधान के अनुसार राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से सलाह कर जज नियुक्त करेगा। किन्तु हो उलटा रहा था। 1993 से पहले कोई कोलेजियम नहीं थी लेकिन 1993 के बाद कोलेजियम आ गई। इसके लिए यूपीए सैकण्ड के समय पर, जिसमें मैं भी ला एंड जस्टिस कमेटी का सदस्य था, उस स्टैंडिंग कमेटी में यह चर्चा हुई और चर्चा के बाद बिल कैबिनेट से भी पारित हो गया। लेकिन लोक सभा के चुनाव आ जाने के कारण अब दोनों सदनों में चर्चा होने के बाद मोदी सरकार ने और रविशंकरजी जो विधि मंत्री हैं, उन्होंने सबसे तालमेल करके, केवल एक एआईडीएमके को छोड़कर सबने इस बिल को पारित करने में जो सहयोग दिया है, यह दलगत विचारधारा से ऊपर उठकर दिया है। सबके पार्टिसिपेशन से यह बिल पारित हुआ है। इसलिए मोदी सरकार की यह

(डा. किरोड़ी लाल)

महत्वपूर्ण उपलब्धि है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा देश के प्रधानमंत्री को, विधि मंत्री को।

सभापति महोदय, लेकिन जब बिल पास हुआ तो बड़ी हायतौबा उस समय मची थी और यह बात सामने आई थी कि सरकार जुडीशियरी में दखल डाल रही है। न्याय पालिका की स्वतंत्रता का हनन कर रही है। न्याय पालिका में एनक्रोचमेंट कर रही है। न्याय पालिका को प्रभावित कर रही है। पंगु कर रही है। लेकिन ये जितने भी विचार हमने लोक सभा और राज्य सभा के सांसदों के पढ़े हैं, उसमें किसी की भी बायस्ड ओपीनियन जुडीशियरी के प्रति नहीं है। बड़ी खुशी की बात है कि सबने निष्पक्ष होकर अपनी राय डाली जिसमें वीरप्पा मोइली और हमारे रविशंकर प्रसाद जैसे विद्वान माननीय सदस्यों के विचार भी पढ़ने को मिले।

सभापति महोदय, यह जो कमीशन बनेगा, यह कमीशन जो एक एग्जीक्यूटिव बाडी है, यह किसी जज के न्याय में किसी प्रकार का दखल डालने की बाडी नहीं है। यह अपाइंटमेंट करेगा और ट्रांसफर करेगा। इससे जुडीशियरी में पारदर्शिता आएगी। यह मेरी समझ में पहला उदाहरण है दुनिया का अपना देश भारत, जहां जज की नियुक्ति जज करता था अब तक, कोलेजियम के जरिये। न अमेरिका में है, न कनाड़ा में है, न आस्ट्रेलिया में है। किसी दूसरे देश में ऐसी व्यवस्था नहीं थी जैसी व्यवस्था अपने देश में थी कि जज ही जज को इलैक्ट करता था, नियुक्त करता था।

सभापति महोदय, डा. भीमराव अम्बेड़कर ने भी संविधान सभा में कहा था 24 मई, 1947 को कि मुख्य न्यायाधीश भी एक आदमी है। उसके भी सेंटिमेंट्स हैं, उसके भी प्रिजुडिसेज हैं। इसलिए एक आदमी के ऊपर बात छोड़ना ठीक नहीं है। जब राष्ट्रपति के ऊपर नहीं छोड़ी जा सकती, संसद के ऊपर नहीं छोड़ी जा सकती तो एक अकेले सीजेआई के ऊपर नियुक्ति की बात किसी भी तरह से छोड़ना ठीक नहीं है।

सभापति महोदय, यह 6 सदस्यों का जो कमीशन बना है, मैं इस कमेटी का सदस्य रहा हूं, एक बार यह बात चली थी कि 3 एमिनेंट लोग इसमें होने चाहिए। 3 एमिनेंट लोग होने के बाद में एक ला मिनिस्टर उसमें हो जाता है तो 4 की मैजोरिटी होने के बाद जुडीशियरी साइड के 3 लोग रह जाते, इसलिए 2 ही एमिनेंट सदस्यों को इसमें रखकर 6 मैम्बर्स का यह

(डा. किरोड़ी लाल)

कमीशन बना है जिसमें चेयरमैन सीजेआई होंगे। सीनियर मोस्ट जज सुप्रीम कोर्ट के 2 इसके सदस्य होंगे। इस प्रकार से 6 में से 3 तो जुडीशियरी के ही सदस्य हो जाएंगे। ला मिनिस्टर और 2 एमिनेंट पर्सन इसके बाकी के सदस्य होकर, इस प्रकार से पूरे 6 लोगों का यह कमीशन होगा। जो 2 पदेन सदस्य होंगे उनका चयन भी सीजेआई, प्राइम मिनिस्टर और लीडर आफ दी अपोजिशन या लार्जेस्ट पार्टी जो भी हाउस में है, उसके लोग बैठकर करेंगे, सर्वसम्मति से वे 2 एमिनेंट पर्सन इसमें होंगे।

सभापति महोदय, अब इसमें किसी भी प्रकार का इम्बैलेंस नहीं क्योंकि 6 मैम्बर हैं। इम्बैलेंस की स्थिति तब रहती जब 3 एमिनेंट मैम्बर इसमें और दूसरे होते। लेकिन अब 6 मैम्बर होने के बाद इसमें पूरी तरह से संतुलन है।

सभापति महोदय, वैसे तो आर्टिकल 312 में जैसे आल इंडिया सर्विसेज का प्रावधान है आईएएस, आईपीएस, आल इंडिया फोरेन सर्विसेज, आल इंडिया डिस्ट्रिक्ट जज के भी इसी ढंग से सलेक्शन होने चाहिए। लेकिन इसमें कुछ स्टेट्स का विरोध आया जिसके कारण वह स्थिति बन नहीं पायी। उसको छोड़कर यह बीच का रास्ता निकला जिसमें यह कमीशन बना है। इसमें जो 2 सदस्य होंगे, वे 2 सदस्य कोई भी, एससी, एसटी का भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है, ओबीसी का भी हो सकता है, माइनोरिटी का भी हो सकता है। वैसे तो काम्पीटिटिव एक्जाम जिस तरह से आल इण्डिया लेवल का होता है, उस ढंग की अगर जजेज की परीक्षा होती तो उसमें रिजर्व क्लास, एससी, एसटी उनके लोगों को भी मौका मिलता। लेकिन अब इसमें भी एससी, एसटी, ओबीसी का, महिलाओं का जो दो सदस्यों का प्रावधान रखा है, उससे अब तक जो बात उठा करती थी कि जुडीशयरी में इनका रिप्रजेंटेशन नहीं है, अब इससे उनके रिप्रजेंटेशन का भी इसमें रास्ता खुल गया है, मार्ग खुल गया है। यह एक बड़े अच्छे मौके पर आया बिल है और ऐसे बिल का हम स्वागत करते हैं, अनुसमर्थन करते हैं। इस बिल को जो लोक सभा में पारित किया गया है, राज्य सभा में किया गया है, यह श्रेष्ठ बिल है। जो अब तक शिकायत आया करती थी कि जुडीशियरी में भ्रष्टाचार फैल रहा है, भाई-भतीजावाद फैल रहा है, पक्षपात आ रहा है, इन सबसे निजात मिल सकेगी और जुडीशियरी की

(डा. किरोडी लाल)

पारदर्शिता और मान सम्मान भी बना रहेगा इसलिए हम इसका अनुसमर्थन करते हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य श्री राव राजेन्द्र सिंहजी।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): धन्यवाद, सभापति महोदय। सभापति महोदय, जिस संविधान के सम्बन्ध में संविधान की मर्यादा के चरित्र को चरितार्थ करने के लिए आप, हम यहां उपस्थित हुए हैं, सबसे पहले तो हमें इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा कि आखिर हमारे संविधान की परिभाषा क्या है। संसार के सबसे बड़े प्रजातंत्र की व्यवस्था से सुसज्जित यह देश जिसकी संविधान की अपनी एक मर्यादा, बहुत-से देशों की व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने के लिए उदाहरण के रूप में काम ली जाती है, एक सामान्य आदमी के दृष्टिकोण से संविधान की परिभाषा क्या है? अंग्रेजी में संविधान को अगर परिभाषित किया जाए तो इसका सार कुछ इस प्रकार होगा कि "Constitution of India is not an end but a means to an end, its not mere democracy as a political project but a socio-juridical process which opens up through humanist, radical, social order, the opportunity to unfold the full personhood of every citizen." हमारे संविधान की वस्तु आत्मा अगर है तो आम व्यक्ति के व्यक्तित्व को चरितार्थ करने के अवसर प्रदान करने की है, साथ-साथ उसका संरक्षण करने की भी है। जिस संविधान के संशोधन की आवश्यकता के स्वरूप आज विधायिका के सामने एक फैडरल स्ट्रक्चर की आवश्यकता के आकलन को हम सुनिश्चित कर रहे हैं, आगामी समय में आधे से ज्यादा प्रदेश जब इसको सहमति प्रदान कर देंगे तब यह संशोधन राष्ट्रपति के सामने स्वीकार के लिए जाएगा।

आदरणीय, हम जिस संशोधन के सम्बन्ध में परिचर्चा कर रहे हैं, इस संशोधन का आधार क्या है? न संविधान का 124 आर्टिकल, न संविधान का 217 आर्टिकल, न संविधान का चैप्टर 5, न संविधान का चैप्टर 6, न संविधान में अमैंडमेंट का उल्लेख 368, कोलेजियम जैसे शब्द को मान्यता देता। कोलेजियम जैसा शब्द न्यायपालिका के गलियारों से निकलकर विधायिका के कटघरे में आकर खड़ा हो गया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर संशोधन की परिभाषा पर जिस परिकल्प को हम प्रदर्शित करना चाह रहे हैं, क्या हम कोलेजियम जैसे निर्णय को मान्यता नहीं दे रहे? कोलेजियम सिस्टम को संविधान के अन्दर कहीं भी परिदर्शिता की मान्यता

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

नहीं है, पूरा यह संविधान उठाकर देख लीजिये, एक भी आर्टिकल कोलेजियम सिस्टम को या कोलेजियम नाम तक को उल्लेखित नहीं करता है, आज उस कोलेजियिम सिस्टम को अमैंड करने के लिए हम 368 के अन्दर सैक्शन 2 के सब क्लाज (बी) को अमैंड कर रहे हैं तो इन्डाइरेक्टली कोलेजियम वाले निर्णय को मान्यता भी दे रहे हैं। कोलेजियम वाला निर्णय मेरी व्यक्तिगत जानकारी से न्यायपालिका का असंवैधानिक निर्णय था। तो न्यायपालिका के असंवैधानिक निर्णय को संवैधानिक मान्यता देने के उपरान्त संशोधन करना, यह विधायिका की सबसे बड़ी कमजोरी है। कहीं भी लोक सभा की डिबेट में और राज्य सभा की डिबेट में कोलेजियिम सिस्टम की मान्यता को प्राप्त करने की परिणति पर प्रश्न चिह्न नहीं लगाया गया है। क्योंकि हम आज इस संशोधन को कोलेजियिम सिस्टम की जगह जुडीशियल अपाइन्टिंग कमीशन के रूप में मान्यता दे रहे हैं तो साथ-साथ अप्रत्यक्ष रूप में हम इस प्रकार के न्यायपालिका के कृत्य को भी मान्यता दे रहे हैं। और ऐसी कौनसी चीज है कि भविष्य में इस प्रकार का और कृत्य न आ जाए? हमें यह भी सुनिश्चित करना पड़ेगा कि भविष्य में इस प्रकार का कोई कृत्य पुन: निर्मित न हो, न्यायपालिका पर यह भी बाध्यता होनी चाहिए। सिर्फ जजों के अपाइंटमेंट के सम्बन्ध में एक कमीशन का नियुक्त कर देना न्यायपालिका की उस परिधि को सुनिश्चित नहीं करता जिसका वे बार-बार उल्लंघन कर रहे हैं।

यहां हमारे बीच में बहुत-से वरिष्ठ विद्वान जूरिस्ट्स हैं जो लायर्स हैं और एडवोकेट्स हैं, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट का एक केस है, आई आर कोले एण्ड अदर्स, इनका तो स्वर्गवास हो चुका है, वर्सेस द स्टेट आफ तमिलनाडु। 2007 का यह केस है आदरणीय, 2007 के केस के जो पैराज हैं, अगर आप इन पैराज को पढ़ लेंगे, सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य फर्मा रहे थे, राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य फर्मा रहे थे, बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी का जन्म कहां से हो गया। और बेसिक स्ट्रक्चर अगर थ्योरी है तो बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी इस संविधान की प्रस्तावना तक सीमित है कि संविधान की प्रस्तावना का मूल सार और इसका मूल चरित्र, और इसको अंग्रेजी में कहते हैं कि इसकी स्पिरिट का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। इस निर्णय में क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने, आदरणीय? इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने स्वामी केशवानन्द भारती वाला जो 1973 का केस था, उसको

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी का टच स्टोन बना दिया और अपने निर्णय में यह लिखा कि संविधान के अन्दर अगर संशोधन होता है तो आर्टिकल 368 के माध्यम से तो हो ही हो, साथ-साथ बेसिक स्ट्रक्चर आफ द कांस्टीट्यूशन में डाक्टरिन आफ कांस्टीट्यूशनल एरीना को, इस बेसिक टच स्टोन को भी परिभाषित करके उसके अनुरूप होना चाहिए। यह अमैंडमेंट तो पार्लियामेंट में भी नहीं हुआ। कांस्टीट्यूशन में अमैंडमेंट किये बगैर न्यायपालिका ने 2007 में अपने आप एक अमैंडमेंट और कर लिया। और क्योंकि अगर अमैंडमेंट का पावर कहीं कंफर्म्ड है, तो पार्ट 5 में है, चैप्टर 4 में है, वायलेशन आफ फण्डामेंटल राइट्स अगर होता है तो वहां आपका आब्स्ट्रक्शन है। अगर आर्टिकल 32 आफ कांस्टीट्यूशन है तो The touch stone could only be the Constitution more specifically the part 3 of the Constitution. यह प्रोविजन हमारे बेसिक कांस्टीट्यूशन में है। मुझसे कोई पूछ रहा था कि आखिर कहां से आया, तो 14 अप्रैल, 1973 की कट-आफ डेट जो जुडीशियरी ने एडमिट करके इंट्रोड्यूज कर दी नये चैप्टर में, आदरणीय, वह कोलेजियम का ही रिपीट हो गया। हम आज कोलेजियम को अमैण्ड कर रहे हैं और जुडीशियल अपाइंटिंग कमीशन ला रहे हैं। 2007 में इन्होंने एक नया अमैण्डमेंट कर दिया बगैर पार्लियामेंट की सहमति से और बाध्य कर दिया लैजिस्लेचर को-पार्लियामेंट को और स्टेट लैजिस्लेचर्स को कि आप अगर इन दो चीजों के बारे में अपने अमैण्डमेंट के अन्दर उसके प्रारूप को, उसके चरित्र को चरितार्थ नहीं करोगे तो सुप्रीम कोर्ट इसको नहीं मानेगा। मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि कहीं इसी से प्रभावित होकर जब अभिषेक मनु सिंघवी अपनी बात राज्य सभा में कह रहे थे तो उन्होंने हमारे विधि मंत्री को एक बात कही थी जो मैं पढ़कर आपको बता रहा हूं, ''माननीय विधि मंत्रीजी, मैं बहुत सकारात्मक रूप से यह बोल रहा हूं।'' यह अभिषेक मनु सिंघवी का कनक्लूडिंग है। ''मैं यह इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मुझे कोई संदेह नहीं है कि निकट भविष्य में जिन लोगों ने न्यायपालिका का 25-30 वर्ष से ब्लड टैस्ट किया है वे इतनी आसानी से यह अधिकार क्षेत्र छोड़ने वाले नहीं हैं। आपके सामने याचिका होगी उसमें मूल ढांचे की बात होगी बेसिक स्ट्रक्चर की, 2007 में जो इन्होंने अपने एजेंडे में दिया है, मैं उस बेसिक स्ट्रक्चर के टचस्टोन की बात कर रहा हूं। उन्होंने उस चीज को पैरा 78 में अपने निर्णय के अन्दर चिह्नित और कर दिया। ये सभी

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

मुद्दे उस मूल ढांचे में उठाये जाएंगे और ऐसा न हो कि 100 प्रतिशत सर्वसम्मति से पास किया गया यह संशोधन निकट भविष्य में निरस्त किया जा सके।''

आदरणीय, हम और आप सारी बात तो कर रहे हैं, लेकिन कभी आपने और हमने यह बात नजर उठाकर देखी है कि हम यहां विधायिका में आपस में तो खूब लड़ लेते हैं, एक-दूसरे में तो त्रुटियां खूब ढूंढ लेते हैं और हमारे इस चरित्र के कद से हमारे संविधान का एक अंग धीरे-धीरे हमारे अधिकारों पर अतिक्रमण करता जा रहा है। आज जुडीशियरी के जजेज के अपाइंटमेंट के सम्बन्ध में इस संशोधन के स्वरूप में आप सर्वसम्मति से यह पास कर लेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी के टचस्टोन को 1973 की कट आफ डेट देने का अधिकार न्यायपालिका ने कहां से प्राप्त कर लिया? न तो पार्लियामेंट ने कभी इस बात को स्वीकार किया, न किसी प्रदेश की लैजिस्लेचर असैम्बली ने किया। वह आज भी मौजूद है। और कल को अगर आधे से ज्यादा प्रदेश इसे सर्वसम्मति से पास कर देते हैं तो ऐसा कौनसा आपके पास कानून है जो सुप्रीम कोर्ट को बाध्य कर देगा कि इसको स्वीकार कर ले? सुप्रीम कोर्ट इसको बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी टचस्टोन के नाम पर निरस्त कर देगी। न्यायपालिका को न्याय करना चाहिए। न्यायपालिका से सामान्य व्यक्ति, मैंने परिभाषा इसलिए पढ़ी थी, सामान्य व्यक्ति अपने भविष्य के चरित्र को सुरक्षित करवाना चाहता है। स्वयं की सुरक्षा का संरक्षण संसदीय प्रणाली के माध्यम से विधायिका को है। आज जब आप और हम इस पर बहस कर रहे हैं तो मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि जजेज वन, जजेज टू, जजेज थ्री, थर्ड वाला तो प्रेसिडेंट ने खुद ही भेजा था। एस.पी. गुप्ता साहब का पहला हो गया, एसोसिएशन आफ एडवोकेट वर्सेज यूनियन आफ इण्डिया का सैकिण्ड हो गया 93 का और आखिर में तो प्रेसिडेंट ने खुद भेजा था। What does that consultation mean? Does consultation mean recommendation? Does consultation mean advise? Does consultation mean interaction? सुप्रीम कोर्ट ने दो मिनट में कह दिया कि consultation means what we say is mandate. अब आप यह बताइए कि आज आपने जो कुछ कर दिया उसको सुप्रीम कोर्ट कैसे मानेगा? सीजेआई तो आज भी यह कह रहा है, आपका यह अमैण्डमेंट आने के पहले, जब आपने यह अमैण्डमेंट इंट्रोड्यूज किया तब चीफ जस्टिस आफ सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, Collegium system is not bad. It can not be eradicated. वे तो चुनौती आपको

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

पहले से ही देने को तैयार हैं। It is in writing, it is in print, it is in audio and it is in video. Then what sort of picture are we trying to make? The federal system of this country, your Excellency, including the Centre, will have to built up to colour an institution called judiciary that if we have to restrain within the frame work of the Constitution, you will also have to adhere to this spirit and character of the Constitution. मैं सिर्फ यही आपसे निवेदन करना चाहता था, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय श्री जोगारामजी पटेल।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय सभापति महोदय, जैसा कि पूर्व में राजस्थान के इस पवित्र सदन में बताया भी गया और वास्तविकता भी है कि कई ऐसे क्षण आये हैं जिसमें हिन्दुस्तान की अन्य विधान सभाओं की अपेक्षा राजस्थान की विधान सभा ने पहल की है ऐसे ऐतिहासिक जनहितार्थ बिल और कानून पास करने की। हम सबका सौभाग्य है कि हमें भी इस बिल के इस रेफरेंस पर अपनी सहमति देने और इस पर अपनी बात कहने का अवसर प्राप्त हुआ है।

सन् 1971 से लगाकर आज दिन तक न्यायपालिका को नजदीक से देखा है। हमने जो अपनी बात कही है या अनेक विद्वान साथियों ने अपनी बात कही है, काफी हद तक सत्यता हो सकती है, पर सम्पूर्ण सत्यता नहीं हो सकती। संविधान निर्माताओं ने विभिन्न उच्च न्यायालयों में और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के सम्बन्ध में प्रावधान किया जिसको सभी माननीय सदस्यों ने आपके सामने आर्टिकल 124 के रूप में पढ़ा है। लेकिन इस बात की ओर ध्यान नहीं गया कि अगर यह प्रावधान पहले से स्पष्ट हो जाता तो शायद यह नौबत सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं आ सकती थी। और इसी कारण से सन् 1981 में ही सुप्रीम कोर्ट ने इस ओर ध्यान दिलाया और आर्टिकल 124 का सब क्लाज 2 है उसमें जो वर्ड है ''कंसल्टेशन'', इस कंसल्टेशन वर्ड पर आकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1981 में यह मत प्रतिपादित किया कि माननीय राष्ट्रपति किसी भी हाई कोर्ट के जज या सुप्रीम कोर्ट के जज किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति करते हैं तो उसका आधार क्या है। क्या माननीय राष्ट्रपति अकेले सर्वोपरि हैं या ऐसा कुछ कंसल्टेशन जो शब्द लिखा है उस कंसल्टेशन से होना चाहिए। जब सर्वप्रथम 1981 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने यह विषय आया और उनसे जानना चाहा कि इस

(श्री जोगाराम पटेल)

कंसल्टेशन का क्या तात्पर्य है, तो उन्होंने 30 दिसम्बर, 1981 को जजमेंट पारित किया जिसका विवरण माननीय सदस्यों द्वारा बार-बार यहां दिया गया है और जिसको फर्स्ट केस के रूप में यहां बार-बार प्रतिपादित किया गया है। यह बताया गया कि ऐसी रिकमण्डेशन को माननीय राष्ट्रपति महोदय को रिफ्यूज करने का राइट है। उस वक्त कार्यपालिका के महत्व को कायम किया गया, कम नहीं किया गया था। उसके बाद करीब 12 साल तक स्थिति वही चलती रही। फिर द्वितीय केस, जिसका बार-बार जिक्र आया जिसके सम्बन्ध में अनेक तरह की बातें आपके सामने कही गयीं, कि जो संविधान पीठ का जजमेंट था उसमें पहली बार कोलेजियम नाम की चीज आयी।

माननीय सभापति महोदया, आर्टिकल 124 में कोलेजियम नहीं था लेकिन एक व्यवस्था थी। उस व्यवस्था में जो अब चीज आ रही है वही व्यवस्था एक निरन्तर प्राप्त हुआ, उन्नत एक सिस्टम है। पहले सिस्टम यह था, राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा, सलाह लेगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की और उस सलाह के आधार पर करेगा। लेकिन सलाह बाध्यकारी है या नहीं है, यह विषय काफी समय तक चलता रहा, अनेक निर्णयों में चलता रहा। आखिरकार 30 दिसम्बर, 1981 को कहा गया कि सलाह बाध्यकारी नहीं है, दुबारा सलाह आने पर वह बाध्यकारी है। उसके बाद यह जजमेंट आया जिसके सम्बन्ध में चूंकि काफी बातें हो चुकी हैं इसलिए मैं आपसे निवेदन नहीं करूंगा। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी एक खुले रूप में जो कोलेजियम रखा, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण था, बहुत लम्बा इतिहास था। यह तय किया गया कि आखिर ऐसा कौनसा मैकेनिज्म बनाया जाए जिससे न्यायपालिका पर कोई आंच नहीं आए, कोई अंगुली नहीं उठाए। उसके पीछे भावना यह नहीं थी कि कार्यपालिका के अधिकार ले लिए जाएं या पार्लियामेंट का जो अधिकार है, वो ले लिया जाए। पर उसके पीछे भावना यह थी कि ऐसा मैकेनिज्म कायम कर दिया जाए जिससे न्यायपालिका पर जो दिनों दिन अंगुली उठ रही है वो अंगुली नहीं उठे। ऐसा नहीं है कि अंगुली पहले नहीं उठी थी। संविधान लागू होने के 17 महीने उपरांत ही यह अंगुली उठनी प्रारम्भ हो गयी थी। जैसा कि अभी आपके सामने यहां बताया गया, तत्कालीन प्रधान मंत्री स्वर्गीय जवाहर लालजी नेहरू ने भी जब पार्लियामेंट में डिबेट हो रही थी, तब कह दिया था जिसको यहां कोट किया गया था। पर उसमें थोड़ा भाषा का फर्क था। उन्होंने कहा था कि हमने एक भावी संविधान

(श्री जोगाराम पटेल)

बनाया है लेकिन वकीलों ने उसको अगुवा कर लिया है और हम सर्वोच्च न्यायालय को संसद का तीसरा सदन नहीं बनने देंगे। यह भावना उस वक्त भी आ गयी थी। जब 16 मई, 1951 को पार्लियामेंट में डिबेट हो रही थी तब माननीय जवाहर लालजी ने यह मत व्यक्त किया था। उसके बाद निरन्तर चलते-चलते 1993 में जब एडवोकेट आन रिकार्ड का केस आया उस वक्त जाकर इसके सम्बन्ध में यह कोलेजियम का सिस्टम आया। लेकिन मैं एक निवेदन अवश्य करूंगा कि कोलेजियम सिस्टम में मीयर कोलेजियम नहीं बनाया गया था, उस जजमेंट में क्लियरकट गाइडलाइंस दी गई थीं वो गाइडलाइंस यहां नहीं आई हैं। मैं आपके सामने वो गाइडलाइंस कोट करना चाहता हूं। उन गाइडलाइंस में से पहली गाइडलाइन थी, "The term 'consultation' with the Chief Justice of India in Articles 124(2), 217(1) and 222(1) requires consultation with a plurality of a Judge in the formation of the opinion of the CJI. The sole, individual opinion of the CJI does not constitute a consultation." सबसे पहला ऐतिहासिक जजमेंट था कि सी.जे.आई. की अकेले की कंसल्टेशन है वो फाइनल नहीं है। सीनियर मोस्ट चार जजेज का कंसल्टेशन होगा उसी को कंसल्टेशन माना जाएगा। दूसरा, The CJI can only make a recommendation to appoint a Judge of the Supreme Court and to transfer a Chief Justice or punish a Judge of a High Court in consultation with the four senior most Judges of the Supreme Court. As far as the High Courts are concerned, the recommendation must be made in consultation with the two senior most Judges of the Supreme Court. अगर किसी जज को पनिश करना है तो उसके लिए भी उन्होंने एक क्लियरकट मैकेनिज्म दिया। थर्ड, ''Strong cogent reasons do not have to be recorded as justification for a departure from the order of seniority in respect of each senior Judge who has been passed over. What has to be recorded is…." मैं एम्फेसाइज करूंगा, "the positive reason for the recommendation." There must be positive reasons. मैकेनिज्म दिया। "The views of the Judges consulted should be in writing and should be conveyed to the Govt. of India by the CJI along with his views to the extent set out in the body of this opinion." And 5. The CJI is obliged to comply with the norms and the requirement of the consultation process in making his recommendations.." सी.जे.आई. को भी आब्लिगेटरी बना दिया गया कि वो फोर सीनियर मोस्ट जजेज को रिकमंड करेगा। वो फोर जज उसकी मर्जी से नहीं होंगे, वो सीनियरटी के हिसाब से गिने जाएंगे। और जो रिकमंडेशन होगा वो प्रोसेस में लिखा जाएगा और वो प्रोसेस आनरेबल प्रेसीडेंट को भेजा जाएगा। "यह उस जजमेंट में कहा गया है। "Recommendations by the CJI without

(श्री जोगाराम पटेल)

such compliance are not binding upon the Govt.” अगर ये सारी कम्प्लायंस नहीं हैं तो गवर्नमेंट उससे बाध्य नहीं है, गवर्नमेंट और कोई व्यवस्था कर सकती है। ‘‘The transfer of High Court Judges is judicially reviewable only if the CJI took the decision without consulting the other four Judges in the Supreme Court collegiums, or if the views of the Chief Justices of both High Courts involved in the transfer are not obtained.” नहीं हो सकेगा ट्रांसफर। लास्ट में है, “The CJI is not entitled to act solely in his individual capacity, without consultation with other Judges of the Supreme Court, in respect of materials and information conveyed by the Govt. for non-appointment of a Judge recommended for appoint..” और जो लास्ट है वह सबसे इम्पोर्टेंट है, “The CJI can consult any of his colleagues on the appointment of a High Court Judge to the Supreme Court or transfer or punish a Judge. The consultation need not be limited to colleagues who have occupied the office of a Judge or Chief Justice of that particular High Court.” माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन यह था कि ऐतिहासिक कारणों से, जो पास्ट हिस्ट्री रही थी उसकी वजह से यह एक मैकेनिज्म बनाने का माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रयास किया, लेकिन इस मैकेनिज्म में भी बहुत कमियां थीं। यह नहीं था कि इसमें कमियां नहीं थीं। यह भी सही था कि जो संविधान का आर्टिकल 124 (2) बनाया गया उस वक्त कोई मैकेनिज्म तय नहीं किया गया था और अगर यह मैकेनिज्म संविधान में ही हो जाता तो इस जजमेंट की आवश्यकता ही नहीं होती या 1981 के जजमेंट की आवश्यकता ही नहीं होती या माननीय राष्ट्रपति को उसके बाद में जो सलाह मांगी गई थी उसकी आवश्यकता ही नहीं रहती। पर इस मैकेनिज्म में उस वक्त ही यह बताया गया कि इसमें ये कमियां हैं और वो कमियां वास्तव में कमियां थीं और आज तक रही हैं। उसमें जो कमियां थीं, उसमें पहली कमी यह थी जो स्पष्ट रूप से दिख रही थी, “The administrative burden of appointing and transferring Judges without a separate secretariat or intelligence gathering mechanism dedicated to collection of and checking personal and professional backgrounds of prospective appointees.” सी.जे.आई. साहब के पास कोई मैकेनिज्म नहीं था, कोई सैक्रेटेरिएट नहीं था, कोई उनके पास ऐसा सिस्टम नहीं था कि उसको पता चल सके कि किसी जज का अपाइंटमेंट हो रहा है उसका बैकग्राउण्ड क्या है, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउण्ड क्या है, फैमिली बैक ग्राउण्ड क्या है, ला बैकग्राउण्ड क्या है। इसलिए सबसे पहली कमी तो इसमें यही थी। और फिर इसमें कमी दिनों-दिन आती गयी। अगर यह मैकेनिज्म होता कि एक्स, वाई जज का अपाइंटमेंट

(श्री जोगाराम पटेल)

हो रहा है उसका फैमिली बैक ग्राउण्ड क्या है, उसका ला नान बैक ग्राउण्ड क्या है उसके लिए सैक्रेटेरिएट होता और यह पता लगाता तो आज यह कमी नहीं होती। दूसरा, “A closed door affair without a formal and transparent system.” कोई ट्रांसपेरेंट सिस्टम नहीं था, पारदर्शिता नहीं थी। और पारदर्शिता नहीं होने की वजह से यह सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म इसका हुआ। पारदर्शिता क्यों नहीं हुई? क्योंकि जजेज से बात कर नहीं सकते, जजेज किसी से मिलते नहीं। कब, किससे क्या कन्सल्टेशन आपस में किया, उसका किसी को पता नहीं। और वो जज आ रहा है, आनरेबल राष्ट्रपति महोदय को जा रहा है, इसका किसी पब्लिक को पता नहीं। तो पब्लिक को दिनों-दिन मन में यह वहम उठना स्वाभाविक था। सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म अगर इस मैकेनिज्म का किया है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीशों का किया है, उसकी कहानी भी मैं आपके सामने रखूंगा। तीसरी जो सबसे बड़ी कमी थी, “The limitation of the collegiums field of choice to the senior most Judges from the High Court for appointments to the Supreme Court, overlooking several talented junior Judge and Advocate.” यह सबसे बड़ी कमी थी। मुझे लगा कि एक्स जज हाई कोर्ट में अपाइंट होना चाहिए तो मैंने अपने साथ बैठने वाले जजेज से कह दिया कि इसका जरूरी है, आप सहमति दे दो। उसने कह दिया कि इसकी जरूरी है, आप सहमति दे दो। तो पांचों मिल गये और सहमति हो गयी। तो जो टेलेंटेड एडवोकेट्स थे या जो टेलेंटेड जजेज थे, आइदर सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सके या हाई कोर्ट में मैम्बर हो जज नहीं बन सके। इसकी क्रिटिसिज्म दिनों-दिन होती गयी। वो भाई-भतीजावाद कहो, जातिवाद कहो या किसी नाम से पुकारो, या अंकल जजेज कहो, यह सब उससे पैदा हुआ। वो दिनों-दिन चलता रहा जिसके कई उदाहरण रहेंगे। राजस्थान का ताजा उदाहरण है। पहले भी कई उदाहरण रहे हैं जिनके हम प्रत्यक्ष साक्षी रहे हैं। जब लगता है कि हमारे एक माननीय न्यायाधिपति अब सबसे सीनियर हैं, नैक्स्ट वन बट सीनियर हैं और उनका अपाइंटमेंट होने वाला है तो उनका इलाहाबाद ट्रांसफर कर दिया जाता है और वो वहां जाकर 12वें नम्बर पर आ जाते हैं। तो हमको पता है कि वो अब सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकेंगे या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं बन सकेंगे। ऐसे अनेक उदाहरण आए हैं जिन उदाहरणों के हम साक्षी रहे हैं कि उनको इसीलिए ट्रांसफर कर दिया गया। एक दिल्ली हाई कोर्ट के माननीय न्यायाधिपति थे, उनका नम्बर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में आने वाला नहीं था तो

(श्री जोगाराम पटेल)

उनकी ट्रांसफर मुम्बई कर दी गयी। वहां सीनियर हो गये और 6 महीने के अन्दर-अन्दर सुप्रीम कोर्ट में आ गये। तो यह हुआ है, यह चलता रहा है और इसकी वजह से इस मैकेनिज्म का क्रिटिसिज्म होता गया, अनेकों बार होता गया। होते-होते आज यह स्टेज आयी है जिसका उदाहरण पार्लियामेंट की डिबेट में भी मिल रहा है और यहां माननीय सदस्य भी आपके सामने निवेदन कर रहे हैं। इन सबके बावजूद जब हुआ, जो आपके यहां नहीं बताया गया और पार्लियामेंट की डिबेट में भी नहीं आया है, कि इसीलिए मजबूरन लॉ कमीशन की 207 की जो रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट में प्रपोजल फार रिकमण्डेशन आफ जजेज केस फर्स्ट, सैकण्ड एण्ड थर्ड को रिव्यू करने, इसका सोल्यूशन निकालने की लॉ कमीशन ने डिटेल अपनी रिपोर्ट दी।

(15.00 बजे)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, उस 207 की ला कमीशन की रिपोर्ट को आधार बनाकर यह दिनोंदिन आने लगा कि अब कोई न कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा, जिसमें ट्रांसपेरेंसी हो। जो भी कोई जज अपाइंट हो रहा है, उस पर कोई अंगुली नहीं उठे। न्यायपालिका में जो दिनोंदिन ह्रास आ रहा है, वह नहीं हो। और यह भी नहीं देखा गया है, इस कमीशन ने यह भी कहा है, ''To seek a reconsideration of 3 Judgments before the Supreme Court." यह भी विचार आया कि क्यों न एक ऐसा कोई किया जाए कि इन तीनों फर्स्ट, सैकिण्ड और थर्ड के, इन सबका रिव्यू किया जाए और यह भी तय किया गया, A law to restore a primacy of the Chief Justice of India and power of executive to make an appointment. और उसी का नतीजा था कि पूर्ववर्ती केन्द्रीय सरकार ने, जो सरकार थी उन्होंने ला बनाया। जिसका यह आज आपके सामने रेफरेंस हो गया, हाउस में आया, हाउस में पेश करने के बाद कमेटी को चला गया। जब पास होने का वक्त आया और समय आया, समय से पहले कुछ होता है और समय आया, नरेन्द्र मोदीजी की सरकार के कार्यकाल के दौरान और जब राजस्थान की विधान सभा में आने का समय आया, उस वक्त ही आया और आपके सामने आया। तो इसकी यह बैकग्राउण्ड हिस्ट्री रही है...

श्री सभापति: आपका भी समय आ रहा है।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार। यह इसकी बैकग्राउण्ड हिस्ट्री रही है, यह जो बिल है, वह रेफरेंस के लिए अपने सामने आया है।

माननीय सभापति महोदय, एक विशेष निवेदन मैं इस स्टेज पर करना चाहता हूं क्योंकि इस बिल पर बाकी सारी बातें बहुत लम्बी-चौड़ी हो चुकी हैं। और आप जैसे विद्वान साथी ने जब सारी विद्वता के केसेज रख दिये हैं तो उसमें कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन मैं दो-तीन बातें विशेष रूप से रखना चाहूंगा। यह कोलेजियम सिस्टम है, यह क्यों आया, कैसे आया, क्या-क्या स्टेजेज हुए, किन-किन माननीय न्यायाधिपतियों को रख दिया गया चाहे भट्टाचार्यजी हों, चाहे और कोई जजेज हों। या क्यों नहीं अपाइंटमेंट हो गया। ऐसे भी हम प्रत्यक्ष साक्षी रहे हैं दो हमारे साथी थे- एक बहुत टेलेंटेड एडवोकेट थे और एक उनके साथी जूनियर थे, उनके आफिस से ही निकले हुए थे। वे हाई कोर्ट तक पहुंच गये, चीफ जस्टिस हो गये और वह नहीं बन पाये। यह कई जगह होता है। कौन किसकी हाजिरी भरता है, कौन किसकी सेवा लेता है, कौन किसके नजदीक रहता है, ये सारे आरोप लगते हैं। और कुछ सत्य भी हो सकते हैं। लेकिन अब जो सिस्टम आया है, उसमें दो-तीन सुझाव मैं निवेदन भी करना चाहता हूं। सुझाव तो नहीं हो सकते। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, माननीय सभापति महोदय, अगर इस सिस्टम में भी धीरे-धीरे ऐसा कुछ हो गया, तीन माननीय सदस्यों ने कह दिया कि नहीं, एक्स का नहीं हो सकता और तीन माननीय सदस्यों ने कह दिया कि नहीं, एक्स का हो सकता है तो उस परिस्थिति में क्या होगा? क्या उस परिस्थिति में जजेज का अपाइंटमेंट, जजेज का ट्रांसफर या चीफ जस्टिस की नियुक्ति या हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस की नियुक्ति में डिले होने की सम्भावना नहीं है? दो माननीय सदस्यों ने वीटो कर दिया कि नहीं, एक्स का नहीं हो सकता तो क्या उस परिस्थिति में फिर डिले होने की सम्भावना नहीं है? क्या उस परिस्थिति में...

श्री सभापति: इसका जवाब रविशंकरजी ने दिया है राज्य सभा में। आप करो विश्वास।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): वह उन्होंने विश्वास का जवाब दिया है। उन्होंने इतना ही जवाब दिया है कि आप विश्वास करो। यह जवाब नहीं दिया कि यह मैकेनिज्म है। विश्वास तो उस जजमेंट में भी जो अभी मैंने रिकमण्डेशन माननीय सर्वोच्च न्यायालय की पढ़ी, उन्होंने भी नौ ऐसे सूत्र दिये

(श्री जोगाराम पटेल)

थे, ऐसे आधार दिये थे कि विश्वास करो। जो सीनियर मोस्ट चार जजेज हैं और चीफ जस्टिस हैं, उन पर उस जमाने में अविश्वास का कोई कारण नहीं था लेकिन धीरे-धीरे अविश्वास पैदा हुआ और अविश्वास की परिणति यह हुई कि यहां तक आकर पहुंच गया।

प्रश्न पूछा कई माननीय सदस्यों ने कि, साहब, इस परिस्थिति में क्या होगा। तो उस परिस्थिति का स्पष्ट कोई जवाब नहीं आया। माननीय सभापति महोदय, यह भी कि अगर राष्ट्रपति महोदय ने एक बार इसको रिफ्यूज कर दिया और यह कहा गया कि इसको पूर्ण बहुमत से पुन: पारित होना चाहिए लेकिन उसको यह आश्वासन दिया गया कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, तो क्या दुबारा माननीय राष्ट्रपति उसको रिफ्यूज नहीं कर सकते, ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान भी नहीं बनाया गया।

श्री सभापति: नहीं, इसमें स्पष्ट है कि एक बार राष्ट्रपतिजी ने भेज दिया और दुबारा इस न्यायिक आयोग ने वापस भेज दिया तो उस पर राष्ट्रपतिजी को दस्तखत करने ही पड़ेंगे।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): उन्होंने यह कहा है...

श्री सभापति: हां, करने ही पड़ेंगे दस्तखत। (व्यवधान) बाध्यकारी है।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): मैं सही कह रहा हूं। वह है, वह मैं नहीं कह रहा हूं। यह बात आपने, सबने कह दी, माननीय सदस्यों ने कि अगर एक बार कमीशन ने कोई रिकमण्डेशन भेज दी, माननीय राष्ट्रपति महोदय ने वापस भेज दी और उस रिकमण्डेशन जो वापस आई है, उस पर बहुमत से निर्णय नहीं हुआ, सिर्फ दो माननीय सदस्यों ने कर दिया, चार माननीय सदस्यों ने कर दिया और अगर वह जो निर्णय है, वह पहले वाले निर्णय और दूसरे वाले निर्णय में अगर माननीय सदस्यों में भी कुछ विवाद रह गया, कुछ मतभेद रह गये, कुछ अविश्वास रह गया, कोई भेद रह गया तो क्या वह सैकण्ड रिकमण्डेशन सर्वसम्मति से नहीं जाकर, बहुमत से गई है...

श्री सभापति: वह तो इतना बोझ रखो मत। अपना इतना बोझ मत रखो।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): नहीं रखते हैं। वह जो मेरा सुझाव है, वह विशेष है कि क्यों नहीं ऐसा...

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): वकील ही बोझ नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): ...एक स्टेट ला कमीशन इसी का नाम देकर, क्योंकि इसमें जिस किसी स्टेट में किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का अपाइंटमेंट होगा, उसमें गवर्नर, चीफ जस्टिस, ला मिनिस्टर की कंसल्टेशन का कोई प्रावधान नहीं है। मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा निवेदन भी है, मेरी ऐसी शंका भी है कि यह जियोग्राफिकल एरिया कल्चर से भी कई जगह होता है। ऐसी स्थिति में जैसा आप कह रहे थे, पूर्व में था कि गवर्नर महोदय से सहमति ली जाती थी। तो क्यों न ऐसा मैकेनिज्म स्टेट लेवल पर भी बना दिया जाए कि हाई कोर्ट के जजेज के अपाइंटमेंट का जहां प्रश्न आए, तो आइदर गवर्नर महोदय से या ला मिनिस्टर से भी सहमति ली जाए या उनसे कंसल्ट किया जाए। अगर ला मिनिस्टर या गवर्नर से कंसल्ट किया जाएगा तो उस स्टेट का भी देखा जाएगा कि इस स्टेट का कल्चर क्या है, इस स्टेट का जियोग्राफिकल एरिया क्या है, इस स्टेट की नीड क्या है। और लास्ट में यह भी है...

श्री सभापति: इसमें संशोधन या सुझाव नहीं जाते हैं। इसमें केवल अनुसमर्थन ही जाता है।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): नहीं जाते हैं, इसीलिए मैंने कहा भी है, मेरा यह मानना है। माननीय सभापति महोदय, अनुसमर्थन जाता है लेकिन पार्लियामेंट डिबेट में भी यह बात आयी और इस डिबेट में भी यह बात तो आएगी कि हमारी यह शंका है कि ऐसा होना चाहिए। हम यह रिकार्ड पर रखना चाहते हैं कि हमने यह बात निवेदन तो की थी पर यह हमारी मर्यादा थी और इस हाउस की भी एक मर्यादा थी कि जितना हो सकता है, उतना ही हो सकता है।

माननीय सभापति महोदय, आर्टिकल 368 के तहत आल इण्डिया सर्विस के अपाइंटमेंट का मामला जो अटका हुआ है, इसको भी क्यों नहीं इसके साथ ही, क्योंकि पैंडेंसी आफ केसेज की बात हम सब लोग करते हैं Either Supreme Court or the High Courts or the Lower judiciary, लेकिन जजेज की वेकेंसी है, जजेज की वेकेंसी की वजह से जो पैंडेंसी हो रही है या हमारे बार की वजह से केसेज की जो पैंडेंसी बढ़ रही है, उस ओर भी ध्यान देना जरूरी है।

अभी यह विषय भी आया था वकीलों की फीस के सम्बन्ध में, लेकिन मेरा यह निवेदन है कि जजेज की इस बात पर रेस्पांसिबिलिटी कायम होनी

(श्री जोगाराम पटेल)

चाहिए कि उनको कितना वर्कलोड, कितना वर्क एवरी-डे उनको निकालना चाहिए, एवरी मंथ निकालना चाहिए, एवरी ईयर निकालना चाहिए। कई-कई जजमेंट, कई-कई निर्णय ऐसे भी हैं कि साल भर तक उसका जजमेंट भी नहीं आता है। तो ऐसी अकाउंटेबिलिटी भी कहीं न कहीं कायम होनी चाहिए कि आपने कोई केस सुना है तो आप उसका जजमेंट भी कुछ पर्टीकुलर टाइम में तो देंगे ही देंगे।

श्री सभापति: बंगाल से आने वाले माननीय सदस्य बनर्जी हैं, वे बहुत अच्छे वकील भी हैं। उन्होंने भाषण में, बहस में कहा है कि, साहब, आपने ब्रीफलैस लायर के बारे में तो कहा है, लेकिन मैं एक ऐसे जज के बारे में बताता हूं जिसमें वे हाई कोर्ट तक पहुंच गये लेकिन ओपन कोर्ट में एक भी जजमेंट नहीं सुनाया।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): एक पेज का वही है, एक पेज की उनकी बहस हुई है। हम भी इस बात के साक्षी हैं...

श्री सभापति: वह एक आदमी साथ रखते थे नीचे बैठाकर, वह नोट करता जाता था, फिर घर पर जाकर लिख देते थे।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): हम इस बात के प्रत्यक्ष साक्षी हैं, कई ऐसे हमारे माननीय न्यायाधिपति हैं, वे ओपन कोर्ट में जजमेंट नहीं लिखा सकते और घर पर भी नहीं लिखा सकते, भले ही उनका स्टेनो लिख सकता है लेकिन वे नहीं लिख सकते थे। उसका तो कोई न कोई कारण कहीं न कहीं रहा है। हमारे सिस्टम में जो कमी रही है, जिस क्षेत्र से हम लोग आते हैं, उसमें जो कमी रही है, उसमें भी सुधार की आवश्यकता है। विशेष तौर से इन सुझावों के साथ ही साथ राजस्थान की विधान सभा में जैसा कि आपने निवेदन किया है, आपने बात रखी कि पहली बार यह सबसे पहले यहां आया है। आपने जिन एक्ट्स को गिनाया उनमें शायद पुलिस एक्ट नहीं गिनाया है। पुलिस एक्ट में भी हम पहले हैं। राजस्थान की विधान सभा ऐसी है जिसने हिन्दुस्तान में सबसे पहले पुलिस एक्ट का जो अधिनियम है, वह पास किया था। पुलिस एक्ट जो बनाया था, वह नया सुप्रीम कोर्ट की सात ला कमीशन की रिपोर्ट के बाद जब सुप्रीम कोर्ट की इतनी बाइडिंग हो गई कि अगर अब आप पुलिस एक्ट पारित नहीं करेंगे तो हमको डायरेक्ट कंट्रोल करना पड़ेगा। उसके बाद यहां जो बिल आया, फिर वह एक्ट बना और माननीय राष्ट्रपति महोदय

(श्री जोगाराम पटेल)

की उस पर सहमति मिल गयी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राजस्थान की मुख्य मंत्री महोदया को, यहां के वही ला मिनिस्टर हैं, उन्होंने पहल करके पहले इस विधान सभा में सबसे ऐतिहासिक जिसको कहा जा रहा है, वह ऐतिहासिक जो रेफरेंस है हमारे सामने आया, जिसके ऊपर हमको भी पहली बार अपनी बात रखने का मौका मिला है। हमारे से पूर्व माननीय सदस्यों ने जो विषय रखे हैं और जो कई उदाहरण रखे हैं, उनको भी सुनने का मौका मिला है। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं इसका समर्थन करता हूं और निवेदन करता हूं कि इस रेफरेंस को एकार्डिंगली रिकमण्ड किया जाए। आपका बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद। श्री राजपालसिंहजी शेखावत।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): सभापति महोदय, मैं नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति: मैं आपको पुकारूंगा।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): हाउस में हां पक्ष को मौका दिया गया, ना पक्ष को मौका दिया गया, जो राष्ट्रीय जनता पार्टी है उनको मौका दिया गया और जो जमींदारा पार्टी आज मान लीजिए नहीं है या बोलना नहीं चाहती, मुझे नहीं मालूम। आपके हां पक्ष के तो 160 लोग हैं। आप यदि हमको आखिर में ही मौका देना चाहते हैं तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इंडिपेन्डेंट्स चाहे वे ग्रुप में नहीं हैं, पर यह औचित्य होगा कि आप मुझे पहले मौका दें और राजपाल सिंहजी शेखावत को बाद में मौका दें।

श्री सभापति: मैंने एक बार पुकार लिया है।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): अब आपने पुकार लिया तो वह तो आपकी मर्जी है और आखिर हाउस की गरिमा बहुत आप समझते हैं इसलिए मुझे कुछ निवेदन नहीं करना है।

श्री सभापति: मैंने पुकार लिया नाम उनका, आप मेरी आई पहले कैच कर लेते।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): मैं तो खड़ा ही हो गया था।

श्री सभापति: मेरी आंखें इधर थीं। खैर, अब राजपाल सिंहजी नहीं हैं, आप बोलें।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): सभापति महोदय, बहुत

(श्री मानिक चन्द सुराना)

गम्भीर विषय सदन के सामने है। हमारी लोक सभा और राज्य सभा दोनों ने मिलकर जो संविधान 121वां संशोधन विधेयक, 2014 हमारे सामने अनुसमर्थन के लिए भेजा है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिन्होंने लोक सभा और राज्य सभा में इस बिल को पास किया, वह ऐतिहासिक काम किया और जो विधान सभाएं इसके अनुसमर्थन में प्रस्ताव करेंगी, वे भी ऐतिहासिक काम करेंगी। सभापति महोदय, होना आपको अध्यक्ष ही था लेकिन आप तो किसी कारण से सभापति हो गये हैं।

श्री सभापति: आपको मेरे से कोई नाराजगी है क्या?

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): नहीं, नहीं, नाराजगी नहीं है। हम तो बहुत आपके प्रशंसक हैं और जो आपका भाषण था....

श्री सभापति: मैं पति रहना चाहता हूं।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): आज जो आपका भाषण था, सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य का जो भाषण था, वह निश्चित रूप से आज की डिबेट का एक लैण्डमार्क था। मैं अर्ज करना चाहूंगा, अनुच्छेद-124 और अनुच्छेद-217, अनुच्छेद 124 सम्बन्धित है राष्ट्रपति महोदय, चीफ जस्टिस आफ इण्डिया, माननीय मुख्य न्यायाधीश के कंसल्टेशन से, परामर्श से, क्योंकि कंसल्टेशन की हिन्दी परामर्श है,... के परामर्श से सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति, हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे। सभापति महोदय, अनुच्छेद-124 को मैं पढ़कर सुनाना चाहूंगा और वह भी हिन्दी में पढ़कर सुनाना चाहूंगा। अनुच्छेद-124 में जो लिखा है, ''उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा। जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और जब तक संसद विधि द्वारा अधिक संख्या विहित नहीं करती है, तब तक सात से अनधिक अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा। उच्चतम न्यायालयों के और राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने के पश्चात् जिनसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए परामर्श करना आवश्यक समझे। राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा और वह न्यायाधीश तब तक पद धारण करेगा जब तक वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है।''

(श्री मानिक चन्द सुराना)

सभापति महोदय, यह प्रावधान सन् 1950 से आज तक वो का वो है जो शुरू में था। इसकी व्याख्या सन् 93 से पहले अलग की गयी और सन् 93 के बाद में अलग की गयी। मैं सदन को निवेदन करना चाहता हूं कि इस संविधान में एक अनुच्छेद 141 है, और जिन ख़तरों की ओर शाहपुरा से आने वाले माननीय विधायक इंगित कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में इस लोक सभा और राज्य सभा द्वारा पारित और आधी से अधिक विधान सभाओं द्वारा पारित 121वें संशोधन को चुनौती मिल सकती है, उसमें उन्होंने अभिषेक मनु सिंघवी का जिक्र किया है और उन्होंने क्वेश्चन के तौर पर कहा कि ऐसा सम्भव है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह चाहे सम्भव हो कि इस बिल को भी चुनौती दी जाए, हिन्दुस्तान में 130 करोड़ आदमी हैं, कोई कह नहीं सकता, कोई भी आदमी जाकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है, परन्तु अनुच्छेद 141 में जो कहा है, वह मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए अर्ज करना चाहता हूं।

मैं अनुच्छेद 141 पढ़ रहा हूं, ''उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होना। उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होगी।'' मेरा निवेदन है कि अनुच्छेद-141 का प्रावधान संविधान का मूलभूत ढांचा है। जब यह रहेगा तभी देश में रूल आफ ला रहेगा और इसमें कोई संशोधन आएगा उस दिन समझ लेना चाहिए कि रूल आफ ला का जो राज है हिन्दुस्तान में, वह अब समाप्त होने वाला है। निश्चित रूप से हिन्दुस्तान के संविधान की व्याख्या करने का एकमात्र अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसमें मेरी तरफ से तो मैं कहता हूं कि यह हमारे लोकतंत्र की रक्षा के लिए अत्यन्त आवश्यक है।

सभापति महोदय, मुझे दु:ख है, 1982 में जो पहला जजेज केस हुआ, एस.पी. गुप्ता वर्सेज यूनियन आफ इण्डिया, उसमें जिन्होंने जजमेंट दिया पी.एन. भगवती साहब ने, उन पी.एन. भगवती साहब ने जजमेंट में जो कुछ कहा, मैं संक्षेप में जो उन्होंने कहा, अंग्रेजी में है, अंग्रेजी में ही पढ़ना होगा, मैं हिन्दी अनुवाद इसका करके नहीं लाया हूं। Justice P.N. Bhagwati says;" The Chief Justice of India, the Chief Justice of the High Court and such other Judges of the High Courts and of the Supreme Court and the Central Govt. may deem it necessary to consult are merely constitutional functionaries having a consultative role and the power of appointments resides only and exclusively in the Central Govt.'' जो कुछ उन्होंने लिखा, उसका अर्थ बहुत साफ है

(श्री मानिक चन्द सुराना)

कि जिनसे सलाह की जा रही है राष्ट्रपति महोदय के द्वारा वो संवैधानिक पदों पर हैं और संवैधानिक फंक्शनरीज हैं, लेकिन उनकी राय मानना न मानना वो एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट के अधिकार क्षेत्र में है। सभापति महोदय, सन् 1950 से लगाकर सन् 1982 तक वो ही व्यवस्था थी, वो ही व्यवस्था सन् 1993 तक चलती रही। सन् 1993 में जो भी बैंच बैठी जिसमें अध्यक्ष न्यायाधीश जे.एस. वर्मा थे, चीफ जस्टिस थे, हिन्दुस्तान के वर्मा साहब ने यह कहा कि यह फैसला सन् 1982 में गलत हो गया। कंसल्टेशन का मतलब यह है कि वो कांकरेंट है, जो बात न्यायाधीश कह रहे हैं उस बात से सरकार इधर-उधर नहीं हो सकती। कंसल्टेशन में जो भी राय हमने प्रकट कर दी, वो मानना कार्यकारी सरकार के लिए आवश्यक है। 1993 से लगाकर अब 21 साल हो रहे हैं, सभापतिजी, और हम सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जे.एस. वर्मा के द्वारा जो भी निर्णय लिया गया, उस निर्णय को भुगत रहे हैं।

श्री सभापति: और वर्माजी ने बाद में खुद कहा कि मेरे से गलती हो गयी।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): मैं वो ही अर्ज कर रहा हूं, सभापति महोदय, I am coming to that. वर्माजी ने उसको कई बार रिग्रैट किया और देश में घूम-घूम कर उस बात को कहा। पहले तो यह कहा कि यह मेरा फैसला मिसअण्डरस्टुड किया गया। जबकि फैसला मिसअण्डरस्टुड किया ही नहीं गया। फैसले को जिस स्पिरिट में उन्होंने लिखा था उस स्पिरिट में मान लिया गया। 1993 में फैसला हुआ और 1998 में भारत सरकार के राष्ट्रपति महोदय ने आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट आफ इंडिया को रेफरेंस भेजा। रेफरेंस में भी जब कोई नतीजा नहीं आया तो, मुझे निवेदन करते हुए बहुत प्रसन्नता है कि माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारीजी के समय भारत के संविधान की वर्किंग कैसे हो रही है और उसमें वर्किंग अब तक कैसे हुई है, उसके लिए एम.एन. वेंकटचलैया को अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उनके द्वारा यह कहा गया, यह जो सिस्टम अभी चल रहा है आर्टिकल 124 के तहत, इसकी जगह नेशनल जुडीशियल कमीशन का निर्माण किया जाना चाहिए। एम.एन. वेंकट चलैया साहब की राय 2003 में आ गयी, 2003 में आने के बाद देश का सोच और न्यायाधीशों का सोच और आम जनता का सोच और जितने भी राजनीति में सक्रिय लोग हैं उन सब का सोच यह बनने लगा कि जो व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने 124 अनुच्छेद की कर दी है, और उसके साथ 217

(श्री मानिक चन्द सुराना)

की कर दी है जो हाई कोर्ट जजेज से सम्बन्धित है, उसकी जगह नेशनल जुडीशियल कमीशन को अपाइंट किया जाना चाहिए। मुझे यह भी खुशी है कि यूपीए सरकार जिसके ला मिनिस्टर वीरप्पा मोइली थे, उन्होंने भी इसी तरह का एक संशोधन पेश किया था। उस संशोधन में कुछ और सुधार करते हुए माननीय रविशंकरजी प्रसाद जो संशोधन हमारे देश के नेता नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में लाये हैं और जो राज्य सभा और लोक सभा से पास करवा करके आपके और हमारे सामने विचारार्थ है, निश्चित रूप से मैं शत प्रतिशत जो अनुसमर्थन का प्रस्ताव आया है, उसके समर्थन में हूं।

सभापति महोदय, समर्थन की बात सम्पूर्ण रूप से कहते हुए मेरा निवेदन है कि कुछ बातों पर गम्भीरता से विचार होना ही चाहिए। आप सुप्रीम कोर्ट के जजेज को नियुक्त करें लेकिन प्रान्तीय सरकार है, प्रान्त की विधान सभा है, कुछ प्रान्तों में अपर हाउस है, चीफ मिनिस्टर है, पूरी एग्जीक्यूटिव है, ठीक है आपने लिखा है कि गवर्नर की राय ली जाएगी, चीफ मिनिस्टर की राय ली जाएगी, आज प्रश्न यह है कि नेशनल न्यायिक आयोग की नियुक्ति के साथ ही उन चीफ मिनिस्टर की राय का और गवर्नर की राय का और चीफ जस्टिस जो हमारे प्रान्त के हैं, उनकी राय का वज़न कितना रहेगा यह कहीं स्पष्ट नहीं है। नेशनल जुडीशियल कमीशन के लिए आपकी राय को मानना कहीं जरूरी नहीं है कि आपकी राय को ज्यादा वेट दिया जाए। मैं अर्ज करना चाहूंगा कि थम्बीदुरई साहब का जिक्र आया, वो एआईडीएमके के हैं और उन्होंने अपने भाषण में साफ कहा है कि नेशनल जुडीशियल कमीशन सुप्रीम कोर्ट के जजों की और उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति करे, लेकिन प्रान्तीय जुडीशियल कमीशन भी हो और प्रान्तीय जुडीशियल कमीशन हाई कोर्ट के जजेज की नियुक्ति के बारे में महत्वपूर्ण रोल अदा करे। मैं अर्ज करना चाहूंगा कि जहां एआईडीएमके ने यह मांग की है, राजस्थान सरकार भी अपना रवैया इस प्रान्तीय जुडीशियल कमीशन के बारे में स्पष्ट करे कि हमारी राय का क्या असर राजस्थान के जजों की नियुक्ति के लिए होना चाहिए। यदि हमारी राय का कोई वज़न नहीं है तो, सभापति महोदय, जिस तरीके से अनुच्छेद 124 की सिर्फ व्याख्या करके जो अधिकार राष्ट्रपति के थे और कार्यकारी सरकार के थे, वो उच्चतम न्यायालय ने अपने में समाहित कर लिये और भारत सरकार का काम सिर्फ क्लैरिकल रखा कि उनकी राय को देखो कि जज कोलेजियम की राय क्या है और कोलेजियम की राय को देख करके उसके अनुसार काम करो।

(श्री मानिक चन्द सुराना)

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्रान्तीय सरकारों का महत्व, चीफ मिनिस्टर की राय का महत्व, चीफ जस्टिस आफ राजस्थान का महत्व और हमारे गवर्नर का महत्व जहां तक राजस्थान के हाई कोर्ट जजेज का मामला है, वो निश्चित रूप से होना ही चाहिए।

सभापतिजी, इस अवसर पर मैं इस बात की तरफ भी आपका ध्यान आकर्षित करूंगा आपके माध्यम से पूरे सदन का, कि हिन्दुस्तान में सारे चीफ जस्टिस बाहर के हैं, सिर्फ राजस्थान में ही नहीं सब जगह बाहर के हैं। क्या संविधान में यह लिखा है कि हर प्रान्त का चीफ जस्टिस बाहर से आएगा? कहीं नहीं लिखा संविधान में। संविधान में हाई कोर्ट के एक चीफ जस्टिस की कल्पना की। वह बाहर से आएगा, यह परम्परा बना दी। भारत सरकार में विभिन्न सरकारें आती रहीं और भारत सरकार की विभिन्न सरकारों के विभिन्न ला मिनिस्टरों के द्वारा और सीजेआई के द्वारा और हाई कोर्ट जजेज के द्वारा यह परम्परा बना दी गयी कि चीफ जस्टिस राजस्थान का बाहर से आएगा और हमारा जो चीफ जस्टिस होगा वो किसी अन्य प्रान्त में जाकर निर्णय करेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान का चीफ जस्टिस सिक्किम में न्याय करेगा और राजस्थान में कभी तो अरुण मिश्रा आएंगे, उनके बाद अमिताभ राय आएंगे, उसके बाद अभी न्यायाधीश सुनील अम्बवानी साहब आएंगे। इनका टर्म दस महीने का है। माननीय कटारिया साहब, मैं अर्ज करना चाहता हूं सदन से कि राज्य सरकार इस बात को देखे कि जो भी चीफ जस्टिस आए, कम से कम उसकी टर्म तीन साल हो। जब तक टर्म तीन साल नहीं है, आप बाहर से आ रहे हैं, आप राजस्थान टीनेंसी एक्ट के प्रावधानों को लैंड रेवेन्यू एक्ट के प्रावधानों को हमारे सैकड़ों महत्वपूर्ण कानूनों को, भूमि अवाप्ति के कानूनों को आप कैसे दस महीनों में सब समझ लेंगे और कैसे आपकी संवेदनशीलता राजस्थान के प्रति और राजस्थान के अभिभाषकों के प्रति जो आर्ग्यू करते हैं आपके सामने, उनके प्रति बनेगी। यह प्रश्न छोटा नहीं है, सभापतिजी। मैं स्पष्ट तौर से मांग करता हूं कि प्रान्तों में मुख्य न्यायाधीश प्रान्त का ही हो। संविधान ने यह व्यवस्था खोलकर नहीं कही है कि वहीं का होगा। पर यह भी नहीं कही है कि बाहर का होगा। जब बाहर का होना। लिखा नहीं है तो क्यों होगा बाहर का? बाहर का होना कहां जरूरी है? यह भी एक्स्ट्रा जुडीशियल इंटरप्रिटेशन है।

हमारे जो भी प्रावधान है अनुच्छेद 217 के, ये उसके एक्स्ट्रा

(श्री मानिक चन्द सुराना)

जुडीशियल इंटरप्रिटेशन है कि मुख्य न्यायाधीश बाहर से आए। मैं यह कहना चाहता हूं, जस्थान के चीफ जस्टिस का हवाला दे रहा हूं आपको, जो रिटायर हुए और मुख्य-मुख्य वकीलों और पूरी जुडीशियरी का सम्मेलन उनके मान सम्मान में, उनको विदा करने के लिए हुआ। उस सम्मेलन में चीफ जस्टिस साहब ने किसी पर्टीकुलर एडिशनल एडवोकेट जनरल को यह कहा कि मिस्टर सो एंड सो, आपके बारे में, आप मुझे माफ करना, मैं तो बहुत कुछ करना चाहता था लेकिन जो यह मेरे मित्र जज बैठे हैं, इन्होंने जो पूर्वाग्रह आपके प्रति मेरे दिमाग में डाले, इस कारण मैं कुछ नहीं कर सका। मैं आपका ध्यान उस बात की ओर दिला रहा हूं जो डा. अम्बेडकर ने कही थी कि ला मिनिस्टर भी व्यक्ति है, चीफ जस्टिस भी व्यक्ति है, उसमें भी मानवीय कमजोरियां हो सकती हैं और उन मानवीय कमजोरियों के कारण वे अनावश्यक रूप से दूसरों के प्रभाव में आ सकते हैं, जो उनको करना चाहिए था उसको रोक सकते हैं। मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि राजस्थान का मुख्य न्यायाधीश राजस्थान का बने और तीन साल कम से कम उसकी टर्म हो, यह बहुत आवश्यक है।

(15.31 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

राजस्थान के न्याय को विकसित करने के लिए, राजस्थान के गरीब को न्याय देने के लिए और राजस्थान की आम जनता की सुनवाई करने के लिए। सभापतिजी, यह जो कोलेजियम बना, सन् 93 के बाद आज तक जो काम कर रहा है, इस कोलेजियम के द्वारा जो नियुक्तियां हुईं, मैं अर्ज करना चाहता हूं, उन नियुक्तियों का कोई परीक्षण तो करें। क्या उसमें ओबीसी के लोग हैं? क्या उसमें पिछड़े वर्ग के लोग हैं? क्या उसमें महिलाएं हैं? क्या उसमें अनुसूचित जाति के लोग जिनमें 10-20 बढ़िया वकील राजस्थान में हैं, क्या किसी को भी आज तक कोई महत्व दिया गया, कोई स्थान दिया गया? मैं निवेदन करना चाहता हूं इसीलिए कि कोलेजियम इस काम में फेल हो गयी इस कारण भारत सरकार ने नेशनल जुडीशियल कमीशन में एक एमीनेंट जज को इसलिए रखा है जो ओबीसी, शिड्यूल्ड कास्ट, माइनोरिटी, वूमन उस कैटेगिरी में से आए। देश में आप देखिये तो सही, सुप्रीम कोर्ट में महिला जज कितनी रही हैं, 60-62 साल के शासन में मुश्किल से शायद आज तक दस अपाइंट हुई हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, ओबीसी को देखें तो उनकी संख्या भी कम है।

(श्री मानिक चन्द सुराना)

आखिर तो जुडीशियरी भारत का प्रतिबिंब होना चाहिए। भारत में यदि अनुसूचित जाति के लोग हैं, पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, महिलाएं हैं तो निश्चित रूप से उनका उचित प्रतिनिधित्व तो कम से कम उसमें आए और उनको कंसीडर तो किया जाए। लेकिन कोलेजियम में किसी के सन-एंड-ला के अपाइंटमेंट की बात होगी, किसी के बेटे के अपाइंटमेंट की बात होगी, किसी के और रिश्तेदार की बात होगी। कोलेजियम पांच का है, एक आपका ले लिया मैंने, एक आपका ले लिया और एक हमारा है, तीन की नियुक्तियां करनी हैं, बांट लेते हैं उस कोलेजियम में। तो यह जो फंक्शनिंग चली कोलेजियम की, यह तो बहुत ऐतिहासिक दिन है, कि कोलेजियम से मुक्ति हो रही है। कोलेजियम, जिसने अपने दायित्वों के निर्वहन में और अनुच्छेद 124 के इन्टरप्रिटेशन में भारी कंस्लटेशन को कान्करेंस बनाकर भारी गलती की। उस कारण आज देश की संसद को सन् 93 में हुई गलती को 21 साल बाद सुधारने का मौका आया। सुधारने में उन्होंने बिल पारित कर दिये। 121वां संविधान संशोधन पारित कर दिया है। उसके साथ नेशनल जुडीशियल अपाइंटमेंट बिल, वह शायद इसके पास होने के बाद बनेगा।

मैं अर्ज करना चाहता हूं कि राजस्थान की स्थितियों को भी देखें। सदन यह तय करे, क्योंकि यह सदन के तय करने का मामला है कि क्या हमारा मुख्य न्यायाधीश हमेशा बाहर से आएगा। संविधान का यह जो इन्टरप्रिटेशन है, बिलकुल गलत है। एक्स्ट्रा जुडीशियल इन्टरप्रिटेशन है कि मुख्य न्यायाधीश बाहर का आएगा। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि मुख्य न्यायाधीश अगर राजस्थान का होता तो राजस्थान में 67 दिन की हड़ताल नहीं हो सकती थी। आखिर उसकी संवेदना कहीं तो जगती। मैं तो फिर भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि अम्बवानी साहब आये उनकी संवेदनशीलता कुछ जगी। और हमारे एडवोकेट जनरल लोढ़ा साहब को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बीच-बचाव करके 67 दिन के इस फांसे को खतम किया। सारा सदन जानता है, आज भी वकील दो धड़ों में बंटे हुए हैं। दो धड़े इसलिए हैं, क्यों आपने मान लिया, जबानी क्यों मान लिया, कि उन दो जजेज का ट्रांसफर हो जाएगा। क्या आवश्यकता थी? हम दस दिन और हड़ताल करते, बीस दिन और हड़ताल करते। खैर, हड़ताल खतम हो गयी। मैं नहीं चाहता कि राजस्थान में वापस कभी हड़ताल हो। इसलिए आपको मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। माननीय

(श्री मानिक चन्द सुराना)

राजेन्द्र राठौड़ साहब, मुझे दुख है कि आपने जो आश्वसन सदन को दिया कि माननीय मुख्य मंत्री मध्यस्थता करेगी, वह आश्वासन भी क्रियान्वित नहीं हुआ। खैर, अब तो हड़ताल जा चुकी। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इस बात को आप भी देखे, आप सरकार के बहुत पावरफुल मिनिस्टर है, माननीय कटारिया साहब भी बैठे हैं, चाहे मुख्यमंत्रीजी नहीं हैं। जो आदेश हाई कोर्ट को निकालना है दो जजेज के खिलाफ, उनके ट्रांसफर का, वह एक दिन में निकले, दो दिन में निकले, देर न हो, क्योंकि देर होने से वापस मामला खराब हो सकता है। संवेदनशीलता सरकार को रखनी पड़ेगी संवेदनशीलता के साथ आप उस आदेश को निकलवाएं। आपने आज अख़बार पढ़ा होगा, माहेश्वरीजी जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं, वकीलों को आपत्ति है, उन्होंने जब वकीलों की आपातकालीन बैठक हो रही थी, 14 मुकदमे खारिज किये। सभापतिजी, रूटीन में मुकदमा चार बजे से पहले खतम नहीं होता, डिस्पेंसिंग डिफाल्ट नहीं होता। वकील की गैरहाजिरी या पार्टी की गैरहाजिरी में खारिज नहीं किया जाता। पर माहेश्वरीजी ने, सारे वकीलों को 67 दिन जिन्होंने हड़ताल करने के लिए बाध्य किया उन्होंने कल 14 मुकदमे खारिज किये। मैं इतना ही अर्ज करूंगा कि आप उनकी नियत को देखें, उनके इन्टेंशन को देखे। वह चाहते हैं कि कन्फ्रंटेशन बढ़े और राज्य सरकार को चाहिए कि इस कफ्रंल्टेशन को तोड़ने के लिए राज्य सरकार अपने गुड आफिसेज का यूज करते चीफ जस्टिस साहब को प्रेरित करे और हमारे एडवोकेट जनरल को प्रेरित करे कि जो आदेश उनको निकलवाना है वह आदेश तत्काल निकालें। आपने मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हुआ मेरा स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति: श्री मोहन लालजी गुप्ता।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय सभापति महोदय, इस बिल के अनुसमर्थन में हमारे सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत ही विस्तार से अपनी विद्वतापूर्ण बात कही। वास्तव में यह लैंडमार्क बात थी। और, सभापति महोदय, आपने भी जिस प्रकार से इस विषय को रखा और आगे की सम्भावनाओं को व्यक्त किया कि कांन्स्टीट्यूशन के बैसिक कैरेक्टर के नाम पर बिल को चैलेंज भी किया जा सकता है, इस आशंका को आपने व्यक्त किया।

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी, उत्तरदायी जुडीशियरी का देश में होना बहुत आवश्यक है। जुडीशियरी ने अपना कर्तव्य निभाया है। इस बिल को इन्ट्रोड्यूज करते समय हमारे विद्वान कानून मंत्रीजी ने जो बात पार्लियामेंट में कही, उस बात को मैं यहां कहना चाहूंगा। उन्होंने कहा, ‘‘I will come to rationale of this Bill subsequently. But I would like to make two initial observations at the very outset. We all have the highest respect for the institution of judiciary. We all fully trust in the independence, in the integrity of the great institution of judiciary. Speaking for us, I would like to share with this House that many of us in our earlier student days.” माननीय सभापति महोदय, “…in our earliest student days of activism, have fought for the independence of judiciary. I am referring to seventies when there was a strain and stress on independence of judiciary, when there was a strain and stress on individual freedom and also on the freedom of the Press. I am very assured to share with this House that many Members of the present Modi Govt. including hon. the Prime Minister himself have been in the fore-front of that struggle which was basically designed to ensure the independence of judiciary, the media freedom and the individual freedom.” माननीय सभापति महोदय, यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात हमारे कानून मंत्रीजी ने कही कि जब वे स्टूडेंट थे, प्रधान मंत्री मोदीजी के नेतृत्व में आज यह सरकार बिल लाई है, वे भी उस वक्त थे, आपातकाल का संघर्ष हुआ था। उस आपातकाल के संघर्ष के दौरान हम सब लोग जेलों में बंद थे। घनश्यामजी भी बंद थे, हम भी बंद थे, ज्ञानदेवजी आहूजा भी बंद थे। हमने उस जुडीशियरी की इंडिपेंडेंस के लिये फाइट किया, संघर्ष किया। कांग्रेस की तानाशाही के खिलाफ संघर्ष किया। मोदीजी ने संघर्ष किया। हमारे कानून मंत्रीजी ने संघर्ष किया। हमारी वर्तमान मुख्य मंत्रीजी की मां श्रीमती विजयराजेजी सिंधिया ने संघर्ष किया। जयपुर की राजमाता गायत्री देवीजी, वे भी जेलों में बंद थीं। उन्होंने भी संघर्ष किया।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): किस पर बोल रहे हैं?

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): मैं जुडीशियरी की इंडिपेंडेंस के बारे में बात कर रहा हूं। कांग्रेस ने उसको खत्म करने का प्रयास किया। यह कानून मंत्रीजी ने पार्लियामेंट में कहा है। हम लोगों ने इस बात के लिये संघर्ष किया कि प्रेस की स्वतंत्रता कायम रहे। व्यक्ति की स्वतंत्रता कायम रहे। आपातकाल के दौरान जिस प्रकार से जुडीशियरी के अधिकार खत्म किये गये थे, वह जुडीशियरी की स्वतंत्रता, निष्पक्षता कायम रहे, इस बात के लिये संघर्ष

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

किया था। उस बात को अपने प्रिएम्बल में कानून मंत्रीजी ने दोहराया है। माननीय सभापति महोदय, इंडिपेंडेंट, ट्रांसपेरेंट, काम्पीटेंट जुडिशियरी होनी चाहिए। स्वतंत्र होनी चाहिए। उसके निर्णयों की पालना होनी चाहिए। इस बात के लिये हमने संघर्ष किया है और हम सदैव संघर्ष करते रहेंगे। क्योंकि जुडीशियरी हमारे लोकतंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, ये तीन महत्वपूर्ण स्तम्भ हैं लोकतंत्र के, एक चौथा स्तम्भ है प्रेस। इन स्तम्भों को निश्चित रूप से कायम रखना चाहिए। कायम रखना पड़ेगा। लेकिन, माननीय सभापति महोदय, कानून मंत्रीजी ने एक बात और कही, उसको भी मैं कोट करना चाहूंगा "Madam, today I would like to share with this House as to how we have come here. It is very important that I do so. When the Constitution was framed, great debate occurred as to what should be done and what should not be done." जैसा घनश्यामजी ने भी अपने भाषण में कहा कि कांस्टीट्यूशन सभा में यह डिबेट हुई कि जुडीशियरी में अपाइंटमेंट किस प्रकार से होगा। डाक्टर अम्बेडकर ने अपनी बात कही, उसी बात को कोट करते हुए कहा, "Various modes had been suggested." कई तरह के सुझाव आये कि जुडीशियरी में अपाइंटमेंट किस प्रकार से हो, जजेज का अपाइंटमेंट किस प्रकार से हो। 3 modes came to great scrutiny. Should the President make the appointments himself?" क्या भारत के राष्ट्रपति अपने आप में सक्षम हैं कि वे जुडीशियरी का अपाइंटमेंट करें, जजेज को अपाइंट करें? "Should the President make the appointments in consultation with the Executive?" क्या कार्यपालिका की मदद से करें? "Should the President make the appointments in consultation with the Parliament?" प्रेसीडेण्ट पार्लियामेंट की मदद से करें? "Or should the President make the appointments in consultation with the Chief Justice of India?" These were indeed great issues which were the matters of great concern and consideration. भारत सरकार द्वारा संविधान में आर्टिकल 124 में व्यवस्था की गयी कोलेजियम की। 1990 से पहले एक व्यवस्था कायम की गयी कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और अन्य जजेज की सहायता से ये अपाइंटमेंट होंगे। उस जुडीशियरी ने बहुत सारे काम किये। इंडिपेंडेंट जुडीशियरी थी। लेकिन कोलेजियम सिस्टम जो हमारे यहां हुआ, उसके बाद से कुछ कमियां इस जुडीशियरी सिस्टम में आ गयीं। जिस देश में आई.ए.एस. का अपाइंटमेंट, आई.पी.एस. का अपाइंटमेंट, आर.ए.एस. का अपाइंटमेंट एक सिस्टम से होता है, उनके एग्जामिनेशन होते हैं, उनके इंटरव्यूज होते हैं, एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

है तो क्यों नहीं हमारे जजेज का अपाइंटमेंट भी एक ट्रासपेरेंट सिस्टम के माध्यम से हो। इंडियन जुडीशियरी सर्विसेज का गठन किया जाए, उसके माध्यम से हो, इस प्रकार की व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती? क्या हमारे यहां इस प्रकार के एग्जामिनेशन नहीं हो सकते? लाखों केसेज पैंडिंग हैं। हाईकोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट के जजेज के पद रिक्त हैं। यह क्या कारण है? सिस्टम में एक इस प्रकार की खामी आ गयी। आई.ए.एस. के जिस प्रकार से अपाइंटमेंट होते हैं, उसके एग्जामिनेशंस होते हैं, आर.ए.एस. के एग्जामिनेशंस होते हैं, आई.पी.एस. के एक्जामिनेशंस होते हैं, उस प्रकार से क्या इंडियन जुडीशियरी सिस्टम में भी अपाइंटमेंट सम्भव हैं? माननीय सभापति महोदय, एक बहुत बढ़िया बात हमारे वीरप्पा मोइलीजी ने भी कही है, जो मैं यहां कहना चाहूंगा, उन्होंने अपने भाषण में यह कहा है कि विश्व भर में कहीं भी ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जुडीशियरी अपने अपाइंटमेंट स्वयं करे। आई.ए.एस. आफिसर्स अपने अपाइंटमेंट स्वयं करें, अपने प्रमोशन स्वयं करें। अभी माननीय घनश्यामजी ने कहा था, प्रमोशन की व्यवस्था खुद ही कर ली। तो क्या यह ठीक है? जुडीशियरी अपने अपाइंटमेंट खुद करे, ऐसी विश्व भर में कहीं व्यवस्था नहीं है। किसी भी देश में व्यवस्था नहीं है कि हम अपने अपाइंटमेंट खुद करें। यह एक रेस्पांसिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी का भी प्रश्न है। माननीय सभापति महोदय, मैम्बर आफ पार्लियामेंट चुनकर आते हैं, असैम्बली के मैम्बर चुनकर आते हैं, पंचायतों के मैम्बर चुनकर आते हैं, नगर पालिकाओं के मैम्बर चुनकर आते हैं, क्या अपना अपाइंटमेंट खुद कर लेते हैं? अपना सलेक्शन खुद ही कर लेते हैं? चीफ मिनिस्टर भी अपना अपाइंटमेंट खुद ही कर ले। प्राइम मिनिस्टर भी अपना अपाइंटमेंट खुद ही कर ले। क्या यह सम्भव है? आई.ए.एस. आफिसर भी अपना अपाइंटमेंट खुद ही कर ले। ऐसा एक सिस्टम बनाया जुडीशियरी का कि वे अपना अपाइंटमेंट खुद ही कर रहे हैं। वे खुद ही प्रमोशन कर रहे हैं, वे खुद ही ट्रांसफर कर रहे हैं, वे खुद ही इधर-उधर जा रहे हैं। यह जो सिस्टम है, यह ठीक नहीं है। उसके लिये उन्होंने इस प्रकार की व्यवस्था जो कायम की है, उसके खिलाफ यह बिल लाया गया है। वीरप्पा मोइलीजी ने एक बहुत अच्छी बात कही है, "I think these are all very serious matters. I would like to say that the judiciary should reflect the plurality of society. You need to provide for that because this is the body which gives direct justice and if the composition of the Supreme Court and the High Courts themselves is such that there is no proper representation to these classes of

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

people, then it is not fair. Let us not talk about accessibility. I think there should be some inbuilt system for having plurality in the higher judiciary and to have social justice. According to me, any justice system without social justice is no justice at all." सोशल जस्टिस की भी बात कही है। अभी हमारे कई सदस्यों ने कहा कि बैकवर्ड क्लास के लोगों का रिप्रजेंटेशन नहीं है। एस.सी., एस.टी. के लोगों का रिप्रजेंटेशन नहीं है। महिलाओं का रिप्रजेंटेशन नहीं है। तो वीरप्पाजी ने कहा "Without social justice there is no justice." वे लोग भी हमारी इस जुडीशियरी में होने चाहिए। महिलाएं भी होनी चाहिए। "We need to provide that kind of redressal. I am not referring to every other aspect of it. But I know very well that even in the advance country like USA, UK, France, Germany etc. they have demonstrated their concern for social justice. सामाजिक न्याय के प्रति वे सब लोग जागरुक हैं। हमारे यहां जुडीशियरी सिस्टम में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। "There again, the appointment of Judges are made by the political executive or by the Senate or by the Presidents of the respective countries or they are elected through the elected bodies." वहां जजेज का अपाइंटमेंट इलैक्टेड पीपुल, इलैक्टेड बाडीज या इलैक्शन के माध्यम से होता है। "There is no comparison with our existing system wherein Judges appoint themselves." कोई कम्पेरिजन नहीं है विश्व भर में कि हमारे जज अपने आप को अपाइंट करते हैं, अपने आप को ट्रांसफर करते हैं और अपने आप में ही सारे प्रमोशंस वगैरह करते हैं। "It is only available in this country."

श्री सभापति: माननीय सदस्य, युनाइटेड स्टेट्स में सारे अपाइंटमेंट्स नान-जुडीशियल आफिसर्स करते हैं, मतलब जजेज नहीं करते। यू.के. में 15 में से सिर्फ 5 होते हैं, बाकी 10 नान करते हैं।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): यस, सर। यह, विद्वान माननीय सभापति महोदय, बात सही है आपकी। यही बात मैं कोट कर रहा हूं। यही बात वीरप्पा मोइलीजी ने कोट की है। This kind of system is not there in these countries. माननीय सभापति महोदय, इस जुडीशियल सिस्टम को ठीक करने के लिए यह जो बिल लाया गया है, जो अमेंडमेंट लाया गया है, उसका मैं स्वागत करता हूं। जुडीशियल सिस्टम में जिस प्रकार से ये बातें आ रही हैं, जिस प्रकार से नैतिकता की, अनैतिकता की, भ्रष्टाचार की, अधिकारों के दुरुपयोग की बातें आ रही हैं, मैं कहना चाहूंगा कि जुडीशियरी के नाम पर एक्टिव जुडीशियरी और ओवरएक्टिव जुडीशियरी, इन दोनों में बहुत फर्क है।

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

आज जुडीशियरी के जो निर्णय आ रहे हैं मैं दो-तीन निर्णयों को कोट करना चाहूंगा, माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार से निर्णय आ रहे हैं, वह एग्जीक्यूटिव के जो अधिकार हैं उन पर अतिक्रमण करना चाहती है या एग्जीक्यूटिव के काम स्वयं करना चाहती है, इस प्रकार के उदाहरण प्रतिलक्षित होते हैं।

माननीय सभापति महोदय, एक बहुत सादा उदाहरण आप लोगों के सामने है जयपुर का रामनिवास बाग़, उसमें एंट्री जजेज के द्वारा बंद कर दी गयी। पूरे रामनिवास बाग़ का ट्रैफिक बंद कर दिया गया, क्योंकि जज साहब वहां किसी पास की कालोनी में रहते थे। रामनिवास बाग़ का जजमेंट वह कर दिया गया। चार-पांच साल तक जयपुर शहर की जनता परेशान रही। उसके बाद में उसको वापस खोला गया। यह ओवर एक्टिविज्म है। यह एग्जीक्यूटिव के कामों में दखलंदाजी नहीं है क्या?

श्री सभापति: बगैर क्षमा मांगते हुए। बगैर क्षमा मांगते हुए।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): बगैर क्षमा मांगते हुए, इस प्रकार का जजमेंट दिया गया है। माननीय सभापति महोदय, यह ओवर एक्टिविज्म जिस प्रकार से हो रहा है, एक बहुत तगड़ा उदाहरण मैं देना चाहूंगा। एक लेखराज सोनी हैं जयपुर में, उनके पास के मकान का कोई अतिक्रमण हो रहा है। हारते-जीतते ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गये, केवल मकान को तुड़ाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सभापति महोदय, उस जजमैंट में जयपुर के डवलपमेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी नियुक्त कर दी जस्टिस दवे की अध्यक्षता में, पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में। उसमें इसरानी साहब भी हैं, अब वे जयपुर का डवलपमेंट करेंगे। पार्किंग का करेंगे। पार्कों का करेंगे। तनख्वाह कार, उनको सब मिल रही है। आफिस मिल रहा है। लेखराज सोनी का जजमेंट है केवल, अतिक्रमण के मामले में गया है वह। अपने पास के काम्प्लैक्स के अतिक्रमण के मामले में गया है, सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सभापति महोदय, एक जयपुर के डवलपमेंट के लिए ऐसी कमेटी गठित कर दी। अब यह एग्जिक्यूटिव के अधिकारों पर अतिक्रमण नहीं है तो क्या है? मैंने भी पूछा उनसे, जस्टिस दवे साहब से, इसरानी साहब से कि साहब, यह काम तो हम लोगों का है, यह काम आप कब से करने लग गये? उन्होंने कहा कि आप देख लीजिए। यह जजमेंट है, उस जजमेंट के द्वारा हम काम करते हैं। उनको

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

आफिस मिला हुआ है। उनको कार मिली हुई है। उनको सब सुविधाएं मिली हुई हैं। उनको एक आर.ए.एस. आफिसर मिला हुआ है। जाते हैं वहां पर बस अपना निर्णय थोप देते हैं। यह क्या हो रहा है? कंटैम्प्ट के नाम पर आफिसर्स को, राजनेताओं को वहां पर बुलाया जाता है। सुबह-सुबह किसी भी अफसर को फोन करो तो वे कहते हैं कि सर, मैं हाई कोर्ट के बाहर खड़ा हूं। सर, मैं यहां पर खड़ा हूं। एक बार मेरे को भी बुला लिया, मैं मेयर था। जयपुर की सफाई व्यवस्था के बारे में मेयर साहब और सारे के सारे 70 के 70 पार्षद सुबह 11 बजे हाई कोर्ट में पेश हों। मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सफाई करेंगे क्या? कहा कि साहब आपको जाना पड़ेगा, नहीं तो कंटैम्प्ट हो जाएगा।

श्री सभापति: आप पीड़ित और प्रताड़ित दोनों ही लग रहे हो मेरे को तो।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): मैं भी गया, वहां पर पहुंचा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): इनको उन्होंने जयपुर की सफाई के लिए नहीं, इनकी सफाई के लिए बुलाया था।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): मैं पहुंचा। मैंने कहा कि क्या पूछेंगे, क्या करेंगे? जज साहब के सामने जाकर खड़े हो गये। साहब, हम कुछ बोल सकते हैं क्या? वकील साहब ने कहा कि नहीं, आप कुछ नहीं बोलेंगे, मैं ही बोलूंगा। हमने नमस्कार की। नमस्कार की तो कहा अच्छा, आप आ गये। पार्षद भी आ गये? हां, आ गये। अच्छा ठीक है, जाइये आप। मैंने कहा कि यह क्या बात हुई? न कुछ पूछा और न कुछ ताछा, अपने अहम की तुष्टि के लिए आफिसर्स को बुलाना, मेयर को बुलाना, पार्षद को बुलाना और पुलिस आफिसर्स को बुलाना और इस प्रकार से जुडीशियरी के नाम पर ओवर एक्टिविज्म करके एग्जीक्यूटिव के अधिकारों का अतिक्रमण करना, यह कतई ठीक नहीं है, उचित नहीं है। मैं समझता हूं कि हम सब लोग आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। एग्जीक्यूटिव को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। विधायिका अपने कर्तव्यों को पालन करे, जुडीशियरी अपने कर्तव्यों का पालन करे और कार्यपालिका भी अपने कर्तव्यों का पालन करे, तब ही हमारा संविधान और हमारा प्रजातंत्र कायम रह सकता है। माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार से यह बिल आया है और जिस प्रकार से इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, मैं समझता हूं कि इसमें सब बातें आ गयी हैं। इसमें हम सब लोगों को एक

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

होकर अपने अधिकारों के लिए और अपनी जुडीशियरी के अधिकारों के लिए भी और हमारे प्रजातंत्र की एकता के लिए भी, जिस प्रकार से अभी माननीय घनश्यामजी ने कहा, सम्पूर्ण देश के राजनीतिक दल, 26 के 26 दलों ने इस बिल को स्वीकृति प्रदान की है तो ऐसा लगता है कि देश में जो हमारी अनेकता है उसमें एकता प्रदर्शित हो रही है। अनेकता में एकता, भारत की विशेषता, हिन्दुस्तान की विशेषता इस बिल के माध्यम से आ रही है। मैं इस बिल का स्वागत करता हूं, अनुसमर्थन करता हूं। धन्यवाद, जय भारत, जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री गोविन्द सिंहजी डोटासरा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, संविधान संशोधन के अनुसमर्थन हेतु जो संकल्प है, 121वां संशोधन विधेयक, 2014, उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं। मेरे से पूर्व काफी विद्वान माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार रखे। जो दो बातें समझ में आयीं वे यह आयीं कि एक व्यक्ति कोई भी ठीक नहीं हो सकता और शक्तियों का विकेन्द्रीकरण होना चाहिए। यह जो बिल है, यह जो कांस्टीट्यूशन में अमेंडमेंट है, ...(व्यवधान) पूरी बात हुई ही नहीं क्या कल वाले रिजल्ट की? काका, पूरी बात हुई नहीं क्या?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ये बहुत सुंदर हैं। ये बहुत सुंदर हैं लाला। सुंदर नाम है न इनका।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हां, यह बात तो सही है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): काका का नाम भी सुंदर है और भविष्य भी सुंदर है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह निश्चित रूप से कांस्टीट्यूशन में जो अमेंडमेंट है, इसका प्रारूप हमारी यू.पी.ए. सरकार ने बनाया। (व्यवधान)

श्री सभापति: आसन वरिष्ठ लोगों से निवेदन करता है कि वे व्यवधान न डालें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यदि वे वरिष्ठ हों। (व्यवधान)

श्री सभापति: आसन की दृष्टि में जो वरिष्ठ हैं वे तो वरिष्ठ हैं ही।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इनकी वरिष्ठता को ...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): वे आजकल गरिष्ठ हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): जो अमैंडमेंट होने जा रहा है, जिसका संकल्प हम ले रहे हैं, वह यू.पी.ए. सरकार ने इसका प्रारूप तैयार किया। हम नहीं ला सके, आप लाये। बहुतों ने, पता नहीं, माननीय सदस्यों ने कहा कि मोदीजी ने यह कर दिया, मोदीजी ने यह कर दिया। इसमें दो बातें हैं।

श्री सभापति: प्रधान मंत्रीजी ने।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): प्रधान मंत्रीजी ने। हमारे माननीय प्रधान मंत्रीजी ने। एक तो शक्तियों का विकेन्द्रीकरण। क्या हो रहा है क्या शक्तियों का विकेन्द्रीकरण? सेंट्रलाइज नहीं हो रही हैं शक्तियां? आप केन्द्र में देख लीजिए, किस तरह का चल रहा है। यहां राजस्थान प्रदेश में किस तरह का मामला चल रहा है, नौ महीने से।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): यह बिल में लिखा है क्या? नहीं पढ़ा हो तो बोलना जरूरी नहीं है। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): बिल में लिखा है। यह जो माननीय मोहनलालजी गुप्ता कह रहे थे, वह क्या बिल में लिखा है क्या? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, इतनी गम्भीर डिबेट को भी यह ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): उन्होंने कहा कि मेरे को हाई कोर्ट ने बुला लिया, सफाई करायी मेरे से। यह बिल में लिखा हुआ है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): इतनी गम्भीर डिबेट को यह लाइट कर रहे हैं। यह सचेतक हैं पार्टी के। इतनी गम्भीर डिबेट को लाइट कर रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हां-हां, बिलकुल हूं। आपकी मेहरबानी से नहीं हूं।

श्री सभापति: वैसे आपको संसदीय कार्य मंत्रीजी की बात पर गम्भीरता से विचार कर लेना चाहिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): किया है न विचार। हमने

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

सूरजगढ़ में इनकी बात रखी है। इन्होंने कहा कि भाई, मेरा नम्बर टू से थ्री हो जाएगा, आप मेरी बात रखो। हमने इनकी ईमानदारी से बात रखी है। ये नम्बर टू ही रहेंगे, थ्री नहीं हो सकते।

निश्चित रूप से चाहे सूचना का अधिकार हो, चाहे मनरेगा का कानून हो, अच्छे कानून यू.पी.ए. सरकार लेकर आयी। इसमें थोड़ी देरी हुई, आप लेकर आये, यह अच्छी बात है। सब लोगों ने समर्थन किया लेकिन हमें एक बात सोचनी पड़ेगी।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): आप इसके लिए भी कहें कि ... (व्यवधान)

(16.00 बजे)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप विराज जाओ, मास्टर साहब, विराज जाओ। आपका कानून खतम करवा रहे हैं न तीन बच्चों वाला। लेकिन यह सोचना पड़ेगा कि हम जो यहां प्रस्ताव पारित करते हैं, उस पर अमल कितना होगा। माननीय सभापति महोदय, आपने भी शंका व्यक्त की थी। हमारे यहां से, इसी विधान सभा से एक प्रस्ताव पारित होकर गया था रचना गुप्ता मामले में, एक छोटी-सी थानेदार थी, क्या हुआ, मैं पूछना चाहता हूं? आप संविधान के अमैंडमेंट की बात कर रहे हैं, एक थानेदार ने पूरे विधान सभा की नाक के ऊपर चूना लगा दिया। (व्यवधान) यही तो पता नहीं है। इसीलिये तो यह भी अमैंडमेंट लाना पड़ेगा कि कौन यहां आ सकता है, सदन में कौन पात्र है, कौन नहीं है। यह भी लाना पड़ेगा। निश्चित रूप से हम जो बिल लाते हैं सभापति महोदय, क्या उन बिलों के बारे में कोई चर्चा होती है? सरकार में ब्यूरोक्रेट्स जो अधिकारी बैठे हैं, वे बिल बना देते हैं। मंत्रिमण्डल में एक लाइन का प्रस्ताव पारित हो जाता है, हमारे यहां वे बिल आ जाते हैं और हम मेज थपथपाकर हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता, ना पक्ष हारा, ना पक्ष हारा। इससे ज्यादा कुछ होता है क्या यहां? इस बात पर गहन मंथन करना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी का बिल पास करना है, हमने पास किया तो यहां से दस लोग खड़े होंगे, दूसरे ना पक्ष से, कि साहब इसमें ये कमियां हैं, इसमें ये कमियां हैं। और ए से लेकर जैड तक वही बिल, अगर जब दूसरा पक्ष सत्ता में आ जाता है तो वही सैटिंग का काम करके उसको हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता कर देते हैं। कहां जाते हैं उनके तर्क? उनको समझना नहीं पड़ेगा क्या? जनता सब समझती

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

है। पिछली विधान सभा में मैं बिलकुल सही वाकया बता रहा हूं जो हुआ। जब कृषि उपज मंडियों में 50 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं का किया, हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता। फिर लास्ट का मामला था, हम चले गये। मेरे तो तीन माननीय सदस्यों ने पूछा कि एम एल ए साहब बताओ तो सही, हां पक्ष किसमें जीता? मैंने कहा कि आदमी की औरत हो गयी, औरत का आदमी हो गया। बोले, ऐसे कोई बिल आता है क्या? मैंने कहा, फिर आप अन्दर ही तो बैठे थे, आपने क्या सुना? बोले, हमने तो यही सुना, हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता। तो बोले, जीत गया, ठीक है, हम तो ताली बजाकर आ गये। अगर इस तरह के बिल बनेंगे, इस तरह से बिना चर्चा होकर बिल बनेंगे, जो कानून बनता है, चाहे सुनवाई का अधिकार बना हो, चाहे और कोई कानून बना हो, उस कानून के ऊपर जब तक चर्चा नहीं होगी, लोक सभा में तो प्रावधान भी है कि समितियों को मामला चला जाता है, लेकिन हमारे यहां यह भी नहीं है। भूमि अधिग्रहण कानून आज आया...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: बिल पर बोलो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): बिल पर बोल रहा हूं। कल वाली बात पर बोलूंगा तो फिर राठौड़ साहब को चरमराहट लग जाएगी, मिर्ची लग जाएगी। इसलिये बिल पर ही बोल रहा हूं। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमें उन बातों को सोचना पड़ेगा। लोक सभा में तो कमेटियों में चले जाते हैं। भूमि अधिग्रहण बिल आया, क्या पढ़ेंगे साहब हम एक दिन में? एक रात में क्या पढ़ेंगे? कुछ नहीं पढ़ सकता आदमी, देख नहीं सकता। एक महत्वपूर्ण कानून आप बनाने जा रहे हैं, पूरे प्रदेश में लागू करने जा रहे हैं, उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं, कोई बात नहीं। आप बजट चार दिन में निपटा देते हैं। ये व्यवस्थाएं जब तक नहीं सुधरेंगी, हम खुद नहीं सुधरेंगे। यहां हमने पिछले पांच सालों में दो बिल सर्वसम्मति से पारित किये। एक बिल तो, माननीय सभापति महोदय, तनख्वाह बढ़ाने का- माननीय सदस्यों की तनख्वाह बढ़ रही है, लैपटाप के पैसे मिलेंगे, गाड़ी के 10 हजार हो, 20 हजार और मिलेंगे, एक बिल तो यह। वह तो पास होना ही था, हम ही करने वाले थे, हम ही लेने वाले। और दूसरा विधान परिषद का प्रस्ताव गया। क्या हुआ विधान परिषद के प्रस्ताव का? न हम कर पाये, और न प्रधान मंत्री मोदीजी कर पाये। क्या हुआ, साहब? जजों को हम मुट्ठी में कर लेंगे, ठीक है, अच्छी बात है, उनको मत होने दीजिये निरंकुश। लेकिन स्वयं भी तो देखिये। कोई भी सरकार आती है, योजना

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

लाती है, नियम बनाती है, प्रयोग करती है जनता के ऊपर, जिस जनता ने चुनकर भेजा। और दूसरी सरकार आती है, नहीं, साहब, छह महीने पहले के फैसलों को तो हम दुबारा देखेंगे। यह पी एच सी गलत खोल दी, यह सी एच सी गलत खोल दी। ये सड़कें बिना बजट गलत आबंटित कर दीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आप विरोध कर रहे हैं क्या?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैं विरोध नहीं कर रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): दिल्ली में आपकी पार्टी ने समर्थन किया है। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैं समर्थन ही कर रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): पार्टी की लाइन से हटकर बताओ न।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): लेकिन हमें यह सोचना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं यहां बैठकर। यह भी सोचना पड़ेगा। (व्यवधान) हां-हां, हो रहा है। आपको तो पता ही नहीं है। आप विराज जाओ न।

श्री सभापति: मुख्य सचेतक महोदय, अपनी सीट पर।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इनकी सीट पर जी नहीं लग रहा है, लेकिन मंत्रिमण्डल का विस्तार हो नहीं रहा है, आप का नम्बर आ नहीं रहा है, दिक्कत यह है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, हम कह रहे हैं, साहब, जजों को अधिकार अकेले को मत दो, इस तरह से 6 व्यक्ति उसमें होंगे, अच्छा होगा। 67 दिन हड़ताल चली, माननीय सभापति महोदय, यहां संसदीय कार्य मंत्रीजी ने कहा भी था कि सरकार इसमें हस्तक्षेप करेगी और इसका जल्दी से जल्दी फैसला कराएंगे। अपने आप हो गया। क्या होता है हड़तालों में? आज तक जितनी हड़तालें हुईं, क्या उस पर जज अपनी आर्डर शीट पर नहीं लिखते थे कि पक्षकारान हड़ताल पर, इसलिये अग्रिम तारीख पेशी दी जाती है? और आज मुकदमे खारिज कर रहे हैं। वही उस कानून से क्या बंधे हुए नहीं हैं? क्या यह हड़ताल आज नयी हुई है। पहले भी हड़ताल हुई थी। मनमर्जी का कानून हो गया। सभापति महोदय, चाहे विधान सभा की बात हो, हमारे अधिकारों की बात हो, चाहे जजेज की बात हो, सब मनमर्जी का कानून हो गया और उसकी वजह

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

से आज हमें तकलीफ हो रही है। हर व्यक्ति यह कह रहा है कि जजेज को इस तरह से नहीं करना चाहिये। उनका ट्रांसफर हो जाना चाहिये, माननीय सुराणा साहबजी ने कहा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विकेन्द्रीकरण होना चाहिये। लेकिन हम इस राजस्थान की विधान सभा में बैठकर जो संकल्प लेते हैं, कानून सबसे पहले केन्द्र ने जो अमैंडमेंट सुझाया है, राज्य सभा और लोक सभा ने पारित किया है, उसमें हम सबसे पहले बन रहे हैं तो इस संकल्प के माध्यम से आज हम भी यह संकल्प लें साथ-साथ में, कि हम जो कानून बनाएं, सबसे पहले चर्चा करके उसके बाद में समझकर, जनता की राय लेकर और उसके बाद में कानून बने। हम हमारे फायदे के लिये जो कानून बनाते हैं, वह एक सैकिण्ड में पारित होता है। जनता के लिये जो तकलीफ देने वाले कानून हैं, उनको भी हम एक दिन में लाकर एक दिन में पारित कराना चाहते हैं। निश्चित रूप से इस पर चैक लगेगा। हम भी सुधरें, जजों को भी सुधारें, तब जाकर हमारा यहां आना, विधान सभा, लोक सभा में जाना, जनता का उचित प्रतिनिधित्व करना, सही मायने में सार्थक होगा। आपने इशारा कर दिया। मैं यह भी चाहता था, हम सब चाहते थे, आज ऐसे संविधान संशोधन जैसे महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण विषय पर हमारी सदन की नेता भी यहां मौजूद होतीं तो हमें बहुत अच्छा लगता।

एक माननीय सदस्य: यहीं हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यहीं हैं, लेकिन सदन में मौजूद होतीं तो और अच्छा लगता। हम नहीं कहेंगे वह बात। हम नहीं कहेंगे कि आप में कल क्या हुई। हम नहीं कहेंगे। इतने बुरे थोड़े ही हैं हम। क्यूं कहेंगे ऐसी बातें? वह तो सबके सामने है। इसलिये हम चाहते हैं, यह जो संकल्प है संविधान के संशोधन का, हम उस संकल्प के समर्थन में हैं, लेकिन हम अपने गिरहबान में भी झांककर देखें कि हम जो कानून पारित कर रहे हैं, उनमें कितना विकेन्द्रीकरण है, कितनी पारदर्शिता है। हम जन हित के लिये चर्चा करके फिर पारित करें, तो निश्चित रूप से जनता के प्रति हम सही मायने में उत्तरदायी होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन एवं उस पर विचार। श्री कालूलालजी गुर्जर, मुख्य सचेतक, कार्य सलाहकार समिति के नवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे।

समिति प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति (क्र. सं. 9)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सलाहकार समिति के नवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

सभापति महोदय, कार्य सलाहकार समिति की बैठक बुधवार, दिनांक 17 सितम्बर, 2014 को मध्याह्न पश्चात् 2.00 बजे माननीय अध्यक्षजी के चैम्बर में हुई। समिति में निर्णय लिया गया कि गुरुवार, दिनांक 18 सितम्बर, 2014 को सदन में अग्रेत्तर लिये जाने वाले कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाए।

गुरुवार, दिनांक 18 सितम्बर, 2014	1. राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2014 का पुर:स्थापन, विचार एवं पारण, 2. राजस्थान भूमि विधियां (संशोधन) विधेयक, 2014, 3. राजस्थान भूमि अर्जन विधेयक, 2014, एवं 4. दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार एवं पारण।

श्री सभापति: सरकारी मुख्य सचेतक महोदय यह प्रस्ताव करेंगे कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के नवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के नवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के नवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

(स्वीकृत)

(श्री सभापति)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गयी।

श्री प्रहलाद गुंजल।

शासकीय संकल्प

संविधान (121वां संशोधन) विधेयक, 2014 का अनुसमर्थन

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय सभापति महोदय, आज हम 121वें संविधान संशोधन, जो हाल ही में 12-13 अगस्त को लोक सभा और राज्य सभा ने पारित किया है, उसके अनुसमर्थन पर चर्चा कर रहे हैं। बहुत सार्थक चर्चा इस सदन में लगातार तीन घंटे से चल रही है।

(16.12 बजे)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य जिनका अपना संसदीय जीवन का लम्बा-चौड़ा अनुभव है, इस अनुसमर्थन पर चर्चा करते हुए कह रहे थे कि लोक सभा और राज्य सभा ने जो ऐतिहासिक संविधान संशोधन बिल पारित किया है, आज राजस्थान की विधान सभा भी सबसे पहले उस ऐतिहासिक संविधान संशोधन विधेयक के साथ अपना अनुसमर्थन व्यक्त कर रही है। ऐसे कई उदाहरण हैं, जागीरदारी प्रथा उन्मूलन से लेकर कई प्रकार के कानून जो राजस्थान में बने, इस राजस्थान की विधान सभा ने देश को लीड किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 121वां संविधान संशोधन विधेयक और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक, 2014 राज्य सभा और लोक सभा में पारित हुए। व्यापक चर्चा करते हुए सब लोगों ने आखिर इस ऐतिहासिक संविधान संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ी, बहुत महत्वपूर्ण विचार दिये हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो भारत का संविधान है, भारत राष्ट्र के निर्माताओं और देश के विद्वान व्यक्तियों ने दो वर्ष से अधिक समय तक लगातार मंथन कर संविधान का निर्माण किया। इसलिए इस संविधान की जो प्रवृत्ति है उसमें साफ लिखा है कि संविधान सजीव मुख पत्र है, इसका निर्वचन विभिन्न ढंग से विभिन्न समाज की स्थितियों को ध्यान में रखकर किया गया है। इसी संविधान ने व्यवस्था दी कि देश इस संविधान की भावना के हिसाब से किस प्रकार से चलेगा, न्यायपालिका एक स्वतंत्र विंग होगी, विधायिका और कार्यपालिका का अपना अस्तित्व होगा। इसी संविधान के अनुच्छेद 124 के

(श्री प्रहलाद गुंजल)

खण्ड (2) और 217 के खण्ड (1) में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस और न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान तय किया गया। प्रेसिडेंट आफ इंडिया चीफ जस्टिस आफ इंडिया की सलाह से इन न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे।

मानननीय अध्यक्ष महोदय, जब लोक सभा में 12-13 अगस्त को कोलेजियम को हटा कर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की चर्चा हुई, भारत के प्रधान न्यायाधीश का बयान था कि मैं भी उस कोलेजियम की व्यवस्था से हूं इसलिए कोलेजियम गलत नहीं हो सकता। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि यह जो कोलेजियम की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई, जिस पर खूब चर्चा हुई, फर्स्ट जज केस, सैकण्ड जज केस और थर्ड जज केस, फर्स्ट जज केस एस.पी. गुप्ता बनाम भारत संघ, जब यह निर्णय आया, इस निर्णय की भावना में स्पष्ट था कि भारत के राष्ट्रपतिजी सुप्रीम कोर्ट के जज, उसकी नियुक्ति की प्रक्रिया को युक्तियुक्त कारण के आधार पर रिजैक्ट कर सकते हैं। यह निर्णय देने के पीछे जो मूल भावना थी, भारत के राष्ट्रपतिजी के ये अधिकार, कार्यपालिका के अधिकार न्यायपालिका को अपने काम में हस्तक्षेप के रूप में नजर आ रहे थे। लेकिन यह निर्णय 1993 तक प्रभावी नहीं हुआ, इस पर व्यापक चर्चा होती रही। 1993 में 9 जजों की बैंच ने सैकण्ड जज फैसला दे दिया जो सैकण्ड जज केस कहलाया और इससे कोलेजियम सिस्टम की शुरूआत हुई। इसमें निर्णय सुनाते हुए मैजोरिटी वर्डिक्ट, यह शब्द लिखते हुए जस्टिस जे.एस. वर्मा ने कहा, "Justifiability and primacy require that the CJI be given the primary role in such appointments…" इस निर्णय द्वारा जुडीशियरी की सुप्रीमेसी कायम करने का प्रयास किया गया और यह तय किया गया, इसी निर्णय में उल्लेख किया कि जुडीशियल अपाइंटमेंट और ट्रांसफर यह जुडीशियल फैमिली का मैटर है, इसमें कार्यपालिका का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। उसमें से एक कोलेजियम नाम की प्रणाली पैदा हो गयी कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। एक ज्ञापन तैयार कर लिया, दो वरिष्ठतम जज होंगे, उनकी राय पर भारत के राष्ट्रपति ये नियुक्तियां करेंगे। इस निर्णय पर लगातार पांच सालों तक कन्फ्यूजन रहा। आखिर दो साल तक लगातार मंथन करने के बाद भारत के उच्चतम न्यायालय और हाई कोर्ट के तमाम जजों के अपाइंटमेंट का जो संविधान में प्रावधान है, और ऐसा नहीं है कि न्यायपालिका की सुप्रीमेसी पर जब संविधान बन रहा था तब चर्चा नहीं हुई, व्यापक चर्चा के बाद संविधान में आर्टिकल 124 और 217 में सम्पूर्ण उल्लेख दिये गये।

(श्री प्रहलाद गुंजल)

सांगानेर से आने वाले हमारे वरिष्ठ सदस्य जिस बात का उल्लेख कर रहे थे, संविधान सभा में जब इस बात की चर्चा हो रही थी, तब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने 24 मई, 1949 को संविधान सभा में कहा, जिसका लालसोट से आने वाले माननीय सदस्य ने भी जिक्र किया, कि भारत का मुख्य न्यायाधीश भी एक आम आदमी की तरह है, उनके भी अपने सेंटीमेंट्स हैं, उनके भी होप प्रिजुडिस हो सकते हैं और इसलिए पूरा अधिकार मुख्य न्यायाधीश को क्यों दिया जाए जबकि यह अधिकार हम पूर्णरूपेण राष्ट्रपति को भी नहीं दे रहे हैं। यह सब डिस्कस हुआ है। यह सब डिस्कस होने के बाद जो पुस्तक बनी है, इस पवित्र पुस्तक की व्यवस्था से सारा हिन्दुस्तान संचालित है। यह सदन जिसमें हम आज चर्चा कर रहे हैं, वह इसी पुस्तक की व्यवस्था की देन है। जब कोलेजियम सिस्टम पर राष्ट्रपति महोदय ने रैफरल मांगा कि आखिर आप यह स्पष्ट करें, 5 वर्षो बाद, कई बार ऐसे फैसले आये जब चीफ जस्टिस ने दो जजों की राय के बिना फैसले कर दिये, तब राष्ट्रपति महोदय ने एक जुडीशियरी रैफरल इश्यु किया, मुख्य बिन्दु था परामर्श के सम्बन्ध में कि मुख्य न्यायाधीश का परामर्श ही अहम् होगा या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के फोरम में विचार के बाद लिये गये परामर्श अहम् होंगे।

अध्यक्ष महोदय, उसके बाद रेफरेंस पर 9 जजों की जो संविधान पीठ थी, उसने 28 अक्टूबर, 1998 को एक सिद्घांत प्रतिपादित कर दिया। जजों की नियुक्ति और ट्रांसफर मुख्य न्यायमूर्ति के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीशों के विचार-विमर्श के बाद किया जाएगा और जजों की नियुक्ति और ट्रांसफर में कार्यपालिका पर जुडीशियरी की प्रमुखता रहेगी। यह थर्ड जजेज केस कहलाया। रेफरेंस लागू हो गया। रेफरेंस पर जवाब दे दिया, कोलेजियम लागू हो गया। लगातार 16 सालों तक यह व्यवस्था कायम रही।

अध्यक्ष महोदय, सभी राजनीतिक दल इस पर विचार करते रहे, संविधान का अनुच्छेद 368 जिसमें संविधान में अमेंडमेंट करने की पावर केवल और केवल भारत की पार्लियामेंट को है, और न केवल भारत की पार्लियामेंट संविधान में संशोधन पारित करेंगे और हिन्दुस्तान की आधी से अधिक असेम्बली उसका अनुसरण करेंगी तब यह पार्लियामेंट द्वारा संशोधित संविधान संशोधन लागू होगा।

(श्री प्रहलाद गुंजल)

माननीय अध्यक्ष महोदय, संविधान पीठ ने फैसला कर दिया। अनुच्छेद 124 का वायोलेशन हो गया। अनुच्छेद 217 का वायोलेशन हो गया। संविधान के तहत हिन्दुस्तान की व्यवस्था चलती है, और जुडीशियरी की सुप्रीमेसी, स्वतंत्रता केवल इस बात के लिए संविधान की भावना, आत्मा में कायम की गयी कि संविधान की व्याख्या, इसके विवेचन, कानून का विवेचन, उसकी अनुपालना यह न्यायपालिका का काम है। अपने आप में न्यायपालिका का यह निर्णय संविधान की विवेचना नहीं था। संविधान की व्याख्या नहीं था। संविधान द्वारा निर्मित कानूनों की पालना नहीं था। अपने आप में यह अनुच्छेद 124 और 217 का अतिचार था, उसका वायोलेशन था। इसलिए हिन्दुस्तान के राजनीतिक मंच पर, हिन्दुस्तान के कानूनविदों के स्तर पर, हिन्दुस्तान की तमाम पोलिटिकल पार्टिज के स्तर पर इस बात की, जो वायोलेशन आफ दी कांस्टीट्यूशन, लगातार 16 सालों से, 21 सालों से चल रहा था, लगातार चर्चा हुई और भारत के कानून मंत्रीजी वीरप्पा मोइली जी ने एक ड्राफ्ट बनाया कानून का जिसमें जुडीशियरी की सुप्रीमेसी खतम करने का प्रोविजन नहीं रखा। लेकिन यह आयोग बनना चाहिए और उसमें कार्यपालिका का हस्तक्षेप होना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज बहुत ईमानदारी से कहना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं, मैंने रविशंकर प्रसादजी का भाषण पढ़ा है, जब इस बिल पर पार्लियामेंट में बहस हुई और बहस का जो स्तर रहा, भारत के कानून मंत्री रविशंकर प्रसादजी ने कहा कि आज जब हम इस ऐतिहासिक बिल को पास करेंगे तो हम इतिहास बना रहे हैं। उसके तीन कारण हैं- पहला, आज लोक सभा ने देश को दिखाया कि जब अवसर आता है तो देश की राजनीति एक स्वर में कैसे बोलती है। भारत के संविधान की पवित्रता, शुद्धता और इसकी मौलिकता को बचाने के लिए भारत की संसद ने एक स्वर में बोला जिसका जिक्र सांगानेर से आने वाले हमारे वरिष्ठ माननीय सदस्य ने किया। एक स्वर में हिन्दुस्तान की पार्लियामेंट की सारी राजनीतिक पार्टियां बोलीं। दूसरा, संसद ने यह दिखाया कि जब देश के बारे में चर्चा हो, जिसके कुछ संकेत कल्याण बाबू ने दिये, जब अवसर आता है तो संसद की बहस, संसद का स्तर कितनी ऊंचाई पर जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, संविधान की सुप्रीमेसी खतम नहीं होनी चाहिए। सुप्रीमेसी पार्लियामेंट की, सुप्रीमेसी कार्यपालिका की, सुप्रीमेसी विधायिका की, न्यायपालिका की संविधान को

(श्री प्रहलाद गुंजल)

सुपरसीड नहीं कर सकती। संसद की बहस का एक स्तर कायम हुआ कि आज हम केवल अमैंडमेंट लाने का इतिहास नहीं रच रहे हैं। इतिहास रच रहे हैं कि भारत की संसद किस प्रकार से एक स्वर में बोलती है। भारत की संसद की बहस किस स्तर तक जाती है। जब संविधान से सम्बन्धित कोई विषय पर चर्चा का सवाल हो तो संसद की बहस का स्तर कितना ऊंचा हो जाता है।

तीसरा संकेत दिया कि यह संसद राजनीतिक विचारधारा के आधार पर चुनकर आती है। अलग-अलग दलों से, अलग-अलग विचारधाराओं से लोग चुनकर आते हैं। लेकिन जब देश की अंतरात्मा की आवाज और देश के बारे में कोई महत्वपूर्ण फैसले का सवाल आता है तो सारी राजनीतिक सीमाएं तोड़कर भारत की संसद एकजुटता दिखाती है। यह पहला ऐतिहासिक अवसर 21 सालों के बाद आया जब देश में कोई संविधान संशोधन हो रहा हो और हिन्दुस्तान की पार्लियामेंट का एक-एक मैम्बर उस संविधान संशोधन के पक्ष में खड़ा हो। एक-एक राजनीतिक दल। आज उसी ऐतिहासिक क्षण के साथ हम भी समर्थन के माध्यम से जुड़ रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, संविधान में कोई कोलेजियम का उल्लेख नहीं है। जुडीशियरी की संविधान पीठ फैसला करके संविधान के समानान्तर एक व्यवस्था कायम करती है। हिन्दुस्तान की पार्लियामेंट जिस पर संविधान की रक्षा का दायित्व है, जुडीशियरी जिस पर संविधान की विवेचना का दायित्व है। संविधान की व्यवस्था के समानान्तर व्यवस्था कायम कर दे, यह न केवल जुडिशियरी के लिए आत्मचिंतन का विषय है बल्कि इस देश की समूची व्यवस्था के लिए आत्मचिंतन का अवसर है। हम संविधान को सुपरसीड कर रहे हैं, संविधान के समानान्तर व्यवस्था कायम कर रहे हैं। क्या पार्लियामेंट और असैम्बली संविधान के समानान्तर कोई व्यवस्था कायम कर सकती हैं? यह अधिकार सुप्रीम कोर्ट को नहीं मिल सकता कि संविधान के समानान्तर कोई नयी कोलेजियम नाम की व्यवस्था कायम कर दे। इसलिए यह विधेयक लाना अत्यन्त आवश्यक था जिसके अनुसमर्थन में आज हम खड़े हुए हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस कोलेजियम से क्या-क्या नहीं हुआ, मैं उस चीज पर नहीं जाना चाहता। कोलेजियम के आने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट

(श्री प्रहलाद गुंजल)

के चीफ जस्टिस के पास और 4 न्यायाधीशों के पास अपाइंटमेंट पावर आ गयी, ट्रांसफर पावर आ गयी तो लाइकिंग, डिसलाइकिंग उनके फैसलों में दिखने लगी। जब लाइकिंग, डिसलाइकिंग के आधार पर जुडीशियरी के फैसले होने लगे तो न्याय की पवित्रता पर प्रश्नवाचक चिह्न खड़ा होने लगा। जब हिन्दुस्तान में व्यक्ति को कार्यपालिका, व्यवस्थापिका से न्याय नहीं मिलता तो वह न्यायपालिका की तरफ झांकता है, और न्यायपालिका में भी अगर ये विसंगतियां और ये विकार पैदा होने लगे? इसलिए आज भारत की संसद ने कहा कि हम जुडीशियरी की सुप्रीमेसी खत्म नहीं कर रहे हैं, हम जुडीशियरी के अपाइंटमेंट में पारदर्शिता लाना चाहते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज एक सवाल खड़ा करना चाहता हूं कि इसका अध्यक्ष कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिसस होगा। सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठतम जज होंगे और भारत के कानून मंत्री उसके पदेन सदस्य होंगे और 2 मैम्बर वे होंगे जो विधिविज्ञ होंगे। आज कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के कई जजेज कि कोलेजियम को डिसमिस करना जुडीशियरी की सुप्रीमेसी पर सवाल उठाना है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस पवित्र सदन में एक सवाल खड़ा करना चाहता हूं कि 4 मैम्बर तो भारत के कानून मंत्री और सुप्रीम कोर्ट के सीजे के साथ 2 वरिष्ठतम जज, इनके साथ और 2 सदस्य चुने जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के लोगों का यह कहना कि वह जो 2 सदस्यों का निर्वाचन होगा, सलैक्शन होगा, भारत के प्रधान मंत्री, भारत के चीफ जस्टिस और भारत के विरोधी दल के नेता या पार्लियामेंट में जो सबसे बड़ा दल का नेता होगा, वे मिलकर 2 लोग चुनेंगे। मैं आज बहुत ही ईमानदारी के साथ यह कहना चाहता हूं, जब अखबारों में पढ़ें कि कौन होंगे वे 2 लोग? क्या भारत के प्रधान मंत्री और विरोधी दल के नेता और भारत के सुप्रीम कोर्ट के जज के पास इतना व्यापक दृष्टिकोण नहीं है कि वे हिन्दुस्तान की ऐसी बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था में 2 ईमानदार, पारदर्शी और योग्यतम लोगों का चयन कर सकें। सवाल सुप्रीमेसी पर उंगली उठाने का नहीं है। जिस भी जुडीशियरी से जुड़े हुए व्यक्ति का 2 लोगों के अपाइंटमेंट पर बयान है, वे अपने आप में भारत के चीफ जस्टिस, भारत के प्रधान मंत्री और भारत के विरोधी दल के नेता की चयन की मंशा पर सवाल है। अगर हिन्दुस्तान में भारत का चीफ जस्टिस, भारत का प्रधान मंत्री और भारत के विरोधी दल का नेता मिलकर पारदर्शी और

(श्री प्रहलाद गुंजल)

हिन्दुस्तान के हित में कोई फैसला नहीं कर सकते तो मैं समझता हूं कि दुनिया की कोई ताकत फिर भारत के पक्ष में फैसला नहीं कर सकती। ऐसी पारदर्शी व्यवस्था के बाद लोग सवाल खड़ा करते हैं कि यह जो कोलेजियम डिसमिस हो रहा है, न्यायिक नियुक्ति आयोग आ रहा है, न्यायिक नियुक्ति आयोग आने के बाद दो मैम्बर इस प्रकार के आ जाएंगे, कानून मंत्री, भारत सरकार की मंशा, न्यायपालिका में लाइकिंग और डिसलाइकिंग और जो उदाहरण दिये सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने, जो हमारे वरिष्ठतम नेता हैं, कि लाइकिंग-डिसलाइकिंग से टेलेंट्स की बलि हो गयी।

मेरे पास दूसरा उदाहरण है, जस्टिस जी पी सिंह जो पांच साल तक जबलपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे, माननीय अध्यक्ष महोदय, उनके द्वारा एक किताब लिखी गयी, 'इन्टरप्रिटेशन आफ स्टेट्यूट्स' और उस किताब को आथोरिटी मानकर भारत के तमाम उच्च न्यायालयों। सर्वोच्च न्यायालय में सैकड़ों नहीं, हजारों केस, इतना टेलेंटेड व्यक्ति, जिसकी लिखी हुई पुस्तक, साइटेशन बन जाए, जिसकी लिखी हुई पुस्तक की नजीरों के आधार पर हिन्दुस्तान की जुडीशियरी अपने फैसले लिखे और वह पांच साल चीफ जस्टिस रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के लिए एलिजिबल नहीं बन पाए, केवल इसलिए कि उसकी विद्वता कहीं चीफ जस्टिस की विद्वता का ह्यूमिलिएशन न करे। इस प्रकार का पारदर्शी सोच जो खतम हो गया जुडीशियरी के इस कोलेजियम सिस्टम से, वह अपने आप में सारे देश के आभामण्डल में एक विचार का विषय बना हुआ था। न केवल जुडीशियरी की सुप्रीमेसी का सवाल था, सुप्रीमेसी पर आज भी कोई सवाल खड़ा नहीं कर रहा है, संविधान की आत्मा की आवाज, हिन्दुस्तान की पार्लियामेंट को बोलनी थी और इसीलिए यह बिल और संशोधन लेकर आये।

एक दूसरा उदाहरण जस्टिस एम सी छागला का दिया, 11 साल बाम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे। लेकिन 11 साल चीफ जस्टिस रहने के बाद जस्टिस छागला जिनके बारे में न्यायिक जगत में ईमानदारी की चर्चा होती रही, वे कभी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बनने के लिए एलिजिबल नहीं हुए। क्यों नहीं एलिजिबल हुए? जिस प्रकार की व्यवस्था बन गई, लाइकिंग, डिसलाइकिंग, 'अंकल जज', जैसा अभी लालसोट से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, यह जो व्यवस्था न्यायपालिका में कायम हो गयी, इस व्यवस्था ने,

(श्री प्रहलाद गुंजल)

व्यवस्था में कार्यपालिका का हस्तक्षेप खतम करके सारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को संविधान की भावना को झकझोर कर रख दिया। क्या नहीं हो रहा, माननीय अध्यक्ष महोदय?

मैं बहुत ईमानदारी से आज सवाल करना चाहता हूं। हम सब जुडीशियरी की स्वतंत्रता के लिए चिंतित हैं। आम आदमी जुडीशियरी के प्रति रैस्पैक्ट रखता है लेकिन जुडीशियरी क्या ईमानदारी से फैसले कर रही है? इसी बहस के अन्दर यह आया है, मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे, जुडीशियरी का काम क्या हो गया? जो फरियाद लेकर, न्याय की उम्मीद लेकर आ रहा है, आज उसके केसेज ड्यू कोर्स में जा रहे हैं? आज की जुडिशियरी का माइण्ड बदल गया, उसे भी अख़बार की सुर्खियां चाहिए और अख़बार की सुर्खियों के लिए एडमिशन, आर्डर्स और जमानत और कार्यपालिका में हस्तक्षेप, वह भी दो दिन पहले अख़बार में फोटो देकर। मैं कोई चीफ जस्टिस की पैरवी नहीं कर रहा हूं, मैं चीफ सैक्रेटरी की पैरवी नहीं कर रहा हूं। व्यक्तिगत हाज़िरी चाहिए चीफ सैक्रेटरी की। व्यवस्था है। एडवोकेट जनरल राजस्थान सरकार का प्रतिनिधित्व करता है, पैनल लायर्स होते हैं हर डिपार्टमेंट के, एडीशनल एडवोकेट जनरल होते हैं, सरकार का पक्ष न्यायालय में रखते हैं। व्हील चेयर पर बैठकर राजस्थान के एडमिनिस्ट्रेटिव हैड को दिन भर हाई कोर्ट में बैठना पड़े, राजस्थान की सारी एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था पर एक विपरीत असर। छोटे-छोटे मामलों में, माननीय सदस्य, मोहनलालजी गुप्ता साहब, किशनपोल से आने वाले, बता रहे थे, डाइरेक्शन हो गया सफाई की व्यवस्था का। जो काम म्यूनिसिपैलिटी का है, वह काम सुप्रीम कोर्ट करेगी, हाई कोर्ट करेगी? आज ही मैंने, माननीय अध्यक्ष महोदय, अख़बार में पढ़ा, 'निम्स' की 8112 वर्ग मीटर जमीन जिस पर एन्क्रोचमेंट है, यह काम सरकार का है कि कौन एन्क्रोचमेंट कर रहा है, किसने इल्लीगल कंस्ट्रक्शन कर लिया, क्या उसको न्याय हित में, जन हित में रैगुलराइज किया जाना चाहिए या तोड़ा जाना चाहिए, यह फैसला हाई कोर्ट करने लग गयी? मानिटरिंग कमेटी बना दी। जेडीए, जोधपुर के कामों की मानिटरिंग के लिए कमेटी बना दी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप वरिष्ठतम सदस्य हैं, आपका राजनीतिक जीवन असैम्बली से लेकर पार्लियामेंट तक, इस सदन के वरिष्ठतम कुछ दो-चार लोगों के बराबर रहा होगा। जहां जुडीशियरी का हस्तक्षेप हो जाता

(श्री प्रहलाद गुंजल)

है, ब्यूरोक्रेसी अपने हाथ बांध लेती है। क्या संदेश देना चाहते हैं? हम जुडीशियरी की सुप्रीमेसी के बाद एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ बांध दें, डवलपमेंट के काम रुक जाएं। सारी व्यवस्था तार-तार होती चली जा रही है। मोती डूंगरी के मंदिर के अन्दर सुरक्षा गार्ड लगने चाहिए, डाइरेक्शन आ रहा है, कोर्ट का। नेताओं का चरित्र कैसा होना चाहिए, निर्देश आ रहे हैं चुनाव आयोग को। हिन्दुस्तान में केस कितने पैंडिंग हैं, आज जितने केस पैंडिंग हैं, अगर उनका निपटारा हो तो 323 साल लगेंगे, न्यूयार्क टाइम्स ने लिखा है। आज जो केस मैंने दायर किया है अगर 323 साल बाद तक उस केस का जो फैसला आना है तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ईमानदारी से कहना चाहता हूं, मैं भोलाराम का जीव नहीं बन सकता कि न्याय की उम्मीद में अदालत की फाइलों में फड़फड़ाऊं। आज न्यायिक व्यवस्था यह बन गई है, कितने लोग भोलाराम के जीव बनेंगे। हमने पढ़ा है, जिनको न्याय नहीं मिलेगा, इन्साफ नहीं मिलेगा जुडीशियरी के दरवाजे पर, 323 साल तक अगर कोई इन्तजार करेगा तो उसकी एड़ियां घिस जाएंगी, न जाने उसकी कितनी पीढ़ियां बदल जाएंगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसीलिए वर्तमान केन्द्रीय सरकार द्वारा व्यापक अध्ययन करके यह न्यायिक नियुक्ति आयोग लाया गया है। दुनिया में कोई देश नहीं है ऐसा, कोई देश नहीं है, जहां कोई जज तय करे कि मेरी नियुक्ति मैं स्वयं करूंगा। दुनिया में जिस देश में लोकतंत्र है, संविधान के तहत व्यवस्था चलती है, दुनिया के किसी देश में यह व्यवस्था नहीं है। इसका कारण रहा कि लगातार पिछले तीस सालों से लचर, हंग पार्लियामेंट बनती रही। जुडीशियरी ने उसका लाभ उठाया। पहली बार हिन्दुस्तान की जनता ने तीस साल बाद एक इतिहास रचा, एक मजबूत पार्लियामेंट, पूर्ण बहुमत का पार्लियामेंट। प्रयास कांग्रेस ने भी किया था यह बिल लाने का। यह ड्राफ्ट किया लेकिन प्लेटफार्म पर इसको एप्लाई नहीं कर पाये। भारत के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदीजी ने तय किया कि अब सारी व्यवस्था पर सुप्रीमेसी संविधान की होगी। संविधान के अनुच्छेद 124 के खण्ड 2 में जो नियुक्ति का प्रोसीजर था, उसकी जगह एक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का उल्लेख कर दिया, जिसका वर्णन इस बिल में दिया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे न्यायिक क्षेत्र में पारदर्शिता आएगी, न्यायिक नियुक्तियों में पारदर्शिता आएगी,

(श्री प्रहलाद गुंजल)

हिन्दुस्तान के वे तमाम योग्यतम लोग जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनकर, हाई कोर्ट के जज बनकर न्याय हित में अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो लाइकिंग, डिसलाइकिंग का शिकार बनकर उपेक्षित होकर इस प्रक्रिया से बाहर हो जाते हैं ऐसे तमाम लोगों के साथ राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनने के बाद में मैं समझता हूं कि न्याय होगा। और हमसे जुडीशियरी की स्वतंत्रता प्रभावित नहीं होगी। इस आयोग में और संविधान संशोधन में कहीं नहीं लिखा कि अगर कोई न्यायपालिका फैसला करेगी, उसमें कार्यपालिका का हस्तक्षेप होगा। न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति पारदर्शी तरीके से हो और पारदर्शी तरीके से चयन किया हुआ जज जो फैसला देगा वह सबके लिए सर्वमान्य होगा। इससे जुडीशियरी के फैसले प्रभावित नहीं होंगे।

श्री अध्यक्ष: आप कितना समय और लेंगे?

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसीलिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, 2014 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति को एक व्यापक आधार देगा। व्यापक आधार ही नहीं देगा, पारदर्शिता, जवाबदेही और उद्देश्यपरकता सुनिश्चित करेगा। इसीलिए मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आज यह जो विधेयक चर्चा में है, पार्लियामेंट ने जिसको पारित कर दिया, इन शब्दों के साथ कि इस विधेयक के आने के बाद संविधान की सुप्रीमेसी होगी, न्यायपालिका की अधिकारिता पर कोई अतिक्रमण नहीं होगा, जुडीशियल अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, पारदर्शिता बढ़ेगी, न्याय के प्रति लोगों का भरोसा बढ़ेगा, इसका अनुसमर्थन करता हूं। आपने समय दिया बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: डा. फूलचन्द भिण्डा।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): अध्यक्षजी, आज हम विधायिका की सुप्रीमेसी की ओर बढ़ते कदम की ओर विचार कर रहे हैं। जून के महीने में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि मैं विदेश में नहीं होता तो जिस न्यायाधीश को पुनर्विचार के लिए लिखा गया उससे एप्लीकेशन वापस नहीं लेने देता। ला मिनिस्टर के यहां से फाइल गयी उस पर टिप्पणी की गयी कि यह न्यायाधीश बनने योग्य है या नहीं। उस पर हमारे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की जो टिप्पणी थी, वह वास्तव में व्यवस्थापिका के लिए चिन्ता

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

की बात थी। उसके बाद हमारे माननीय प्रधान मंत्रीजी ने, बार-बार लांछन लगता है व्यवस्थापिका पर कि अपराधियों की सभा हो गयी संसद, अपराधियों का इकट्ठा होने का स्थान हो गया, मैं नरेन्द्र मोदीजी को आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहूंगा, उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं न्यायपालिका से रिक्वैस्ट करता हूं कि इसकी सुनवाई जल्दी करे और यह पाइंट आउट करे कि कौन अपराधी है, कौन अपराधी नहीं है। हम पर, राजनेताओं पर जो केस लगते हैं, वे कई बार सत्ता के विरोध में आंदोलन करते हैं तब भी लगते हैं। कई बार अत्याचारों के खिलाफ संघर्ष करते हैं तब भी लगते हैं। इस प्रकार की टिप्पणी पर माननीय न्यायाधीश ने कहा कि जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है, क्या केवल सांसद ही हैं, क्या केवल विधायक ही हैं? इस प्रकार की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की, यह हमारे लिए चिन्ता की बात थी।

इतना ही नहीं, कितने वर्ष लग गये गोलकनाथ केस को, केशवानंद भारती केस में कि सुप्रीमेसी किसकी है? नीति निर्देशक तत्वों की है या राज्य की है या हमारे मौलिक अधिकारों की है, यह तय करने में कितने वर्ष लग गये? महाराष्ट्र के शिव सेना के काफी विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया गया और 1995 में आकर हिन्दू की परिभाषा सुप्रीम कोर्ट ने की। कितना डिले किया उन्होंने? हिन्दू की परिभाषा के आधार पर, केवल हिन्दू शब्द कहने के आधार पर कितने लोग अयोग्य हो गये और सुप्रीम कोर्ट ने आकर 1995 में व्याख्या की। कितने वर्षों बाद व्याख्या की?

इतना ही नहीं, इस सदन के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं, समानता का अधिकार है, समानता के अधिकार की रक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट बना है। राजस्थान में आज विधायकों को गाड़ी और ड्राइवर नहीं मिलता, लेकिन यहां के न्यायाधीशों ने तय किया कि जो जुडीशियल सर्विस के लोग हैं उनको कार भी मिलेगी, ड्राइवर भी मिलेगा। यह हुआ और उनके जो समकक्ष थे, 1990 के पहले जो समकक्ष सेवाएं थीं, चाहे आरएएस था, व्याख्याता था, डाक्टर्स थे, जो बराबर थे वे रह गये। क्या समानता के अधिकार का हनन नहीं किया कोर्ट ने? कोर्ट ने रूलिंग दी, एक कमेटी बनी और उनका विशेष वेतन हो गया, उनको क्वार्टर से हाई कोर्ट तक जाने के लिए, सैशन कोर्ट तक जाने के लिए गाड़ियां मिल गयी। यह किस बात को इंगित करता है? कितनी बार हम पर टिप्पणी की गयी? प्याज का भाव तय करेगा कोर्ट? नगरपालिका क्या करेगी यह कोर्ट तय करेगा? इस प्रकार के जो निर्णय आ रहे हैं, यह वास्तव में

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

व्यवस्थापिका के लिए, विधायिका के लिए चिन्ता की बात थी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, नरेन्द्र मोदीजी ने कहा था कि एक कदम एक व्यक्ति चलेगा तो 125 करोड़ कदम चलेंगे। उस बात को उन्होंने चरितार्थ किया। अभी 323 वर्षों की डिले की बात हमने की। स्पष्ट लिखा है, कोई भी न्यायाधीश 6 महीने बाद रिटायर होगा, 6 महीने पहले से प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यह एक्ट में प्रावधान किया गया। एक महीने के अन्दर न्यायाधीश नियुक्त होगा, यह इसमें प्रावधान किया गया है। मृत्यु पर भी ऐसा प्रावधान किया गया है। जो न्यायिक एक्ट है, जो आयोग बन रहा है उसमें न्यायाधीश की योग्यता और पारदर्शिता के लिए किया गया है। आज हम पर, जन-प्रतिनिधियों पर तो कोर्ट बार-बार टिप्पणियां कर रहा है, लेकिन एक ओपन मैग्जीन है, उसने न्यायाधीश का नाम लिखा कि इतने लाख रुपये दीजिए और यह फैसला हो जाएगा। उसने कोट किया एक मुकदमे को कि इसमें यह फैसला आएगा, इतने रुपये में सौदा हुआ है। यह इण्डिया की ओपन मैग्जीन ने लिखा है। वही हुआ उसमें। दो-तीन महीने बाद फैसला आया, उसमें वही फैसला आया। इस प्रकार के दृष्टांत मौजूद हैं। स्वत: ही अधिकार ले लिये, यह वास्तव में चिन्ताजनक बात थी। हमने इंग्लैण्ड से संविधान लिया, उस इंग्लैण्ड में जन-प्रतिनिधियों की सभा, जो राज्य सभा है, जो उच्च सदन है, संसद का उच्च सदन है वह यह काम करता है। जबकि हमारे यहां न्यायाधीश खुद कर रहे हैं। इंग्लैण्ड में यह सारा काम हाउस आफ लार्डस करता है। यहां सुप्रीमेसी का लगातार हनन होता जा रहा है। इस कारण से मैं वर्तमान कानून मंत्री और वर्तमान माननीय प्रधान मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं। प्रजातंत्र के स्थायित्व के लिए, मजबूती के लिए, 125 करोड़ लोगों ने नरेन्द्र मोदी को बहुमत दिया है। उन्होंने रविशंकर प्रसादजी को नियुक्त किया, उन्होंने टिप्पणी की न्यायाधीश के लिए। और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने क्या-क्या नहीं कहा? कि मैं इण्डिया के बाहर नहीं होता तो एप्लीकेशन को वापस नहीं लेने देता। वकील ने विड्रा किया कि मुझे वकील नहीं बनना। कमियां उजागर हो गयीं, इसलिए कहा। ऐसे टाइम पर जब सारी विधायिका, व्यवस्थापिका, संसद, नीचे के जन-प्रतिनिधियों पर कोर्ट की सुप्रीमेसी हो रही थी, उसमें केवल न्यायाधीश व्याख्या करे, यह रूल आफ ला नहीं है। चैक एण्ड बैलेंस की थ्योरी लेकर संविधान ने तीन निकाय बनाये हैं और उसमें भी रूल आफ ला की बात है, विकेन्द्रीकरण हमारे संविधान की आत्मा है।

बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा में 24 मई, 1949 को भाषण दिया जो मैं कोट करूंगा। भारत का मुख्य न्यायाधीश एक आदमी की तरह है,

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

उसके भी अपने सेंटिमेंट हैं इसलिए पूरा अधिकार ही मुख्य न्यायाधीश को ही क्यों दिया जाए? जबकि हम यह अधिकार पूर्णरूपेण राष्ट्रपति को भी नहीं दे रहे, यह अधिकार पूर्णरूपेण संसद को भी नहीं दे रहे तो फिर एक व्यक्ति विशेष या एक संस्था विशेष को अधिकार क्यों? उन्होंने कहा कि अधिकार कलैक्टिव रेस्पोंसिबिलिटी के आधार पर दिया जाना चाहिए। उसको अब आकर स्थापित किया गया है। डाक्टर साहब स्वर्ग में होंगे, उनकी आत्मा में जो कही हुई बात थी उसको नरेन्द्र मोदीजी और रविशंकर प्रसादजी ने और भारतीय पार्लियामेंट ने अब आकर कलैक्टिव रेस्पोंसिबिलिटी के आधार पर 6 लोगों को अधिकार दिया है। आजकल एक रोग पैदा हो गया है। जैसा पिछली बार इस सदन में यह तय हुआ बहुमत के आधार पर कि बकरी अगर वन विभाग में जाएगी तो 25 हजार रुपये जुर्माना होगा, ऐसा पास किया। बाद में उसमें अमैण्ड करके 500 रुपये किया। ऐसा जो बहुमत के आधार पर होता है उस पर चैक लगा है। 6 लोग निर्णय करेंगे, लेकिन 2 लोगों ने अगर मना कर दिया तो 4 लोग पक्ष में हैं, फिर भी आप निर्णय नहीं कर सकते। इस कारण से बहुमत का दुरुपयोग नहीं हो इसकी व्यवस्था भी इस एक्ट में की गयी है। यह व्यवस्था की गयी है कि वे 4 लोग मनमानी न कर लें। इसी प्रकार से सत्ताधारी दल उपयोग न कर ले इसलिए प्रतिपक्ष के नेता को या सबसे बड़े विपक्षी दल को यह अधिकार दिया गया है, उसमें मैम्बर नियुक्त किया गया है। इस कारण से देश के प्रजातंत्र के लिए और संविधान की मनमानी व्याख्या को रोकने के लिए यह एक्ट लाया गया है, इसका मैं समर्थन करता हूं। अध्यक्षजी, जुडीशियरी की क्या स्थिति है? सामान्यत: जब वकील के पास जमानत के लिए जाते हैं, एडवांस बेल के लिए, तो कहते हैं, बैंच ठीक नहीं है। दो महीने बाद उसकी बैंच आएगी तो श्योर जमानत है। बाकी बैंच में श्योर नहीं है, यह क्या है?

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय दो घण्टे के लिए बढ़ाया जाए।

श्री अध्यक्ष: क्या सदन की सहमति है?

(श्री अध्यक्ष)

(स्वीकृत)

सदन का समय दो घण्टे के लिए बढ़ाया गया।

शासकीय संकल्प

संविधान (121वां संशोधन) विधेयक, 2014 का अनुसमर्थन

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): अध्यक्षजी, जिस प्रकार का वातावरण देश में बना है उस पर भी चैक लगेगा। न्याय के प्रति जो आस्था कम हुई है, आज एक दिन की बहस के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो 5 लाख से 15 लाख का पेमेंट गरीब कहां से करेगा? एक गरीब किसान है उसको 30-30 वर्ष तो स्टे में निकल जाते हैं। रेवेन्यू बोर्ड तक जाता है, फिर वापस आ जाता है। स्टे का ही पहले तीन स्टेज में फैसला आता है, फिर वापस वहीं आता है। मूल दावा रह जाता है, फिर वापस आता है। आज तक कभी भी न्यायालय में कानून के बारे में टिप्पणी नहीं की गयी। कानून बनाने वालों पर टिप्पणी की गयी, कानून को लागू करने वालों पर टिप्पणी की गयी। लेकिन खुद के बारे में नहीं कि क्या-क्या अव्यवस्था कानून में हो रही है, न्यायाधीशों की क्या स्थिति है। बच्चों की छुट्टियां, वेकेशन की डिपार्टमेंट की परिभाषा दी हुई है सेवा नियमों में, उसमें लिखा है कि बच्चे विशेष गर्मी में नहीं जा सकते, विशेष सर्दी में नहीं जा सकते। पर ये न्यायाधीश चैम्बर में बैठकर भी नहीं कर सकते, उनके भी वेकेशन हैं। इसके बारे में अभी एक न्यायाधीश ने टिप्पणी की तो कितना हाहाकार मचा। जुडीशियरी चाहती है क्या कि इसका समाधान हो? जनता की चीज हो? इसी सदन के एक सदस्य टिप्पणी करते हैं कि अब व्यवस्थापिका या कार्यपालिका मनमानी करेगी। मैं आप सबको याद दिलाना चाहता हूं कि इसी सदन के एक सदस्य थे माननीय गुमान मलजी लोढ़ा, उन्होंने कितने वर्षों बाद एक व्यवस्था की लोक अदालत की। कितना लाभ हुआ उससे? वो प्योर जुडीशियरी के थे क्या? वो तो प्योर इस सदन के थे, राजनेता थे। लेकिन जब वो न्यायाधीश बने तो लोक अदालत की व्यवस्था लाये। उससे कितना लाभ हुआ। बिना पैसे के, बिना खर्चे के लोक अदालतें चलती हैं, उनमें बहुत कम खर्चा होता है और कितना समाधान होता है। यह कह-कह कर कि ये तो बेइमानी करते हैं, बेइमानी करते हैं लेकिन वहां तो टोटल बेइमानी होती है। टोटल इस प्रकार उसमें रहती है। अभी राजस्थान में बाबुओं की भर्ती में क्या हुआ? क्या वो जुडीशियरी का नंगा नाच नहीं था? किस

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

-किस प्रकार के मुकदमे अभी भी चल रहे हैं? इसलिए मैं आपके माध्यम से इसका समर्थन करता हूं। देश के लिए नरेन्द्र मोदीजी ने, रविशंकर प्रसादजी ने और भारत की संसद ने सर्वसम्मति से इसको पास किया है उसके लिए मैं सबका धन्यवाद करता हूं, अभिनन्दन करता हूं, देश को इससे एक नयी दिशा मिलेगी। ऐसा लग रहा है कि इस निर्णय के बाद, क्योंकि मैं व्यवस्थापिका का मैम्बर बन गया था उसके बाद की ये दो-तीन घटनाएं मैंने सुनायीं, इस कारण से ऐसा लग रहा है जैसे एक कवि ने कहा है, नरेन्द्र मोदीजी का यह काम... धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती किरण माहेश्वरी।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): संविधान के 121वें संशोधन के सम्बन्ध में अनुसमर्थन हेतु आज चर्चा चल रही है, इस चर्चा में एक बात बड़ी स्पष्ट है कि यूपीए गवर्नमेंट के समय कई बार इस कोलेजियम के सिस्टम को बदलने की बात कही गयी, लेकिन सिर्फ कही गयी, वे उसे लागू नहीं कर सके। जब देश के प्रधान मंत्री माननीय श्री नरेन्द्र भाई मोदीजी बने तो संसद के पहले ही सत्र के अन्दर उन्होंने संविधान में संशोधन लाने का यह प्रयास करके कामयाबी हासिल की उसके लिए हम पूरे सदन की ओर से उन्हें बहुत बधाई देते हैं। वास्तव में ऐसा संशोधन जो कि काफी लम्बे समय से पैण्डिंग चल रहा था, लगभग 20 साल से। 1993 में यह सिस्टम लागू हुआ कि जजेज का जो अपाइंटमेंट है, सुप्रीम कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के सी.जे.आई. के द्वारा अपाइंट होंगे। उससे पूर्व उनसे केवल परामर्श किया जाता था सरकार के द्वारा, केवल एक कंसल्टेशन उनसे होती थी और उसके बाद में सरकार अपने लेवल पर करती थी। लेकिन कोलेजियम लाकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथों में अधिकार ले लिया। हम समय-समय पर देखते आये हैं कि इन पोस्ट के ऊपर न्यायपालिका के अन्दर डिटीरियोटेशन आया- जो लोगों का एक विश्वास था उस विश्वास में कमी आती गयी, निर्णयों के अन्दर कहीं पारदर्शिता नहीं रही। बहुत सारे अपाइंटमेंट्स जो जजेज के होते रहे उन सब में भी कहीं न कहीं इसकी झलक हमें दिखती रही कि इन सब चीजों में बहुत कमी आ रही है और इसमें संशोधन होना चाहिए। लेकिन अभी तक उसको केवल चर्चा मात्र ही कर रहे थे। यह पहली बार हुआ कि जब इस तरीके का संशोधन पेश किया गया तो सभी पार्टीज ने इसका लोक सभा और राज्य सभा में समर्थन करके इसे पारित किया। अब सभी विधान सभाओं में इसे अनुसमर्थन के लिए भेजा गया

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि राजस्थान विधान सभा पहला स्टेट है, सबसे पहले हम इसका अनुसमर्थन करने जा रहे हैं। इसमें भाग लेते हुए मुझे यह भी कहना है कि एनडीए गवर्नमेंट ने जनभावना के अनुरूप इसमें सुधार किया है। यह सुधार करने में हमने चर्चा के अन्दर देखा, हमारे माननीय लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी हों चाहे मोइली जी हों, चाहे हमारे एस.एस. अहलुवालिया जी हों, कल्याण बनर्जी हों, इन सबके भाषणों को जब हमने पढ़ा तो वास्तव में लगा कि सभी पार्टी के लोगों ने बहुत खुले मन से और बहुत ही अच्छी तरीके से चर्चा में भाग लेते हुए बातें कहीं हैं। वो वास्तव में पढ़ने योग्य हैं। जो आपने हमें उपलब्ध करायी इसके लिए हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं कि विधान सभा से यह इतना सारा आपने भेजा और लोक सभा और राज्य सभा की कार्यवाही आपने भेजकर हमारे मैम्बर्स हैं उनका ज्ञानवर्द्धन किया। इसको पढ़ने से निश्चित रूप से एक चीज बड़ी स्पष्ट हुई है कि संविधान में यह संशोधन कितना आवश्यक था। संविधान में संशोधन का इसलिए भी हम लोगों को जरूरी लगता है क्योंकि इतने सारे जजमेंट्स पैण्डिंग पड़े हैं। इसका पूरा हिसाब लगाया जाए आज हर लेवल पर काउंट करें तो लगभग तीन लाख जजमेंट्स पैण्डिंग पड़े हुए हैं जिनका कारण ही यह है कि जजेज के अपाइंटमेंट्स नहीं हो रहे हैं। हम कह रहे हैं और यह चर्चा में आ रहा था, पारित हो रहा उस समय बहुत सारे रिजर्वेशन आये कि यह होना ठीक नहीं होगा। जुडीशियरी ने इसको अपाज भी किया, सब कुछ हुआ। उस सब के बाद में अगर देखा जाए जुडीशियरी अपाज कर रही है लेकिन एट द सेम टाइम कोलेजियम था उसके बाद में भी इतनी सारी पोस्ट वेकेंट क्यों थीं? आज देखा जाए, एज आन 1.8.2014 लगभग 319 पोस्ट हाई कोर्ट के अन्दर और 5 पोस्ट सुप्रीम कोर्ट के अन्दर जजेज की वेकेंट हैं जिसकी वजह से कितने सारे जजमेंट पैण्डिंग पड़े हुए हैं। ये जजमेंट नहीं हो पा रहे हैं तो बहुत बड़ी हानि हमारे नेशन को हो रही है। साथ ही अगर मैं देखूं तो पूरे देश के अन्दर जो छोटे कोर्टस हैं उन कोर्टस के अन्दर 4296 ऐसी पोस्ट हैं जो वेकेंट हैं और केवल राजस्थान का ही अगर देखें तो 353 पोस्ट वेकेंट हैं। तो यह हम लोगों को कितना बड़ा अफैक्ट कर रहा है यह जुडीशियल अपाइंटमेंट कमीशन जो बनाया जा रहा है उससे निश्चित रूप से इसमें सुधार होगा और जजेज के जो अपाइंटमेंट्स होंगे वो बड़ी पारदर्शिता के साथ में होंगे। जो छह मैम्बर इसमें लिये गये हैं उन छह मैम्बर में बराबर से यह बात रखी गयी है कि तीन हम

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

जुडीशियरी से ले रहे हैं और तीन जो अन्य मैम्बर होंगे उनमें ला मिनिस्टर होंगे और दो एमिनेंट पर्सन्स होंगे। इस प्रकार जो छह जनों की कमेटी बनेगी वो छह जनों की कमेटी इनके अपाइंटमेंट्स में तरीके से विचार करेगी कि कैसे जजेज के अपाइंटमेंट्स हो जाएं ताकि वे जजमेंट्स समय पर दे सकें। जो त्वरित न्याय देने की बात हम कहते रहे वो केवल कहना ही नहीं, अब करके दिखाना है। ये जो तीन लाख से ज्यादा केसेज पैण्डिंग पड़े हैं, उनको निपटाने की बात कही गयी है, उसमें यह बड़ा ही ठीक रहेगा।

साथ ही एक चीज और आयी, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजेज के अपाइंटमेंट करते हैं उनमें आज तक कोलेजियम सिस्टम था, इस सिस्टम के तहत कोई मापदण्ड नहीं था कि किस तरीके से इनका अपाइंटमेंट किया जाए। क्या सीनियरटी के आधार पर इनका अपाइंटमेंट किया जाए? या कोई मैरिट के आधार पर इनका अपाइंटमेंट किया जाए? या कोई कोटा होगा जिसके आधार पर इनका अपाइंटमेंट किया जाए? मेरे से पूर्व कहा गया कि लाइकिंग और डिसलाइकिंग के ऊपर जो अच्छा लगा, जो आपसे बहुत कांटेक्ट में है उसका अपाइंटमेंट कर दिया गया। आज मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकती हूं, मैं मेवाड़ से आती हूं, राजस्थान हाई कोर्ट में मेवाड़ के प्रतिनिधित्व का बहुत ही अभाव दिखता है। कारण इसका यह आ जाता है कि यहां के जो वकील हैं उनका सी.जे. से सीधा व्यक्तिगत कोई सम्बन्ध नहीं रहता है, क्योंकि वहां पर कोई हाई कोर्ट की बैंच नहीं है या कहीं उनका आना-जाना नहीं है। इसलिए अच्छे वकील होने के बावजूद भी डिस्ट्रिक्ट लेवल से आगे वो हाई कोर्ट में कभी जा नहीं सकते क्योंकि उनके कांटेक्ट सी.जे. से नहीं होते। तो यह जो सिस्टम है इस सिस्टम में बदलाव की बहुत ज्यादा जरूरत थी। अदरवाइज जो सी.जे. के इर्द-गिर्द रहते हैं या उनसे जिनकी जान-पहचान है, वो ही लोग आगे बढ़ते रहते हैं। कई उदाहरण लोक सभा और राज्य सभा में चर्चा के दरमियान आये जिनको मैं यहां पर रिपीट नहीं करना चाहती हूं, लेकिन सांगानेर से आये हुए हमारे माननीय वरिष्ठ सदस्य ने पूरे एग्जाम्पल्स के साथ में यह बात कही थी कि कितने ऐसे जजेज हैं जो सिर्फ हाई कोर्ट के जज बनकर रह गये हैं या डिस्ट्रिक्ट के बनकर रह गये। आगे तक इसलिए नहीं पहुंच पाये, बहुत ईमानदार थे, सब कुछ था, लेकिन उनके कांटेक्ट्स सी.जे.आई. से नहीं हुए या उनके कांटेक्ट्स आगे नहीं बढ़ पाये। इस वजह से वो आगे नहीं बन पाये। यह एक बहुत बड़ा लेकूना था जिसको हम लोगों ने यहां पर क्लियर करके किया

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

है। यह बहुत ही अच्छा हुआ कि हम इसमें संशोधन करने जा रहे हैं। साथ-साथ, जो सीनियरटी है उसको जज करने के लिए जो छह लोग बैठेंगे उस कमीशन के माध्यम से तो निश्चित रूप से कुछ अच्छे फैसले होंगे और अच्छे जजेज हमारे सामने आएंगे। जो जजमेंट होंगे वो भी पारदर्शिता के अनुरूप होंगे और अच्छी तरीके से हम लोग जजमेंट की क्वालिटी को सुधार पाएंगे।

(17.00 बजे)

आज एक बात और सामने आती है कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, इन तीनों के जो कार्य क्षेत्र हैं वो बहुत स्पष्ट हैं। स्पष्ट होने के बाद में तीनों का आपस में एक-दूसरे के प्रति सम्मान होना चाहिए, लेकिन उस सम्मान में हम लोगों को कहीं न कहीं कमी दिखती आ रही है। यह कमी इसलिए दिखती है, माननीय अध्यक्षजी, जब हम लोग देखते हैं कि बहुत से ऐसे निर्णय जुडीशियरी द्वारा किये जाते हैं। ऐसे जजमेंट्स दिये जाते हैं जिनमें विधायिका के ऊपर या विधायकों के ऊपर या सांसदों के ऊपर कमेंट्स किये जाते हैं, जिसको कह सकते हैं कि यहां पर यह गड़बड़ी है। कोई अगर एम.पी. क्रिमिनल बैकग्राउण्ड का आया है उसके बारे में कुछ हो तो समझ में आए, लेकिन जब पूरे सिस्टम के ऊपर अंगुली उठायी जाती है तो सबको बड़ा कष्ट होता है। हम विधान सभा में विधायक चुनकर आये या लोक सभा में सांसद चुनकर गये, उनके ऊपर इस तरीके के अगर कहीं पर जुडीशियरी के द्वारा कमेंट्स किये जाते हैं या कुछ इस तरीके के आर्डर्स पास किये जाते हैं तो यह बड़ा कष्टमय हो जाता है। जुडीशियरी और न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, तीनों का समन्वय और तीनों का रैस्पैक्ट एक-दूसरे के प्रति होना चाहिए। तीनों के कार्यक्षेत्र बहुत स्पष्ट हैं, अपने-अपने कार्यक्षेत्र में कार्य करें तो वह ज्यादा अच्छा होगा।

मुझसे पूर्व हमारे साथी ने जो बात कही, मैं उसमें निश्चित रूप से कहूंगी, यह सही है कि कहीं न कहीं हस्तक्षेप हो रहा है। और यह हस्तक्षेप इसलिए कि संविधान का आर्टिकल 141 है उसको बहुत गलत तरीके से इंटरप्रेट किया गया है। इसमें कानून बनाने का अधिकार राज्य के अन्दर विधान सभा को है, हम यहां पर बैठकर कानून बनाते हैं। देश का कानून बनाने वाले लोग हैं वे संसद में बैठकर देश का कानून बना रहे हैं और उसको इम्प्लीमेंट होना

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

है। अगर इम्प्लीमेंट होने में कहीं कोई कसर रह जाती है, तब जुडीशियरी यह कहे कि यह कानून है और इस कानून के तहत आपने यह काम नहीं किया, तब तो बात समझ में आती है। लेकिन जुडीशियरी इंस्ट्रक्ट करना जिस तरीके से शुरु करती है, उसमें एक उदाहरण मैं उदयपुर का आपके सामने रखना चाहती हूं, माननीय अध्यक्षजी। हमारे यहां पर नगर विकास न्यास ने 1962 के अन्दर एक कालोनी काटी अम्बामाता स्कीम। अम्बामाता योजना नगर विकास न्यास ने उसमें प्लाट्स दिये, उनका अलाटमेंट किया, बिल्डिंग बनाने की परमिशन दी, सारा सब कुछ किया। लेकिन हाई कोर्ट में 1997 में कोई पीआईएल लगती है और उस पीआईएल के आधार पर वे यह कह देते हैं कि यह नान-कंस्ट्रक्शन जोन हो गया। यानी जिन्होंने प्लाट्स को खरीदा है, हाई कोर्ट यह आर्डर दे देती है कि यह कंस्ट्रक्शन आप नहीं कर सकते हो। न तो नया कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, न रिनोवेशन आप कर सकते हो, न कुछ भी इसके अन्दर बढ़ा सकते हो, एक्सपांशन कर सकते हो ऐसी स्थिति पैदा जब कर देते हैं तो बड़ा यह लगता है कि न्यायपालिका हस्तक्षेप कर रही है। वह बहुत ही कष्टमय हो जाता है एक गरीब आदमी ने प्लाट खरीदा है, वह मकान बनाने के लिए खरीदा है और न्यायपालिका कहती है कि आप उसमें मकान नहीं बना सकते तो यह सीधा-सीधा अधिकारों का अतिक्रमण है जो हम लोगों को दिखता है। इसमें अगर पीआईएल की बात कहें तो पीआईएल इतना लोकप्रिय इस तरीके से हो जाता है कि हाई कोर्ट के जजेज और सुप्रीम कोर्ट के जजेज हैं, उन लोगों को सारे केसेज हैं डे-टू-डे के, उनको निपटाना तो एक तरफ हो जाता है, वे पीआईएल के लिए बड़ा इंट्रेस्ट से काम करके तुरन्त उसके लिए स्ट्रिक्चर पास कर देते हैं क्योंकि पीआईएल के अन्दर फर्स्ट पेज में उनका नाम छप जाता है, फ्रंट पेज पर न्यूजपेपर के अन्दर, कि यह पीआईएल लगी और यह जजमेंट इसके ऊपर दे दिया गया। मैं कहती हूं कि यह बहुत ही अच्छा है, संविधान में जो संशोधन किया है, उस संशोधन में इस बात को कहा है कि न तो किसी पार्टी का नाम इसमें आएगा और न ही जज का नाम आएगा। जब पीआईएल लगी तो अपने आप उसके अन्दर मुझे लगता है कि न वकील का नाम, न जज का नाम और नाइदर द नेम आफ द पार्टी, ये जो तीनों चीजें इसमें की हैं। न ही किसी तरीके का कोई फोटो छपेगा। पीआईएल

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

को तुरन्त एन्टरटेन करना और जो ओरिजिनल फंक्शंस हैं केसेज को डिस्पोज करने के, वे एक साइड में रह जाते हैं और पीआईएल को पहले कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं इस चीज के अन्दर अंकुश आएगा और यह होने से तुरन्त, जो त्वरित न्याय वाली बात हम कर रहे हैं, वह मिल पाएगा।

साथ ही, संविधान में जो संशोधन किया है इसके अन्दर यह भी कहा गया है कि आईएएस आफिसर्स हैं उनका ट्रांसफर अगर हम तीन साल में कर सकते हैं या चार साल में कर देते हैं, तो क्यों नहीं जजेज के भी ट्रांसफर्स हो जाएं। जजेज के ट्रांसफर्स नहीं होते। 10-10, 15-15 साल तक जज वहीं पर रह रहा है। जजेज के भी ट्रांसफर्स नियमित होते रहने चाहिए, वह भी उस कमीशन के माध्यम से होगा। तो यह भी एक बहुत ही अच्छा प्रस्ताव इसके अन्दर लिया गया है, जिससे कि न्याय प्रवृत्तियों के अन्दर बहुत सुधार होगा।

मेरा यह मानना है कि फीस लेने की भी एक लिमिट है। उसके ऊपर भी कहीं न कहीं बाध्यता होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के अन्दर जब केस जाता है तो कोई भी वकील जो सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ता है, पांच लाख, दस लाख, 15 लाख तक मनमर्जी फीस ली जाती है। माननीय अध्यक्षजी, आप स्वयं वकील हैं, आप तो इन सारी चीजों को अच्छी तरीके से जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट के लायर्स इस तरीके की फीस लेते हैं, यानी किसी गरीब आदमी के बस का नहीं कि वह वहां जाकर न्याय के लिए अपनी मांग कर सके। कोई जा नहीं सकता सुप्रीम कोर्ट तक। ऐसी स्थिति में क्यों न सुप्रीम कोर्ट की रीजंस के अन्दर, स्टेट के अन्दर सर्किट बैंचेज लगे और सर्किट बैंचेज के ऊपर ही न्याय की प्रक्रिया शुरु हो ताकि हरेक व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली जाने की जरूरत नहीं। अपने ही रीजन के अन्दर एक सर्किट बैंच हो और उस सर्किट बैंच के आधार पर लोगों को वहां पर न्याय मिल सके।

यही सर्किट बैंच की बात हम लोग कई दिनों से उदयपुर के अन्दर कर रहे हैं। बांसवाड़ा, डूंगरपुर यह जो ट्राइबल बैल्ट है, इस ट्राइबल बैल्ट से किसी ने न्याय लेने के लिए अगर हाई कोर्ट के अन्दर अपील की है तो उसे या तो जयपुर आना है या उसे जोधपुर जाना है। कितना कठिन हो जाता है उसके लिए न्याय मिलना। क्यों न हाई कोर्ट की सर्किट बैंचेज भी ऐसे ही रीजंस के अन्दर लग जाएं और वह लगाने का जो अधिकार है वह स्टेट

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

गवर्नमेंट को होना चाहिए। सर्किट बैंचेज को लगाने का भी अधिकार दे दिया इन्होंने। सीजेआई इसके अन्दर अगर करेंगे या सुप्रीम कोर्ट उसके अन्दर हस्तक्षेप करके परमिशन देंगे या ला मिनिस्टर दिल्ली के परमिशन देंगे, तभी यहां पर लग सकेंगी। हम लोग अधिकारों का अच्छी तरीके से विकेन्द्रीकरण कर रहे हैं तो विकेन्द्रीकरण में यह चीज जरूर से आनी चाहिए। इसके बारे में चर्चा अभी चल रही है कि सर्किट बैंचेज जो हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट की सर्किट बैंचेज हों, चाहे हाई कोर्ट की सर्किट बैंचेज हों, रीजंस के अन्दर लगना शुरु हों तो ठीक होगा। मैं सोचती हूं कि हमारे माननीय सदस्यों ने इसके अन्दर काफी चर्चा आगे की है, बात सिर्फ यही है कि अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए।

अभी कुछ समय पहले ही हम लोगों ने देखा, जम्मू कश्मीर में बाढ़ आयी तो सुप्रीम कोर्ट ने यह आर्डर दिया और कहा कि राहत कार्य कैसे चल रहे हैं, क्या योजना बनायी गयी, वह कोर्ट को बताया जाए। अब राहत कार्य की योजना क्या है, उसके लिए सरकार को निर्देशित किया जाता है कि राहत कार्य की क्या योजना बनायी है, वह कोर्ट में लाकर बताओ। ऐसा लगता है कि राहत कार्य के प्रति हम लोग संवेदनशील हैं, सरकार संवेदनशील है। दूसरे ही दिन प्रधान मंत्रीजी स्वयं वहां पर जाते हैं और पूरा उसको देख रहे हैं, सारी सब चीजें कर रहे हैं और तुरन्त इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं सभी चीजों के लिए, राहत कार्य के लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट आर्डर कर रही है कि राहत कार्य में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। यानी जो काम स्टेट गवर्नमेंट का है, जो काम सेंट्रल गवर्नमेंट का है, जो लोग अच्छी तरीके से काम का निष्पादन कर रहे हैं, उसके बाद में इस तरीके का यह करना, ऐसा लगता है, कहीं न कहीं जब लोग चर्चा कर रहे हैं कि अरे, वह तो काम होता नहीं, यह तो कोर्ट ने आर्डर दिया, इसलिए यह काम हो रहा है, यानी कहीं न कहीं हमें लगता है कि डेमोक्रेसी को बचाने में उनका हाथ है लेकिन बिलकुल इतना भी नहीं हो कि इस तरीके से आर्डर पास हो। जवाबदेही सरकारें होती हैं, जवाबदेही जन प्रतिनिधि होते हैं लेकिन उन जन प्रतिनिधियों के ऊपर अगर इस तरीके से कोर्टस इंस्ट्रक्शन देता है तो वह जन प्रतिनिधि को कहीं न कहीं हर्ट होता है और ऐसा लगता है कि यह अधिकारों का हनन है। जो कानून बनाने वाले लोग हैं, वे इस सदन के अन्दर बैठे हैं और मेकर्स हैं, लेकिन उन ला मेकर्स को

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

ऊपर से गाइड होता है कि तुम्हें ला यह कहता है, यानी जो खुद कानून बना रहे हैं, उन्हीं को ऊपर से इंस्ट्रक्शन आते हैं कि तुम कानून की पालना नहीं कर रहे हो। मुझे आपने बोलने का अवसर दिया, यह जो संविधान के अन्दर 121वां संशोधन किया गया है, उसका समर्थन करते हुए और जो सारे विषय हैं उन विषयों पर रिपीटीशन नहीं करते हुए मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करती हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री शंकरसिंह राजपुरोहित।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, संविधान में 121वां संशोधन है, अभी कुछ माननीय सदस्यों ने इस विषय पर विचार रखे। शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि कोलेजियम जैसा शब्द जो एब्नोर्मल शब्द है, इस शब्द का कहीं निर्माण नहीं हुआ, वह इस न्यायिक प्रक्रिया में कैसे आया? यह प्रश्नचिह्न लगा है और यह वास्तव में सही भी है। जब संविधान का नाम आता है, माननीय अध्यक्ष महोदय, तो निश्चित रूप से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकरजी का नाम आता है। हिन्दुस्तान में जब कभी भी संविधान का नाम आएगा, वहां पर अम्बेडकरजी का नाम लिया जाएगा। अम्बेडकरजी ने बहुत अच्छे शब्दों में यह कहा था कि व्यक्ति कभी पूरा नहीं होता। व्यक्ति में कभी-न-कभी, कोई-न-कोई मानवीय कमियां आती हैं। कोलेजियम के माध्यम से जज ही जजों की नियुक्ति करें तो निश्चित रूप से उसमें कहीं-न-कहीं कमी होती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब इस देश का विचार करते हैं, अम्बेडकरजी के विचार पर विचार करते हैं तो उस व्यक्ति के अन्दर किसी भी भाव का, किसी भी प्रकार का पूर्वाग्रह न होते हुए उन्होंने संविधान की रचना की। अगर हम अतीत में जाएं तो अम्बेडकरजी दोनों भाई किसी गांव के किनारे खड़े थे, कहीं जाना था। उनके पिताजी एक स्टेशन मास्टर थे, तो एक बैलगाड़ी आयी और उस बैलगाड़ी में उनको बिठाया। बालक अच्छे थे, बैलगाड़ी वाले ने बिठा लिया। जब गंतव्य स्थान पर जाकर उतारा तो किससे मिलना है, कि सतपालजी से। उस अछूत के तुम बेटे हो, मेरी बैलगाड़ी में कैसे बैठे? उन्हें वापस उसी स्थान पर उन्होंने छोड़ा, जिस स्थान से वह बैलगाड़ी वाला लाया था। उसके बाद भी कभी अम्बेडकरजी के मन में किसी प्रकार के पूर्वाग्रह न आते हुए इस देश के लिए, इस देश की सही बातों के लिए उन्होंने संविधान की रचना की।

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक और उदाहरण देता हूं। अम्बेडकरजी जैसा विश्व विख्यात विद्वान व्यक्ति, उसको संसद में नहीं पहुंचने देने के लिए कांग्रेस के नेताओं ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, उनको हरा दिया। उसके बाद में भी संविधान लिखते समय कभी उनके मन में पूर्वाग्रह के भाव नहीं आये। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि किसी भी काम को बनाते समय, किसी भी नियम को बनाते समय या किसी भी नियुक्ति को करते समय उसके मापदण्डों को सामने रखा जाए, न कि कोई पूर्वाग्रह रखा जाए। आज न्यायिक प्रक्रिया पर प्रश्नचिह्न लगता है। हम नौवीं में एक पाठ पढ़ते थे, द जजमेंट सीट आफ विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के टीले के ऊपर बैठकर एक गडरिया जैसा बालक न्यायिक बातें करता था, मतलब उस सिंहासन में इतना तप था। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस देश में साक्षी हैं अहिल्या बाई होल्कर मराठा शासक हुई। उनके बेटे ने किसी महिला के साथ बलात्कार किया और उन्होंने अपनी न्यायिक गद्दी पर बैठकर सज़ा दी सज़ा-ए-मौत। और मौत भी ऐसी कि हाथियों से कुचल कर इसको मारो। यह भी उदाहरण इस देश के अन्दर है। उस देश के अन्दर न्यायिक प्रक्रिया के ऊपर प्रश्नचिह्न लगता है। कई ऐसे माननीय जजेज चाहे वैंकेयाजी हों, चाहे वह वर्मा जी हों, उन्होंने रिटायर होने के बाद ही कोलेजियम पर प्रश्नचिह्न लगाया कि जज ही जज की नियुक्ति करें, यह ठीक नहीं है। हमने कई बार समाचार पत्रों में भी पढ़ा होगा, नोटो के बण्डल, कारें, प्लाट दिए जाते हैं, ए.सी. दिए जाते हैं। यह क्या हैं? इस देश का इतिहास तो देखो। और आज यह क्या हो रहा है?

माननीय अध्यक्ष महोदय, बात चली अंकल जजेज। कौन हैं? जज बन गये, उनका बेटा सामने वकालत की प्रैक्टिस कर रहा है। क्लाइंट उनके पास आते हैं, लाखों की लेन-देन होती है। यह क्या है? इसमें सुधार करने की हिम्मत दिखाई है, मैं प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी को धन्यवाद देता हूं, और रवि शंकरजी जो कानून मंत्री हैं उनको। उन्होंने सभी दलों सभी कानूनविदों के साथ, सभी संविधान विशेषज्ञों के साथ बातचीत करने के बाद यह संशोधन पास करवाने की हिम्मत की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बात पर आज जो प्रश्नचिह्न लगा है, यह जो आयोग बनेगा, उस आयोग के तहत जो जजों की नियुक्ति होगी, उसमें कहीं-न-कहीं पारदर्शिता आएगी। कहीं-न-कहीं अच्छा न्याय मिलने की एक आशा आएगी। आज व्यक्ति सभी तरफ से दुःखी होकर अंतिम छोर पर न्याय पाने के लिए न्यायालय में जाता है और वहां उसके साथ भी

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

बलात्कार होता है, उसके न्याय के साथ बलात्कार होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, छोटी-छोटी बातों में, जैसा कि बात चल रही है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका इन तीनों के अन्दर सामंजस्य और एक दूसरे के प्रति सम्मान होना चाहिए, वह तो नहीं है। आये दिन अख़बारों में पढ़ा जाता है कि आज तो चीफ सैक्रेटरी को कोर्ट में हाजिरी देने के बुलाया है, आज पुलिस के डी.जी. को कोर्ट में हाजिर होने के लिए आदेश आया है। और तो और, छोटे-छोटे कोर्ट में भी क्या होता है? एक ग्राम सेवक जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, दुनियाभर के भ्रष्टाचार जिसने किये हैं, सरकार उसके ट्रांसफर के आदेश निकालती है और वह कोर्ट में जाकर के स्टे ले आता है। यह क्या है? मतलब जिले का कलक्टर उसे साबित करे कि यह आरोपी है, एंटी करप्शन ने रंगे हाथ पकड़ लिया है। लेकिन स्टे मिल जाता है, यह क्या है? कहीं न कहीं तो प्रश्नचिह्न लगेगा। न्यायपालिका का कहां-कहां हस्तक्षेप। अभी जैसे कहा, कहीं अतिक्रमण हो, कहीं सफाई हो, आपके कोर्ट में कितने केस पैंडिंग हैं? उस पैंडेंसी को निपटाओ। और तो और, जजेज के सामने नामचीन वकील चाहिए। क्यों चाहिए? अब वो नामचीन वकील, सुप्रीम कोर्ट में, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक-एक वकील की खाली एक बार पेश होने की 25-25 लाख रुपये फीस है। यह क्या है? कहां जाएगा यह न्याय? इस न्याय को सही ठिकाने पर लाने के लिए यह आया है। देखिए, भय के बिना प्रीत पैदा नहीं होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार का आयोग स्टेट कमीशन भी बने और जिस प्रकार से आईएएस के यूपीएससी के माध्यम से एग्जाम होते हैं, उसी तरह से आईजेएस भी एग्जाम होना चाहिए जिससे डिस्ट्रिक्ट जज चाहे किसी भी स्टेट के लगें, इंटेलीजेंस के हिसाब से उनकी नियुक्ति हो। यह क्या है कि जोधपुर का है पाली में लगे? पाली का है जोधपुर में लगे? उनके भाई- भतीजे प्रैक्टिस करते हैं। कहीं न कहीं तो स्वतंत्रता होनी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार और माननीय नरेन्द्र भाई मोदी जिस प्रकार से इस बिल को लाये हैं, इसके अनुसमर्थन में जो कहने जा रहा हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आज एक उदाहरण दे रहा हूं, बहुत अच्छा उदाहरण है। हमारे सामने ऐसे-ऐसे भी जज हुए। एक जज महोदय को घर पर एक व्यक्ति मिलने आता है। दरवाजा जज साहब खोलते हैं तो जज साहब? जज साहब घर पर नहीं है, जज साहब कोर्ट में हैं, यहां घर पर तो मैं एक

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

साधारण व्यक्ति हूं। ऐसे भी उदाहरण हैं। ऐसे-ऐसे उदाहरण इस देश के अन्दर हुए हैं जज के मामले में, न्याय के मामले में। छत्रपति शिवाजी के गुरु दादा कोणदेव जिन्होंने यह निर्णय किया था कि इस बग़ीचे के कोई आम नहीं तोड़ेगा, भूल से उनका हाथ आम के पेड़ पर चला गया। सारी उम्र उन्होंने यह तय किया, मेरे इन हाथों से कभी काम नहीं करूंगा। ऐसे न्याय भी हुए हैं, हमें भी इस प्रकार का एक चित्र पैदा करना होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इन सारी बातों में आज सरकार ने बहुत बड़ा काम किया है, इससे कम से कम पारदर्शिता रहेगी। केसों की जो पैंडेंसी है, इस बारे में भी कहीं न कहीं हमें विचार करना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, करप्शन में भी इससे बहुत कमी आएगी आगे जाकर। एक हिम्मतवान, हिम्मत से भरा हुआ न्याय जो वास्तव में गरीब से गरीब व्यक्ति को मिलना चाहिए। उस न्याय की आशा करते हुए इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे जो समय दिया कहने के लिए, मैं बहुत-बहुत आभारी हूं। बस आओ, जिस प्रकार से केन्द्र सरकार ने यह हिम्मत बनाई है, वैसी ही हिम्मत आगे जाकर स्टेट में भी इस प्रकार की एक न्यायपालिका खड़ी करने में हम भी दिखाने में समर्थ हों, इन्हीं शब्दों के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। श्री वासुदेव देवनानी (अनुपस्थित)। श्रीमती अलका सिंह (अनुपस्थित)। श्री मान सिंह गुर्जर।

श्री मान सिंह (गंगापुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, संविधान संशोधन विधेयक, 121 एवं राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, 2014 जो हमारी सर्वोच्च संसद पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया है, उसके अनुसमर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं। आज बहुत ही हर्ष है कि हमारे विद्वान साथियों ने बहुत-सी बातें इसमें रखीं और संसद में इस बिल पर एक ऊंचाई की बहस हुई। हमारे देश की कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका को जिस प्रकार की संविधान की भावना है और जिस प्रकार से संविधान निर्माताओं ने बनाया था, उसके लिए आज भी देश की संसद एक है। इस देश की सर्वोच्च शक्ति संसद में विद्यमान है, उसके साथ संविधान में व्यवस्था है कि इस प्रकार के विधेयकों को देश की पन्द्रह के लगभग विधान सभाओं द्वारा अनुसमर्थन करने के बाद ही कानून बनेगा। पिछले वर्षों में न्यायपालिका का जिस प्रकार का रूप हमारे सामने

(श्री मान सिंह)

आया, उसमें मैं यह कहना चाहूंगा कि कहीं भी हमारे संविधान में न्यायपालिका को इंडिपेंडेंट नहीं कहा गया, लेकिन प्रचार ऐसा हुआ कि न्यायपालिका इंडिपेंडेंट है। संविधान में कहीं भी इस शब्द का वर्णन नहीं है कि देश की न्यायपालिका इंडिपेंडेंट है। न्यायपालिका इम्पार्शल हो यह समझ में आता है और यह संविधान की भावना भी है। कहां से यह शब्द आया और किस प्रकार से इस शब्द का चयन किया गया, न्यायपालिका ने अपने आपको इंडिपेंडेंट मानकर अपना काम करना शुरू कर दिया। कोलेजियम से न्यायिक नियुक्ति का जो सिस्टम शुरू हुआ उसमें देखने में आया कि कई जजेज के, मैं माफी चाहूंगा, कई जजेज के बच्चों को जजेज की नियुक्ति दी गयी और कइयों को तो ऐसों को नियुक्ति मिली जिन्होंने अपने जीवन में कोई फैसला नहीं लिखा, किसी प्रकार का कोई उनका योगदान नहीं। विद्वान साथियों ने आज यहां पर उदाहरण दिये उनमें जबलपुर हाई कोर्ट के जो जज थे, उनका उदाहरण आता है, जी.के. सिंहजी का। उनको एक तरीके से ऋषि और हरमिट न्यायप्रणाली में कहा जाने लगा, ऐसे व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में नहीं पहुंच पाये। तो निश्चित रूप से काफी लम्बे समय से यह महसूस किया जा रहा था कि हमारी न्याय प्रणाली के अन्दर जजेज की नियुक्ति में एक कमीशन का गठन होना चाहिए। इस गठन की प्रक्रिया पिछले लम्बे समय से बीस साल से महसूस की जा रही थी चाहे वो गोस्वामीजी हों, चाहे हमारे वीरप्पाजी मोइली हों। हमारे नरेन्द्र मोदी जी ने और रविशंकरजी ने इस विधेयक को लाने का जो काम किया है, उस पर पूरा देश एकमत लगता है संसद के साथ में। पिछले दिनों जिस प्रकार की न्यायिक फैसलों में गिरावट आयी उस गिरावट के कारण निश्चित रूप से हम यह महसूस करते हैं कि हमारा जो यह ढांचा है, संवैधानिक ढांचा है, उसमें किसी भी प्रकार से इस प्रकार के ढांचे को देश की जनता कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसको संसद में जिस प्रकार से महत्व दिया हमारे माननीय ला मंत्रीजी ने, जिस प्रकार से इस विधेयक को सर्वसम्मति देने का, राष्ट्रीय सहमति का एक रूप देने का काम किया है, उसके लिए मैं उनका बहुत-बहुत धन्यवाद और साधुवाद करना चाहूंगा। आपको इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे इस पवित्र सदन में आपने मुझे भी मौका दिया है। मैं कहना चाहूंगा, माननीय अध्यक्षजी, कि जयपुर में जो गोपालपुरा बाइपास है, उस पर माननीय न्यायालय ने आदेश दे दिया, बिना किसी याचिका के बिना किसी

(श्री मान सिंह)

उसके, कि यहां पर आवागमन बंद कर दिया जाए। स्वप्रेरणा से बंद करने का आदेश दे दिया। जब दूसरे दिन सत्रह किलोमीटर तक की लाइन लग गयी, पूरा चक्का जाम हो गया तब न्यायालय की आंख खुली। दूसरे दिन कहा कि नहीं, वापस चालू कर दो। आखिर है क्या? मानवीय भावनाओं के साथ में, आप जब अपने आपको इंडिपेंडेंट मान कर इस प्रकार के फैसले लेंगे तो निश्चित रूप से इस प्रकार के कमीशन की बहुत आवश्यकता थी। यह 121वां संशोधन विधेयक जो लाया गया है जिसको संसद ने पास किया, उसकी महती आवश्यकता थी। राजस्थान विधान सभा में पहले सदन के रूप में, देश में पहले नम्बर पर हम जो इसका अनुसमर्थन करने जा रहे हैं, मैं अपने आपको सौभाग्यशाली मानता हूं। निश्चित रूप से इस कमीशन के बनने के बाद में जुडीशियरी के फैसलों में पारदर्शिता होगी। जो जजों की नियुक्ति है उसमें विपक्षी दल का, जो भी लार्जेस्ट होगा उसका नेता, माननीय प्रधान मंत्रीजी, हमारे कानून मंत्रीजी और दोनों जजों के साथ में एमीनेंट पर्सन हैं, उनके माध्यम से उनके लिए चुनौती जरूर होगी। देश में 21 सुप्रीम कोर्ट के जजेज की नियुक्ति करना, आठ सौ के लगभग हाई कोर्ट के जजेज की नियुक्ति करना, कश्मीर से कन्याकुमारी तक उसकी मानिटरिंग कर उनकी नियुक्ति करना, मैं समझता हूं एक चुनौती का काम जरूर है लेकिन इसके अन्दर पारदर्शिता आएगी। व्यक्तिश: मैं यह कहना चाहूंगा कि समय के ऊपर इस कमीशन को सुनवाई का भी अधिकार होना चाहिए। अगर कहीं किसी व्यक्ति की सुनवाई नहीं हो तो ऐसे कमीशन में एक चीज और जोड़ी जानी चाहिए कि देश में कहीं उसकी सुनवाई हो सके। माननीय अध्यक्षजी, इस प्रकार से कई-कई ऐसे फैसले आये जिनको कहीं संविधान में अधिकार तक नहीं दिया गया, लेकिन हाई कोर्ट ने अपने स्तर पर इंडिपेंडेंट कर लिया। हमारी जो संसदीय प्रणाली है उसमें 468 में प्रकरण को कितनी मियाद में उसको पेश करने के बारे में न्यायपालिका का जो निर्णय है, जुडीशियरी ने अपने आप निर्णय ले लिया कि ऐसे मुकदमों को समाप्त कर दिया जाए। किसने अधिकार इस प्रकार का न्यायपालिका को दिया? अपने आप न्यायपालिका इस प्रकार से जब निर्णय करने लग जाए तो निश्चित रूप से ऐसे कमीशन की बहुत आवश्यकता थी। ऐसे कमीशन के बिना किसी भी प्रकार से हम विश्वास नहीं कर सकते। स्वतंत्र बहस में माननीय रविशंकरजी ने, माननीय मोइलीजी ने, अर्जुन चरण दासजी ने, भर्तृहरि मेहताब जी ने,

(श्री मान सिंह)

मल्लिकार्जुन खड़गे ने, अहलुवालियाजी ने जिस प्रकार के तर्क और जिस प्रकार की बातें रखीं, उससे यह बात निकल कर आयी। हमारे देश में संवैधानिक व्यवस्था है, लेकिन न्यायपालिका ने अपने आप निर्णय लिया। उसका उदाहरण मैं बताऊं, माननीय अध्यक्षजी। भारत की संसद ने कानून पास किया कि आर्थिक अपराधों में विशिष्ट प्रकार के अपराधों में समरी प्रोसीजर से ट्रायल होनी चाहिए। पर, क्षमा कीजिये, 95 प्रतिशत मुकदमों में समरी ट्रायल नहीं होता। अपने आप जुडीशियरी ने निर्णय ले लिया। जब इस प्रकार के निर्णय और एकतरफा मामला हुआ तो सब जगह से महसूस किया जाने लगा। पिछले लम्बे समय से हमारे जितने कानून मंत्री हुए, सभी सरकारों में कहीं न कहीं इस पर वो हुआ। लेकिन माननीय प्रधान मंत्रीजी और माननीय कानून मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज यह बहुत ही आवश्यक है, कमीशन को बनाने का काम हुआ है। जिस प्रकार की बातें हमको देखने को मिलती हैं, मैं यह कह सकता हूं कि हमारा जो कानून है वह समाज के निर्माण के लिए है, समाज की सुविधा के लिए है। परिस्थितियों में अगर कानून को बदलने की आवश्यकता हो तो निश्चित रूप से बनना चाहिए। इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि We all have the highest respect for the judicial institution. लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इस प्रकार के फैसले हों, इस प्रकार के भाई-भतीजा वाद के फैसले हों और ट्रायल के अन्दर परिवादवाद के हिसाब से वकीलों के उदाहरण दिए जाएं कि उस वकील के माध्यम से हो । निश्चित रूप से इस देश में जुडीशियरी को लेकर एक बहस छिड़ी है इस कमीशन के माध्यम से और जजेज की नियुक्ति के माध्यम से देश की जनता को न्यायपालिका में न्याय मिलेगा, पारदर्शिता होगी।

इसको महसूस करते हुए आज, माननीय अध्यक्षजी, और कई उदाहरण हैं। हमारे यहां का सवाई मानसिंह अस्पताल है, उसके कार्यों के अन्दर तक माननीय न्यायालय यह कहता है कि इस काम के अन्दर यह कमेटी बना दो। जयपुर के अन्दर अमानीशाह का नाला हो, चाहे रामगढ़ बांध प्रकरण हो, चाहे सैटबेक का हो, चाहे एमआई रोड का, चाहे रिवाल्विंग टावर का हो, सारे मामले लिटिगेशन में हैं। सरकार कुछ नहीं कर सकती। 5-5 साल हो गये, वे लिटिगेशन में चलते रहेगे। सरकार कब उस पर फैसला करेगी, कब जयपुर का सौन्दर्यीकरण होगा? निश्चित रूप से न्यायपालिका को अपने काम करने

(श्री मान सिंह)

चाहिए। कार्यपालिका और विधायी कार्य है, उसके अन्दर उसका दखल नहीं होना चाहिए। अपने आपको इनडिपेंडेंट बाडी मानकर जिस बात का संविधान ने उसको अधिकार नहीं दिया। निश्चित रूप से आज ऐसे जजों की आवश्यकता है जो इम्पार्शल रूप से समाज हित में न्याय करें। सरकार के काम सरकार के तरीके से हों। किशनपोल से आने वाले माननीय सदस्य मोहन लालजी कह रहे थे, सफाई के बारे में हाई कोर्ट दिशा-निर्देश देने लग जाएगा तो कैसे काम होगा? अध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि पिछले समय के अन्दर ऐसे कई फैसले आये जिनमें ऐसा लगने लगा कि केवल अखबर में सुर्खी बन जाए, कि हाई कोर्ट ने यह कहा है, यह फटकार लगाई है, यह टिप्पणी की है, यह तल्ख टिप्पणी की है। मैं नहीं समझता कि यह हमारी जुडीशियरी का हिस्सा है।

मैं इसके साथ-साथ यह भी कहना चाहूंगा, और कई देशों के उदाहरण देते हैं तो कहीं 17 सदस्य, कहीं 18 सदस्य, कहीं 20 सदस्य, समय आने पर यह ये चीजें होंगी लेकिन यह जुडीशियल कमीशन 121वां संशोधन विधेयक है, इस देश के संविधान की मर्यादाओं को, इस देश के आम लोगों को न्याय प्रदान करने में सक्षम होगा।

माननीय अध्यक्षजी, इसी के साथ-साथ इसमें एस.टी., एस.सी., ओ.बी.सी. और महिला को स्थान देने का काम हुआ है, उससे सभी वर्गों को न्याय प्रणाली के अन्दर प्रतिनिधित्व मिलेगा। जो इस देश की आत्मा है, सब लोगों को मिलनी चाहिए। उसके लिए भी मैं हमारे माननीय कानून मंत्री हैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस प्रकार का प्रोविजन उन्होंने किया।

माननीय अध्यक्षजी, अमेरिका और ब्रिटेन में तो जजेज की नियुक्ति को सीनेट तक से एप्रूवल लेनी पड़ती है। सीनेट तक से एप्रूवल लेनी पड़ती है, उसमें गलती की कोई गुजांइश नहीं रहती है। इसलिए हमने जो यह शुरूआत की है कमीशन के बनने के बाद में इस देश की न्यायप्रणाली को ऊंचाइयों पर ले जाने की, हम लोग न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्था पालिका तीन अंग हैं, वे अपने साथ और देश की जनता के साथ न्याय करने में सक्षम होंगे।

यहां पर कई उदाहरण दिये गये कि गुजरात के पूर्व जज थे भट्टाचार्य जी, उनको सुपरसीड किया गया। भट्टाचार्यजी को जब सुपरसीड किया गया,

(श्री मान सिंह)

पूरा गुजरात का हाई कोर्ट बार हड़ताल पर चला गया। इस प्रकार के जब उदाहरण मिलते हैं तो निश्चित रूप से ऐसे कमीशन की बहुत आवश्यकता थी। देश में इस पर राष्ट्रीय सहमति बनी है, सारे दलों ने इसका समर्थन किया है। असली मायने में भारत की आत्मा यही है कि हम लोग इस संविधान के प्रति प्रतिबद्ध हैं। संविधान से ऊपर कोई नहीं है। न न्यायपालिका ऊपर हो सकती हैं। हम सब लोग अपने-अपने अंग के रूप में कार्य करेंगे। इस देश की विधायिका में संसद सर्वोच्च है, संसद के कानून को किसी भी प्रकार से जुडीशियरी सुपरसी डेड नहीं कर सकती। पिछले दिनों यह देखने में आया है कि न्यायपालिका ने कई जगह उसको सुपरसीड करने का काम किया है, कई जगह शंकाए व्यक्त की हैं। न्यायपालिका उसको मानने को नहीं होती लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इस कमीशन के बाद संसद की भावना के अनुरूप न्यायपालिका में जजेज की नियुक्ति होगी। सारे वर्गों का ध्यान रखते हुए, संविधान की मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए, इस कमीशन का देश की जनता को लाभ मिलेगा। माननीय अध्यक्षजी, आपने मुझे यहां बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष: श्री मदन राठौड़।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, संविधान 121वां संशोधन विधेयक, 2014 जो 13 अगस्त को लोक सभा में और 14 अगस्त को राज्य सभा में पारित हुआ, उसके अनुसमर्थन के लिए आज अपने इस सदन में चर्चा हो रही है। अध्यक्ष महोदय, संविधान की रचना करते समय संविधान निर्माताओं ने अनेक विचार किये। उन्होंने सोचा कि क्या राष्ट्रपति स्वयं अधिकारियों की राय से जजेज और चीफ जस्टिस आफ इण्डिया, इनकी नियुक्ति कर लें। दूसरा विचार आया कि क्या राष्ट्रपति संसद की राय से जजेज की नियुक्ति कर लें। तीसरा विचार आया कि क्या मुख्य न्यायाधीश की राय से ही नियुक्त कर लें। 24 मई, 1949 को डा. अम्बेडकर ने यह बात कही थी कि सीजेआई भी एक आदमी है और किसी व्यक्ति विशेष को यह अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि व्यक्ति किसी से पूर्वाग्रह भी रख सकता है और प्रसन्न भी रख सकता है। मैं सोचता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा निर्णय किया। आप एक उदाहरण देखिये, अभी राजस्थान में वकीलों की हड़ताल चली। हम तो सोचते थे कि जजेज बहुत बड़े आदमी होते हैं। कोई जज है तो बहुत बड़ा

(श्री मदन राठौड़)

आदमी है, कभी भी वह पूर्वाग्रही नहीं हो सकता। लेकिन राजस्थान में वकीलों की हड़ताल एक छोटी-सी बात को लेकर इतने लम्बे समय तक चली। कितना नुकसान हुआ होगा, इसकी कल्पना और चिन्ता न तो उस बड़े आदमी ने की जिसे हम जज कहते हैं, न ही वकीलों ने जो कि अपने आप में एक कानून के ज्ञाता हैं। बहुत बड़ा उसको अपन मानते हैं, वह भी कभी न कभी जज बनने की श्रृंखला में आ सकता है, न उसने कभी चिंता की। यह बात तो है कि वह पूर्वाग्रही तो है। जज भी पूर्वाग्रही हो सकता है, यह बात इससे साबित हो गयी। इतनी लम्बी हड़ताल चल गयी। जबकि हम चिंता कर रहे हैं कि पैंडेंसी बढ़ रही है, कोर्ट में केसेज लम्बित हो रहे हैं। लोग न्याय पाने के लिए वहां नियमित रूप से आते हैं, वहां दिन भर इंतजार करते रहते हैं कि वह कब मेरा नाम पुकारे, वह आवाज दे और मैं जाऊं और अपनी पेशी करवाऊं। वह बेचारा घर से आता है और वापस लौटकर अपने घर को चला जाता है। यह बात बिलकुल सही है। अभी जब सदन में सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने चर्चा शुरू की कि बाप मुकदमा करता है, बेटा लड़ता है, लेकिन उसका पोता क्या पड़पोता ही न्याय पाने की उम्मीद रख सकता है, इतना लम्बा यह मामला चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, यह बात बिलकुल सही है कि एक व्यक्ति को अधिकार नहीं दिया, लेकिन जज की नियुक्ति जज करें, यह बात भी ठीक नहीं है। अभी शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने तो बहुत सनसनी पैदा कर दी। बहुत चिंता डाल दी कि 1993 तक तो ठीकठाक चलता रहा, लेकिन 1993 में एक कोलेजियम की स्थापना कर दी। वह क्या था। अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि संविधान के साथ में बलात्कार किया गया। मैं सोचता हूं कि यह वास्तव में बलात्कार ही था। स्वमेव मृगेन्दता, सारी शक्तियां खुद अपने हाथ में ले लीं चीफ जस्टिस आफ इंडिया ने। उन्होंने अपने हाथ में सारी शक्तियां लेकर खुद ही यह तय कर दिया कि जज नम्बर दो, जज नम्बर तीन, जज नम्बर चार और पांच, ये मिलकर कौन जज होगा उसकी नियुक्ति कर लेंगे। हाई कोर्ट का जज है, उसके लिए भी इन्होंने तय कर दिया कि हाई कोर्ट के लिए हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस और जज नम्बर एक और दो, ये कोई भी राय लेकर वहां के मुख्यमंत्री को दे देंगे और मुख्यमंत्री गवर्नर को देकर फिर ऊपर भेज देगा और उसकी चीफ जस्टिस से राय लेकर हाई कोर्ट के जजेज की नियुक्ति हो जाएगी। इसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के जजेज की जज नम्बर एक, दो, तीन, चार, पांच, ये मिल करके महामहिम राष्ट्रपति को भेज करके नियुक्ति कर देंगे।

(श्री मदन राठौड़)

मैं सोचता हूं कि यह संविधान के साथ में बलात्कार किया गया है। उस समय इस बलात्कार का दोष, मैं निश्चित रूप से अभी जो विपक्षी पार्टी है, कांग्रेस को देना चाहूंगा कि वे मूक दर्शक बने रहे। मूक दर्शक बन कर यह सब होते देखते रहे। यह बलात्कार संविधान के साथ होता रहा और उसको वे देखते रहे। मैं सोचता हूं कि भी समान रूप से दोषी हैं। उसी समय इनको तिरस्कार करना चाहिए था और इसको निरस्त करवाना चाहिए था कि इस प्रकार से आप जो बलात्कार कर रहे हैं, यह हम बरदाश्त नहीं करेंगे। यह निश्चित रूप से इनको करना चाहिए था, जो इन्होंने नहीं किया।

अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि यह काम हमने किया है। हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी ने किया है। हिन्दुस्तान के कानून मंत्री, उन्होंने यह किया है। यह बात सही है कि वीरप्पा मोइलीजी ने यह प्रयास किया था। दिसम्बर, 2013 में यह कानून लाने की उन्होंने चेष्टा की थी। अब आप कल्पना करें कि यह क्या था। उनकी इच्छा शक्ति की कमी थी, अध्यक्ष महोदय। 2013 में उनको मालूम है कि हमारा कार्यकाल समाप्त हो रहा है, हम इसके बाद में इस कानून को पास करवा नहीं सकते। क्योंकि कानून में परिवर्तन करने के लिये, संविधान में संशोधन करने के लिये न केवल लोक सभा, न केवल राज्य सभा, अपितु हिन्दुस्तान की आधे से अधिक विधान सभाओं में भी अनुसमर्थन करवाना बहुत आवश्यक है। यह अच्छी तरह से जानते थे। लेकिन केवल मात्र दिखावे के लिये, दिसम्बर, 2013 में यह कानून लाये थे जो ये पास नहीं कर सके। यह हमारी केन्द्र की सरकार ने किया है, इसलिये निश्चित रूप से साधुवाद की पात्र है। मैं इस सदन के माध्यम से उनको भी धन्यवाद दिलवाना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, यह बात बिलकुल सही है कि आपातकाल में हमारा जो चौथा स्तम्भ है, उसकी हत्या भी की गई। इसके लिये भी दोषी, मैं सोचता हूं कि कांग्रेस पार्टी है। केवल मैं ही नहीं, हम सब इस बात को जानते हैं कि आपातकाल, यानी 25 जून और 26 जून की मध्य रात्रि को समाचार पत्रों पर रोक लगा दी, सेंसरशिप लगा दी। उसकी भी हत्या इन्होंने ही की है। दूसरी हत्या जो संविधान के साथ में होने दी, इसके लिये भी मैं सोचता हूं कि इन्होंने गलत काम किया है।

अध्यक्ष महोदय, इन्होंने 1993 में जो निर्णय किया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने खुद निर्णय कर दिया कि "The President shall appoint Judge in consultation with Chief Justice of India and also the Chief Justices of High

(श्री मदन राठौड़)

Courts." वास्तव में हुआ इसका एकदम उलटा। उलटा यह हुआ कि The Chief Justice will appoint Judges with the consultation of President. संदेश यह गया कि विधायिका और कार्यपालिका गौण हो गयीं, इनका कोई महत्व नहीं रह गया है। अध्यक्ष महोदय, यह अपन सब जानते हैं कि विधायिका का काम है कानून बनाना। जन हित को ध्यान में रखते हुए जन हित में कानून बनाना। कानून सम्मत काम करवाना, उसके अनुसार विकास के काम करवाना, उसके अनुसार काम करवाना। लेकिन न्यायपालिका का काम है, विधायिका जो कानून बनाती है, उस कानून के पालन करवाने में कहीं कोई दोष आए तो उसको दण्डित करना। यह काम है न्यायपालिका का। लेकिन न्यायपालिका ने तो सब काम अपने हाथों में ले लिये। हमने भी अब यह प्रयास किया कि स्वतंत्रता रहे। न्यायपालिका स्वतंत्र रहे। लेकिन निष्पक्षता? यह नहीं हो सकता कि वह सब कुछ अपने हाथ में ही ले ले। यह ठीक बात नहीं है। हम भारत के नागरिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं, अध्यक्ष महोदय, हमको जनता ने चुना है। यदि हम गौण हो जाएंगे, जजेज अपनी मनमर्जी से जो कुछ भी करते रहें, हम मूकदर्शक बनकर देखते रहेंगे, मैं सोचता हूं कि हम जन हित नहीं कर रहे हैं। जनता के सही प्रतिनिधित्व का पालन हम नहीं कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, अभी जो संशोधन किया गया है, यह आयोग जो बनाया जा रहा है, जैसे अभी छह लोगों का नेशनल जुडीशियल अपाइंटमेंट कमीशन बन रहा है, उसमें एक तो मुख्य न्यायाधीश रहेंगे। यह बात ठीक है। दूसरा, जज नम्बर एक और जज नम्बर दो, ये तीन तो हो गये जुडीशियरी से। अब एक भारत के कानून मंत्री, फिर एमिनेंट पर्सन जो होंगे दो, उनकी नियुक्ति में भी हिन्दुस्तान का प्रधान मंत्री, हिन्दुस्तान के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और लीडर आफ अपोजीशन, यदि लीडर आफ अपोजीशन नहीं है तो विपक्ष के सबसे बड़े दल का जो नेता है, वह उसमें रहेगा, वे दो एमिनेंट पर्सन्स की नियुक्ति करेंगे। उसमें भी इस बात का ध्यान रखा गया है कि एक तो जनरल होगा और दूसरा जो होगा, वह महिला या एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. या फिर अल्पसंख्यक वर्ग से, इनमें से किसी से...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): एक जनरल नहीं होगा। एक एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी., महिला में से होना जरूरी है। वे दो भी हो सकते हैं। एक जनरल जरूरी नहीं है। एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. और महिला में से एक होना जरूरी है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): धन्यवाद, आपने संशोधन करवा दिया। एक कोई भी।

एक माननीय सदस्य: करैक्शन कर दिया।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): हां, करैक्शन। (व्यवधान)

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): आप करते क्या हैं (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): एक सदस्य सामान्य का मतलब है कि सामान्य कोई भी। अब ठीक है, यह बात उसमें जनरल नहीं तो और कोई भी हो सकता है। यदि महिला उसमें आ गयी, इनमें से कहीं मंत्री महिला हो गयी तो फिर इसमें महिला लेने की जरूरत नहीं है। इनमें से कोई एस.सी. हो गया, ऊपर वालों में, मंत्री यदि एस.सी. का हो गया तो इसमें एस.सी. लेने की जरूरत नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं, है।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): इसमें यह है कि इनमें से एक होना जरूरी है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): जो दो नियुक्त करेंगे। अगर एस.सी. का ला मिनिस्टर है तो भी जो दो नियुक्ति होंगी, उसमें से एक एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. और महिला का होना जरूरी है। उन दो में से है।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): उसमें यह डिफाइंड नहीं है। लेकिन इनमें होना जरुरी है। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): कोई बात नहीं। मैं कोई इसके लिये जिद थोड़े ही कर रहा हूं। (व्यवधान) बात सही है जब वरिष्ठ सदस्य बता रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: आप ध्यान रखिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं कि मैं जो समझ पाया था इसको, वह यही था कि यदि उसमें ऊपर आ गया।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): आसन अनुवाद कर दे इसका।

श्री अध्यक्ष: इसमें अपनी तरफ से कोई विचार आए, वह संशोधन होगा नहीं।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): नहीं, संशोधन नहीं, मेरे भाषण में संशोधन। मेरे द्वारा बताया गया, उसमें संशोधन। तो मैं इसमें स्वीकार करता हूं और आपको धन्यवाद भी दूंगा कि आपने मुझे करैक्ट किया।

(श्री मदन राठौड़)

अध्यक्ष महोदय, दो-तीन बातें हैं, जब यह विषय चल ही पडा है, कि थोड़ा हम बाहर अतिक्रमण कर रहे हैं। बोलने में तो एक बात यह भी होनी चाहिए कि जजेज की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी चाहिए। यह विषय भी निश्चित रूप से उनके ध्यान में लाया जाना चाहिए कि रेट आफ डिस्पोजल क्या है इनका। केसेज का निस्तारण क्या है। केवल तारीख पर तारीख दिये जा रहे हैं। यह बात भी ठीक नहीं है। इसका लेखा-जोखा भी निश्चित रूप से होना चाहिए। कोई जज फैसला करता है और वह फैसला यदि पूर्वाग्रही होकर, या और किसी प्रलोभन के कारण से कर लेता है तो इसका लेखा-जोखा भी होना चाहिए ताकि उस जज को प्रमोशन में या और कहीं भी उसको प्रताड़ित किया जा सके या उसको सुधार करने का मौका दिया जा सके। यह बहुत जरूरी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी बात रखना चाहूंगा कि बीच में जजेज ऐसे-ऐसे काम भी करते गये जो कहा गया कि अतिक्रमण कर रहे हैं। एक बात आप विचार करें कि हिन्दुस्तान की सरकार को भी यह कहना पड़ा। जैसे मैं आपके सामने बताऊंगा, Judges cann’t shoot from lips. ये हमला कर रहे हैं अनधिकृत रूप से। यानी केस से सम्बन्धित बात करें, कोई चिन्ता की बात नहीं है। लेकिन उस मुकदमे से इतर कुछ भी कह दें, यह तो ठीक बात नहीं है। इस पर निश्चित रूप से अंकुश लगना चाहिए। जैसे हिन्दुस्तान की सरकार ने कहा “For a sitting Judge to make unsubstantiated comments on person holding Constitutional office or a statutory body and not connected with the case is unwanted. It gives rise to controversies and affects the working of constitutional body against which comment has been made by any Judge.’’ तो यह वास्तव में चिंता की बात है। यह इनको विचार करना चाहिए। इन्होंने क्या-क्या नहीं कहा है, अध्यक्ष महोदय? देखिये, संविधान से ऊपर नहीं हैं संसद। यह जजेज बोलते हैं। क्या बात हो गयी? संसद तो कानून बनाती है और इन्होंने इस प्रकार की बात कही है जो हिन्दुस्तान में सुर्खियों से छपी है। यह देखिये, हमने भी भुगता है। इस सदन ने भी भुगता है, गुर्जर आरक्षण को लेकर कोर्ट्स ने जो कुछ भी किया। क्या उनको मानवता के नाते कोई विचार नहीं करना चाहिए था? उसका कितना बड़ा खामियाजा राजस्थान को भुगतना पड़ा। यह निश्चित रूप से सोचने की बात है। आज विद्यार्थी मित्र हैं, ये भुगतते जा रहे हैं। इसमें भी कोर्ट्स को मानवता का तकाजा ध्यान में रखना चाहिए था। उनको भी यह विचार करना चाहिए था कि किस प्रकार की आवश्यकता

(श्री मदन राठौड़)

है। मतलब, ऐसे फैसले देने चाहिए जो केवल, देखिये, न्याय करना पर्याप्त नहीं है, जनता को न्याय लगना चाहिए, यह जरूरी है। इस बात का निश्चित रूप से इनको ध्यान में रखना चाहिए था। यह देखिये, ए.जी. ने रिपोर्ट दी है, एडवोकेट जनरल ने कि Only Parliament can remove Supreme Court, High Court Judges. लेकिन इन्होंने क्या किया? कि हम ही करेंगे। पार्लियामेंट नहीं करेगी या कोई नहीं करेगा। इस प्रकार से प्रशासनिक लापरवाही। अब देखिये, एक बात मैं आपको बताऊं, हमारे एक आई.ए.एस. की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गयी। अब उन्होंने क्या दे दिया? सीधा दे दिया कि प्रशासनिक लापरवाही से हुई। अब इसमें प्रशासन कहां बीच में आ गया था? मैं वी.एस. सिंह की बात कर रहा हूं। इसमें हाई कोर्ट की मौखिक टिप्पणी है। केस से सम्बन्धित नहीं है। केस नहीं था वह लेकिन वह टिप्पणी दी, अखबारों की सुर्खियों में आयी। इससे क्या हुआ? प्रशासन की इज्जत खराब नहीं हुई क्या? ये ऐसा कैसे हमला कर देते हैं? कहीं भी कुछ भी कर दे। कई बार यह कह दिया कि मंत्री ने उड़ाई संविधान की धज्जियां। जबकि इसके अन्दर ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन इस प्रकार से कोर्ट ने टिप्पणी की। मैं तो सोचता हूं, पता नहीं, क्यों मुस्करा रहे हैं नेता, प्रतिपक्ष। इनकी सरकार के बारे में तो अनेक बार कोर्ट ने किस-किस प्रकार की टिप्पणी की। शर्मनाक टिप्पणियां भी की हैं। मैं तो सोचता हूं कि आपको बोलना चाहिए था इस पर, लेकिन आपने यहां पर बोला नहीं। ऐसी-ऐसी टिप्पणियां की हैं, हम लोग तो कभी-कभी खुश होते थे कि चलो, इस सरकार के खिलाफ में टिप्पणी की। लेकिन मैं फिर सोचता हूं कि यह ठीक बात नहीं है। इतना निरंकुश किसी को होने नहीं देना चाहिए था।

श्री अध्यक्ष: आप आसन को सम्बोधित कीजिए।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): हां, आसन को, आसन को, साहब। कई बार हमने यहां सदन में चर्चा की, माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां सदन में चर्चा करने का अधिकार है। लेकिन क्या आता है? न्यायपालिका और विधायिका में टकराव। क्योंकि न्यायपालिका उस पर कहीं न कहीं, कोई न कोई नोटिस देने की बात कर लेती है। हालांकि उनको पता है अच्छी तरह से कि यह सम्भव नहीं है। कहीं पर भी यह टिकने वाला नहीं है। लेकिन इस प्रकार की कार्यवाही कर बैठते हैं कि जिससे वे संदेह के घेरे में आते हैं।

(श्री मदन राठौड़)

माननीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपतिजी ने कहा है, न्यायिक सक्रियता को लेकर उन्होंने आगाह किया है, इस विषय पर भी मैं थोड़ा ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। राष्ट्रपति ने भी कहा है कि संसद और कार्यपालिका के अधिकारों में सुप्रीम कोर्ट घुसपैठ कर रहा है। यह बात भी विचारणीय है। नेशनल मिशन फार जस्टिस डिलीवरी लीगल रिफार्म की एडवाइजरी काउंसिल की बैठक में कानून एवं न्याय की संसदीय समिति के अध्यक्ष शांताराम नाइक ने सुप्रीम कोर्ट पर लगातार सरकार के हर क्षेत्र में घुसने का आरोप लगाया। यह बात भी एक बार विचार करने की जरूरत है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कई ऐसे मामले हैं राजस्थान में, जैसे रामनिवास बाग़ वाली बात रख दी गयी थी कि यह रास्ता रोक दिया। फिर उनको लगा कि यह तो वहां पर्यटक भी नहीं आ पा रहे हैं तो फिर वापस रास्ता खोल भी दिया। यह तुगलकी निर्णय करने का उनको, यानी किसी ने कोई केस किया हो, मुकदमा किया हो, उनके सामने विचारणीय विषय हो और उस पर चर्चा करें तब तो समझ में आता है। ठीक इसी प्रकार से गोपालपुरा बाइपास पर उन्होंने कह दिया, बिना किसी वाद के दायर किये ही, कोई मुकदमा नहीं उनके पास में और सीधा ही आवागमन बंद करने का निर्णय ले लिया। 17 किलोमीटर लम्बा जब जाम लगा तो फिर खुद को ही उसमें यू-टर्न करना पड़ा। ठीक इसी प्रकार से जोधपुर उच्च न्यायालय ने तो नियमित मानिटरिंग कर दी, पी.आई.एल. में। नियमित रूप से, अब वे यदि मानिटरिंग करेंगे, लगातार अधिकारियों को बुला-बुलाकर यही करते रहेंगे तो फिर म्यूनिसिपैलिटी क्या करेगी? कई बार यह सोचने की जरूरत है। मैं सोचता हूं कि इनको अनधिकृत रूप से इस प्रकार की कार्यवाहियां नहीं करनी चाहिए। जैसे जयपुर में वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए विस्तृत रिपोर्ट और दो जजेज को इसमें लगा दिया। माननीय न्यायालयों को भी लगातार सुर्खियों में आने के लिए यह मन में रहता है कि मैं भी ऐसे कोई फैसले दूं। मैं वह प्रशंसा भी नहीं करना चाहूंगा। एक जज ने तो शायद यह भी फैसला दे दिया था कि यदि कानून में कहीं कोई बाधा नहीं हो तो इसको सार्वजनिक रूप से खुले आम फांसी दी जानी चाहिए जनता के सामने ताकि जनता डरे। यह किसने कहा, मैं उस विषय पर नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं सोचता हूं कि जब उनको पता था कि यह सब सम्भव नहीं है तो इस प्रकार के फैसले देने की जरूरत क्या थी?

(श्री मदन राठौड़)

हिन्दुस्तान का संविधान अनुमति नहीं देता यह सब करने के लिए। ऐसे नहीं करना चाहिए था।

श्री अध्यक्ष: अब आप स्थान ग्रहण कीजिए। माननीय विधायक, समाप्त कीजिए।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): इसमें संशोधन होते ही नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष: उदाहरण बहुत हो गये, अब आप समाप्त कीजिए।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, विशेष रूप से कुछ बातें इसमें मैं सोचता हूं कि प्रावधान होगा, जैसे ट्रांसफर्स का है, इसके साथ ही इनका लेखा-जोखा जरूर रखने का। मैं सोचता हूं कि उनके सामने ये विषय रखेंगे। और उन्होंने किया भी होगा। जजेज कहीं पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर करते हैं, कहीं प्रलोभनवश करते हैं, मतलब गलत तरीके से कर दिये जो आगे जाकर वह फैसला उनका फेल होता है, उसके बिलकुल विपरीत फैसला आ रहा है। ऐसे कई बार आपके ध्यान में भी दृष्टांत आये होंगे कि कोई फैसला नीचे वाला जज करता है तो दूसरा उससे ऊपर वाला जज उससे बिलकुल उलट फैसला करता है और उससे ऊपर वाला उससे भी उलट करता है, ऐसे कई दृष्टांत आते हैं। तो यह सब मजाक बनती है। इससे जनता में जुडीशियरी के प्रति भी विश्वास खतम हो रहा है। तो इसकी अकाउंटेबिलिटी भी निश्चित रूप से फिक्स की जानी चाहिए। आपने जितना भी समय दिया मैं आपको धन्यवाद दूंगा। हालांकि, कई ऐसे मामले थे जो मेरे पास में थे, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री ज्ञानचन्द पारख।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय सभापति महोदय, आज इस संशोधन पर सारे सदस्य भाग लेकर अपनी बात इस सदन में रखकर लोकतंत्र की व्यवस्था को और ज्यादा सशक्त और स्वच्छ बनाना चाहते हैं। अभी मेरे से पूर्व जो माननीय सदस्य बोले थे, उसमें काफी सच्चाई है, अनेक बार हम यह सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि जिस संस्था के जिम्मे जो काम है वह उस सीमा को छोड़कर, उस दायरे को छोड़कर हस्तक्षेप करने लग जाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब-जब लक्ष्मण रेखा पार हुई है कोई न कोई दुष्परिणाम आये हैं।

हमारे माननीय प्रधान मंत्रीजी ने जब देश का शासन सम्भाला तो

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

आनन-फानन में कोई निर्णय नहीं, कि जनता को खुश करने के लिए लोक-लुभावनी घोषणाएं हम कर रहे हैं, कि हम यह कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम वो सब कुछ कर देंगे। उनको लगा कि इस देश को यदि सारी समस्याओं से मुक्त कराना है तो देश के हर व्यक्ति को जो उसका मूलभूत अधिकार है, वह मिलना चाहिए। जो मूलभूत सुविधा है वह उसको मिलनी चाहिए। वह भी शासन के माध्यम से मिल जाए, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारा जो अपना सिस्टम है, उस सिस्टम को इस तरीके से दुरुस्त कर दो, त्रुटिविहीन कर दो कि इस सिस्टम के तहत सारी व्यवस्था चले और यह देश चले। सबको पता होगा, अगर आवश्यकता पड़ी तो बड़े से बड़े जन-प्रतिनिधियों को भी नियमों में बांधा। चाहे वे केन्द्रीय मंत्री हैं, चाहे वे लोक सभा के सांसद हैं, उनको भी एक सिस्टम में बांधा, एक नियम में बांधा कि आपके ऊपर 125 करोड़ देशवासियों की, जनता की जिम्मेदारी है। आप उसके लिए चुनकर सदन में आये हो और उस नाते आपका जो दायित्व बनता है, वह काम आपको करना होगा। हो सकता है, कई माननीय मंत्रियों को, कई माननीय सदस्यों को यह बात ठीक नहीं लगी होगी।

(18.00 बजे)

लेकिन इस बात की परवाह नहीं की। वाकई में इस देश के सिस्टम में परिवर्तन लाना है तो हर व्यक्ति को उसके अपने अधिकारों के साथ-साथ उसके कर्तव्य का भी आभास कराना होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक कार्यपालिका का मामला है तो उसको भी ठीक करने के लिये, दुरूस्त करने के लिये उन्होंने अपनी ओर से पूरा प्रयास किया। हो सकता है, उसको ठीक होने में कुछ वक्त लगे। साथ में यह भी महसूस किया कि हमारे देश का न्याय और हमारे देश का कानून, उसमें यदि कोई कमी है, कोई त्रुटि है तो उस कारण को ढूंढा और न्याय प्रणाली बिलकुल त्रुटिविहीन हो, उसके लिये संशोधन लोक सभा और देश की सारी विधान सभाओं में है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों में हमने बहुत देखा कि आम नागरिक का कार्यपालिका या विधायिका के प्रति थोड़ा विश्वास कम हो गया। ऐसे कई प्रकरण हुए, जो काम कार्यपालिका को या सरकारों को कर देने चाहिए थे, पर नहीं किये। बड़े-बड़े घोटाले हुए, लोक सभा में मुद्दे उठे, सबूत पेश किये गये। अगर उसी स्तर पर जांच हो जाती, वहीं पर कुछ कार्यवाही हो जाती तो जनता का विश्वास पैदा होता कि किसी ने लोक सभा में या विधान सभा में

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

कोई मुद्दा उठाया है, तो उस पर कुछ न कुछ कार्यवाही होगी। लेकिन हुआ क्या? बड़े-बड़े घोटाले हुए और आखिर न्यायपालिका ने उस पर कोग्नीजेंस लिया और जांच करायी। उसका परिणाम सबको पता है, कि जो बड़े-बड़े लोग थे, अपने आपको ताकतवर समझते थे, कानून से ऊपर समझते थे, उनके ऊपर भी कानून का शिकंजा कसा और वे जेल में गये। जिस न्यायपालिका पर देश की 125 करोड़ जनता को न्याय देने की जिम्मेवारी है, उस व्यवस्था में यदि कोई कमी है, कोई खामी है तो वह दूर होनी चाहिये, तभी यह देश ताकतवर बनेगा, तभी यह देश संविधान के अनुरूप चलेगा। हमारी केन्द्र की सरकार ने इसके लिये प्रयास किया। जब इसकी शुरूआत की तो जितने भी राजनीतिक दल हैं, उनको भी यह लगा कि नहीं, वाकई में यह होना आज के समय में बहुत ज्यादा जरूरी है। और सबने सहयोग किया, सब साथ जुड़े। अगर हम हमारे सिस्टम को ठीक कर देंगे, चाहे हमारा कोई भी सिस्टम हो, तो 125 करोड़ की आबादी चैन और सुकून के साथ अपना जीवन जिएगी। किसी सिस्टम में गड़बड़ है और उसमें भी विशेष तौर से जब न्यायपालिका में गड़बड़ रह जाए तो फिर आदमी कहां पर जाएगा? मैं माननीय प्रधान मंत्रीजी को, हमारी केन्द्र सरकार को इस बात के लिये बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा जिन्होंने ऐसा बिल जो आज की सबसे बड़ी जरूरत बन गया, उसके लिये कदम बढ़ाया। वह दिन दूर नहीं, सारी विधान सभाएं इसमें समर्थन देंगी। क्योंकि सारे राजनीतिक दल भी इसमें साथ हैं, और यह लागू होगा। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं, धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री अध्यक्ष: श्री कैलाश भंसाली।

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, संविधान का 121वां संशोधन जो हमारे लोकप्रिय प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी ने लोक सभा और राज्य सभा से पास करवाया, उसका हम सभी तहेदिल से अनुसमर्थन करते हैं। देश में निष्पक्ष, पारदर्शी न्यायपालिका रहे। आम आदमी के हकों की रक्षा हो। न्यायपालिका में आज हजारों केसेज पैंडिंग हैं, रोज की पेशी पर वकील के साथ जाता है क्लाइंट और फिर वापस आ जाता है। केस आगे निकल गया, आगे निकल गया। इस तरह से न्यायपालिका में पिछले कुछ वर्षों में बहुत गिरावट आयी है। लोग कहते हैं, पांच लाख रुपये दे दीजिये, इसकी मैं जमानत करवा दूंगा। क्राइम को रोकने में असमर्थ हो रही है न्यायपालिका और आम आदमी आहत हो रहा है। बहुत सारे उदाहरण हैं।

(श्री कैलाश भंसाली)

मैंने उस समय भी कहा था, हमारे जोधपुर नगर परिषद के आयुक्त और कलक्टर साहब हर मंगलवार और बुधवार को सुबह 10 बजे से साढ़े 3 बजे तक कोर्ट में रहते हैं। कोई काम नहीं होता है। वे कहेंगे, उसके बाद आइये, फिर मिलिये, जनता की बात सुनेंगे। कोर्ट में इतना समय व्यस्त जा रहा है, क्योंकि निगरानी का जिम्मा है। कोर्ट में किसी ने एक पी आई एल लगायी कि जोधपुर में सफाई नहीं है, सड़कें ठीक नहीं हैं, गटर लाइन ठीक नहीं है, तो उन्होंने निगरानी समिति बनायी। हर 15 दिन में एक न्यायाधीश ए.डी.एम. के साथ जाकर चक्कर लगाता है और फिर रिपोर्ट देता है कि कितनी प्रोग्रेस हुई है। यहां तक कि हमारे मुख्य सचिवजी को भी राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर में बुलाया गया और उनसे अंडरटेकिंग ली गयी कि 15 दिन के अन्दर यह व्यवस्था सुधरनी चाहिये, मेरे खयाल से, नहीं तो अवमानना हो जाएगी। बहुत आहत होती है जनता, कि काम तो कुछ हो रहा नहीं है, केवल मात्र निगरानी और निगरानी।

फिर आपको निवेदन करूंगा कि आए दिन अखबारों में सुर्खियों में आने के लिये लोग ऐसे-ऐसे निर्णय दे रहे हैं। आज हमारा जेडीए लड़खड़ा रहा है, 2250 करोड़ का उन पर दीवाला है। यह कांग्रेस सरकार की देन है। ठेकेदार को पेमेंट नहीं हो रहा है। आज ही सारे ठेकेदार जालौरी गेट के चौराहे पर बैठकर हड़ताल कर रहे हैं कि हमारा पैसा दो, हमने काम किया है। इस तरह की जो बातें हो रही हैं, उनको रोकना बहुत जरूरी है। इस तरह से बिल आने से थोड़ा न्यायपालिका पर भी जनता का हक बनेगा। नरेन्द्र भाई मोदीजी जिस तरह से यह संशोधन लाये हैं, मैं उसका पूर्ण समर्थन करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों ने कहा है, सब विद्वानों ने, भाई घनश्यामजी ने कहा कि इसमें केवल अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं, इसको हमें समर्थन देना है, व्यर्थ नहीं करना है।

मेरे दो-तीन और खास सुझाव हैं। जोधपुर के तीनों हास्पिटल्स में आये दिन झगड़े-फसाद होते हैं। जो जननी अस्पताल है, उसमें तीन-तीन बैड होते हैं, फोटो छपती है, दूसरे दिन न्यायाधीश महोदय कमिश्नर साहब के साथ वहां दौरा करते हैं या हैल्थ सैक्रेट्री राजस्थान, वहां आते हैं दौरा करते हैं और फिर कहते हैं कि इस व्यवस्था को तीन दिन में ठीक करना है। कुछ काम जरूर मैं समझता हूं उससे होता है, क्योंकि न्यायपालिका का डर होता है, अवमानना का डर होता है। परन्तु हर बात में। डाक्टर्स सुबह 9 बजे आकर

(श्री कैलाश भंसाली)

उसी काम में लग जाते हैं तब तक जब तक वे दौरा करके नहीं जाते हैं, एक बजे तक। तो मरीजों का नुकसान हो रहा है, मेरा यह निवेदन है।

इसी तरह से जोधपुर विश्वविद्यालय में अपाइंटमेंट में इतना बड़ा घोटाला हो गया, परन्तु तारीख पर तारीख। बेचारे मित्रों की सैलेरी नहीं आ रही, उनके अपाइंटमेंट रद्द हो गये हैं। आज कह रहे हैं कि नये अपाइंटमेंट 25 हजार पर व्याख्याताओं के लिये जाएंगे और पुराने जो हैं उनके लिये नहीं जा रहे हैं। इस तरह से न्यायपालिका कई बातों में इतनी निष्ठुर हो गयी है कि आम जनता और प्रोफेसर्स को बहुत तकलीफ हो रही है।

खनन गतिविधियों में बहुत बार कहा है कि सारी खानों का वितरण या पट्टे उनको दे दिये गये जो योग्य नहीं थे। इन सब बातों की जांच हो, यह बात ठीक कह रहे हैं। परन्तु उस कारण से वहां पर बरसात में पानी भर गया, उसको निकालने की प्राब्लम आ गयी। जब तक कोर्ट का आदेश नहीं आएगा, तब तक हम पानी को नहीं निकालेंगे। मच्छर हो गये, तीन लोगों को डेंगू हो गया।

तो इस तरह की न्यायपालिका के कारण ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: शांत रहिये। नागौर से आने वाले विधायक, शांत रहिये।

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): जैसी आपकी अनुमति।

मेरा एक ही निवेदन है कि नरेन्द्र भाई जो यह संशोधन लाये, उसका मैं पूर्ण समर्थन करता हूं, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री राजकुमार रिणवां। केवल दस मिनट। (व्यवधान)

श्री राजकुमार रिणवां (रतनगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे भी इस महान सब्जैक्ट पर बोलने का टाइम दिया है।

दुनिया में आज तक कहीं भी कोई क्रांति हुई है तो वह भूख के चलते नहीं हुई है। कितने-कितने अकाल पड़े हिन्दुस्तान में भी और दूसरे देशों में भी, अगर क्रांति होने का कारण हुआ है तो वह अन्याय है। अन्याय जब होने लगता है तब क्रांति होती है। आज बहुत खुशी की बात है।

लोकतंत्र के चार स्तम्भ हैं, उसमें तीन स्तम्भों की बराबर आलोचना, बुराइयां सुनते हैं। विशेषकर विधायिका पर तो लोग क्या पता क्या है, वे तो चोला पहन लेते हैं और सब उनको नग्गे लगते हैं, क्या-क्या बोलते, करते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है।

(श्री राजकुमार रिणवां)

अभी तिवाड़ी जी साहब बता रहे थे, रवि शंकरजी, मोइली साहब, कल्याणजी ये लोग आध्यात्मिक पुंज हैं कि ऐसे सब्जैक्ट को लेकर आते हैं। यह बता रहे थे, मोइलीजी कांग्रेस के आदमी होकर भी बता रहे थे कि उनकी कन्नड़ की रामायण का ऐसे सी.एम. के द्वारा विमोचन हुआ था जो रावण पंथी था, रावण की पूजा करने वाला था। तो बड़ी विलक्षण बात है कि ऐसा सब्जैक्ट आया है। हर कोई की बुराई कर लो परन्तु न्यायपालिका के विरुद्ध बोलने या उसके बारे में चर्चा करने का किसी को अधिकार नहीं है, इतना डर लगता है कि कोड आफ कंडक्ट हो जाएगा।

वास्तव में देखा जाए तो न्यायपालिका अपने आपमें सबसे अलग है। बहुत ही मुश्किल काम है। एक जज को फैसला करने के लिए कितना-कितना प्रलोभन दिया जाता है कि वह चाहे तो अपने घर सात पीढ़ी बैठ कर खा सकता है। उसको कितनी-कितनी धमकियां मिलती हैं कि पूरे परिवार को नष्ट कर देंगे। वह सार्वजनिक कार्यक्रमों में नहीं जा सकता। अपने जीवन की कोई भी स्वतंत्रता, आनन्द लेना कुछ नहीं कर सकता। पूरा मर्यादित जीवन जीना पड़ता है। बहुत बड़ी बात है। बाकी जिस हिसाब से अब जो स्थिति बन रही है, वह भी बड़ी चिंताजनक है।

मैं 16 वर्ष का था जब मेरे पिताजी गुजर गये थे। मैं कलकत्ता में गया, वहां हमारी होटल है। एक इंस्पैक्टर दही का सैम्पल लेने आया, 500 रुपये मांगे, उस समय 500 रुपये बहुत थे। मैं तो स्कूल से गया हुआ बच्चा था, मुझे क्या पता, मैंने कहा कि क्या बेइमानी करें। हम 50 किलो दूध लेते हैं, उसको गरम करते हैं तो दस किलो जलता होगा, जावण देते हैं तो कोई बेइमानी करते नहीं हैं, सैम्पल ले जा। मैं आपको बताऊं, कलकत्ता में चार साल तक कोर्ट के चक्कर काटे, कोई फैसला नहीं। लास्ट में वो इंस्पैक्टर मुझ को बोला कि कुछ खर्चा पानी कर दे, क्यों दु:ख पाता है। मैंने कहा बोल, भाई। जो भी मांगा दिया, दूसरे दिन फैसला खतम। आपको बताऊं, ऐसी न्याय व्यवस्था, मतलब एक आक्रोश अन्दर हुआ करता है।

अब मैं आपको बताता हूं, एक सब्जैक्ट पर बात लेता हूं। अपने हिन्दुस्तान के एक संत अखण्डानन्दजी महाराज ने एक बात कही थी, बहुत बड़े संत हुए वृंदावन में, इंसान के चार दुश्मन बतायें काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह। बोले कि काश्मीर से काशी तक अगर सड़क पर सोना बिखेर दे तो मैं कमण्डल

(श्री राजकुमार रिणवां)

लेकर निकल जाऊं, मैं उसकी तरफ नहीं देखूं, मेरा कोई उनसे नहीं है। क्रोध में, अगर मेरे पर कोई कचरा भी गिरा दे तो मैं क्रोध नहीं करूं। मोह तो मेरा है ही नहीं, मैं संयासी हूं। बाकी बोले, कोई एक स्त्री के साथ रात भर कोई कमरे में मेरे को बंद कर देवे तो मैं अपने आप पर नियंत्रण रख लूंगा कि मैं कह नहीं सकता। तो काम सब का प्रधान होता है। मैं एक संत की स्थिति देख रहा हूं, कर रहा हूं। एक नाबालिग, नाबालिग क्या 16 वर्ष की थी। अभी संसद में तो काफी बहस चली कि ब्याह की उम्र 18 वर्ष रखो और शारीरिक सम्बन्धों की उम्र 16 वर्ष रखो। तो बड़ा विचित्र था, मीडिया के द्वारा बहुत विरोध करने से वो सब्जैक्ट नहीं आया। उस घटना को मैं बलात्कार तो नहीं मानता। अगर वो सच्ची भी है तो उसकी मां बाहर बैठी रही है, वो लड़की दो घंटे अन्दर रह कर आयी है। चार दिनों के बाद अचानक क्या जचा है? वो संत लाखों-लाखों लोगों के गुटका छुड़ाया है, शराब छुड़ायी है, करोड़ों लोगों को वो आध्यात्मिक बनाया है, अगर उससे कोई अपराध बना भी है तो आज यह स्थिति हो गयी कि उसकी जमानत ही नहीं हो सकती। एक मीडिया चैनल वाला इतना ज्यादा उसको मैंने देखा कि देखते-देखते महीनों तक आकते हो गये। और कोई न्यूज ही नहीं थी। जमानत नहीं, जमानत नहीं। लाखों-लाखों भक्त हैं, उसकी जेल के परिक्रमा दे रहे हैं। क्या न्याय है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज हिम्मत कर ली कि इस बहती गंगा में हाथ धो लें, इस वास्ते थोड़ा बोलना पड़ रहा है।

तो एक बड़ी विचित्र स्थिति है। अपने रामायण, पांचों वेद हैं, उन्होंने कहा है, 'पुरुष मनोहर निरखत नारी', सुन्दर पुरुष को स्त्रियां निरखती हैं। राम जी जब जनकपुर में घूम रहे थे तो झरोखे से लाखों स्त्रियां देख रही थीं, कर रही थीं। और यह भी लिखा है कि संसार में ऐसा कोई आदमी नहीं हुआ जो मृगनयनी के बाणों से घायल नहीं हुआ हो। जब शुकदेवजी शादी नहीं कर रहे थे, एकदम से परमहंस थे तो व्यासजी बहुत परेशान हो गये कि मेरा वंश कैसे चलेगा...

क्यों, नहीं बोलूं क्या?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आप कैलाशजी को क्या, इनको क्या सुना रहे हो? क्या समझ नहीं रहे हो आप? अगर वो घायल होते तो यहां मिलते क्या?

श्री अध्यक्ष: विराजिये, विराजिये। (व्यवधान)

श्री राजकुमार रिणवां (रतनगढ़): देखिये मेरे जो विद्वान सदस्य साथी हैं, घनश्यामजी जैसे विद्वान जब बोल लिये तो और सब्जैक्ट पर बोलने की तो जरूरत नहीं, मोटा-मोटी सारी बातचीत आ गयी, कर गयी, इसलिए कुछ अलग भी सब्जैक्ट होना चाहिए। अगर अपन अलग सब्जैक्ट नहीं लिया तो अभी मैं देखता हूं खुद, आपको बताऊं कि रतनगढ़ में दो ट्रैक हैं- एक बीकानेर एक सरदारशहर लाइन। इसलिए बीकानेर ट्रैक को अलग डाल दिया गया कि सुरक्षा के कारण से एस नुमा मोड़ है। एस नुमा मोड़ होने से गाड़ी उतर सकती है, ब्राडगेज लाइन जाएगी, गाड़ी में दिक्कत होती है तो उसको चेंज कर दिया गया। और सरदारशहर तीन वर्षों बाद में पास हो गयी, एज इट इज रख रहे हैं। मैं तो धन्यवाद दूंगा कि राजनीति में आज इस तरह की विभूतियां आती हैं। दिनेश त्रिवेदी रेल मंत्री थे, उनके पास जब जाकर हमने कहा तो वहां चेयरमैन बैठा था, उसने कहा, अब नहीं हो सकता, टेण्डर हो गये। मैं सैल्यूट करता हूं दिनेश त्रिवेदी को, उन्होंने कहा, क्या हो गया। जब एक नगर दो भागों में विभक्त हो रहा है, नारकीय जीवन जी रहे हैं, क्या-क्या कहा, आई विल डू इट, मैं करूंगा इसको। उसका दोबारा सर्वे करवाया जाए। तो इस-इस तरह के लोग भी होते हैं।

हाई कोर्ट में जब हमने लैटर भेजा कि रेलवे को आप लिखो कि इस पर स्टे दें, हाई कोर्ट को कैसे गुमराह कर दें या कैसे गुमराह हो जाए, पढ़े ही नहीं कुछ पेपर में, आपको बताऊं। वो लिखते हैं, नहीं, सात-आठ वर्षों से यह पैंडिग चल रहा है, जनहित का कार्य है तो इसका किया जाए, और कोई बात नहीं। अरे, सात-आठ वर्ष पहले जो काम था, डेगाणा-बीकानेर, डेगाणा-दिल्ली वो काम हो चुका, यह सरदारशहर लाइन तो बारह महीने से ही पास हुई है। कोई बात नहीं, उस पर भी दे दिया तो बड़ी मन में तकलीफ हुई। क्या करें, हाई कोर्ट के विरुद्ध बोल नहीं सकते। अगर कोई पेपर में भी स्टेटमेंट दे दिया तो कोड आफ कंडक्ट हो जाएगा और जेल जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट जाने की मेरी हिम्मत नहीं है।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): लाइन बदल दी आपने।

श्री राजकुमार रिणवां (रतनगढ़): नहीं, मैं आ रहा हूं। बता रहा हूं कल को, थोड़ा-सा ठीक रहता है, बीच में कह देंगे सब्जैक्ट पर बोलो। (व्यवधान)

(श्री राजकुमार रिणवां)

तो आपको बताऊं, परम सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, कि ऐसी स्थिति हो गयी, उस रेल लाइन को उन लोगों ने देखा ही नहीं कि दस वर्ष पुराना वो केस हो चुका, यह बारह महीने पहले हुई है। उनकी हिम्मत नहीं, हाई कोर्ट के विरुद्ध कैसे बोलें। सुप्रीम कोर्ट जाने की हिम्मत नहीं है, लाखों रुपये चाहिए। जैसे है, चेष्टा करते हैं और कोई, कैसे करके।

तो बड़ा इनको देखते हैं कि कोर्ट में भी कितना-कितना अन्याय होता है, बता नहीं सकते। दो उदाहरण तो मेरा जब मैं बच्चा था जब का दिया और एक यह दूसरा आपको बता रहा हूं जोधपुर का। अब जो बात है बता रहा हूं एक संत के प्रकरण में जैसी स्थिति हो रही है। आज कितने-कितने कुकर्म करते हैं दूसरे संत, दूसरे धर्मावलम्बी हैं, जो धर्म गुरु हैं उन लोगों की एक दिन पेपर में, मीडिया में नहीं आती। अगर एक दिन आ गयी तो दूसरे दिन रोक दी जाती है। और तो और, सामान्य की बात छोड़ो, महिला की, वो लोग तो होमो सैक्स करते हैं, बच्चों के साथ दुष्कर्म करने की कितनी-कितनी बार अपन पढ़ते हैं, बाकी मजाक है कि कोई दूसरे दिन कोई चल जाए, कर जाए। अपनी सन्तान है, इसकी रक्षा के लिए जो लग रहे हैं, उन पर कोई पाप भी कर दिया तो उनको, थोड़ी बहुत तो एक मानवता रखी जाए। मगर उनके पीछे ही पड़ गये। आज वह इतना बुजुर्ग आदमी है 75-80 वर्ष का, उनकी बड़ी विचित्र स्थिति कर रहे हैं। एक पीड़ा होती है मन में।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, इस विषय को आगे मत बढ़ाइए क्योंकि यह प्रकरण न्यायालय के विचाराधीन है।

श्री राजकुमार रिणवां (रतनगढ़): मैं आपको यही तो निवेदन कर रहा हूं कि कोर्ट के बारे में आज तक किसी ने बोलने की हिम्मत नहीं की। आज जब सब्जैक्ट ही यह आ गया है तो बहती गंगा में एक-दो बातें हम भी बोल लें, और कोई बात नहीं है।

जो भी बात है तो यही बताते हैं, काम के बारे में भी यही बताते हैं। यह बोल रहे थे कि बताएं तो जब शुकदेवजी को शादी के लिए कहा कि मेरा वंश नहीं चलेगा तो उन्होंने कहा कि मैं तो करूंगा नहीं, उर्वशी वहां आयी हुई है। आपको पता ही है कि कितना उनमें शास्त्रार्थ हुआ है, आपस में किया है। लास्ट में आपको पता ही है कि शुकदेवजी से 2 संतानें हुई हैं। उन्होंने कहा, संसार में कौन वंचित है इससे। हनुमान हैं, भीष्म पितामह हैं, परशुराम हैं, दस -बीस नाम बताये हैं। यह सब्जैक्ट ऐसा ही है।

श्री अध्यक्ष: अब समाप्त कीजिए, माननीय विधायक। दस मिनट हो गये आपके।

श्री राजकुमार रिणवां (रतनगढ़): बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: प्रतिपक्ष के नेता महोदय। आप बोलिए, आपका नाम दिया है।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): एक मिनट, माननीय अध्यक्ष।

श्री अध्यक्ष: आप बोलिए, आपका नाम दिया है आपके सचेतक ने।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज संविधान का 121वां संशोधन विधेयक, नेशनल जुडीशियल अपाइंटमेंट कमीशन, 2014 का अनुसमर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी माननीय सदस्यों ने इसके बारे में अपनी-अपनी राय रखी। माननीय सदस्य राठौड़ साहब चले गये क्या? उन्होंने एक बात कही कि लोक सभा और राज्य सभा के अन्दर सभी दलों ने पूरा समर्थन देकर इस बिल को पास किया। हम भी सभी इस बिल के अनुसमर्थन के लिए उपस्थित हुए हैं। मैं सबसे पहले यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि 1993 से जो कोलेजियम व्यवस्था आज तक चल रही है, उस व्यवस्था के तहत जज ही जजों की नियुक्ति करते हुए आये हैं।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है, पहले माननीय सदस्य बोल रहे थे तब वह धारा 377 बोले थे, उसको एक्सपंज कर दिया जाए। ठीक नहीं है वह।

श्री अध्यक्ष: 377 के बारे में जो बोले उसको एक्सपंज कर दिया जाए।

एक माननीय सदस्य: पढ़कर देख लेना, कई चीजें होंगी उसमें।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): हां, हां, वह देख लेंगे।

श्री अध्यक्ष: एक्सपंज होंगे। वह समझ गये।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): एक बंद कमरे के अन्दर जज ही जजों की नियुक्ति करते आ रहे हैं। कांग्रेस जब सेंटर में सत्ता में थी उस वक्त 2003 से ही सरकार ने चाहा कि इस पर कहीं न कहीं बैठकर और सभी का समर्थन लेकर कोई न कोई व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए कांग्रेस प्रयासरत रही। 2008 में भी इसी संविधान संशोधन के बारे में कांग्रेस ने एक कांफ्रेंस बुलाई। उसमें भी राय-मशविरा हुआ। उसमें भी बैठकर कोशिश की।

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

उसके बाद 2013 के अन्दर हम लोक सभा के अन्दर बिल लेकर आये। उससे पहले 2008 में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसका समर्थन नहीं किया गया। इसका विरोध किया गया। 2013 के अन्दर हम बिल लेकर आये। लेकिन हमारी सरकार चली गयी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी, वे संविधान का 121वां संशोधन जो लेकर आये, हम उसके समर्थन में थे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पूरे देश की जनता के हित में है। आज हम बहुत गहराई की बात कह रहे हैं। यह संविधान संशोधन बहुत पहले होना चाहिए था। विधायिका ने जो कानून बनाया है उस कानून की रक्षा करने, आम जन की कानून के तहत रक्षा करने, उसके अधिकारों की रक्षा करने में बहुत ही अहमियत जज रखता है। यह जो संविधान संशोधन किया है इसके अन्दर सांगानेर से आने वाले बहुत ही वरिष्ठ माननीय सदस्य ने पहले ही सब कुछ बता दिया है। उन्होंने बहुत ही अच्छे शब्दों में इसको हाउस में बताया। शुरू से लेकर आज तक इसमें क्या कमियां रहीं। किस तरह से आम जनता के अधिकारों पर कुठाराघात होता रहा। जजों को जिस तरह से सभी माननीय सदस्यों ने बताया कि किस तरह से प्रलोभन और मेनीपुलेट करने से न्याय पालिका को जिस तरह से काम करना चाहिए, उसमें कहीं न कहीं कमी आयी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उस कमी को दूर करने के लिए वापस व्यवस्था चालू की- नेशनल जुडीशियल अपाइंटमेंट कमीशन में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, माननीय प्रधान मंत्रीजी, दो जज, दो सदस्य नियुक्त करना, उसमें ला मिनिस्टर। उसके बाद में भी चीफ जस्टिस के द्वारा जिस तरह से टिप्पणी की गयी, मीडिया के अन्दर भी आया कि कोलेजियम सिस्टम अच्छा था। लोक सभा और राज्य सभा के द्वारा एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय लिया गया, हम सब इसका स्वागत करते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 2013 के अन्दर हमने जब बिल पेश किया था, यदि बिल उस वक्त पास हो जाता तो मैं समझता हूं कि 6-7 महीने में जजों की जो काफी समय से कमी है, उनके अपाइंटमेंट में जो दिक्कत आ रही है, वह भी काफी हद तक दूर होती, उनकी नियुक्ति होती।

माननीय अध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार की बात हुई। भ्रष्टाचार भी जिस

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

कदर बढ़ रहा है उसमें भी इससे अंकुश लगेगा। जिस तरीके से अब जजों की नियुक्ति होगी, बहुत ही अच्छे तरीके से एक पारदर्शिता आएगी और लोगों को जो न्याय की उम्मीद है वह उम्मीद पूरी होगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज महंगा न्याय हो गया है। आज सुप्रीम कोर्ट में कोई भी गरीब आदमी न्याय की उम्मीद कर नहीं सकता है। वकील सुप्रीम कोर्ट में 25 से 30 लाख रुपये तक एक हियरिंग का लेते हैं तो एक गरीब आदमी सुप्रीम कोर्ट में न्याय की उम्मीद कर ही नहीं सकता है। मेरा निवेदन है कि आम आदमी को न्याय मिले, इसके लिए भी इसमें कुछ न कुछ रखना चाहिए था। आम आदमी को सस्ता न्याय मिले।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज पैंडिंग केसेज के बारे में हम बात करें तो जिस तरीके से अभी उनका निस्तारण हो रहा है यदि यही व्यवस्था रही तो साढ़े 300 वर्ष उन सारे केसों का निपटारा होने में लगेंगे। इसमें भी तत्परता आए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमेशा इस बात पर चर्चा होती है कि न्यायपालिका का हर जगह दखल देना, वह भी गलत बात है। न्याय पालिका का ध्येय और लक्ष्य होना चाहिए कि जो विधायिका ने कानून बनाया है और जो संविधान है, उसके तहत रहकर लोगों को न्याय दें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का अनुसमर्थन करता हूं और सदन में जिस तरह से बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में चर्चा हुई है उसके लिए धन्यवाद देता हूं। इसके बारे में सभी माननीय सदस्यों ने एक अच्छी सोच का परिचय दिया है कि न्यायपालिका किस तरह की होनी चाहिए। मैं अपनी तरफ से माननीय प्रधान मंत्रीजी को और लोक सभा को धन्यवाद देना चाहूंगा कि वे इस बिल को लेकर आये और इसके अनुसमर्थन का हमें भी मौका मिला विधान सभा में। मैं मेरी पार्टी की तरफ से इसका पूरा अनुसमर्थन करता हूं, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: माननीय संसदीय कार्य मंत्री अब बहस का जवाब देंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उन सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहूंगा, उनका साधुवाद देना चाहूंगा, उनका आभार व्यक्त करना चाहूंगा जिन्होंने संविधान के 121वें संशोधन जैसे महत्वपूर्ण विषय पर 6 घण्टे जो बहस चली, उस सारगर्भित बहस में हिस्सा लेकर अपने विचार व्यक्त किये।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर राजस्थान विधान सभा संसदीय इतिहास के अन्दर अपना एक अलग स्थान रखती है। आज की इस बहस की जो ऊंचाइयां रहीं, सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने इस बहस की शुरूआत की जिसका समापन प्रतिपक्ष के माननीय नेता ने किया। सभी माननीय सदस्यों ने अपनी-अपनी बात रखते हुए देश की न्यायिक प्रणाली के बारे में जो आलोचना-समालोचना की, मैं समझता हूं, वह यथार्थ है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर यह 121वां संविधान संशोधन, देश की न्यायिक प्रणाली के लिए, न्यायिक व्यवस्था में परिवर्तन में मील का पत्थर साबित होगा। जिस प्रकार की बहस 12 अगस्त को लोक सभा में और 14 अगस्त को राज्य सभा में हुई, उस बहस के वृत्तांत अगर हम पढ़ें तो लगता है कि इस देश के अन्दर किसी ऐसी व्यवस्था को बदलने की आवश्यकता महसूस की गयी जिसको बहुत पहले बदला जाना चाहिए था। जब कभी सक्षम नेतृत्व ने इसकी अगुवाई की, जिस प्रकार की अगुवाई हमारे कानून मंत्रीजी, हमारे प्रधान मंत्रीजी ने की, तो सभी लोगों ने राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठकर अपने विचार भी व्यक्त किये।

इसी कारण, माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत बिरले अवसर आते हैं, राजस्थान की विधान सभा में भी लम्बे समय बाद यह अवसर आया है जब लगा कि सारा सदन एकमत है। इसी प्रकार लोक सभा के अन्दर और राज्य सभा के अन्दर भी बहुत बिरले अवसर आते हैं जब इस प्रकार के विषय पर सारे एकमत होते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, संविधान में व्यवस्थाएं कर रखी हैं। संविधान के आर्टिकल 368 खण्ड 2 के परन्तुक 'ख' के अन्दर देश के 50 प्रतिशत विधान मण्डल के अन्दर इस संविधान संशोधन की अभिपुष्टि होनी चाहिए, है। मैं सदन की नेता को इस बात के लिए बधाई देना चाहूंगा कि आपने इस बात में पहल की और पूरे देश के अन्दर राजस्थान की विधान सभा पहली विधान सभा है जो इस महत्वपूर्ण बिल पर, संविधान संशोधन पर अपनी अभिपुष्टि कर रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सब जानते हैं कि हमारे संविधान में लोकतंत्र के तीन महत्वपूर्ण अंग हैं- हमारी विधायिका, हमारी कार्यपालिका, और हमारी न्यायपालिका। इन सबके कर्तव्य, इन सबके कार्य और इन सबकी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सीमाओं के बारे में संविधान के अनुच्छेदों में व्याख्या की गयी है। निश्चित तौर पर जब हम चर्चा करते हैं विधायिका की, विधायिका का मुख्य काम कानून बनाना है और कार्यपालिका का मुख्य कार्य उन कानूनों के क्रियान्वयन करने का है, न्यायपालिका का मुख्य कार्य विधि अनुकूल कार्य हो, इसके बारे में ध्यान रखने का है। ये तीनों स्तम्भ, माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वतंत्रतापूर्वक, पारदर्शिता से, अपना काम करें, यह हमारे संविधान की मूल भावना है। मूल भावना खण्डित नहीं हो, एक दूसरे के अधिकारों पर हस्तक्षेप नहीं हो, तो मैं समझता हूं कि संविधान का यह जो मौजूदा 121वां संशोधन है, यह भी संविधान की मूल भावना को अखण्ड और अक्षुण्ण रखने के लिए संसद में पारित किया गया है ।

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, 2014 की अभिपुष्टि हम अभी करने जा रहे हैं। 1993 से पहले जो व्यवस्थाएं थीं, हमारे संविधान के आर्टिकल 124, 127, 128, 217, 222, 224-ए और 231, इसमें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के चयन और स्थानांतरण करने के लिए प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया है। 26 जनवरी, 1950 को माननीय अध्यक्ष महोदय, जब हमारा संविधान लागू हुआ तब इन्हीं आर्टिकल्स के अनुसार महामहिम राष्ट्रपति महोदय, न्यायपालिका व कार्यपालिका से चर्चा करते हुए न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के कार्यों को सम्पन्न कर रहे थे। इसमें मूलतः आर्टिकल 124(2) है, उसकी मंशा यही है कि सर्वोच्च न्यायालय में माननीय मुख्य न्यायाधीश, वरिष्ठ न्यायाधीशों से परामर्श करके सर्वोच्च न्यायालय के अन्दर न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे, उनका स्थानांतरण करेंगे, और आर्टिकल 217(1) में राष्ट्रपति महोदय, भारत के मुख्य न्यायाधीश और सम्बन्धित राज्यों के राज्यपाल की सलाह से उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था चली आ रही थी पर 1993 में सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स आन रिकार्ड बनाम भारत संघ, इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया। इसके साथ ही, माननीय अध्यक्ष महोदय, 1998 में भारत सरकार ने एक रेफरेंस किया इसी सम्बन्ध में कि 1993 का जो निर्णय आ गया, इस व्यवस्था के बारे में उच्चतम न्यायालय का विचार क्या है। माननीय अध्यक्ष महोदय, उस समय संविधान के अनुच्छेद 124(2)

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

और 217(1) में जो शब्द 'परामर्श' है, कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय, मुख्य न्यायाधीश, वरिष्ठ न्यायाधीशों के परामर्श से न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे, यह हमारे संविधान के आर्टिकल 124(2) में सर्वोच्च न्यायालय के लिए है और 217(1) में माननीय उच्च न्यायालय के लिए लिखा है। अब इस शब्द की जो व्याख्या की गयी, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकार्ड बनाम भारत संघ, इसमें 'परामर्श' शब्द, जो 'कंसल्टेशन' है, उसको 'सहमति' यानि 'कंकरेंस' होनी चाहिए, इसका रूप दे दिया और इस निर्णय के पश्चात्, माननीय अध्यक्ष महोदय, सारी व्यवस्था कोलेजियम की प्रारम्भ हो गयी। न्यायाधीशों द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति होना प्रारम्भ हो गया और एक तरह से मुख्य न्यायाधीश चाहे सर्वोच्च न्यायालय के हों, चाहे उच्च न्यायालय के हों, इनके न्यायाधीशों की नियुक्ति में इनकी जो राय है या इनकी जो सहमति है, वह बाध्यकारी हो गयी। मैं समझता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि कोलेजियम प्रणाली जो चली, अगर उसको देखा जाए तो संविधान के अन्दर जो आर्टिकल 224(2) और 217(1) हैं, इनकी मूल भावना से कहीं मेल नहीं खाती और इसी कारण से यह सारी व्यवस्था में परिवर्तन हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो 1993 में निर्णय हुआ, उस निर्णय को दिया था जस्टिस जे एस वर्मा ने, जो उस समय भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। जे एस वर्मा ने, जिसका जिक्र लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी किया, खुद अपने निर्णय में बाद में एक बार कहा कि मेरे निर्णय को जिस मंशा से मैंने कहा था, सही मायने में नहीं लिया जा रहा। उनकी खुद की मान्यता थी कि न्यायाधीश की नियुक्ति में न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों की संयुक्त सहभागिता पर विचार किये जाने की जरूरत है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह 'कोलेजियम' जो शब्द है, संविधान के अन्दर, जिस प्रकार शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, पूरे ढूंढने से यह शब्द नहीं मिलता। यह शब्द कहां से आया? कहीं इस शब्द की न तो व्याख्या है और न इस शब्द की बात कही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यही नहीं, जुडीशियल अपाइंटमेंट प्रोसेस में सुधार के लिए पहले प्रयास नहीं किये गये। माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने भी इस ओर इंगित किया है। 1990 के अन्दर, माननीय अध्यक्ष महोदय, 67वां संविधान संशोधन आया, 1992 के अन्दर 82वां संविधान संशोधन आया, 2003 में फिर 98वां संविधान संशोधन

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आया और 2013 में जिसका जिक्र प्रतिपक्ष के नेता ने किया, 120वां संविधान संशोधन आया। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पूरे मामले के अन्दर, इन सारे संविधान संशोधनों की मंशा एक ही थी कि न्यायाधीश स्वयं ही अपने आप अपनी नियुक्ति व दूसरे न्यायाधीशों की करें, यह उचित नहीं। कोलेजियम सिस्टम जो संविधान की मूल भावना के विपरीत है, इस प्रकार के उद्देश्यों के लिए ये संशोधेन आये थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बारे में अलग-अलग आयोग भी बने- 2002 में भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जस्टिस वेंकटचलैया की अध्यक्षता में कमीशन गठित हुआ। 2007 में श्री वीरप्पा मोइली जिसका जिक्र सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने किया, अगर इनकी बहस को पढ़ा जाए तो वास्तव में एक माइलस्टोन है बहस। बहस के अन्दर बोलते हुए वीरप्पा मोइली ने जो विचार व्यक्त किये पूरे विश्व में न्यायिक प्रणाली की समीक्षा जो उन्होंने की है, मैं समझता हूं कि अपने आप में बहुत बड़े डाकूमेंट के रूप में लोग उसको पढेंगे। उनकी अध्यक्षता में भी एक एडमिनिस्ट्रेशन रिफार्म कमीशन बना था जिसका आपने जिक्र किया था, पहला कमीशन मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में बना था। इसी प्रकार 2008 में ला कमीशन आफ इण्डिया की 214वीं रिपोर्ट और इसके अलावा पार्लियामेंट में भी अलग-अलग स्टेंडिंग कमेटियों में इसका विस्तृत विवेचन किया गया- जजेज इन्क्वायरी बिल पर 21वीं रिपोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, नम्बर आफ जजेज पर 28वीं रिपोर्ट, एज आफ रिटायरमेंट आफ जजेज बिल पर 44वीं रिपोर्ट। इन सारी स्टेंडिंग कमेटी की रिकमण्डेशंस में सारी बातें निकलकर आईं कि यह जो सिस्टम बन गया, यह संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। संविधान के उन आर्टिकलों में जिनमें न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया निर्धारित हमारे संविधान के निर्माताओं ने की है उसकी भावनाओं के विपरीत है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सारी कार्यवाही आज से नहीं, वर्षों से इस बात की चेष्टा हमारी विधायिका, हमारी संसद करती रही है कि इसमें कोई न कोई परिवर्तन होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो 121वां संविधान संशोधन आया है, जिसके माध्यम से राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक, 2014 तैयार किया गया है, निश्चित तौर पर मैं इस बात के लिए बधाई देना चाहूंगा हमारे कानून मंत्री को। 26 अलग-अलग दल हैं जो अपना प्रतिनिधित्व रखते हैं राज्य सभा और संसद में, सारे दलों से उन्होंने बात की। उन्होंने पूरे देश के ख्यातमान संविधान को जानने वाले लोगों से,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अधिवक्ताओं से बात की, मुख्य न्यायाधीशों से बात की और इसी कारण से यह सारा मामला सर्वसम्मत रूप से लोक सभा और राज्य सभा में पारित हुआ।

अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले उल्लेख किया था जस्टिस एन.एन. वेंकटचैलया की अध्यक्षता में गठित कमीशन का। उस कमीशन की रिपोर्ट का अगर सार देखें तो उन्होंने कहा था कि राष्ट्रीय आयोग के गठन की आवश्यकता प्रतिपादित कर आयोग में कार्यपालिका तथा न्यायपालिका दोनों की भागीदारी आवश्यक है। यह उस आयोग ने कहा। अगर हम देखें, जब जिक्र किया था शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने, कई और माननीय सदस्यों ने, हम अमरीका को देखें, इंग्लैंड को देखें, हम फ्रांस को देखें, हम जर्मनी को देखें, इन सब जगहों पर न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, सीनेट करती है, राजनैतिक कार्यपालिका करती है। इसके अलावा कई देशों में निर्वाचित प्रतिनिधित्व द्वारा निर्वाचन करने की प्रक्रिया से भी न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है।

अध्यक्ष महोदय, यह बहस हुई लोक सभा में 12 अगस्त और राज्य सभा में 14 अगस्त को। उस बहस के अनुसार आज राजस्थान की विधान सभा, यह देश की पहली विधान सभा है जिसके अन्दर आर्टिकल 668 खण्ड 2 के परन्तुक ख के अनुसार 50 परसेंट विधान मण्डलों द्वारा अनुमोदित होना है, हमने उसमें पहल की है। मैं समझता हूं हमारी पहल करने के पश्चात् देश के अन्दर अन्य विधान मण्डल भी इसकी ओर देखेंगे।

अध्यक्ष महोदय, आज बड़ी संख्या के अन्दर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के पद रिक्त हैं और उन रिक्त पदों के कारण, जिसका जिक्र माननीय सदस्यों ने किया, मुकदमों का अंबार लगता जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, जब राजाओं का राज था उस समय पूरी शासन व्यवस्था पर उनका एकाधिकार था। उस समय स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं थी। कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों राजा में निहित थीं। ब्रिटिश शासनकाल के अन्दर हमारे देश में पहली बार यह रेखांकित किया गया कि न्यायपालिका की अलग व्यवस्था होनी चाहिए और न्यायपालिका व कार्यपालिका दोनों में विभेद किया गया।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अध्यक्ष महोदय, 124(2) और 217(1) में जो संविधान की मूल भावना है, मैं समझता हूं कि यह एक तरह से संविधान का सम्मान करने का काम हुआ है। जो बिल हमारे पास विचारार्थ आया है, पूरे संविधान के अन्दर हमारे संविधान निर्माताओं ने जिस मंशा के साथ इस पूरी चीज को रखा था, उसको सम्मान देने का काम हुआ है। मूलत: यह जो संविधान संशोधन आया है इसमें तीन नये आर्टिकल्स इंट्रोड्यूज किये गये हैं- आर्टिकल 124(क), 124(ख) और 124(ग), इन तीन को नया जोड़े जाने का प्रस्ताव इन संशोधनों के माध्यम से आया है। 8 आर्टिकल्स-124, 127, 128, 217, 222, 224, 224(क) और 213 में संशोधन प्रस्तावित किया गया है। अगर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के बिल की पूर्णत: कुछ शब्दों में व्याख्या करें तो इसमें सामूहिक बुद्धिमता के सिद्धान्त पर बल दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय, आर्टिकल 124 है जिसके अनुसार 6 सदस्यीय राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना का प्रस्ताव आया है। अगर आज देखें तो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? इस आयोग की अध्यक्षता हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। इसके सदस्य कौन होंगे? मैं यह इसलिए कह रहा हूं, इसके पीछे मंशा यह नहीं है कि कार्यपालिका न्यायपालिका पर प्रभावी रहेगी। अगर इसको समग्र रूप से देखें तो न्यायपालिका का प्रभुत्व इसमें दिख रहा है, पर इसमें सिर्फ इतनी-सी बात है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी है, पारदर्शिता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति में जिसकी चर्चा हुई, कइयों ने अंकल जज के नाम से कहा, कइयों ने किसी और नाम से कहा, माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने कहा कि कमरे में बैठकर न्यायाधीशों की नियुक्ति हो जाती थी। उन सबसे ज्यादा आज देश में एक ऐसी व्यवस्था जो पूरे देश को न्याय देने वाली व्यवस्था है, उसके बारे में पारदर्शिता आए, मैं समझता हूं, इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती। इसके सदस्य सर्वोच्च न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीश, तीन तो वे हो गये, एक देश के कानून मंत्री हो गये और दो विशेषज्ञ जो प्रख्यात व्यक्ति होंगे। इन प्रख्यात व्यक्तियों का मनोनयन भी हमारे माननीय प्रधानमंत्रीजी, हमारे प्रतिपक्ष के नेता, प्रतिपक्ष के नेता अगर नहीं होंगे तो संसद में सबसे बड़े दल के नेता होंगे। प्रधानमंत्रीजी, हमारे मुख्य न्यायाधीश और प्रतिपक्ष के नेता मिलकर इनका चयन करेंगे। तीन साल तक ये सदस्य रहेंगे। इनमें से एक जिस प्रकार आपने कहा, महिला, ओबीसी, एससी/एसटी या अल्पसंख्यक में से होगा। तीन साल बाद इन्हें दुबारा मनोनीत नहीं किया जाएगा।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): माइनोरिटी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह जो आयोग है, केन्द्र सरकार इसको सिफारिश करेगी और यह देश के अन्दर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में जो न्यायाधीशों की रिक्तियां हैं, उनको भरने का काम करेगा। अब तक जो रिक्तियां चली आ रही हैं उन रिक्तियों को, जब यह प्रभावी रूप में आ जाएगा तो 30 दिन के अन्दर इनकी नियुक्तियों को भरने की प्रक्रिया प्रारम्भ करेगा। अगर कोई जज रिटायर हो रहा है तो रिटायरमेंट से 6 महीने पहले यह आयोग उस पद को भरने की कार्यवाही प्रारम्भ करेगा। अगर किसी न्यायाधीश की मृत्यु हो जाती है या वह त्यागपत्र दे देता है तो उसके 30 दिन में कार्यवाही करेगा। इसी तरह आर्टिकल 124(ख) जो नया इंट्रोड्यूज किया गया है, इसमें राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्तियों के कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। इनका कर्तव्य माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में जजों की नियुक्ति के बारे में है। इसमें भी आयोग द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश का पद धारण करने के लिए उपयुक्त मानते हुए भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश। भारत का मुख्य न्यायाधीश तो वही बनेगा अगर उसमें कोई अयोग्यता नहीं होगी, जो वरिष्ठतम होगा।

अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार आयोग सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए नामों की सिफारिश विनियमों द्वारा निर्धारित योग्यता, गुणवत्ता व अन्य मापदण्डों के आधार पर करेगा। अगर इसमें आयोग के दो माननीय सदस्य यह कह देंगे कि इस नाम को नहीं भेजा जा सकता, सहमत नहीं है तो उसकी सिफारिश नहीं की जाएगी। यह वीटो इसमें जरूर है।

अध्यक्ष महोदय, आयोग उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए परस्पर वरिष्ठता का ध्यान रखेगा। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों में भी वरिष्ठता का ध्यान रखा जाएगा, यह भी है। विनियमों द्वारा योग्यता, गुणवत्ता व ऐसे अन्य मापदण्डों के आधार पर नामों की सिफारिश करेगा। चयन के लिए नामों की सूची सम्बन्धित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से मंगवाएंगे। ये सारी बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज भी इसको अगर हम देखें तो इसकी पृष्ठभूमि में जो प्रतिध्वनि निकलती है, उसके अन्दर जुडीशियरी का प्रभुत्व ही दिखायी देता है। आयोग भी योग्य व्यक्तियों

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

के नामों की सूची तैयार कर सकता है। खुद भी तैयार कर सकता है, पर उन योग्य व्यक्तियों की सूची भी सम्बन्धित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को विचार प्रकट करने के लिए भेजेगा। दोनों ही स्थिति में मुख्य न्यायाधीश सम्बन्धित उच्च न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों और विनियमों द्वारा निर्धारित किये गये प्रख्यात अधिवक्ताओं से परामर्श करेगा।

अध्यक्ष महोदय, इसमें एक चीज जरूर है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए नामों की सिफारिशों से पूर्व लिखित में सम्बन्धित राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल से विचार प्राप्त करेगा, यह इसके अन्दर है। निश्चित तौर पर मैं समझता हूं कि कार्यपालिका को इतना तो अधिकार है। आज राज्य के मुख्य मंत्रीजी को यह तो अधिकार है ही कि जिन न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय में हो रही है, उनकी पृष्ठभूमि के बारे में लिखित रूप में अपनी बात तो कह ही सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों के स्थानान्तरण की सिफारिश करेगा और इस सम्बन्ध द्वारा विनियम बनाकर प्रक्रिया तय की जाएगी।

अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस के नेता ने सिर्फ एक संशोधन की बात कही थी। उन्होंने कहा कि अगर राष्ट्रपति के पास आयोग की सिफारिश गयी और राष्ट्रपति महोदय यह समझें कि इसमें पुनर्विचार की आवश्यकता है तो आयोग को दुबारा भेज सकने का अधिकार राष्ट्रपति को हो। अगर आयोग पुन: उसको वापस भेजे कि नहीं, यह नियुक्ति के लिए पात्र है तो फिर राष्ट्रपति को उनके नाम पर उनकी सिफारिश के अनुसार नियुक्ति देनी पड़ेगी। यह कांग्रेस पार्टी की तरफ से संशोधन आया था।

इसी प्रकार जो नया आर्टिकल 124(ग) है, इसमें संसद विधि द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों एवं उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया तथा नियम बनाने के सम्बन्ध में है।

अध्यक्ष महोदय, माननीय वीरप्पा मोइलीजी की बात उन्होंने कही, जिनके भाषण को आप सब लोगों ने इंगित किया, अपने भाषण में उन्होंने स्वतंत्र न्यायपालिका का अर्थ बताते हुए कहा किन्यायपालिका की स्वतंत्रता मात्र नियुक्ति तक सीमित नहीं है, वरन् इसका सम्बन्ध नित्य प्रतिदिन के

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कार्य संचालन से है। मात्र जजेज के अपाइंटमेंट के साथ हम कह देंगे कि न्यायपालिका को स्वतंत्रता दे दी, उसमें नहीं है।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि माननीय मंत्रीजी का जवाब पूरा होने और संकल्प पारित होने तक सदन का समय बढ़ाया जाए।

श्री अध्यक्ष: क्या सदन की सहमति है?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

शासकीय संकल्प

संविधान (121वां संशोधन) विधेयक, 2014 का अनुसमर्थन

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी बात यह है कि देश के अन्दर आज मुकदमों का अम्बार है और जो हमारे माननीय न्यायाधीश हैं उनके रिक्त पदों की संख्या भी कम नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में कुल 31 जजेज की स्वीकृति है उनमें से 5 रिक्त हैं। हाई कोर्ट के अन्दर 950 में से 319 रिक्त हैं और राजस्थान हाई कोर्ट में 40 में से 13 पद रिक्त हैं। इसीलिए, अध्यक्ष महोदय, कहते हैं न कि Justice delayed is justice denied. आज राजस्थान हाई कोर्ट में 3,07,640 मुकदमे लम्बित हैं। अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि लोकतंत्र में न्यायपालिका और विधायिका महत्वपूर्ण हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका हो, इसके हम सब हामी हैं। परन्तु न्यायपालिका स्वतंत्र हो, उसके साथ कार्यपालिका को यह चिंता तो करनी पड़ेगी कि देश के अन्दर, प्रदेश के अन्दर लोगों का न्याय प्रणाली से विश्वास उठ नहीं जाए। इसलिए पारदर्शितापूर्वक जो हमारी न्याय प्रणाली में न्याय देने वाले लोग हों, उनके चयन में किसी प्रकार की ऐसी बात नहीं हो जिसमें लोगों को शंका हो। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि मूल रूप से इस संशोधन विधेयक जिस पर आज सदन ने विचार किया है, यह आर्टिकल 124 और 217 जो संविधान का हिस्सा है, उसी के अनुरूप है और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार के विचार आज आये हैं...

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): यह मंत्रीजी का मामला चयन तक ही सीमित है या करप्शन... (व्यवधान) Suppose somebody is found in corruption. (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जो यह राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग है, इसके अभी रूल्स बनेंगे। जिस तरह मैंने पहले कहा, 124 (ग) के अन्दर यह अधिकार लिया है, उसके अन्दर ये सारी बातें आएंगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि आज जिस प्रकार की बहस हुई है और बहस में सभी माननीय सदस्यों ने जिस प्रकार की बातें की हैं, निश्चित तौर पर आज आलोचना और समालोचना सब हुई हैं। यह बात भी सामने आयी कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, तीनों को जो संवैधानिक अधिकार मिले हैं, अपनी-अपनी परिधि में स्वतंत्रतापूर्वक वो काम करें तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र के ये तीनों स्तम्भ मजबूत होंगे। पर कई बार जाने-अनजाने में हम एक-दूसरे के अधिकार क्षेत्र पर अतिक्रमण करते हैं तो निश्चित तौर पर उस अतिक्रमण के कारण से कई इस प्रकार की विसंगतियां पैदा हो जाती हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि जो पहल आज राजस्थान की विधान सभा ने की है और जिस प्रकार आज सार्थक बहस हुई है, जो संकल्प मैंने रखा है इसके अनुसमर्थन का, उसको हम सब लोग पारित करें, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि ''यह सदन भारत के संविधान के अनुच्छेद-368 के खण्ड (2) के परन्तुक के खण्ड (ख) की परिधि के अन्तर्गत आने वाले संशोधन का, जो संसद के दोनों सदनों द्वारा यथा पारित संविधान (एक सौ इक्कीसवां संशोधन) विधेयक, 2014 द्वारा किया जाना प्रस्तावित है, अनुसमर्थन करता है।''

(स्वीकृत)

संविधान संशोधन का अनुसमर्थन किया गया।

सदन की बैठक गुरुवार, दिनांक 18 सितम्बर, 2014 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 18.54 बजे गुरुवार, दिनांक 18 सितम्बर, 2014 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

सदस्यवार-सूची

बुधवार, 17 सितम्बर, 2014

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री अध्यक्ष	
शासकीय संकल्प	
-संविधान (121वां संशोधन) विधेयक, 2014 का अनुसमर्थन	187
शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि	
-पूंजालाल गरासिया, श्री, पूर्व सदस्य	3
-हरिकुमार औदिच्य, श्री, पूर्व सदस्य	2
श्री अमराराम (पचपदरा)	
पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे	
-बालोतरा के कपड़ा उद्योग को भू-आबंटन	46
श्री अशोक (हिण्डौली)	
स्थगन प्रस्ताव	
-जयपुर नगर निगम द्वारा वसूली गयी सेवा कर राशि को जमा कराने में कोताही	20
श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर)	
पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे	
-जोधपुर शहर में चरमराई सफाई व्यवस्था	47
शासकीय संकल्प	
-संविधान (121वां संशोधन) विधेयक, 2014 का अनुसमर्थन	168
श्री कालू लाल गुर्जर (माण्डल), मुख्य सचेतक	
सदन की कार्यवाही	
-विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि	141
-विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि	186
समिति प्रतिवेदन : कार्य सलाहकार	
-कार्य सलाहकार समिति (क्र. सं. 9)	128
सूचना	
-जम्मू-कश्मीर में बाढ़ पीड़ितों के लिए भारतीय जनता पार्टी के विधायकों द्वारा एक माह के वेतन की मदद	49

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर), मंत्री	
स्थगन प्रस्ताव	
-बानसूर के माडल विद्यालय में अव्यवस्था	14
श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द)	
शासकीय संकल्प	
-संविधान (121वां संशोधन) विधेयक, 2014 का अनुसमर्थन	143
डा. किरोड़ी लाल (लालसोट)	
शासकीय वक्तव्य	
-सर्प दंश के उपचार हेतु इंजेक्शंस की उपलब्धता	56
शासकीय संकल्प	
-संविधान (121वां संशोधन) विधेयक, 2014 का अनुसमर्थन	89
स्थगन प्रस्ताव	
-राज्य में सांप काटने की दवा के अभाव में लोगों की मौत	4
श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर), मंत्री	
पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे	
-ब्यावर की ग्राम पंचायत बामनहेड़ा में चल रहे भामाशाह शिविर के दौरान पुलिस द्वारा लाठीचार्ज	44
विधेयक का पुर:स्थापन	
-दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014	65
सदन पटल पर रखे गये पत्र	
अधिसूचना	
पंचायती राज	
-पंचायती राज विभाग की एक अधिसूचना	60
सूचना	
-जम्मू-कश्मीर में बाढ़ पीड़ितों के लिए भारतीय जनता पार्टी के विधायकों द्वारा एक माह के वेतन की मदद	52
स्थगन प्रस्ताव	
-कोलायत में पंचायतों के पुनर्गठन में निर्धारित मापदण्डों का पालन नहीं	18
-जोधपुर के जयनारायण विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनावों में पक्षपातपूर्ण कार्यवाही	29
-पश्चिमी राजस्थान के अकालग्रस्त गांवों को अनुदान	8

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़)	
शासकीय संकल्प	
-संविधान (121वां संशोधन) विधेयक, 2014 का अनुसमर्थन	122
सूचना	
-जम्मू-कश्मीर में बाढ़ पीड़ितों के लिए भारतीय जनता पार्टी के विधायकों द्वारा एक माह के वेतन की मदद	50
स्थगन प्रस्ताव	
-विद्यालयों के समानीकरण से उत्पन्न स्थिति	9
श्री घनश्याम (टोडाभीम)	
पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे	
-टोडाभीम की पेयजल समस्या का समाधान	44
स्थगन प्रस्ताव	
-टोडाभीम की पेयजल समस्या	4
श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर)	
व्यवस्था का प्रश्न	
-राजस्थान भूमि अर्जन विधेयक व भूमि विधियां (संशोधन) विधेयक की अवस्थिति का स्पष्टीकरण आवश्यक	61
शासकीय संकल्प	
-संविधान (121वां संशोधन) विधेयक, 2014 का अनुसमर्थन	67
श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली)	
शासकीय संकल्प	
-संविधान (121वां संशोधन) विधेयक, 2014 का अनुसमर्थन	166
श्री जोगाराम पटेल (लूणी)	
शासकीय संकल्प	
-संविधान (121वां संशोधन) विधेयक, 2014 का अनुसमर्थन	97
श्री दलीचन्द डांगी (मावली)	
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-मावली में क्षतिग्रस्त सड़कों एवं पुलियाओं से कारित परेशानी	34
श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर)	
शासकीय वक्तव्य	
-सर्प दंश के उपचार हेतु इंजेक्शंस की उपलब्धता	57

नाम	पृष्ठ संख्या
सूचना	
-जम्मू-कश्मीर में बाढ़ पीड़ितों के लिए भारतीय जनता पार्टी के विधायकों द्वारा एक माह के वेतन की मदद	49
श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा)	
शासकीय वक्तव्य	
-सर्प दंश के उपचार हेतु इंजेक्शंस की उपलब्धता	54
शासकीय संकल्प	
-संविधान (121वां संशोधन) विधेयक, 2014 का अनुसमर्थन	66
सूचना	
-जम्मू-कश्मीर में बाढ़ पीड़ितों के लिए भारतीय जनता पार्टी के विधायकों द्वारा एक माह के वेतन की मदद	50
श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर)	
शासकीय संकल्प	
-संविधान (121वां संशोधन) विधेयक, 2014 का अनुसमर्थन	129
डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर)	
शासकीय संकल्प	
-संविधान (121वां संशोधन) विधेयक, 2014 का अनुसमर्थन	138
श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण)	
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-उदयपुर ग्रामीण में क्षतिग्रस्त सड़कों एवं पुलियाओं से कारित परेशानी	33
श्री भजन लाल जाटव (वैर)	
शपथ एवं प्रतिज्ञान	
-नव-निर्वाचित सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण/प्रतिज्ञान	1
श्री भंवरसिंह (कोलायत)	
स्थगन प्रस्ताव	
-कोलायत में पंचायतों के पुनर्गठन में निर्धारित मापदण्डों का पालन नहीं	16
श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़)	
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-किशनगढ़ की पुनर्गठित शहरी जल योजना के तहत वित्तीय स्वीकृति	32

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर)	
शासकीय संकल्प	
-संविधान (121वां संशोधन) विधेयक, 2014 का अनुसमर्थन	158
श्री मान सिंह (गंगापुर)	
शासकीय संकल्प	
-संविधान (121वां संशोधन) विधेयक, 2014 का अनुसमर्थन	153
श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर)	
शासकीय संकल्प	
-संविधान (121वां संशोधन) विधेयक, 2014 का अनुसमर्थन	107
श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल)	
शासकीय संकल्प	
-संविधान (121वां संशोधन) विधेयक, 2014 का अनुसमर्थन	115
श्री यूनुस खान (डीडवाना), मंत्री	
सदन पटल पर रखे गये पत्र	
प्रतिवेदन एवं लेखे	
-राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2013-2014 एवं आयोग के सुझाव तथा सिफारिशों के सम्बन्ध में स्पष्टीकारक ज्ञापन	61
श्री रमेश (सपोटरा)	
स्थगन प्रस्ताव	
-राज्य की खानों में हजारों मजदूरों के सिलिकोसिस नाम की गम्भीर बीमारी से मौत	22
श्री राज कुमार रिणवां (रतनगढ़)	
शासकीय संकल्प	
-संविधान (121वां संशोधन) विधेयक, 2014 का अनुसमर्थन	170
श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू), मंत्री	
विधेयक का पुर:स्थापन	
-राजस्थान भूमि अर्जन विधेयक, 2014	64
-राजस्थान भूमि विधियां (संशोधन) विधेयक, 2014	64
व्यवस्था का प्रश्न	
-राजस्थान भूमि अर्जन विधेयक व भूमि विधियां (संशोधन) विधेयक की अवस्थिति का स्पष्टीकरण आवश्यक	62

नाम	पृष्ठ संख्या

शासकीय वक्तव्य

-सर्प दंश के उपचार हेतु इंजेक्शंस की उपलब्धता 53

शासकीय संकल्प

-संविधान (121वां संशोधन) विधेयक, 2014 का अनुसमर्थन 66

सदन पटल पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन एवं लेखे

वित्त

-राजस्थान वित्त निगम के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पृथक अंकेक्षण प्रतिवेदन 60

स्थगन प्रस्ताव

-राज्य की खानों में हजारों मजदूरों के सिलिकोसिस नाम की गम्भीर बीमारी से मौत 24

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (कोटपूतली)

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

-कोटपूतली में सड़कों की दयनीय स्थिति 36

श्री रामनारायण (नसीराबाद)

शपथ एवं प्रतिज्ञान

-नव-निर्वाचित सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण/प्रतिज्ञान 43

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नोखा), नेता, प्रतिपक्ष

शासकीय संकल्प

-संविधान (121वां संशोधन) विधेयक, 2014 का अनुसमर्थन 175

स्थगन प्रस्ताव

-कोलायत में पंचायतों के पुनर्गठन में निर्धारित मापदण्डों का पालन नहीं 19

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा)

शासकीय संकल्प

-संविधान (121वां संशोधन) विधेयक, 2014 का अनुसमर्थन 93

श्री ललित कुमार (किशनगंज)

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

-बारां में जननी सुरक्षा वाहन-104 में कार्मिक पदस्थापन से राजकोष को हानि 42

नाम	पृष्ठ संख्या
श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर)	
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-बानसूर के वन क्षेत्र से जुडे गांवों में फसलों की सुरक्षा	40
स्थगन प्रस्ताव	
-बानसूर के माडल विद्यालय में अव्यवस्था	12
श्री शंकरसिंह (ब्यावर)	
पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे	
-ब्यावर की ग्राम पंचायत बामनहेड़ा में चल रहे भामाशाह शिविर के दौरान पुलिस द्वारा लाठीचार्ज	43
श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर)	
शासकीय संकल्प	
-संविधान (121वां संशोधन) विधेयक, 2014 का अनुसमर्थन	150
श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर)	
स्थगन प्रस्ताव	
-पश्चिमी राजस्थान के अकालग्रस्त गांवों को अनुदान	7
श्री संजीव कुमार (भादरा)	
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-भादरा उपखण्ड में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना	31
श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर)	
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा स्वयं के वित्तीय संसाधन जुटाने की आवश्यकता	34
स्थगन प्रस्ताव	
-जोधपुर के जयनारायण विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनावों में पक्षपातपूर्ण कार्यवाही	25
श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर)	
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-पुष्कर में घूघरा से श्रीनगर सड़क का नवीनीकरण	30

नाम	पृष्ठ संख्या
श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर)	
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-खींवसर में सड़क निर्माण	38
स्थगन प्रस्ताव	
-जोधपुर के जयनारायण विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनावों में पक्षपातपूर्ण कार्यवाही	25
श्री हरिसिंह रावत (भीम)	
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-भीम की पेयजल समस्या का स्थाई समाधान	37
श्री हीरालाल (निवाई)	
नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख	
-पीपलू पंचायत समिति (निवाई) के ग्रामों की पेयजल समस्या का समाधान	41